छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

गुरूवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 02, शक सम्वत् 1940)

[अंक 15]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 02, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रोज-रोज बोलता हूं, तो उनका उत्साह खत्म हो गया है। अध्यक्ष महोदय, आप उनकी उपस्थिति देख लीजिये।

श्री दीपक बैज :- आप उधर भी तो देख लीजिये। 4 ही लोग हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम लोगों की क्या गिनती ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये अजय चन्द्राकर जी, शुरू करिये।

छत्तीसगढ़ में संचालित विशेष गृह की क्षमता

1. (*क्र. 690) श्री अजय चन्द्राकर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में कितने विशेषगृह हैं और कहॉ-कहॉ कितनी क्षमता के संचालित हैं ? (ख) क्या बिलासपुर व अंबिकापुर में विशेषगृह स्वीकृत किया गया है ? यदि हां तो क्या उसे प्रारंभ कर दिया गया हैं ? यदि नहीं तो कब तक कर दिया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) छत्तीसगढ़ में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 7 विशेष गृह स्वीकृत है जिसमें से 5 विशेष गृह संचालित है स्थान व क्षमता की जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी हां, जिला-बिलासपुर एवं अंबिकापुर में विशेष गृह स्वीकृत किया गया है. अंबिकापुर एवं बिलासपुर में विशेष गृह (बालक) का संचालन प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप जितनी अनुमति देंगे, मैं उतना ही पूछूंगा। भाभी जी जितना उत्तर देंगी, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा।

[1]† परिशिष्ट-"एक"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015. तो अध्यक्ष महोदय, चूँकि आपने केन्द्रीय अधिनियम 2015 का उल्लेख किया है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसमें राज्य का अधिनियम बनाया है या केन्द्रीय अधिनियम को ज्यों का त्यों स्वीकार किया है ? तो फिर मैं उसके हिसाब से प्रश्न करूंगा ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार है। उसी को स्वीकार किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 7 विशेष गृह स्वीकृत हैं, जिसमें 5 विशेष गृह संचालित है। आपने उसकी जगह बताई है। आप बतायेंगे कि छत्तीसगढ़ में वहां उन गृहों की जो क्षमता है, छत्तीसगढ़ में जो सजा याफ्ता या गृह में रखा जाता है, वह उन बच्चों के लिए पर्याप्त है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल वह पर्याप्त है। अभी दुर्ग में सिर्फ 9 ही बच्चें हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल छोटा-छोटा प्रश्न पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, बिलकुल। एक प्रश्न हो गया है एक और पूछ लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। फिर घुमाकर 4-5 बातों को क्लब करके पूछना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- भाभी जी को ज्यादा घुमाना ठीक नहीं है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- जी-जी। मैं, आपसे बिलकुल सहमत हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर और अम्बिकापुर में विशेष गृह कब स्वीकृत किया गया था ? किस सन् के बजट में इसको लाया गया था ? कब स्वीकृत किया गया था, कितनी क्षमता का है और इसका काम कब तक शुरू होगा ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर एवं अंबिकापुर में विशेष गृहों के संचालन हेतु 2.3.2015 को विभाग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। संचालययीन पत्र दिनांक 24.6.2016 के माध्यम से उपलब्ध भवन में संचरनात्मक सुधार हेतु राशि रूपये 07 करोड़ 50 हजार प्रति भवन का आवंटन जिला बिलासपुर एवं अम्बिकापुर को जारी किया गया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा भाभी जी ने बताया कि 2015 के बजट में है। कौन से सन् के बजट में है तो उन्होंने कहा कि 2015 के बजट में आया है। जैसा उन्होंन कहा, मैं उसी को कह रहा हूँ। इसमें कोई परिशिष्ट नहीं मिला है। तो इन 4-5 सालों में उसके निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के पीछे क्या कारण हैं और जो बजट प्रावधान है, वे कितने वर्ष तक रहते हैं ? या विलोपित हो गए हैं, उसमें काम शुरू हो गया या क्या है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट से विलोपित नहीं हुआ है। परन्तु अम्बिकापुर का भवन पूर्ण हो गया है परन्तु उसमें कुछ ऐसे कारण आए हैं, कहीं बाउण्ड्रीवाल में कांटेदार तार का निर्माण नहीं है, विभाग के द्वारा वहां उसको असुरक्षित महसूस किया गया है। इसलिए उसे अभी पूर्ण नहीं माना जायेगा। उसी तरह बिलासपुर में भी अधिकारियों की पदस्थापना नहीं हुई है इसलिए वह अपूर्ण माना गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं है। यह तो समाज को लाभ देने वाली बात है। इसमें एक सेप्टिव वाला एक और प्रश्न था, जो किन्हीं कारणों से नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सुझाव के रूप में दे दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह चाहता हूँ कि आप इन दोनों भवनों को कब तक शुरू करवा देंगे ? यह बताईये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रियाधीन है, काम जारी है। जितना जल्दी हो सकता है, हम कराने की कोशिश करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही ने सुना कि 5 साल हो गए। आपने कारण क्या बताया कि बाउण्ड्रीवाल को सुरक्षित नहीं माना गया। तो उसको भी प्रक्रियाधीन कहें तो फिर शासन काम नहीं कर रही है, मैं यह मानूंगा। फिर वही बात हो जायेगी, जिसके आप मुझे मना किए हैं। इसमें तो कम से कम इतने दिन शुरू कर देंगे, यह बात आनी चाहिए। इसमें बहुत छोटी-छोटी चीजें शेष हैं। इसको भी प्रक्रियाधीन कहेंगे तब तो फिर गड़बड़ हो जायेगा।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इसमें पुन: और अतिरिक्त बजट मांगा गया है, वह बजट मिल गया है और काम जारी है । इसमें एक महीना, दो महीना और 15 दिन भी लग सकता है । इसलिए समयावधि बताना उचित नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब फिर पांच साल के लिए गया ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब वह तो आप लोगों ने पांच साल के लिए दिया था ।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राज्य में सी-बीड एक्ट्रक्ट, सी-बीड जेल तथा एमीनो/ह्यूमिक एसीड की खरीदी

2. (*क्र.1269) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के किन-किन जिलों में वर्ष 2015-16 से दिनांक 25.01.2019 तक सी-बीड एक्ट्रक्ट, सी-बीड जेल तथा एमीनो/ह्यूमिक एसीड की खरीदी किस-किस योजना के तहत की गई है ? वर्षवार विवरण दें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : वर्ष 2015-16 से दिनांक 25.01.2019 तक कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को प्रदाय हेतु क्रय/आदेशित "सी-वीड एक्सट्रेक्ट/सी-बीड जेल/ह्यूमिक एसिड/एमीनो एसिड" का जिलेवार, योजनावार, वर्षवार विवरण ††[2] संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" पर है.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर मामला है । एक ही एड्रेस पर तीन कम्पनियों ने मिलकर 500 करोड़ का घपला किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्यनारायण जी, आपका हर मामला गंभीर रहता है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रपत्र ए में 21 जिलों में खरीदी हुई है तो क्या इसका अनुमोदन लिया गया था, किसके आदेश पर ये खरीदी की गई है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की खरीदी पर अनुमोदन किसका है, आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पा रहा हूं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले के अधिकारियों ने खरीदी की तो क्या इसका कोई आदेश था या उपर से डायरेक्टेड से या सेक्रेटरी से निर्देश था ? और यदि आदेश था तो किसका आदेश था, कोई आदेश जारी हुआ है या खरीदी के पहले कोई अनुमोदन लिया गया है कि खरीदी कर रहे हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीदी की प्रक्रिया है । हमारे डिस्ट्रिक्ट अथोरिटी बीज निगम में जो रजिस्टर्ड कम्पनी और जो जींस हैं, उसके बारे में सूचना देती है और जिला के अधिकारी उसकी खरीदी करते हैं, लेकिन आपने कहा कि 500 करोड़ का घपला हुआ है, मेरे विभाग ने जो जानकारी दी है तो कुल खरीदी उसके इर्द-गिर्द भी नहीं है इसमें 500 करोड़ की खरीदी नहीं हुई है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा ।

[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने की खरीदी हुई है, यह बताएं । बड़ा गंभीर मामला है, आपके विभाग ने गलत जानकारी दी है, मैं इसको प्रमाणित करूंगा और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपके बीज निगम में जो रेट कान्ट्रेक्ट हुआ है, क्या उससे हटकर भी कोई दवाइयां खरीदी गई हैं या मटेरियल खरीदा गया है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बीज निगम के रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर खरीदा गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तू भैया, आप जवाब देने की बजाय प्रश्न कर रहे हैं, ये ज्यादा बड़ा गंभीर मामला है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको तो हर पांच मिनट में बोलना है, मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूं । आपकी तकलीफ दो आदमी हैं । एक तो आपके प्रतिपक्ष के नेता और दूसरा रमन सिंह । आप इनको नीचा दिखाना चाहते हैं तो दिखाईए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तू भैया, आपकी तकलीफ को मैं व्यक्त कर रहा हूं कि जवाब देने की बजाय आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सब ईलाज कर दूंगा, आपका सब ईलाज करने की मेरे पास शक्ति है । आपने चिकित्सा राड देखी है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल शक्ति समाप्त हो गई है । पंचम विधान सभा में आपकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय :- दोनों शर्मा बंधु हैं, आप लड़िए मत ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अलावा भी दवाइयां खरीदी गई हैं । क्या उसकी जांच करवाएंगे, बीज निगम के अतिरिक्त भी दवाइयां खरीदी गई हैं, क्या उसकी जांच करवाएंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत लगभग 17 करोड़ की दवाईयां खरीदी गई है, जिसमें 13 करोड़, 69 लाख रूपये अनुदान और 3 करोड़, 58 लाख रूपये कृषक का अंश है । जानकारी के मुताबिक लाभान्वित कृषकों की संख्या 2 लाख, 80 हजार, लाभान्वित क्षेत्र 3 लाख, 20 हजार है। विभाग ने जानकारी दी है कि इतने किसान इसमें लाभान्वित हुए हैं । आपने दूसरा प्रश्न किया कि बीज निगम के द्वारा जो रजिस्टर्ड कम्पनियां हैं तो खरीदी तो उसी प्रक्रिया के तहत की गयी है । इसमें घपला, गोल-माल, 500 करोड़ ये सारी बातें आप कह रहे हैं, आप कुछ जानकारी देंगे तो उसके अनुसार इसमें जांच कराने में क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन माननीय सदस्य कुछ तो जानकारी दें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि रेट कांट्रेक्ट बीज निगम का है, क्या उससे अधिक दर पर भी दवाइयां खरीदी गई हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो इसका निश्चित दर है, उसी के आधार पर उसकी खरीदी की गई है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही एड्रेस पर तीन कम्पनियां हैं, ये कैसे संभव है । एड्रेस एक, कम्पनियां तीन हैं और उन्हीं के रेट मंजूर हुए हैं । ये घपला है, मैं आपको यही बताना चाह रहा था और उद्यानिकी कृषि विभाग में एन.एच.एम., आर.के.व्ही.आई. परम्परागत कृषि विकास योजना डीबीटी के तहत एक ही पते पर तीन कम्पनियां हैं और इन्हीं से खरीदी के आदेश हुए हैं, इन कम्पनियों के एक ही मालिक हैं और ये भ्रष्टाचार हुआ है, यही घपला हुआ है इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्या इनकी जांच करके अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे और आप इन कम्पनियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाएंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में जो बातें आ रही हैं प्राईमाफेसी तो लगता है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार की खरीदी की गई है वह संदेहास्पद है। आप जिस प्रकार की जांच की मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से विभागीय अधिकारियों को फिर से निर्देशित करेंगे, इसकी जांच करायेंगे लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक ही कंपनी, एक ही एड्रेस और एक ही लोग की सप्लाई के द्वारा सारे अलग-अलग एड्रेस से तो उसकी जांच करायेंगे और माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो एफ.आई.आर. भी करायेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करेंगे? जिन्होंने मिलीभगत करके सारी कार्रवाई की है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच की बात की है तो इसमें जिस फर्म ने प्रदाय किया है, लोग जो आर्डर दिये हैं और अधिकारी जिन्होंने इसको पर्चेस किया है उसके दायरे में सब लोग आयेंगे।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो सामग्री आप दे रहे हैं सब किसान की सब्सिडी का है। क्या भविष्य में सामग्री के अलावा सब्सिडी की राशि नगद रूप में किसान को देंगे, ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार खरीद सके?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कुछ बातें आपसे कही हैं कि किसानों को सब्सिडी का सीधे लाभ उनको किस तरीके से हो, सामग्री वह किस तरीके से खरीदी करें, नेगोशियेशन कैसे कर सकें उसके बारे में मैंने उस दिन कहा था। जिस बात की तरफ आपका प्रश्न है निश्चित रूप से करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- हाथी और खेती का बहुत निकट का संबंध है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और। माननीय मंत्री जी, यह सब जो खरीदी की गई है क्या उसकी गुणवत्ता की कहीं जांच कराई गई है? क्या दवाईयों और जो भी खरीदा गया है क्या उसकी गुणवत्ता की कहीं जांच कराई गई है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की जानकारी के अनुसार इसका उपयोग हार्मोनल ग्रोथ के लिए, आर्गेनिक कार्बन एब्जार्पसन के लिए, कीट ब्याधि रोकथाम के लिए, ऐसा माना गया है कि इसका उपयोग करने से इस प्रकार से फसल को लाभ होता है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर इसकी गुणवत्ता के बारे में क्या मापदंड है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से विभाग ने अच्छा माना इसीलिए दिया, लेकिन आपने जांच की बात कही है हम इस चीज की जांच करायेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

<u>राज्य में संचालित गौशालाएं</u>

3. (*क्र.1052) श्री शिवरतन शर्मा: क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी गौशाला कहां-कहां 131 संचालित हैं?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 131 गौशालाएं (पंजीकृत एवं अपंजीकृत) संचालित है. विस्तृत जानकारी ‡[3] संलग्न प्रपत्र “अ” एवं ‡ संलग्न प्रपत्र “ब” में है.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इस तरह संशोधित कर दिया गया है कि जो मैं पूछना चाहता था उसे प्रश्न में लिख दिया गया है? फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया है कि पूरे प्रदेश में 96 पंजीकृत गौशालाएं हैं और लगभग 35 अपंजीकृत गौशालाएं हैं। ये गौशाला का जो पंजीकरण होता है उसमें प्रति गौवंश के लिए कितनी भूमि होनी चाहिए और पंजीकरण संस्था प्रति गौ के पीछे कितने खर्च की व्यवस्था करेगी? इन नियमों की जानकारी देने की कृपा करें?

[3] परिशिष्ट "तीन”

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशाला की संख्या तो मैंने आपको दे दिया। 25 रूपये प्रति पशुधन के हिसाब से उनको अनुदान दिया जाता है। संस्था के नाम से पंजीकृत आधा एकड़ भूमि होनी ही चाहिए। गौशाला के पास कम से कम 50 पशुधन होना ही चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने उत्तर में बताया है कि 35 अपंजीकृत गौशालाएं हैं। ये अपंजीकृत गौशालाओं की निगरानी की शासन के स्तर पर क्या व्यवस्था है और शासन इनको किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा न कि निगरानी के लिए हमारा जो स्थानीय पशु चिकित्सक होते हैं उनको रूटिन में कार्य दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट के अथारिटी को भी उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। गौशाला के जो अधिकारी हैं उनकी भी नियमित उसकी मॉनीटरिंग की जाती है। और जिस तरीके से अनुदान की व्यवस्था है 20 लाख अधिकतम है। उसमें शेड के लिए भी 5 लाख रूपये हो सकता है, पानी की व्यवस्था के लिए भी हो सकता है और 25 रूपये प्रतिदिन प्रति पशुधन के लिए दिया जाता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 वर्षों में ऐसी कितनी गौशालाएं हैं जिनको आपने अनुदान दिया है और उसकी शिकायत प्राप्त हुई है और शिकायत पर शासन ने क्या कार्रवाई की है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे इसको मैं चर्चा में नहीं लाना चाहता था। जिन गौशालाओं की शिकायत हुई है उसमें दुर्भाग्य से आपके झंडे अभी भी लगे हुए हैं। उसमें कार्रवाई भी हुई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, झंडे सिर्फ एक ही नहीं लगे हैं। आपका भी वहां झंडा लगा है। उसके संचालक मंडल में आपकी पार्टी के प्रमुख लोग भी सदस्य हैं, मैं नाम दे दूंगा।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूंगा न।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, सवाल ही नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रकार का जवाब दे रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि कौन संचालक हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, चर्चा हो जायेगी, उस दिन दे दीजियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। 25 रूपये प्रति गौवंश अनुदान देने की प्रथा है। आपने नियम में बताया है, जो पंजीकृत गौशालाएं हैं, उनको उस हिसाब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

से अनुदान नहीं दिया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि जो सारी गौशालाएं पंजीकृत है उनको 25 रूपये का अनुदान बराबर मिल जाये?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा प्रश्न है। हम पंजीकृत सभी गौशालाओं के फिजिकल वेरिफिकेशन करायेंगे। आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें सामने आएंगी कि जो गौशाला की संख्या बताने वाले लोग हैं, कितना अधिक बता करके अनुदान लेते हैं लेकिन आपने ये जो प्रश्न किया कि उनको अनुदान नहीं मिल रहा है। मैं उसको विभाग से दिखवा लूंगा, जितनी गौशाला पशुधन हैं। उस हिसाब से उनको अनुदान शीघ्र प्राप्त हो जायेगा।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशाला से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूरे प्रदेश में है और वो है, आवारा पशुओं की। हर गांव के आवारा पशु अब दूसरे गांव में हकाल दिये जा रहे हैं। उससे खड़ी फसल को भारी नुकसान हो रहा है। इसका एकमात्र हल यही दिखता है कि दो तीन गांवों के अंदर एक गौशाला स्थापित की जाये और उसमें सारा आवारा पशु रखे जायें। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे समीपवर्ती मध्यप्रदेश में ऐसी योजना लागू की गई है जिसमें हर दो तीन गांवों के लिए एक गौशाला बनेगी और जितने आवारा पशु है, वे वहां पर रखे जायेंगे। अगर हमने ये गौशालाएं नहीं बनाई तो गांव वालों और ग्रामीणों को आवारा पशुओं से बहुत परेशानी हो रही है। एक गांव में आते हैं तो वो सारे आवारा पशुओं को दूसरे गांव में हकाल के भेज देते हैं। क्या ऐसी कोई योजना हमारी राज्य सरकार बनायेगी ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री अजीत जोगी जी का प्रश्न भी बहुत अच्छा है और सुझाव भी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने राज्य शासन ने सुरागी गांव योजना का निर्णय लिया है । नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के अंतर्गत उसको संरक्षित करने का, उसका पोषण करने का, उसके लिए व्यवस्था करने का, उसके लिए चारा की व्यवस्था करने का, उसके लिए चरवाहे की व्यवस्था करने का हमने काम्पेक्ट प्लान बनाया हुआ है। मैं माननीय श्री अजीत जोगी जी को आमंत्रित करूंगा अभी बेमेतरा में कल से बड़ा किसान मेला है, हम इसकी शुरूआत करेंगे। माननीय श्री अजीत जोगी जी आप सादर आमंत्रित हैं। आपने कहा कि मध्यप्रदेश में 3,4 पंचायतों के बीच में गौशाला का रूप दिया जायेगा, छत्तीसगढ़ में हम लोग की कल्पनाएं हैं, हम लोग प्रत्येक गांव में इस प्रकार से गौठान का निर्माण करेंगे। उसमें सेड डालेंगे, उसमे चरवाहे की व्यवस्था करेंगे। सुरागी गांव योजना के अंतर्गत इस प्रकार से हम व्यवस्था करेंगे। नाम, स्वरूप गौशाला का नहीं होगा लेकिन सरकार की पूरी मदद से जिन आवारा किस्म के घूमने वाले पशुधन है, उसकी व्यवस्था के लिए आपने चिंता जाहिर की, न केवल आपकी चिंता है, ये किसानों की भी चिंता है, पूरे प्रदेश की चिंता है। इसलिए इस दिशा में हमारी सरकार की प्राथमिक पहल की शुरूआत हो चुकी है। हम इसको बहुत जल्दी क्रियान्वित करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपने माननीय श्री अजीत जोगी जी के प्रश्न में बहुत विस्तार से बात कही है। आपने जो कान्सेप्ट रखा है ठीक है, पांच साल में आप उसको पूरा करेंगे। इस साल आप कुल 1600 गांव ले रहे हैं, ये समस्या पूरी 21 हजार गांव की है। तात्कालिक रूप से पूरे गांववासियों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आपकी क्या व्यवस्था है। आप ये बता दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, अच्छा लगा कि माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम की प्रशंसा में कुछ बातें कही। 1600 गांव हमारा पायलेट प्रोजेक्ट है, हम शुरूआत कर रहे हैं हर विकासखंड से। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस साल के बजट में प्रावधान भी किया हुआ है। अलग-अलग विभागों का कॉडिनेशन करेंगे। उसकी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनायी हुई है। डिस्ट्रीक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनायी हुई है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पूछा है कि आप शेष गांवों के लिए क्या करेंगे ? आप ये बतायें? आप तो राजनीतिक भाषण देने लगे। आप 1600 गांवों में करने वाले हैं। बाकी जो 19 हजार गांव बचे हैं उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, ये बता दीजिए? और जिस दिन आप सफल होंगे तो निश्चित रूप से प्रशंसा करूंगा। अभी प्रशंसा के लायक काम नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम आपकी तो प्रशंसा कर देंगे। बाकी की प्रशंसा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी प्रशंसा तो कर देंगे, जब आप सफल होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 19 हजार गांवों में आवारा पशुओं से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए क्या करने वाले हैं? आप ये बता दें?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई योजना की शुरूआत होगी तो सभी गांवों में एक साथ करेंगे, ऐसा कहां किसी ने कहा भाई। हम शुरूआत करेंगे इस साल के बजट में जो प्रावधान है। अब उसमें हम लोग रोजगार गारण्टी के पैसे का भी उपयोग करने वाले हैं और उसका फ्लो किस तरीके से होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल उसी का करने वाले हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय,नहीं। ऐसा नहीं है सिर्फ उसी का नहीं, हम लोग 200 करोड़ रूपये वॉटर शेड में रखे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इन्दू बंजारे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा थोड़ी न होता है। हम लोग इसका सफल क्रियान्वयन करेंगे।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपका नाम पुकारा नहीं था। आपको ईशारा किया था मगर जरा आप व्यस्त थे। आप जल्दी से पूछ लीजिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि गांव में आवारा पशुओं की बात हुई तो गांव में किसान लोग बैल खेती करने के लिए पालते हैं, गाय भी पालते हैं...।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। कि किसान बैल, गाय और भैंस पालते हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गांवों कितने किसान, कितने गायों का पालन कर रहे हैं, उनके संरक्षण में हैं, उनकी गणना करके उनको आश्रय दिया जायेगा क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न बड़ा है। श्रीमती इन्दू बंजारे।

<u>जांजगीर चांपा जिला में एनिकट एवं बांध का निर्माण</u>

4. (*क्र.1247) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर चाम्पा जिला में दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2018 तक कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि से एनिकट एवं बांध का निर्माण कराया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें.

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : जांजगीर-चाम्पा जिला में दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2018 तक 19 एनीकट का निर्माण किया गया है तथा कोई भी बांध का निर्माण नहीं किया गया है. निर्माण स्थल एवं लागत की विकासखण्डवार जानकारी †[4] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्रीमती इन्दू बंजारे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि जांजगीर चाम्पा जिला में दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2018 तक कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि से एनिकट एवं बांध का निर्माण कराया गया है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें.लेकिन इसमें भठली और बोरसी के मध्य जो एनिकट निर्माण हुआ है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि उसका इसमें उल्लेख ही नहीं हैं।

---

[4] परिशिष्ट "चार"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो जानकारी विभाग से आयी। मैंने माननीय सदस्य को पूरी जानकारी दे दी है। अब एक एनिकट जिसके नाम का आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी जानकारी नहीं आयी है। मैं विभाग से उसको और मंगवा लूंगा। आप मुझे बता दें कि आप उसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं?

श्रीमती इन्दू बंजारे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, भठली और बोरसी के मध्य जो एनिकट निर्माण हुआ है तो उसमें एस्टीमेट के आधार पर नहीं बना है न उसमें सीमेंट, गिट्टी और छड़ है, वह बिल्कुल गुणवत्ता विहिन है और एक बरसात में ही वह टूटकर बह जायेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो बरसात आने दीजिए। बह जाएगा तो फिर...।

श्रीमती इन्दू बंजारे:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, तो क्या आप उसके टूटने का इंतजार कर रहे हैं?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर सदन में कह रही हैं तो निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है। मैं चीफ इंजीनियर को भेजकर के, उसकी जांच करवाऊंगा। आप जिस प्रकार से सदन में जिक्र कर रही हैं अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम सख्त कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपके विभाग ने उस गांव का नाम नहीं बताया है। वह एनीकट किसी प्राईवेट आदमी का है या किसका है, ये तो जानकारी होनी चाहिए?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ये जानकारी तो नहीं है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसमें बहुत सारी जानकारी नहीं दी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कचन्दा में एनिकट बन रहा है, उसकी भी जानकारी इसमें नहीं है और आपके उत्तर में जैजेपुर देवरघटा, करूवाडीह एनीकट का जिक्र है और ये दो एनिकट का निर्माण हो चुका है, लेकिन कुछ खामी के कारण करूवाडीह एनीकट में पानी नहीं रूक रहा है और देवरघटा की जो सड़क बनी है, वह पूरा उखड़कर के छड़ दिख रहा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी जांच करवाकर, इसकी मरम्मत करवा दें ताकि इनका उपयोग लोगों के हित में हो जाए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्या ने जिस एनीकट की जांच की बात कही तो माननीय सदस्य कह रहे हैं तो मैं चीफ इंजीनियर को निर्देशित करूंगा कि इन तीनों एनीकट की एक साथ जांच कर ले।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रदेश में निराश्रित, विधवा, वृद्धा पेंशन के हितग्राही

5. (*क्र. 1272) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निराश्रित विधवा, वृद्धा पेंशन के कितने हितग्राही है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : राज्य में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के 5,53,011 विधवा तथा 11,08,814 वृद्ध हितग्राही है.

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निराश्रित पेंशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि निराश्रित विधवा और वृद्धा, इसमें विधवा छोड़कर निराश्रित और वृद्धा में कितनी महिलाएं और कितने पुरूष हैं, ये बताने का कष्ट करेंगे?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समस्त पेन्शन योजना के लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी दे दूं, परन्तु महिला और पुरूष की जानकारी अलग से नहीं आई है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पेन्शनधारी 60 वर्ष और 80 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों की पेंशन में अंतर है?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो इनमें अंतर नहीं हैं, परन्तु आने वाले समय में हमारी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि इसमें जरूर अंतर होगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 रुपये, 500 रुपये मिलता है, इस कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद मुख्यमंत्री पेंशन योजना लागू है, उसमें अभी तक निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता के कितने केस पेन्डिंग हैं ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 में 41 हजार 8731 आवेदन प्राप्त हुआ था, 37,474 स्वीकृत हुई है, 43,756 अस्वीकृत हुई है और लंबित 901 है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लंबित प्रकरणों में वह क्या पात्र हैं या अपात्र हैं ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लंबित प्रकरण कुछ पात्रधारी नहीं होने के कारण लंबित है और कुछ अभी समयावधि है जो 60 दिन के अंदर में होना है, वह अभी प्रक्रियाधीन में है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे कब तक स्वीकृत कर देंगी ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समयावधि में स्वीकृत कर दिया जायेगा।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

अध्यक्ष महोदय :- वह पेंशनधारी हैं, वह उत्तर मांग रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा एक सवाल है कि बहुत सारी ऐसी विधवा, निराश्रित हैं जिनको गरीबी रेखा की सूची में नाम नहीं होने के कारण पेंशन नहीं मिलती है, क्या ऐसा कोई नियम बनायेंगे कि जिनका नाम नहीं है, उनको भी पेंशन मिल जाये ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नियम बना हुआ है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत अगर उसमें पात्र पाया जाता है, उनके कोई पालन करने वाले नहीं हैं या ज्यादा वृद्ध हैं तो उनको मुख्यमंत्री पेंशन योजना में दिया जायेगा।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष जी, बहुस सारी ऐसी विधवायें, महिलायें हैं, बहुत गरीब हैं, सीनियर सीटिजन है, 70-80 साल के कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और जिनका नाम गरीबी सूची में नहीं है और उनको पेंशन नहीं मिलती है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि उनके लिए भी कोई नियम बनाया जाये, उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम है, मुख्यमंत्री पेंशन उनका में उनको दिया जा रहा है, आप अपने हितग्राहियों का वहां आवेदन कराईये, अगर पात्र होंगे तो उनको जरूरी पेंशन मिलेगी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 2002 और 2011 के लिस्ट में नाम हैं, उन्हीं को पात्रता है, बाकी आप नियम है तो किस नियम के अंतर्गत है, यह बताने का कष्ट करेंगी।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2002 में सूची की थी, परन्तु मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत ऐसे लोगों को भी पात्र माना गया है, जिनके कोई पालन पोषण करने वाले नहीं हैं, जो बहुत वृद्ध हैं, ऐसे पात्र लोगों को भी मुख्यमंत्री निराश्रित पेंशन में लिया जायेगा।

जांजगीर चांपा जिले के हसदेव नदी में ऐनीकट का निर्माण

6. (*क्र.1261) श्री नारायण चंदेल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव नदी में ग्राम पीथमपुर से ग्राम हथनेवरा के सोठी ऐनीकट का निर्माण कब और कितनी राशि से किया गया है ? निर्माण ऐजेंसी कौन हैं ? (ख) क्या सोठी ऐनीकट के घटिया निर्माण की वजह से एनीकट बहने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इनमें कौन-कौन दोषी हैं ? दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव नदी में ग्राम पीथमपुर से ग्राम हथनेवरा के बीच सोठी एनीकट का निर्माण वर्ष, लागत राशि तथा निर्माण एजेंसी संबंधी जानकारी ††

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संलग्न परिशिष्ट[5] में दर्शित है. (ख) जी नहीं, अपितु सोंठी एनीकट के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी विभाग के संज्ञान में आने पर विभाग द्वारा गठित जांच टीम द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारी पर नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सोठी एनीकट से संबंधित है। हसदेव नदी में ग्राम पीथमपुर से ग्राम हथनेवरा के बीच सोठी एनीकट पिछले दिनों बह गया। अभी लगातार एनीकट की बात हो रही है और जितने भी एनीकट का निर्माण इस प्रदेश में हुआ है। हमारे सदस्य लगातार इस ओर चिंता करते हैं कि घटिया निर्माण की वजह से कहीं पानी नहीं रूक रहा है, कही बह जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह प्रश्न है सोठी एनीकट का जब निर्माण हुआ तो निर्माणाधीन समय में वहां पर विभाग में कौन ई.ई. और ए.सी. थे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नारायण भाई ऐसी भूमिका बांध रहे थे कि पूरे प्रदेश के एनीकट लेकिन उसको कौन बनवाया ?

श्री नारायण चंद्रेल :- चुनी हुई सरकार ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जितनी बातें हो रही हैं न, माननीया सदस्य ने जो प्रश्न किया, आदरणीय चंद्रा जी ने जो प्रश्न किया और आप भी जो प्रश्न कर रहे हैं और अभी लगातार इस विधानसभा सत्र में वही सब प्रश्न आयेगा । पूरे प्रदेश में इसी तरीके से एनीकट का निर्माण हुआ है और आप पूछ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि आप उसी की कोई जांच वगैरह के बारे में पूछेंगे लेकिन आपने एकदम से डॉयवर्ट कर दिया कि अधिकारी कौन थे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि जो गड़बड़ हुआ उसको ठीक करने की जवाबदारी आपकी है । यह सब प्रश्न आपके संज्ञान में लाने के लिये लाये जा रहे हैं कि आप कुछ करिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ को तो जनता ने ठीक कर दिया अब जो बचे हैं उसको भी ठीक करना हमारी जवाबदारी है, करना है । (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- वास्तव में जो दोषी हैं वे सारे लोग आपकी टीम में हैं । आपकी क्या भूमिका रहती है और मंत्री एवं विधायकों की क्या भूमिका रहती है वह सबको मालूम है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप मूल प्रश्न से मत बहकिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप ईजाजत दें तो मैं सारे अधिकारियों का नाम पढ़कर सुना देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने निर्माणीधीन अवधि में पूछा है ।

5 †† परिशिष्ट "पांच"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्माणाधीन अवधि में जब सोठी एनीकट का निर्माण हुआ उस समय उसका ई.ई. और ए.सी. कौन था ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ई.ई. के नाम मेरे पास उपलब्ध हैं, अधिक्षण यंत्रियों के नाम अभी मेरे पास नहीं हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा । श्री आर.पी. शर्मा, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्ष 2007 से दिनांक 20.07.2007 दूसरा श्री अमिताभ झा लेकिन ये सब सेवानिवृत्त हो गये हैं इसलिये आप इसके आगे मत पूछिएगा कि क्या कार्यवाही हो रही है करके । दिनांक 20.07.2007 से 07.07.2008 श्री वी.के.मल्होत्रा दिनांक 07.07.2008 से 24.07.2009 फिर से श्री अमिताभ झा दिनांक 24.07.2009 से 14.06.2010 है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, एक ही एनीकट के निर्माण में इतने सारे ई.ई. लगे रहे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब अलग-अलग समय में लगे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- इन्होंने एनीकट के निर्माणाधीन का पूछा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही एनीकट का उन्होंने पूछा है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो लिस्ट जारी है, अभी और लिस्ट है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां आगे है, काफी लंबा है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक ही एनीकट का निर्माण इतने दिन में हुआ । मैं यह पूछ रहा हूं कि इतने ई.ई. पदस्थ हुए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह तो श्री नारायण चंदेल जी जानेंगे उनके क्षेत्र का मामला है । इतने सारे इंजीनियर क्यों इस एनीकट में लगे रहे ?

श्री चंद्रदेव प्रसाद राय :- यह जांच का विषय है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह भी जांच का विषय है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूची उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री नारायण चंदेल :- दे देना । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जो मूल बात है। उस दिन ध्यानाकर्षण में भी यह विषय आया था और माननीय सदस्यों ने भी चिंता जाहिर की । कहीं भी एनीकट के घटिया निर्माण की या एनीकट बहने की घटना निश्चित रूप से शासन के लिये अत्यंत चिंता का विषय है और पूरे उस क्षेत्र के जनमानस में एनीकट के बह जाने से आक्रोश है । माननीय मंत्री जी टाईमकीपर के ऊपर कार्यवाही करते हैं, सबइंजीनियर और एस.डी.ओ. के ऊपर कार्यवाही करते हैं जबकि बड़े-बड़े मगरमच्छ खा-पीकर रवाना हो गये तो क्या ई.ई. और ए.सी. के खिलाफ माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब टाईमकीपर के खिलाफ कार्यवाही कर दी ऐसा आपने कह दिया इसमें तो मैंने किसी टाईमकीपर का नाम ही नहीं लिया है और किसी टाईमकीपर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं है, जो कार्यपालन यंत्री थे उसमें से उस समय एक एस.डी.ओ. थे, उन दोनों के खिलाफ कार्यवाही हुई है और बाकी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं तो कुछ लोग सेवानिवृत्त हो गये, कुछ लोग अब रवाना हो गये तो उनके ऊपर कैसे कार्यवाही होगी ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनसे वसूली भी तो की जा सकती है जो हैं, रवाना नहीं हुए हैं । इस एनीकट के घटिया निर्माण से शासन को करीब 3 करोड़ 75 लाख रूपये का चूना लग रहा है, अतिरिक्त भार पड़ेगा जब फिर से उसका जीर्णोद्धार होगा, उसकी मरम्मत होगी, नये सिरे से उसको बनाया जायेगा तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है, इसके लिये कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ही तो कार्यवाही की गयी । यह तो मैंने 4 दिन पहले जो ध्यानाकर्षण की सूचना है उसमें आपको नाम पढ़कर सुना दिया था । जो लोग जिम्मेदार हैं और जो लोग बचे हैं उनके खिलाफ भी जिस तरीके से कार्यवाही प्रस्तावित किया है । माननीय सौरभ सिंह जी का शायद ध्यानाकर्षण था । हमने तो इस सदन में कहा है कि हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे । इसके आगे भी आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं बताइए ना, हम सख्त कार्रवाई करेंगे । लेकिन 3 करोड़, कुछ लाख के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं । अब एनीकट बह गया, उसको उसी तरीके से तो नहीं छोड़ा जा सकता । उसमें पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना, उसका उपयोग तो करना पड़ेगा । आपके ही चांपा में उससे वाटर सप्लाई उसमें जुड़ा हुआ है, आप ही के यहां कुछ इंडस्ट्रीयल बेल्ट में उसमें पानी दिया जाता है । यह तो विभाग की प्रक्रिया है, उसको करेंगे । लेकिन और किस तरीके से आगे कार्रवाई आप चाहते हैं । कौन और लोग इसमें शरीक हो सकते हैं, दोष सिद्धि हो सकती है, आप बताएं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे । किसी को बचाने का सवाल नहीं है, कार्रवाई होना चाहिए, गुणवत्ता का काम होना चाहिए और आने वाले समय में जल का उपयोग होना चाहिए ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने कहा कि किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं । हम भी चाहते हैं कि गुणवत्ता के साथ काम हो । जिस समय काम किया जाता है उस समय उसकी प्रॉपर मानीटरिंग हो । माननीय मंत्री जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप बहुत छोटे-छोटे लोगों की बलि चढ़ा देते हैं । टाइम कीपर, सब इंजीनियर और जो उच्च अधिकारी हैं जिनके दिशा निर्देश पर, जिनकी देखरेख में काम हुआ है । ई.ई. है, एस.ई. है, सी.ई. है । इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है या क्या कार्रवाई करेंगे । मैं यह जानना चाह रहा हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैंने तो नाम पढ़कर आपके सामने सुना दिया । उसके बाद भी आप और हायर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, मंत्री लेवल तक आप (हंसी) ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, उसमें एक ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैं समझ रहा हूं । एक्जक्यूटिव इंजीनियर तक कार्रवाई हुई, उसके ऊपर हायर अथॉरिटी से कोई जानकारी ली गई या नहीं ली गई, आपका यह प्रश्न है । कुल मिलाकर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी । अध्यक्ष जी, विचार करेंगे और जांच भी कराएंगे कि उसके ऊपर के हायर अथॉरिटी अभी हमारे विभाग में कहां-कहां बैठे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी इंदू बंजारे जी ने, पूरे जांजगीर जिले के एनीकट के बारे में आपसे प्रश्न पूछा था, यह प्रश्न भी एनीकट के बारे में है तो मेरा यह अनुरोध है आपसे कि कितने एनीकट बनाए गए, कितने टूट चुके हैं और अगली बरसात में कितने टूटने वाले हैं । अपने विभाग से इसकी एक समीक्षा करवा लीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आपने आदेश किया जांजगीर जिले से ही इसकी शुरूआत करा देते हैं । चूंकि माननीय इंदू बंजारे जी भी और माननीय चंद्रा जी भी, माननीय नारायण चंदेल जी भी, उसमें थोड़ा सा शिवरतन जी भी शामिल हैं । पहले दिन आदरणीय सौरभ जी ने भी कहा ।

श्री नारायण चंदेल :- एक जांच कमेटी बना दें, जितने एनीकट बहे हैं । अच्छा, हमारे ही जिले के सब एनीकट बह रहे हैं, दिक्कत यह है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपके जिले से ही शुरूआत कर दी जाएगी । पहला जिला होगा जांजगीर-चांपा ।

प्रश्न संख्या 7 : XX XX

<u>बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों के लंबित आवेदनों का निराकरण</u>

8. (*क्र. 1187) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाओं हेतु वर्ष 2015-16 से दिसंबर, 2018 तक कितने-कितने किसानों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया ? कितने आवेदन लंबित हैं ? लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक किया जावेगा ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 से दिसंबर, 2018 तक विभिन्न विभागीय योजनाओं के अंतर्गत कृषकों से प्राप्त आवेदनों एवं लंबित आवेदनों, निराकरण की स्थिति का विकासखण्डवार, योजनावार, वर्षवार विवरण †[6] संलग्न परिशिष्ट पर है.

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि कया कृषि मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाओं हेतु आवेदन वर्ष 2015 से 16 दिसम्बर 2018 तक कितने कितने किसनों द्वारा आवेदन किया गया और आवेदन लंबित है तो उनका निराकरण कब तक किया जाएगा । मंत्री महोदय के द्वारा जवाब दिया गया है उसमें यह तो बताया गया है कि कितने आवेदन लंबित हैं लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई कि आवेदनों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा । उदाहरण के लिए कृषि श्रमिक दक्षता योजना बेमेतरा में 4 किसानों के द्वारा आवेदन किये गये हैं । चारों आवेदन लंबित बताया गया है लेकिन यह नही बताया गया है कि लंबित आवेदनों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आवेदनों को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, बात तो गंभीर है । मैं कृषि मंत्री हूं और हमारे जिले का ही प्रश्न है । जिन चार आवेदनों के बारे में माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं । इस वित्तीय वर्ष में उसको पूरा करेंगे । इसके अलावा भी 2-3 स्कीमों में पेंडेंसी ज्यादा है । बेमेतरा जिले में सबसे ज्यादा है । आपके विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है इसलिए आपके विधान सभा क्षेत्र में ये सूक्ष्य सिंचाई योजना, स्प्रिकलर के लिए, राज्य पोषित योजना ड्रिप के लिए और केन्द्र पोषित ड्रिप के लिए । ये बेमेतरा विधान सभा में लगभग 1700 के आसपास लंबित हैं । बेमेतरा ब्लॉक में 866 आवेदनों की मांग के अनुरूप 616 लंबित है । बेरला ब्लॉक में 700 के विरूद्ध 423 लंबित हैं और धमधा का आपके हिस्से में 850 के विरूद्ध 676 लंबित है । विभाग को निर्देश दिया गया है कि ये पेंडेंसी ज्यादा दिन मत रहे । किसानों को उनकी सामग्री मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- देवव्रत जी।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- एक मिनट। एक अंतिम प्रश्न चूंकि सौभाग्य से माननीय कृषि मंत्री जी हमारे जिले से ही आते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो विभाग द्वारा टार्गेट किया जाता है। क्या उस टार्गेट को बढ़ाया जायेगा। चूंकि आप भी उस जिले से आते हैं। बेमेतरा कृषि प्रधान जिला है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

[6] परिशिष्ट "सात"

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल स्वीकार्य है और उस जिले में डिमांड भी ज्यादा है। उस तरीके से जिस तरीके से माननीय सदस्य कह रहे हैं। निश्चित रूप से उस टार्गेट को बढ़ाकर बेमेतरा जिले में इस कार्य को संपादित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय देवव्रत जी।

जिला राजनांदगांव मे "रेडी टू ईट" पोषण आहार की आपूर्ति

9. (*क्र. 1210) श्री देवव्रत सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ एवं छुईखदान विकासखण्ड में किन-किन महिला समूह द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वयं निर्माण कर "रेडी टू ईट" पोषण आहार की आपूर्ति की जा रही है ? (ख) शासन द्वारा इन महिला समूह को आंगनबाड़ी में "रेडी टू ईट" पोषण आहार का निर्माण करने हेतु वर्ष 2017-18 में क्या-क्या खाद्य सामग्री प्रदाय की गई ? कृपया महिला समूह का नाम, पता एवं शासन द्वारा प्रदाय की गई सामग्री का उल्लेख करें?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : (क) जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ एवं छुईखदान विकासखण्ड के विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वयं निर्माण कर "रेडी टू ईट" पोषण आहार प्रदाय कर रहे स्व सहायता समूहों की जानकारी ††[7] संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) महिला स्व सहायता समूहों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट पोषण आहार का निर्माण करने हेतु वर्ष 2017-18 में नागरिक आपूर्ति निगम से गेहूं उपलब्ध कराया गया हैं जिसकी जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का शासन के द्वारा जो जवाब आया है, उसमें जानकारी तो पूरी उपलब्ध कराई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शासन की महिलाओं को आगे बढ़ाने के हिसाब से महिला समूहों को आबंटन किया गया और उनको राशन की दुकानें भी दे रहे हैं लेकिन रेडी टू ईट का निमार्ण वाली जिन इकाइयों को, जिन महिला समूहों को आपने दिया है, इसमें लगभग-लगभग 24 महिला समूहों का नाम दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन महिला समूहों को आपने रेडी टू ईट के संचालन का कार्य दिया है, वे उसका निर्माण करती हैं, पोषण आहार बनाती हैं और समितियों को देती हैं। क्या आप इसकी जांच कराएंगे कि वास्तव में महिला समूह ही रेडी टू ईट का निर्माण कर रही हैं या व्यक्ति विशेष द्वारा किया जा रहा है क्योंकि मेरे बात इस बात की कम से कम 5 समूह से शिकायत है कि महिला समूह के नाम पर किसी व्यक्ति

[7] परिशिष्ट "आठ"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विशेष द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण किया जा रहा है एवं जिन महिला समूहों का गठन जिस नाम से किया गया है वह महिला समूह ही स्वमेव समाप्त हो चुका है। तो क्या आप इसकी जांच कराएंगे?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल। अगर हमारे सदस्य की शिकायत है तो हम जरूर इसे परीक्षण कराकर इनकी जांच कराएंगे।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 10 :- XX XX

प्रश्न संख्या 11 :- XX XX

<u>कोरिया जिले में कृषक फसल बीमा की राशि का प्रदाय</u>

12. (*क्र. 725) श्री गुलाब कमरो : क्या कृषि मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016 से 2018 में कोरिया जिले में कृषकों के फसल बीमा हेतु किस बीमा कंपनी को प्रीमियम की राशि जमा कराई गई थी ? वर्ष 2017 एवं 2018 में कोरिया जिले में कितने कृषकों को फसल बीमा की राशि प्रदाय किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : कोरिया जिले में कृषि एवं उद्यानिकी फसलों हेतु वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक फसल मौसमवार क्रियान्वयक बीमा कम्पनियों को जमा कराई गई प्रीमियम राशि तथा बीमा दावा प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या †[8] संलग्न परिशिष्ट पर है.

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय के द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं, उनमें मेरे पास जो जानकारी है उसमें थोड़ी सी भिन्नता नजर आयी है, जो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2016 में जो फसल बीमा से संबंधित जो जानकारी दी गई है, उसमें ईफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो आंकलन बताया गया है, वह जीरो बताया गया है। पर मेरे पास जो जानकारी है 11 लाख 24 हजार 687 किसानों का बीमा हुआ था 18 मार्च, 2017 की स्थिति में। पर इसमें जीरो बताया गया है। कहीं न कहीं भिन्नता आने का कारण होता है कि कहीं न कहीं फसल बीमा में गड़बड़ी हुई है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी के...।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न पूछ लीजिए। तथ्य को बाद में लिखकर दे दीजिए। बता दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

---

[8] परिशिष्ट "ग्यारह”

श्री गुलाब कमरो :- कोरिया जिले में वर्ष 2014 में फसल बीमा के तहत अन्य जिले बिलासपुर और कोरिया में जो फसल बीमा जो गड़बड़ी की गई है। गड़बड़ी पाने के बाद कोरिया कलेक्टर के द्वारा अपने नोटशीट में संबंधित उपसंचालक को एफ.आई.आर. के निर्देश दिये गये थे पर 10 महीना होने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। राज्य सरकार ने भी अपने पत्र में कहा है। कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर एफ.आई.आर. की कर्रवाई होनी चाहिए। एफ.आई.आर. का उल्लेख माननीय कलेक्टर के नोटशीट में उल्लिखित है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, इसमें सामान्य जानकारी मांगी गई थी, उसको दिया गया है लेकिन अगर कलेक्टर ने ऐसा पत्र लिखा है कि एफ.आई.आर. करना है मैं विभाग से निकालवा कर उसे देख लूंगा। माननीय सदस्य अगर सदन में कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष ने एफ.आई.आर. करने की बात लिखी है तो इस प्रश्न में अभी उत्तर में नहीं आया है। उसके बावजूद भी आदरणीय सदस्य गुलाब कमरो ही कह रहे हैं कि माननीय जिलाध्यक्ष ने वहां इस प्रकार से कोई पत्र शासन को लिखा है तो इसमें कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्न संख्या 13 :- XX XX

कुलिंग चेम्बर दुर्ग जिलांतर्गत किसानों को बांटे गये

14. (*क्र. 1268) श्री देवेन्द्र यादव : क्या कृषि मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिला अंतर्गत वर्ष 2015-16 से जनवरी 2019 तक सब्जियों को सुरक्षित रखने हेतु किसानों को कितने-कितने व कितनी-कितनी लागत से कुलिंग चेंबर बाटे गए ? (ख) कुलिंग चेंबर का क्रय/आपूर्ति के लिए क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ? वर्तमान में कितने कुलिंग चेंबर उपयोग में हैं व कितने खराब हो चुके हैं ? प्रश्नावधि में कितने कुलिंग चेंबर खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? वर्षवार जानकारी देवें ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) दुर्ग जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से जनवरी 2019 तक की स्थिति में सब्जियों को सुरक्षित रखने हेतु कुलिंग चेम्बर किसानों को नहीं बांटे गये. (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में निरंक.

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है कि दुर्ग जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से जनवरी, 2019 तक की स्थिति में सब्जियों को सुरिक्षत रखने के लिए कुलिंग चेंबर किसानों को नहीं बांटे गये हैं लेकिन जो अखबारों में प्रकाशित खबरें हैं और मेरे पास जो दस्तावेज हैं, उसके आधार पर मुझे लगता है कि जानकारी गलत है,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कुछ छिपाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या अगर गलती पाई गई तो कार्रवाई करेंगे और उचित जांच करवायेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, छिपाने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर अखबारों के आधार पर जानकारी लेकर प्रश्न करेंगे तो ऐसी त्रृटि स्वाभाविक है। अध्यक्ष महोदय, सन् बदल गया है। आपने 2015-16 का प्रश्न पूछा, लेकिन दुर्ग जिले में जो कूलिंग चेम्बर सप्लाई किया गया है, वह 2013-14 में है। आपने एक साल बाद का पूछ दिया, इसलिए विभाग ने कह दिया कि उस साल में कोई नहीं बांटा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में 4 लाख रूपये प्रति चेम्बर की लागत, जिसमें 2 लाख का प्रावधान निर्माण करने वाली एजेंसी भारत एग्रो लक्ष टेक्नोकिट तथा एस0एस0 इन्टरप्राइजेस दुर्ग जिले में लगभग 101, रूपये 2 करोड़ की लागत से। विभाग ने स्वीकार भी किया है कि अभी ये कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इतने कुलिंग चेम्बर दुर्ग जिले में लगाए गए थे। इसमें जांच का ऐसा कुछ आया नहीं है। अब किसानों ने उपयोग किया है। इसकी उम्र लगभग 3 साल ही बताई जा रही है। तो जिस सन् में खरीदा गया, उसकी उम्र भी पार हो गई है। उसके बावजूद भी माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हम लोग इसका फिजिकल वेरीफिकेशन करा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक यू, थैंक यू मंत्री जी। डॉ0 प्रीतम राम।

<u>लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति के प्राप्त आवेदन</u>

15. (*क्र. 765) डॉ. प्रीतम राम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 में कौन-कौन सी योजना के अंतर्गत कितने पेंशन हितग्राही हैं ? कितने नवीन पेंशन हितग्राहियों से पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ? (ख) उक्त आवेदनों में से कितने हितग्राहियों को पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है ? कितने हितग्राहियों को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है ? कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : (क) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से 2018-19 में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	7803	7720	7136
2.	सुखद सहारा योजना	3039	3065	2827

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

3.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	0	0	3402
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्घावस्था पेंशन योजना	11887	12136	12223
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	826	926	1052
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	283	278	297

पेंशन स्वीकृति हेतु 412 आवेदन प्राप्त हुए हैं. (ख) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत पेंशन हेतु प्राप्त 412 आवेदनों में से स्वीकृत एवं लंबित प्रकरणों की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित
1.	अंबिकापुर	21	0	58
2.	लखनपुर	4	0	0
3.	लुण्ड्रा	282	36	11

लंबित प्रकरणों को नियमानुसार निर्धारित समयावधि में निराकृत कर लिया जावेगा.

डॉ0 प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रश्न किया था, जिसमें मंत्री जी का जवाब आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करता हूँ कि लुण्ड्रा विकासखण्ड में 282 प्रकरणोंमें से 36 प्रकरण अस्वीकृत और 11 प्रकरण लंबित बताये जा रहे हैं। इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 36 प्रकरण अस्वीकृत होने के कारण हैं कि योजनाओं हेतु निर्धारित उम्र में कम होना, बी0पी0एल0 2002 की सूची में नाम नहीं होना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं होने के कारण अस्वीकृत किए गए हैं।

डॉ0 प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ0 साहब, आपका तो प्रश्न बनता है कि लखनपुर में मात्र आवेदन कैसे आये हैं ? जो आप पूछ नहीं रहे हैं।

डॉ0 प्रीतम राम :- जी ?

अध्यक्ष महोदय :- इन्होंने लखनपुर में 4 की संख्या दी है। क्या लखनपुर में 4 ही ऐसे लोग हैं ?

डॉ0 प्रीतम राम :- जी, यह बहुत ही कम है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उसको पूछिये।

डॉ0 प्रीतम राम :- यह अधिकारियों की हो सकता है कि लापरवाही हो या क्या कारण है, इसका भी मंत्री महोदय ...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप अपना प्रश्न करिये, मेरा प्रश्न छोड़िये।

डॉ0 प्रीतम राम :- जी। मैं मंत्री महोदय जी से यह प्रश्न भी कर रहा हूँ कि लखनुपर विकासखण्ड में स्वीकृति मामलें सिर्फ 4 ही हैं और अंबिकापुर विकासखण्ड में मात्र 21 मामलें हैं। इसका क्या कारण है, आप इसका जवाब दे सकते हैं ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि वहां हितग्राही आवेदन नहीं किए होंगे।

डॉ0 प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग जब भी गांव में जाते हैं तो इस प्रकार की बहुत सारी महिलाएं, उस एज ग्रुप के बहुत सारे हितग्राही हम लोगों के पास पेंशन नहीं मिलने की शिकायत करते हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि इस तरह के जितने भी मामले हैं इसका त्वरित निराकरण करायेंगे क्या ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी की मांग जायज है। क्योंकि सभी लोग क्षेत्र में जाते हैं तो यह मांग आती है। तो मैं अधिकारियों को निर्देशित करके इस मामलें की तत्काल निराकरण कराने की कोशिश करती हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- अंबिकापुर में 21 और लखनपुर में मात्र 04 हितग्राही दिखाये गये हैं। इसको आप जांच करवाईये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जी। विशेष, लखनपुर और अंबिकापुर के लिए।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद, प्रश्न संख्या-16।

<u>प्रदेश में मत्स्य कृषकों के लिए संचालित योजनाएं</u>

16. (*क्र. 1159) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मत्स्य कृषकों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं ? (ख) क्या जिला-बालोद अंतर्गत उक्त योजनाओं का वर्ष 2017-2018 में कितने मत्स्य कृषकों को लाभ दिया गया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रदेश में मत्स्य कृषकों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी प्रपत्र "अ" में †[9] संलग्न है. (ख) बालोद जिला अंतर्गत उक्त योजनाओं का वर्ष 2017-18 में

[9] † परिशिष्ट "बारह"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

7494 मत्स्य कृषकों को लाभ दिया गया. जिले में संचालित योजनावार लाभान्वित मत्स्य कृषकों की जानकारी प्रपत्र "ब" में † संलग्न है.

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन किया था कि बालोद जिले में शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, जो संचालित हो रही हैं, मुझे उनके सम्बन्ध में जानकारी तो दी गई है। लेकिन पर्टिक्यूलर बालोद जिले में कितने कृषक जिनको मोटर सायकल मिलना था ? जो लाभान्वित नहीं पाए हैं, उसके सम्बन्ध में जानकारी नहीं मिल पाया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि विगत दो वर्षों से बालोद जिले में मत्स्य कृषकों को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, इसका क्या कारण है, मुझको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मछली पालन विभाग का प्रश्न है तो मैं सोच रहा था कि माननीय निषाद जी इस क्षेत्र के इस सदन में विद्वत सदस्य भी हैं, उनको जानकारी भी हैं तो उस दिशा में प्रश्न करेंगे। अब कितना मोटर साईकिल बांटा गया, ये प्रश्न आपने पूछा है तो अब इसको मैं देखकर बताता हूं या फिर बाद में आपको उपलब्ध करा दूंगा । बाकी विभाग से कितने किसान लाभान्वित हुए, ये सारी जानकारी मैंने दे दी है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों में मत्स्य कृषकों को शासन से नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराया जाता है, वह न तो किसी मत्स्य कृषकों को पिछले दो सालों से बीज उपलब्ध कराया गया है और अंगुलिका बीज जो शासन द्वारा प्रदाय की जाती है, वह नहीं मिल पायी है और साथ ही मछली को दिया जाने वाला जो चारा है, उसका भी प्रदाय नहीं किया गया है तो मुझे इस संबंध में जानकारी प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो और कठिन बात हो गई । अगर वहां मछली का चारा नहीं मिला है तो बड़ी दिक्कत है । माननीय सदस्य इससे थोड़ा परे मछली का कितना चारा मिला, नहीं मिला, अब मछली के बारे में वैसे भी मेरी जानकारी थोड़ी अल्प है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी के पास जाकर जानकारी ले लीजिएगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि मछली का बीज जो किसानों को शासन द्वारा नि:शुल्क दिया जाता है, वह विगत दो वर्षों से प्रदाय नहीं किया गया है यह क्यों नहीं किया गया है ? इसकी जानकारी चाहता हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, वह मैं आपको उपलबध करा दूंगा और माननीय कुंवर निषाद जी, आप बेहद जिम्मेदार सदस्य हैं, मैं अपने संचालक को निर्देशित करूंगा कि आपके जिले में जिन-जिन योजनाओं का मछुआ सोसायटी को और कृषकों को किस प्रकार से लाभ मिले, वह आपको खुद ही अवगत करा देंगे और जो कमीबेशी होगी, उसको भी दूर करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

प्रश्न संख्या :- 17 XX XX

प्रश्न संख्या :- 18 XX XX

<u>प्रदेश में विभिन्न पेंशनधारी हितग्राहियों की संख्या</u>

19. (*क्र. 801) श्री धनेन्द्र साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितनी-कितनी संख्या में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं वृद्घावस्था पेंशन के हितग्राही चिन्हित हैं ? कृपया अलग-अलग श्रेणीवार पेंशन धारियों की जानकारी जिलेवार दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : जानकारी †[10] संलग्न परिशिष्ट पर है.

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो पेंशन के प्रकरण हैं, वह पूरे प्रदेश में सब जगह काफी लंबित हैं, चार, पांच, छ: महीने से हितग्राही पेंशन के लिए भटक रहे हैं और उनकी शिकायतें अधिकतम उनके खाते में मिलान नहीं होने के कारण आधार कार्ड या अन्य और भी कारणों से जो राशि सीधा उनके खातों में जमा होनी चाहिए, वह जमा नहीं हो पा रही हैं और काफी बड़े पैमाने पर लंबित हैं तो इसके लिए विभाग के द्वारा ऐसी कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है कि इन हितग्राहियों को एक दो माह के भीतर ही पेंशन मिले, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए आप निर्देशित करेंगी ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग से 1 से 7 तारीख तक सभी के खातों में राशि पहुंच जाती है और कुछ राज्यांश है, वह जनपद के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में जमा की जाती है तो वही कारण है कि जनपद से जमा होती है, उसी में दिक्कत है और कई जगह ऐसा है कि छोटे-छोटे बैंक हैं, वहां की लिमिट कम होती है तो उसमें भी ऐसी दिक्कतें आने लगती हैं तो हमारे विभाग के द्वारा प्रयास है कि बैंक मित्र के द्वारा इनको पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ विषय था कि 2002 की गरीबी रेखा के अंतर्गत है, उनको पेंशन दिया जा रहा है, सारी पेंशन की जो योजनाएं हैं और उसके अलावा जो मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, उसके भी दायरे में जो लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसी बड़ी संख्या में बहुत गरीब और असहाय लोग हैं, चाहे वह विकलांगता पेंशन की बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की

[10] परिशिष्ट "चौदह"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बात हो, जो वास्तव में ही काफी अधिक गरीब हैं, लेकिन वे न 2002 की सर्वे सूची में हैं, न ही 2011 की सर्वे सूची में है तो ऐसे लोगों के लिए जो वास्तविक में पूरी तरह से भूमिहीन हैं, उनकी आय का कोई स्त्रोत नहीं है, शरीर से भी विकलांग हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या नियम में कोई प्रावधान करेंगे कि ऐसे असहाय लोगों के लिए भी पेंशन की पात्रता बन सके ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री पेंशन योजना में तो वैसे बहुत से नियम में हैं, उसमें ऐसे लोग आ सकते हैं, जो निराश्रित हैं, जो विकलांग हैं तो इसमें कुछ नियम शिथिल करने की आवश्यकता है तो हम लोग उसमें विचार-विमर्श करके कार्यवाही करेंगे ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना में उन हितग्राहियों को पूरी तरह कवर करने के निर्देश हैं लेकिन कहीं भी किसी भी जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत के द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज भी वह तमाम सारे लोग अभी भी भटक रहे हैं। उस पर कसावट लायें, उस पर ठोस निर्देश दें, एक समय सीमा निर्धारित करें, एक समय सीमा के अंतर्गत ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करके इस नियम के अंतर्गत जो पात्रता आती है, ऐसे सारे लोगों का प्रकरण स्वीकृत करें। आपसे आग्रह है कि इसके लिए निर्देश जारी करें?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे हितग्राहियों के आवेदन की समय सीमा 60 दिन होती है और जिन जनपद पंचायत या पंचायत में ऐसे आवेदनों में कमी ला रही हैं हम लोग जरूर इसमें कठोर कदम उठायेंगे। कुछ तो पंचायतों की निष्क्रियता के कारण इस तरह की बात आती है तो उसमें विभागीय अधिकारियों को मैं जरूर कहूंगी।

<u>जिला जांजगीर चांपा के बांगों बांध से रबी फसल के लिए पानी का प्रदाय</u>

20. (*क्र. 1062) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जिला जांजगीर-चांपा में बांगो बांध से रबी फसल हेतु कितने रकबा में कितना पानी देने का निर्णय लिया गया है ? वर्तमान में बांध की जल भराव क्या है एवं न्यूनतम कितना पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य हैं ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : इस वर्ष जिला जांजगीर-चांपा में बांगो बांध से रबी फसल हेतु 25465 हेक्टेयर क्षेत्र में 588.679 मि.घ.मी. पानी देने का निर्णय लिया गया है. वर्तमान में मिनीमाता बांगो बांध की उपयोगी जल भराव क्षमता 1865.22 मि.घ.मी. है एवं न्यूनतम 1367.391 मि.घ.मी. जल सुरक्षित रखा जाना है.

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनीमाता बांगो बांध में पर्याप्त पानी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप रबी फसल के लिए किसानों को पानी देने का निर्णय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिये हैं लेकिन वहां से एक दांयी तट कैनाल है और एक बांयी तट कैनाल है। आप केवल दांयी तट कैनाल से पानी देने का निर्णय लिये हैं। क्या बांयी तट कैनाल से भी पानी देंगे? जब भी रबी फसल की बात आती है केवल दांयी तट कैनाल को पानी देते हैं और बांयी तट कैनाल भी पूर्ण हो चुका है, वहां के किसान रबी फसल से वंचित हैं। क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि इस साल तो अब समय गुजर गया, आने वाले समय में क्या आप बांयी तट कैनाल में भी पानी देंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में प्रस्ताव आया है अगर जलभराव इतना रहेगा तो उसमें न केवल विचार किया जायेगा, किसानों को पानी देने के बारे में हम निर्णय करेंगे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी प्रश्न कि यदि जल भराव ऐसा होता है कि आप एक ही कैनाल को पानी देते हैं तो क्या इसे क्रमश: करेंगे कि आप इस साल दांयी तट को दे दिये और आने वाले साल में बांयी तट के कृषकों को फायदा मिल सके?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपने प्रस्ताव दिया। पहले तो राईट बैंक कैनाल से ही दिया जाता है और लगभग परंपरागत उसी तरीके से वहां लोग वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। अब लेफ्ट बैंक कैनाल भी यदि पूर्ण हो गया है और जैसा आप कह रहे हैं कि पानी है तो दोनों साईड में दिया जा सकता है। लेकिन इधर बदलकर उधर देना ये तो नया डिस्पूट हो जायेगा। आपसे बैठ करके और इसके बारे में निर्णय आप और हम बैठकर करते हैं।

श्री सौरभ सिंह :- हमर पेट ला काबर मारत हस?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, त ओती बोल ना। मोला मत बोल, ओती बोल। आपस में निर्णय कर लो।

श्री सौरभ सिंह :- आप सयान हो तेखर बर कहत हों कि हमर पेट ल छन मार।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने हॉ नहीं कहा। मैंने कहा कि ये निर्णय जल उपयोगिता समिति करती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको सयान कहा उसमें आपत्ति है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सियान मार्गदर्शक मंडल ये सामने बैठा है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको न दें, बारी-बारी से दें क्योंकि वह भी किसान हैं यह भी किसान हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यगण बहस न करें, 21 प्रश्नों पर चर्चा होगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विधान सभा क्षेत्र जगदलपुर में एनीकट/स्टापडेम का निर्माण

21. (*क्र. 639) श्री रेखचन्द जैन : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कहॉ-कहॉ एनीकट/स्टापडेम निर्मित किए गए है? (ख) कितने एनीकेट/स्टापडेम निर्माणाधीन है तथा कितने अपूर्ण हैं?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जगदलपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 03 एनीकट निर्मित किये गये हैं. कोई भी स्टापडेम निर्मित नहीं किया गया है. योजनावार जानकारी ++[11] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उपरोक्त विधानसभा अंतर्गत कोई भी एनीकट/स्टापडेम निर्माणाधीन एवं अपूर्ण नहीं है.

श्री रेखचन्द जैन :- माननीय मंत्री जी, मेरे प्रश्न पर आपका उत्तर मुझे मिल चुका है। आपसे एक ही निवेदन है कि कुमरावण में जो एनीकट बना है उससे जो पानी का उस कैनाल को बहाव है उसे कतिपय अतिक्रमणकारियों द्वारा मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है जिससे किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। इस पर जांच करायेंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसमें जांच करने का सवाल नहीं है। अगर मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है तो हम विभाग के अधिकारियों को निर्देश देंगे कि उसकी साफ सफाई करें।

श्री रेखचन्द जैन :- किसानों को इसका फायदा मिलना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से।

धरमजयगढ अंतर्गत पेलम बांध निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति

22. (*क्र. 71) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या कृषि मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धरमजयगढ़ अंतर्गत पेलम बांध निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? (ख) पेलम बांध निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां. पेलम बांध (पेलमनाला जलाशय) की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 21.36 लाख दिनांक 03-10-1981 को प्रदान की गई थी. योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 476.33 लाख, दिनांक 17-10-2016 को प्रदान की गई है. (ख) पेलम बांध (पेलमनाला जलाशय) का निर्माण कार्य वर्ष 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है.

---
[11] परिशिष्ट "पंद्रह"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लालजीत सिंह राठिया : माननीय अध्यक्ष महोदस, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पेलम बांध निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है, माननीय मंत्री जी उसका भूमिपूजन करने कब आ रहे हैं?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, (हंसी) प्रश्न आखिरी में लेकिन अच्छा लगा। जैसा माननीय विधायक जी तय करेंगे उस तरीके से कार्यक्रम बना लेंगे।

श्री लालजीत सिंह राठिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी स्वागत है, धन्यवाद।

सूरजपुर जिले में रेडी-टू-ईट का संचालन

23. (*क्र. 101) श्री खेलसाय सिंह : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूरजपुर जिला के अंतर्गत विकासखंड सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, ओडगी, भैयाथान एवं प्रतापपुर में रेडी-टू-ईट का संचालन किस-किस समूह के द्वारा कहां-कहां किया जा रहा हैं ? (ख) क्या गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : (क) सूरजपुर जिले अंतर्गत विकासखण्ड सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, ओडगी, भैयाथान एवं प्रतापपुर में रेडी-टू-ईट संचालन कर रहे महिला स्व सहायता समूह की जानकारी †[12] संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) जी हॉ, गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है. प्राप्त शिकायतें एवं उस पर की गई कार्यवाहियों का विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

श्री खेलसाय सिंह :- जिला सूरजपुर में 61 स्वसहायता समूह संचालित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो स्वसहायता समूह रेडी टू ईट तैयार करते हैं उनके लिए उसे तैयार करने की ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था है क्या?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए प्रशिक्षण के लिए बना हुआ है, उसका प्रशिक्षण देते हैं।

प्रश्न संख्या 24 :- XX XX

प्रश्न संख्या 25 :- XX XX

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

[12] परिशिष्ट "सोलह"

श्री अजय चन्द्राकर: - माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत बधाई आपके संचालन में सर्वाधिक प्रश्न पूछे गये।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आज 23 नंबर तक प्रश्न गया उसके लिए बधाई।

श्री नारायण चंदेल :- 25 तक गया है, बहुत-बहुत बधाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- उत्तर उधर देंगे तो प्रश्न ज्यादा होगा, वह उत्तर ही नहीं दे पाते।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग इसी प्रकार का सहयोग करते रहिए, रोज 25 तक पहुंचाउंगा।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2017-18 (दिनांक 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018 तक)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2017-18 (दिनांक 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018 तक) पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रतिवेदन :-

(i) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(ii) हेमचंद विश्वविद्यालय, दुर्ग का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(i) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं

(ii) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018) पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में स्वाईन फ्लू का प्रकोप है। 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी महेन्द्र जंघेल, एक शिक्षाकर्मी गजेन्द्र, आज ही एक मृत्यु भिलाई में हुई है श्रीमती रोशनी साहू, श्रीमती शकुन साहू। शासन के द्वारा स्वाईन फ्लू से पीड़ित लोगों के लिए उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। ये बीमारी महामारी का रूप ले रही है। ये प्रदेश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस पर हमारा ध्यानाकर्षण है।

अध्यक्ष महोदय :- आज ही आपका ध्यानाकर्षण मिला है। मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- आज ध्यानाकर्षण मिला है, मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, भिलाई में, दुर्ग में और हर जिले में तेजी के साथ महामारी की तरह ये फैल रही है। जांजगीर तरफ भी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं जायेगा।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि हम लोगों ने ध्यानाकर्षण विषय दिया है, इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ध्यानाकर्षण आज दिया है या कल दिया है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि बीमारी संक्रमण वाली है। आज आपने समाचार पत्रों को देखा होगा तो केन्द्र सरकार ने भी उसमें एलर्ट जारी किया है। देश में 400 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग चुप बैठा है। मंत्री जी उसको बीमारी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मौतें की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अवेयर लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी जो उस काम को करते थे, बी.एस.पी के मास्टर की इस तरह से मृत्यु हो रही है। बाकी लोग जो चिन्हांकित नहीं हो पा रहे हैं, उसकी बात तो अलग है। जिस तरह से केन्द्र सरकार ने एलर्ट जारी किया है उस तरह का कोई काम छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रहा है। जान माल की रक्षा हेतु यदि लोग ही नहीं हैं तो हम यहां चर्चा करके क्या करेंगे? इसलिए जान माल की रक्षा प्रदेश सरकार का या किसी भी राज्य सरकार का पहला दायित्व है। इसलिए सारे काम रोक करके इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तक कोई सूचना नहीं आई है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने ही कहा कि आसंदी से अभी तक...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कई अवसर आए हैं। कल समय पर सूचना दी है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वास्थ्य मंत्री लगातार सदन से नदारद हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर बीमारी फैल रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आपकी भावनाओं से मैं अवगत हो गया हूं। मैं चर्चा कराऊंगा आप परेशान क्यों हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था पर कोई अविश्वास नहीं है। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं, जो लोक महत्व के होते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं। आप देखिये, कि जो स्वास्थ्य विभाग का संचालक है, अपर संचालक है वही इसके काल में चला गया।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- गंभीर विषय है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लगातार फैल रही है। देश भर में एलर्ट जारी है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं स्वीकार करता हूँ कि ये गंभीर विषय है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी तो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस समय आप दुर्ग जाने के बजाए महासमुंद दौरे में निकलते थे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री देवव्रत सिंह।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दलेश्वर साहू जी द्वारा मुझे पत्र लिखा गया था।

अध्यक्ष महोदय :- आपको दलेश्वर साहू जी ने पत्र लिखा है मगर ध्यानाकर्षण सूचना पर अधिकृत करने का अधिकार विधायक को नहीं है। इसलिए मैं ध्यानाकर्षण सूचना दो ले रहा हूँ, जो माननीय देवव्रत सिंह जी का है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी एस.आई.टी.जांच होनी चाहिए। प्रश्न के दिन दो घटनाएं हो गईं। आप भी नहीं थे। दादी नहीं थे। आज ध्यानाकर्षण में वो नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी एस.आई.टी. जांच होनी चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है कि ये सरकार एस.आई.टी. गठित करने के लिए एक्सपर्ट सरकार है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप इस पर एस.आई.टी. गठन की घोषणा कर दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, माननीय दलेश्वर जी क्यों अनुपस्थित हैं, दलेश्वर जी क्यों अनुपस्थित हो रहे हैं इसकी एस.आई.टी. जांच के लिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे एक दिन में आप एक एस.आई.टी. की मांग करिये तो हम विचार भी करें। आप एक दिन में कई ठोक एस.आई.टी. की मांग कर देते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। आपकी सरकार और आप एस.आई.टी. गठन करने में बहुत उदार हैं इसलिए हम मांग कर सकते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय,नहीं। लेकिन प्रतिदिन कितना? आप एकाध मांग करें तो हम उसको कर दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। हम जितनी भी जांच के लिए तैयार हैं। आप उदारता से कर दीजिए। आप जेपीसी कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ध्यानाकर्षण सूचना आने दीजिए।

(2) <u>जिला कोरबा अंतर्गत एस.ई.सी.एल. द्वारा हसदेव तट नहर की दिशा परिवर्तित किया जाना।</u>

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जिला कोरबा अंतर्गत एस.ई.सी.एल. द्वारा 50 एम.टी.पी.ए. विस्तार परियोजना हेतु हसेदव दॉयी तट नहर के पूर्व और पश्चिम की ओर ग्राम-सोनपुर और खैरभवना की भूमि अधिग्रहण करने हेतु पंचायत उपबंध पी.ई.एस.ए.(अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम के प्रावधान अनुसार स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोल बियरिंग एक्ट (सी.बी.ए.) के अंतर्गत धारा-4 का प्रकाशन किया गया। इस पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि जिलाध्यक्ष-कोरबा व कार्यपालन अभियंता, हसदेव बराज जल प्रबंध संभाग, रामपुर/कोरबा के द्वारा समय-समय पर तकनीकी तथा आर्थिक प्रभावों के कारण भूमि अधिग्रहण न करने हेतु एस.ई.सी.एल. के संबंधित उच्च अधिकारियों के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई गईं। आपत्तियों का निराकरण किये बिना ही एस.ई.सी.एल. द्वारा धारा 7 एवं धारा 9 का प्रकाशन किया गया। एस.ई.सी.एल. ने हसदेव तट नहर की कि.मी. 10 से 17 दूरी तक हसदेव नदी की तरफ पूर्व दिशा में मार्ग परिवर्तित हेतु प्रस्ताव किया, लेकिन केनाल का परिवर्तित मार्ग में चढ़ाव ज्यादा होने की वजह से तकनीकी कारणों से जिलाध्यक्ष-कोरबा और कार्यपालन अभियंता, हसदेव बराज जल प्रबंध संभाग, रामपुर/कोरबा के द्वारा आपत्तियां दर्ज की गईं। भू-अर्जन प्रक्रिया के पूर्व एस.ई.सी.एल. द्वारा तहसीलदार कटघोरा से जमीन के खसरा नंबर, रकबा, मालिकाना हक डायवर्सन आदि की जानकारी भी नहीं ली गई और न ही जल संसाधन विभाग के माध्यम से हसेदव दायी तट नहर कि.मी. 10 से 17 दूरी तक परिवर्तित करने हेतु वांछित तकनीकी सर्वेक्षण कराया गया। हसेदव दायी तक नहर के निर्माण मार्ग में कई पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरोहर/कनकीधाम, शिवमंदिर तथा सर्वमंगला मंदिर भी आ रहे हैं। नियम प्रक्रिया का पालन किए बिना एस.ई.सी.एल. द्वारा सोनपुरी व खैरभवना की जमीन अर्जन की कार्यवाही किए जाने से ग्रामवासियों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जल संसाधन मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे):- जिला कोरबा अंतर्गत एस.ई.सी.एल. द्वारा 50 एम.टी.पी.ए. विस्तार परियोजना हेतु उनके पत्र क्रमांक एस.ई.सी.एल.बी.एस.बी./जी.एम.(सिविल)/2015/1083, दिनांक 03.01.2015 के द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर को अनुरोध पत्र प्रेषित किया, जिसमें हसदेव बांगो परियोजना की दायी तट नहर की कि.मी. 10 से लेकर 19 तक को परिवर्तित करने हेतु तकनीकी रूप से साध्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसके परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, रायपुर के पत्र क्र. 2870/एफ-7-34/31/एस-2/14, दिनांक 10.06.2015 के द्वारा शासन ने उक्त प्रस्ताव को अमान्य करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस.ई.सी.एल. लिमिटेड सिपत रोड, बिलासपुर को सूचित किया गया है। पुन: एस.ई.सी.एल. ने अपने पत्र दिनांक 09.05.2018 के द्वारा कार्यपालन अभियंता, हसदेव बैराज जल प्रबंध संभाग, रामपुर/कोरबा से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई। कार्यपालन अभियंता ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पत्र दिनांक 09.05.2018 के द्वारा अनापत्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया एवं दिनांक 20.07.2018 को उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया। कार्यपालन अभियंता के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। दॉयी तट मुख्य नहर से 107795 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। किसानों के हित के प्रति शासन हमेशा कटिबद्ध है, हर परिस्थिति में किसानों के हित की सुरक्षा की जावेगी एवं योजना को प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा। इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार भी किया जायेगा।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय मंत्री जी आपके जवाब में वैसे सारी चीजें समाहित हो गई हैं, पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा यह जो ग्राम सोनपुर और खैरभवना है, दोनों ही दॉयी तट नहर के पूर्व और पश्चिम में स्थित हैं, केनाल का तो काम निश्चित रूप से रूकवा देंगे। मेरा निवेदन है कि क्या राज्य सरकार केबिनेट में इस प्रस्ताव को लेकर यह पूरी प्रक्रिया जो बिना पी.ई.एस.ए. एक्ट के किया गया है और सी.बी.ए. एक्ट का गलत प्रावधान करके अधिग्रहण किया गया है, क्या राज्य मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव को लेकर पूरे ही प्रकरण को निरस्त करेगा? उसके बाद हम भारत सरकार को, एस.ई.सी.एल. को अवगत भी करायें। मेरा आपसे निवेदन है कि क्योकिं सी.बी.ए. एक्ट का प्रभाव उसमें है, चूंकि केनाल का ग्रेडियेन्ट वाला मामला खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप केनाल को यथावत रखेंगे। यह पूरे प्रस्ताव को जो एस.ई.सी.एल. का है, क्या उसको राज्य सरकार की केबिनेट के द्वारा पूरा ही निरस्त कर दिया जायेगा?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, यहां विभाग की ओर से उत्तर दे रहा हूं, इसका मतलब ही है कि राज्य सरकार इस प्रकार से निर्णय ले रही है। दूसरा मैंने कहा कि हर परिस्थ‍िति में 107795 हेक्टेयर आर.बी.सी. से सिंचाई होती है तो किसानों के हित की सुरक्षा करना हमारी पहली

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जवाबदारी है। केन्द्र सरकार चूंकि एस.ई.सी.एल. का मामला है, इसलिए उनसे तो अनुरोध करना ही पड़ेगा। नहर की शिफ्टिंग उस इलाके के किसानों के लिए बेहद नुकसानदेह है। प्रायमाफेसी हमारे कार्यपालन अभियंता के द्वारा चूक भी हुई है, जान-बूझकर किया गया या नहीं किया गया, यह तो मैं नहीं कह सकता, उसके खिलाफ भी हम विभागीय कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय मंत्री जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- महाराज, कड़ी कार्यवाही से क्या मतलब है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कड़ी कार्यवाही का पहला आशय तो निलंबन है। हम उसको निलंबित करेंगे, उसके आगे जांच करेंगे कि इन परिस्थ्िितियों में इस प्रकार से उनको परमिट किया गया और विथआउट कन्सेन्ट आफ गवर्नमेन्ट हायर अथारिटी से बगैर पूछे इस तरीके से हमारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने परमीशन दिया, जहां 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई प्रभावित हो, यह परमीशन देना ही गलत था।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 4 कलेक्टर लोगों ने, चीफ इंजीनियर से लेकर ई.ई. लोगों ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था, उसके बाद तत्कालीन किसी कलेक्टर ने इसमें अनुमति दे दी और उसी ने शायद कार्यपालन अभियंता को भी कहा होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कलेक्टर जो राज्य के हितों को प्रभावित करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन कलेक्टर के ऊपर कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, अब जब विभाग कार्यवाही करेगा तो जो लोग भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री देवव्रत सिंह :- धन्यवाद।

समय :
12:13 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

01. श्री विनय कुमार भगत
02. श्रीमती इंदु बंजारे
03. श्री आशीष कुमार छाबड़ा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:14 बजे **<u>वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा।</u>**

मांग संख्या	**36**	**परिवहन**
मांग संख्या	**21**	**आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**10**	**वन**
मांग संख्या	**39**	**खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय।**

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :-अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च 2020 को समापत होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या-	36	परिवहन के लिये- तिहत्तर करोड़, सात लाख, छत्तीब हजार रुपये,
मांग संख्या-	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- पांच सौ पैंसठ करोड़, पंचानबे लाख, तीस हजार रुपये,
मांग संख्या-	10	वन के लिये- एक हजार पचासी करोड़, पांच लाख, निन्यानबे हजार रुपये तथा
मांग संख्या-	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- दो हजार सात सौं पैंतालीस करोड़, पैंतालीस लाख, नब्बे हजार रुपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची प्रथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

<u>मांग संख्या-36</u>

<u>परिवहन</u>

1.	श्री अजय चंद्राकर	4
2.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
3.	श्री नारायण चंदेल	1
4.	श्री शिवरतन शर्मा	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा 1
6. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू 1

मांग संख्या-21

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल 2
2. श्री अजय चंद्राकर 1
3. श्री शिवरतन शर्मा 2
4. श्री अजीत जोगी 7
5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा 1

मांग संख्या-10

वन

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल 3
2. श्री अजय चंद्राकर 2
3. श्री अजीत जोगी 14
4. श्री धर्मजीत सिंह 4
5. श्री केशव प्रसाद चंद्रा 1
6. श्री सौरभ सिंह 1
7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा 1

मांग संख्या-39

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल 1
2. श्री अजय चंद्राकर 1
3. श्री शिवरतन शर्मा 1
4. श्री अजीत जोगी 4
5. श्री केशव प्रसाद चंद्रा 1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-36, 21, 10 और 39 के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । जनघोषणा पत्र के आधार पर यह सरकार बनी है और जनघोषणा पत्र के कुछ बिंदु हैं जिस पर अमल हुआ और जिस पर अमल नहीं हुआ । इस बजट में प्रावधान नहीं रखा गया और जब प्रावधान नहीं रखा गया तो आने वाले एक साल में कुछ नहीं होगा । 35 किलो चावल की योजना की घोषणा हुई है । माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इस बात को बतायेंगे कि जो नया राशनकॉर्ड बनेगा और अगर किसी परिवार में अभी एक राशन कॉर्ड के पीछे, एक व्यक्ति को 7 किलो चावल दिया जाता था तो जिस परिवार में 10 व्यक्ति हैं तो 70 किलो चावल मिलता था तो क्या उनको 70 किलो चावल मिलेगा और क्या उनको 35 किलो चावल मिलेगा और क्या सरकार यह योजना बनायेगी कि जिसके कार्ड में 70 किलो चावल है उसको अधिकतम मिलेगा, मिनिमम 35 किलो और मेक्सिमम जितना भी हो इस पर कृपापूर्वक क्लियरिटी आने की आवश्यकता है ।

समय :
12:18 बजे **(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)**

श्री बृहस्पत सिंह :- लगता है कि आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं है । 5 सदस्य तक का है, 5 से अधिक होंगे तो उसमें और अधिक देंगे यह कहा गया है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैंने क्लियरिटी की बात कही । मैं क्लियरिटी की बात कर रहा हूं वह माननीय मंत्री जी के जवाब में आ जायेगा ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप चिल्ला रहे थे देखिये चेयर में वे बैठ गये हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, 2 साल के बोनस का प्रावधान घोषणा पत्र में था । इस मांग में कहीं पर भी 2 साल के घोषणा के लिये 1 रूपये का भी कोई जिक्र नहीं है तो 2 साल का घोषणा पत्र तो अगले वित्तीय वर्ष में चला गया अब आने वाले 4 वित्तीय वर्ष बचे हैं तो 4 वित्तीय वर्ष में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा, पौना मिलेगा, पूरा मिलेगा, दो साल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर भी माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक ध्यान आकर्षित करेंगे । इसके साथ-साथ 2500 रूपये की दर से धान खरीदी के लिये प्रावधान किया गया है, जब 2500 रूपये धान खरीदी के लिये प्रावधान किया गया है तो आपके ही घोषणा पत्र में कहा था कि किसान का एक-एक दाना धान खरीदा जायेगा तो आपने 2500 रूपये के हिसाब से मद का प्रावधान किया है तो जब आपने मद का प्रावधान किया है तो क्या 15 ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अकबर साहब आपकी सरकार में बहुत चलती है। थोड़ा इंटरचेंज करवा दीजिये, उनकी सीट को इधर और उनकी सीट को इधर करवा दीजिये । श्री कवासी लखमा जी का भला हो जायेगा उनको बार-बार खड़ा होने का मौका मिलेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय चंद्राकर जी, ऐसा है कि आप अपने शब्द को सुधारिए । श्री अकबर साहब की इस सरकार में केवल चलती ही नहीं है वे इस सरकार के ब्रेन हैं । (हंसी)

श्री दीपक बैज :- श्री अजय भैया, वह सीट भी पहले आपकी सीट थी ।

श्री अजय चंद्राकर :- हम तो दादी के कल्याण के लिये बोल रहे हैं, ये पुरानी सीट में आयेंगे तो बार-बार खड़े होंगे, ये सीनियर मोस्ट मार्गदर्शक मंडल वाले आदमी हैं, उधर बैठेंगे ।

श्री दीपक बैज :- अब ये दोनों सीट बिल्कुल उल्टी हो गई ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, ये बोला जाए कि आदरणीय अकबर साहब के हिसाब से ही सरकार चलती है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इसीलिए मैंने कहा ब्रेन हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- 2500 रूपए के हिसाब से धान खरीदी का प्रावधान किया गया है । धान के लिए जो राशि प्रावधानित की गई है । 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जाएगा या किसान का एक-एक दाना धान खरीदा जाएगा ? माननीय मंत्री जी कृपा पूर्वक इस बात का जवाब देंगे । हमारे जिले में और पूरे प्रदेश में रबी फसल के लिए पानी दिया गया है । माननीय सिंचाई मंत्री जी नहीं हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । परंतु उससे जो रबी फसल का धान होगा, उस रबी फसल के धान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और अगर खरीदा जाएगा तो कौन सी एजेंसी खरीदेगी ? किसके माध्यम से खरीदा जाएगा और अगर राईस मिलर खरीदेंगे तो क्या एमएसपी के आधार पर मंडी से खरीदेंगे । इस पर भी कृपापूर्वक बताएंगे ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सौरभ भइया, सरकार खरीदे या न खरीदे, सरकार से यह तो कहिए कि किसानों का धान जहां 15 क्विंटल से ज्यादा हुआ है, उसको जप्ती मत करें । उनके ऊपर कार्रवाई न करें । जिस किसान ने धान पैदा कर लिया है वे मर रहे हैं । खाद्य विभाग के अधिकारी उनके घर में घुसकर उनके धान को जप्त कर रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, धान की खरीदी हो गई । जिस बात को केशव भइया बोल रहे थे, मैं उसी बात पर आता हूं । धान की खरीदी चालू हो गई । पूर्ववर्ती सरकार ने 58 लाख मेट्रिक टन का टारगेट रखा था । इस साल लगभग 80 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई है । यह जो अतिरिक्त धान की खरीदी हुई, 15 क्विंटल धान की खरीदी हुई उसे किसान कहां लेकर जाए । किसान के पास तो ज्यादा धान हो रहा है ना । आपने घोषणा पत्र में कहा था कि हर एक अन्न को खरीदा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जाएगा । अन्न को तो नहीं खरीदा गया बल्कि किसानों के यहां फूड इन्सपेक्टर जाकर बोलते हैं कि यह धान कहां से आ गया ? वह किसान बचत धान को कहां बेचेगा ? धान तो व्यापारियों को ही बेचेगा और व्यापारी से घूमकर धान वहीं जाएगा । जब धान की खरीदी हो जाती है तो धान संग्रहण केन्द्रों में जाता है । मैं अपने जिले के एक संग्रहण केन्द्र का उदाहरण देता हूं और पूरे प्रदेश में यही हो रहा है । अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के जांजगीर जिले में एक संग्रहण केन्द्र है, अमरताल। उस संग्रहण केन्द्र में सारी सोसायटियों का धान आता है । मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जांजगीर चांपा जिला पिछले 2 सालों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जीरो शॉर्टेज का जिला था । धान की जो शॉर्टेज होगी, जो मिलिंग के प्रोसेस में शॉर्टेज होगी, उसके बाद जो धान खराब होगा, उसका नुकसान, वह सारा नुकसान इस राज्य सरकार के बजट से ही दिया जाएगा । अगले अनुपूरक में देंगे, उसके बाद के अनुपूरक में देंगे या मुख्य बजट में देंगे । कहीं न कहीं से वह दिया जाएगा । जो शॉर्टेज हो रहा है, जो उसका खेल हो रहा है । सभापति महोदय, रूट चार्ट नहीं बनाया गया है । रूट चार्ट बनना चाहिए कि कौन सी मिल सबसे नजदीक है जहां से, सोसायटियों से धान मिलों में जाएगा और दूर की जगहों से संग्रहण में आएगा । इसका रूट चार्ट नहीं बनाया गया है । 20 किलोमीटर से, जांजगीर जिले के नवागढ़ विकासखंड से वह धान सलखन और धिरकोट सोसायटी जो इस संग्रहण केन्द्र से 20 किलोमीटर दूर है । वहां से वह ट्रान्सपोर्टरों को अनुगृहीत करने के लिए जाया जा रहा है । उसको वहीं जांजगीर के संग्रहण केन्द्र में क्यों नहीं दिया जाता, नजदीक का संग्रहण केन्द्र है । वहां नहीं रखा जा रहा है । इसके साथ ही साथ सारे संग्रहण केन्द्रों के संचालन के ठेके, संग्रहण केन्द्र की सिक्योरिटी का ठेका, हम्माली का ठेका आउटसोर्स कर दिया गया है । वह ठेकेदार आउटसोर्स से उत्तर प्रदेश, बिहार के गुंडे लाकर बैठा दिये हैं । वह वहां पर बैठ गए हैं । मार्कफेड का ठेकेदार है, इसको मार्कफेड ने दिया है । वहां पर बिहार के आदमी आकर बैठे हैं । इसके साथ साथ वहां पर प्लास्टिक कैप की व्यवस्था नहीं है । संग्रहण का जो क्षेत्र है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग और बांध के बीच की जगह है । पूरी जगह भर गई है, रोज ट्रक खड़े हैं । बांध के सीपेज के इलाके में पीछे और राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में संग्रहण किया गया है । सीपेज के इलाके का धान बाद में निकलेगा । वह धान खराब होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? ऐसा मार्कफेड के द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है । अतिरिक्त धान खरीदी कर ली, मिलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है । इससे होने वाले नुकसान का पैसा राज्य सरकार के बजट से ही जाएगा और कहीं से नहीं जाएगा । माननीय सभापति महोदय, एफसीआई द्वारा हमारे जिले में ..खाद्य और आवास पर्यावरण के कोई अधिकारी नहीं दिख रहे हैं, फॉरेस्ट के दिख रहे हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- हैं, बैठे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एफ.सी.आई. के माध्यम से उष्ना चावल लिया जा रहा है। वह जो उष्णा चावल लिया जा रहा है छत्तीसगढ़ का जो भी चावल है जिसको राइस मिलर के माध्यम से लिया जा रहा है, उसका आधिपत्य छत्तीसगढ़ सरकार या मार्फेट के पास है। उसे राइस मिलर लोग उष्ना राइस को एफ.सी.आई. को दे रहे हैं। उसमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? कल अगर वह चावल जाकर रिजेक्ट होगा और बिल एफ.सी.आई. नहीं देगी और बिल देने में अगर एफ.सी.आई. कांट-छांट करेगी कि आपकी क्वालिटी सही नहीं है, पूर्व में हो चुका है तो उस पर क्या किया जायेगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं। ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर जो क्वालिटी इंसपेक्टर है एफ.सी.आई. का बैठा है। उस पर राज्य शासन कड़ाई करे कि जो उसना का चावल जा रहा है, वह ठीक जाए। नहीं तो आने वाले समय में सिस्टम में राज्य सरकार का नुकसान होगा। एक विभाग माननीय मंत्री जी के अंदर आता है नापतौल का विभाग और नापतौल के विभाग में मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं और किसी अधिकारी का नाम लेकर इस सदन में अलंकृत नहीं करना चाहता हूं परंतु नापतौल के विभाग में पेट्रोल पंप में जो सेटिंग हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा मामला है। माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लें। इतना दो तो इतना यूनिट कम होगा। यह बहुत बड़ा मामला है। इस पर कृपापूर्वक माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

श्री दीपक बैज :- सौरभ भैया, पेट्रोल पंप में लाइन लगाने वाले को पूछना पड़ेगा कि अच्छा दिन आया कि नहीं आया।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आप लोगों का तो आ गया है न अच्छा दिन और क्या लेंगे? आप लोगों का तो अच्छा दिन आ गया है और क्या लेंगे?

श्री कवासी लखमा :- जनता के अच्छे दिन आये हैं। किसानों के अच्छे दिन आये हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- आपका आया है दादी जी। आपका मनपसंद विभाग आपको मिला है। आपका अच्छा दिन आया है।

श्री दीपक बैज :- पूछना पड़ेगा उनसे पेट्रोल का रेट कम हुआ कि नहीं।

श्री बृहस्तप सिंह :- माननीय सौरभ जी, यह 2500 रूपया धान खरीदी होने से आपको फायदा हुआ कि नहीं। हां या ना में बता तो।

श्री सौरभ सिंह :- हुआ न । मैं मना थोड़ी न कर रहा हूं। हुआ है।

श्री दीपक बैज :- बृहस्पत भैया, कर्जा माफी में सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं नेताओं को मिला है।

श्री बृहस्पत सिंह :- कर्जा माफी में लाभ मिला कि नहीं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दीपक बैज :- इनके नेताओं को मिला है सबसे ज्यादा कर्जा माफी का। बड़े किसान तो यही लोग हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- नहीं मिला है साढ़े 4 सौ रूपये का।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ का 44 परशेंट क्षेत्र वन विभाग है। आप और हम सब जानते हैं कि उसमें 3 तरह के वन हैं। कौन सा वन है ? किस तरह का पी.एफ. है ? बिगड़े हुए वन है, छोटे झाड़ के जंगल, बड़े झाड़ के जंगल। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के आधे से अधिक भाग में वन मंत्री जी और वन विभाग का आधिपत्य है और उसके लिए एक स्पेशलाइस्ड फोर्स है । हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है उस सिस्टम में 3 तरह के फोर्स हैं। आई.ए.एस. ऑफिसर जो जनरलाइस्ड ब्यूरोक्रेसी है और आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. स्पेशलाइस्ड ब्यूरोक्रेसी है और जो स्पेशलाइस्ड ब्यूरोक्रेसी है वह आई.एफ.एस. है और आई.पी.एस. है। तो आई.एफ.एस. के संदर्भ में मैं बात करूंगा जो स्पेशलाइस्ड ब्यूरोक्रेसी है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्पेशलाइस्ड ब्यूरोक्रेसी में कौन सा ऐसा अधिकारी है जो वाइल्ड लाइफ का एक्सपर्ट है। कौन सा अधिकारी है जो हर्बल फार्मिंग का एक्सपर्ट है ? कौन सा ऐसा अधिकारी है जो मेडिक्लीन प्लांट्स का एक्सपर्ट है ? कौन सा ऐसा अधिकारी है जो इंडस्ट्रीयल प्लांट का एक्सपर्ट है ? कौन सा ऐसा अधिकारी है जो सोशल फारेस्ट का एक्सपर्ट है ? इसी आई.एफ.एस. अधिकारियों में ऐसे-ऐसे अधिकारी हुए हैं, जिन्होंने जंगल को बचाया है जो वाइल्ड लाइफ के रिसर्च में दुनिया में अपना नाम कमाये हैं। हमारे यहां कौन ऐसा अधिकारी है और वन विभाग का जो सारा काम हो रहा है उसे आप भी जान रहे हैं। तो वन विभाग का अधिकारी क्या कर रहा है, वन को बचाने को छोड़कर क्या बना रहे हैं तो बोलते हैं एनीकट बन रहा है। क्या बना रहे हैं, तो सड़क बन रही है। क्या बना रहे हैं तो रास्ता बना रहे हैं।

श्री दीपक बैज :- हमारे अधिकारियों पर आपको भरोसा नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- मैं भरोसे की बात थोड़ी न कर रहा हूं। मैं स्पेशलाइस्ड चीज की बात कर रहा हूं। स्पेशलाइजेशन क्या है ? ये फोर्स सुपर स्पेशलाइजेशन के फोर्स हैं। मैं आपको इस चीज को बताता हूं। एम.बी.बी.एस. डॉक्टर और एम.डी. के ऊपर सुपर स्पेशलाइजेशन क्या है और सुपर स्पेशलाइजेशन के ऊपर आर्थोपेडिक्स का अगर एम.डी. है जो आर्थोपेडिक्स में निज प्लेसमेंट का सुपर स्पेशलाइजेशन है कि उसके पास रिप्लेसमेंट सुपर स्पेशलाइजेशन है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। काम क्या हो रहा है तो एनीकट बनाना है, पुलिया बनाना है, निर्माण बनाना है, वाटर बॉडी बनाना है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा। जब एनीकट का निर्माण किया जा रहा है तो एनीकट का निर्माण सिंचाई विभाग से करवाएं। अमूमन देखा जाता है कि फॉरेस्ट विभाग का एनीकट उड़ गया। फारेस्ट के अधिकारी के पास उसका स्पेशलाइजेशन नहीं है। सिंचाई विभाग को उस काम को करने दीजिए। कई जगह यह देखा जाता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। हमारे यहां जो फॉरेस्ट कवर है उसमें हम जितना पैसा खर्च करते हैं। मैं देख रहा था करीब-करीब बजट का 37 परशेंट 15 योजनाएं हैं। अलग-अलग तरह से। बांस को अगर मिला लें तो 15 योजनाएं हैं और 15 योजनओं में 378 करोड़ रूपये लगभग कुछ 19-20 गलत भी हो सकता है और 37 परशेंट बजट सिर्फ प्लांटेशन में है । प्लाण्टेशन का यह हिसाब-किताब है कि सालों दर सालों हम सिर्फ प्लाण्टेशन करते जा रहे हैं। हम प्लाण्टेशन कर रहे हैं और प्लाण्टेशन करने के बाद यह सुनिश्चित होगा कि हम इतना पैसा देंगे तो फिर से वही सेपलिंग होगा, फिर से वही पेड़ और वही पेड़ों का प्लाण्टेशन। माननीय सभापति महोदय, प्लाण्टेशन के बाद फारेस्ट कव्हर सुधरेगा या नहीं सुधरेगा ? हमारा फारेस्ट कव्हर घटते जा रहा है। हम जमीन को डायवर्ट कर रहे हैं। हम जंगल को डायवर्ट कर रहे हैं। हम बार-बार रोड, नाले, मायनिंग वगैरह की परमिशन दे रहे हैं। उस सारी परमिशन में वन विभाग की जमीन जा रही है। हमारा जो क्वालिटी आफ जंगल है, वह जंगल प्रभावित हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, जब हम प्लाण्टेशन करते हैं, तो प्लाण्टेशन का जितना फोकस है, आज की तारीख वह वह फोकस सारा सागोन पर आ गया है।

सभापति महोदय :- संक्षिप्त करिये। तीन विभाग पर चर्चा होगी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, सारा फोकस सागोन के प्लाण्ट पर आ गया है। सागोन के प्लाण्टेशन पर फोकस है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि सागोन हमारे यहां की वेरायटी नहीं है अंग्रेज, भारत में सागोन लेकर आये थे। हमारा जो Moist Decidiom Forest है, उसकी वैरायटी सागोन नहीं है। हमारी वैरायटी क्या है ? हमारी वैरायटी तेन्दू, साल, सरई, बीजा, महुआ, इमली, है। इसका कहां प्लाण्टेशन हो रहा है। इसका कोई प्लाण्टेशन नहीं हो रहा है। इस पर कृपापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। आप बोल रहे, तो मैं जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ। माइनर फारेस्ट प्रोड्यूज, आपने तेन्दूपत्ता में बोनस बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। परन्तु चरण-पादुका बंद कर दी। चरण पादुका क्यों बंद कर दी ? आप बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- सौरभ जी, चरण पादुका में जिसको 6 नंबर का चरण पादुका लगता था, उसको 9 नंबर का चरण पादुका देते थे। आधा कमीशन खा जाते थे। इसीलिए बंद किया गया है। अगर इनको सीधा पैसा देंगे तो मेरे ख्यालय से उनको ज्यादा फायदा होगा। वे अपने पसंद का खरीद लेंगे। बाकी डाक्टर साहब से पूछ लीजिये।

सभापति महोदय :- बृहस्पत जी,इसके बाद आप ही को बोलना है।

श्री दीपक बैज :- बृहस्पत भैय्या, सौरभ भैय्या, उसमें क्या होता था कि आप लोग चरण पादुका बांटते थे। एक पैर में 6 नंबर और एक पैर में 9 नंबर। इसलिए हम लोगों को बंद करना पड़ा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप दोनों एक ही नंबर का दे दो न। दोनों पैर का 6 नंबर दे दो।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, योजनाएं कैसे बंद होती हैं और योजनाएं किस भावनाओं से चालू होती है ? यह भावना थी कि जो व्यक्ति तेन्दूपत्ता का संग्रहण करने जाता है तो उसके पैर में कांटा गड़ जाता है तो उसके पैर में गुखरू हो जाता है। उस कांटे से बचाने के लिए जूता दिया जाता था। आप डायरेक्ट कैस ट्रांसफर करेंगे, पर उसकी प्राथमिकताएं शायद जूता नहीं होगा ?

सभापति महोदय :- दो मिनट में कम्पलीट करिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, थोड़ा समय दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारे पहले वक्ता हैं।

सभापति महोदय :- अभी 3 लोगों का नाम और है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चार विभाग हैं। वन विभाग, महत्वपूर्ण विभाग है और हमारे पहले वक्ता हैं।

सभापति महोदय :- आज तीन मंत्रियों के विभाग के डिमाण्ड पर चर्चा होना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी के पास 4 विभाग हैं। अभी तो ये दूसरे विभाग पर ही आये हैं। तीन मंत्रियों के विभागों के मांगों पर चर्चा होनी है। माननीय अकबर जी के पास 4 विभाग हैं। सौरभ जी हमारे प्रथम वक्ता हैं।

सभापति महोदय :- इसमें आपका भी नाम है।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय सभापति जी, खाद्य विभाग भी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम अपना नाम काट देंगे, कम कर देंगे, उनको बोलने दीजिये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, चरण पादुका की योजना एक भावना से चालू हुई थी। आप डायरेक्ट कैस ट्रांसफर कर देंगे। आप डायरेक्ट कैस ट्रांसफर कर देंगे तो उसमें 3 समस्याएं हैं। डायरेक्ट कैस ट्रांसफर में छत्तीसगढ़ में बैकिंग डेन्सिटी कितनी है ? फारेस्ट एरिया में बैंकिग डेन्सिटी बहुत कम है। वहां पर मनरेगा का पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता तो चरण पादुका का पैसा कैसे ट्रांसफर होगा ? जो परिवार तेन्दू पत्ता का संग्रहण कर रहा है, उस परिवार की प्राथमिकता जूता रहेगा या नहीं रहेगा ? यह भी बात है। ये जो योजनाएं हैं, हम इन योजनाओं का पैसा हम धीरे-धीरे डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे, फिर धीरे से बजट में और कमी हो जायेगी फिर धीरे से बजट कम हो जायेगा और फिर धीरे से योजना खत्म हो जायेगी। यह फ्लैगशिप योजना को खत्म करने का तरीका है।

माननीय सभापति महोदय, 901 लघु वनोपज समितियां हैं। उनको तृतीय वर्ग कर्मचारी की कुछ बात हुई थी। वे आंदोलन में बैठ गए हैं कि तृतीय वर्ग कर्मचारी क्यों नहीं बनाया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं वाइल्ड लाईफ पर आऊंगा। हाथी और वाइल्ड लाईफ पर बोलूंगा, बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। आपने वाइल्ड लाईफ पर कम्पनसेशन का रेट बढ़ाया है। परन्त कम्पनसेशन का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। कम्पनसेशन टाइमली मिलना चाहिए और सही व्यक्ति को कम्पनसेशन मिलना चाहिए। जब टाइमली कम्पनसेशन नहीं मिलेगा, उसकी प्रॉपर ट्रेकिंग नहीं होगी तो उस कम्पनसेशन का कोई मतलब नहीं होगा। जब जानवर मरता है या हाथी अटैक करता है, तो जिस आदमी का घर खराब होता है तो उनको मुआवजा सही समय पर मिलना चाहिए। जब किसी जानवर को कोई खाता है। जब किसी गाय को टाईगर ने खाया तो उसकी प्वाइजनिंग के पहले पैसा पहुंच जाना चाहिए । रिटलियेशन नहीं होना चाहिए, उसकी टारगेटिंग होनी चाहिए, तब उसका अर्थ होगा और सही व्यक्ति के हाथ में जाए । सही व्यक्ति दंड भी देखा जाता है, वाऊचर में कुछ और दस्तखत होता है, मिलता कुछ और है । वैसा काम मत हो ।

सभापति महोदय, यहां पर हम जू की बात कर रहे थे, कानन पेण्डारी के बारे में चर्चा हो रही थी । सेन्ट्रल जू अथॉरिटी का रेग्युलेशन है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सेन्ट्रल जू अथॉरिटी ने कितनी बार कानन पेण्डारी, जंगल सफारी और नंनद कानन का इंसपेक्शन किया और अगर इंसपेक्शन किया तो अपनी गाइड बुक में लिखा कि नहीं लिखा कि ये जो पिंजरे बना था, पिंजरे का क्षेत्र बना था, वह छोटा था कि बड़ा था, क्या उन्होंने सी जेड ए में इसको लिखा और अगर सी जेड ए में में लिखा तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया और अगर सी जेड ए में नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा । अधिकारी क्या कर रहे थे, सेन्ट्रल जू अथॉरिटी का एनवल इंसपेक्शन का प्रावधान है और उस एनवल इंसपेक्शन को फालो क्यों नहीं किया गया । दूसरी बात, मैं जनरलाईज, स्पेशलाईज सर्विस की बात कर रहा था । छत्तीसगढ़ प्रदेश में वेटनरी के कितने डाक्टर हैं कि जू में जो जानवर है, अगर वह बीमार पड़ जाए, जो हमारे रेयर स्पेसियर के जानवर हैं, जंगली भैंसा है, अगर वह बीमार पड़ जाएगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा, कितने वेटनरी के डाक्टर हैं, इस पर क्या व्यवस्था की जा रही है । फारेस्ट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा एपाइंटमेंट की कमी है । आज के डेट में हम सब जगह एपाइंटमेंट कर रहे हैं, इस बजट में हर विभाग में पैसा दिया जा रहा है, इस विभाग में इतने लोगों की भर्ती, इस विभाग में इतने लोगों की भर्ती कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वन विभाग में इस साल कितने लोगों की भर्ती हुई। लोवर स्टाफ की जबरदस्त कमी है और लोवर स्टाफ में जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ का बच्चा काम कर सकता है, जंगल के क्षेत्र का बच्चा जंगल में काम करेगा । जबरदस्त कमी है, उस कमी की भर्ती की क्या व्यवस्था की जा रही है । कोई जंगल में जाकर काम करने के लिए राजी नहीं है और जो लोग जंगल में काम कर रहे हैं, वे किस परिस्थिति में जंगल में काम कर रहे हैं, किस परिस्थिति में वे रहते हैं, उनका परिवार 50-50 किलोमीटर दूर रहता है। जो जिस परिस्थिति में काम करते हैं, उस पर क्या व्यवस्था की जायेगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, हाथी के लिए इस बजट में लगभग 21 करोड़ रूपए दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि 21 करोड़ में कुछ होने वाला है और जितनी हाथी की परियोजना चल रही है, वह हाथी की परियोजना में सिर्फ उसकी व्यवस्थित परियोजना नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाथी से होशियार कोई जानवर नहीं होता। हाथी की सबसे ज्यादा लाईफ होती है। हाथी सबसे ज्यादा होशियार जानवर होता है और हाथी की जो सेंस केपेसिटी होती है, जो मेमोरी होती है, वह किसी जानवर में नहीं होती। हाथी जिस रास्ते में जाता है, 20-20 साल उसकी जो मैट्रीयार्च होती है, जो हथिनी होती है, वह पैक को लीड करती है और 20-20 साल उसी रास्ते से लौटकर आ जाती है। जो यहां पर माईक पाण्डेय जी ने 1989 में डाक्यूमेंट्री बनाई थी लास्ट माइग्रेशन सरगुजा में, आपके क्षेत्र में, वह लास्ट माइग्रेशन नहीं था, वह फर्स्ट माइग्रेशन था। वह लौटकर वापस आया और 25 साल पहले कोई हथिनी उनको वहां पर घूमाकर वापस लेकर आई तो ये जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में क्या व्यवस्था की जाती है, उसका साल्यूशन क्या है, सबसे बड़ी चीज जो है, आज जितना भी हाथी प्रभावित क्षेत्र है, वह कोल बेयरिंग क्षेत्र है और कोल बेयरिंग क्षेत्र में दो हाथी के प्रोजेक्ट यहां से प्रोजेक्ट एलीफेंट में नोटिफिकेशन हुआ है-बादलखोर और तमेरपिंगला का और लेमरू की अधिसूचना कब जारी होगी, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बताएंगे कि लेमरू की परियोजना, जहां पर सबसे ज्यादा अभी हाथी कोरबा जिले में हैं, उस परियोजना की कब अधिसूचना होगी और आज की तारीख में आपका क्षेत्र है, माननीय राजा साहब का क्षेत्र है, उदयपुर ब्लॉक में अडानी की कोल माईनिंग हो रही है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अडानी की कोल माईनिंग से सबसे ज्यादा अटैक उदयपुर में हो रहा है और इस कारण सबसे ज्यादा उदयपुर में अटैक हो रहा है। हाथी का जो पैर होता है, वह सबसे बड़ा फूट प्रिंट हाथी का होता है और हाथी के फूट प्रिंट में सोनार का राडार होता है और जब माईनिंग का कम्पन होता है तो 20-25 किलोमीटर तक उसको हाथी चैक करता है। अर्थक्वेक और सुनामी को सबसे पहले हाथी पकड़ता है कि अर्थक्वेक आने वाला है और सुनामी आने वाली है। जब आप ब्लास्टिंग करते हैं, कोयले की जब अंडर ग्राउंड होल्को ब्लॉक ब्लास्टिंग हो रही है, वह ब्लास्टिंग हाथी को डिस्टर्ब कर रही है। वह इधर-उधर जा रहा है, आप इसका ट्रेक देख लीजिए कि उदयपुर में अडानी की माईनिंग हो रही है और उदयपुर में सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है। हाथी डिस्टर्ब होता है। अब हाथी की बात है तो हाथी सुधरेगा और हाथी को एक क्षेत्र में रखना पड़ेगा। हाथी के कारीडोर को आपको बराबर करना पड़ेगा, इतने पैसे में कोई कारीडोर नहीं सुधरने वाली है, कोई कारीडोर का इंक्रोचमेंट नहीं होने वाला है। आप सारे अलार्म साइलेंट बना दिये, ये कर दिए, वह कर दिए। इससे कुछ नहीं होगा। इसमें एक चीज का और उल्लेख नहीं है। हाथी रूकेगा, जहां पानी की व्यवस्था होगी। 21 करोड़ रूपए में क्या हाथी के पानी की व्यवस्था होगी, हाथी रूकेगा, जहां फूड की व्यवस्था होगी। सुगरकेन है, बनाना का प्लांटेशन है, तब हाथी रूकेगा। हाथी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

को आपको एक क्षेत्र में रोकना पड़ेगा, उसके कारीडोर को मैप करना पड़ेगा, जीपीएस मैपिंग के सिस्टम के बारे में कुछ बात हुई है कि एकाध किसी हथिनी पर जीपीएस मैपिंग की भी गई है कि वह मूव कर रही है उसे देखा जा रहा है। तो कॉरीडोर को पूरा चेक करना पड़ेगा और 21 करोड़ रूपये में कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं विदेश में कई ऐसी जगहें हैं जहां हाथी की समस्या आती है उसका अलग-अलग निदान किया जाता है। एक निदान मैं बताता हूं जो कि बहुत तार्किक है।

सभापति महोदय :- हाथी के बारे में आपको बहुत गहरा अनुभव है।

श्री सौरभ सिंह :- गहरा अनुभव है, मैं राजनीतिक हाथी के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- वहीं से तो आये हैं।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि एक बार इस सदन में हाथी में चढ़कर आये थे और इस बार हाथी को पछाड़कर आये हैं। एक उदाहरण बताता हूं अगर उसे अधिकारी उपयोग कर सकें। हाथी की सूंड़ में बहुत बड़ा सेंसिंग पावर होता है और बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे देशों में इसके ऊपर एक्सपेरीमेंट हुआ है कि ह्यूमन एनीमल कान्फ्लीक्ट के ऊपर बहुत बात हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक्सपेरीमेंट कराकर देख लीजिए। जिस क्षेत्र में हाथी रहता है वहां पर आप मिर्च की खेती कराकर देख लीजिए, वहां हाथी कभी नहीं आयेगा। हाथी के लिए मिर्ची की फेंसिंग करवाईये और उसके लिए पैसे की व्यवस्था कीजिए तो हाथी कहीं नहीं आयेगा। फारेस्ट की बात है तो एक बात और बोलूंगा कि जयराम रमेश जी ने कोयले का नो गो एरिया बनाया था यहां नो गो एरिया की बहुत बात होती थी। सरई के बहुत बड़े प्लांटेशन थे, वहां छत्तीसगढ़ के डेढ़ सौ -दो सौ पुराने वृक्ष थे। क्या सरकार की नो गो एरिया की पालिसी वही रहेगी तो इधर रहकर आप लोग बोलते थे, उधर जाने के बाद नो-गो एरिया की पालिसी बदल तो नहीं जायेगी कि नो गो एरिया की पालिसी में क्या होगा। इधर से बहुत सारी बातें कैंपा के बारे में होती थी, उधर जाकर कैपा की बातें बदल तो नहीं जायेंगी। वन विभाग औद्योगिक प्लांटेशन करता है उसके बारे में सिर्फ एक बात बोलूंगा कि हो सकता है कि कैंपा से गरूवा, घुरूवा, बारी आ जाए। माननीय मंत्री जी ने मुझे ध्यान दिला दिया मैं बोलना नहीं चाहता था, वन विभाग के विभागीय प्रतिवदेन में नरवा, घुरवा, बारी का फोटो लगा है। वन विभाग को नरवा, घुरवा, बारी से क्या लेना-देना, वहां तो जंगल, जानवर और हाथी है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो मैं फारेस्ट के संदर्भ में दो बातें बोलूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्रोकोडाईल पार्क है। उस क्रोकोडाईल पार्क में कछुआ सेंटर बनाया गया। मैं दिखा रहा हूं कि वन विभाग कैसे पैसे की बर्बादी करता है। वहां कछुआ सेंटर बना दिया गया, कछुआ सेंटर बन गया पर कछुवा रखने की परमीशन नहीं थी। कछुआ रखने के लिए परमीशन लेना पड़ता है। वह वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं प्लांटेशन में मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक उदाहरण देता हूं। 2015-16 में जो प्लांटेशन हुआ, अधिकारी कैसे मिलकर करते

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैं, आज तक लोगों का 07 करोड़ रूपये का पेमेंट नहीं हुआ है। मैंने इस बात का ध्यानाकर्षण लगाया है। वन विभाग बहुत अहम विभाग है। छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत क्षेत्र और एक हजार करोड़ रूपये का बजट।

श्री अजय चन्द्राकर :- अहम मतलब महत्वपूर्ण कि अहम मतलब घमंडी? क्या घमंडी विभाग है या महत्वपूर्ण विभाग है?

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, जो बोल लीजिए, दोनों विभाग है। माननीय मंत्री जी के पास परिवहन विभाग है। पूरे छत्तीसगढ़ में रोड के ऊपर कोयले की ट्रकें चल रही हैं, लोहे की ट्रकें चल रही हैं, सीमेंट की ट्रकें चल रही हैं, क्लिंकर ले जाने वाली ट्रकें चल रही हैं, ऐश की ट्रकें चल रही हैं। क्या उन ट्रकों का कभी फिटनेश चेक करवाया जायेगा? उस ट्रक का फिटनेश क्या है, ट्रक में जो ड़ाईवर चल रहा है उसका क्वालीफिकेशन क्या है, उसके पाल्यूशन का क्या हो रहा है? उन ट्रकों के पीछे की लाईट जल रही है या नहीं जल रही है? परिवहन विभाग के अधिकारी खड़े हैं, काम चल रहा है।

माननीय मंत्री जी, आपके पास आवास एवं पर्यावरण विभाग है। एन.जी.टी. में रिटायर्ड जस्टिस धनेन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में एक नई कमेटी बनाई है कि छत्तीसगढ़ में प्रदूषण की चेकिंग की जाए। आज कोरबा और सिलतरा भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह है। सिलतरा हमारे पीछे है और कोरबा हमारे क्षेत्र के बगल में है। आज कहीं पर एस.पी.एम. काउंट, नाईट्रोजन काउंट, पार्टीकुलेट मैटर काउंट का कहीं पर ऐसा कोई सिस्टम लगा है जिससे पता चले कि कितने प्रदूषण में हम जी रहे हैं और प्रदूषण का क्या किया जायेगा? सारे उद्योगों में जो ऐश होता है, कोयले का जो खेल होता है, सल्फर कन्टेन्ट ज्यादा आ रहा है रद्दी कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। जो सल्फर कन्टेन्ट ज्यादा आ रहा है और जो रद्दी कोयले का इस्तेमाल हो रहा है उस रद्दी कोयले के नाम से ऐश कंटेन्ट बढ़ता जा रहा है और एस डिस्पोजल की जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर क्या व्यवस्था की जा रही है ? एक बात अंत में और कहूंगा कि पर्यावरण विभाग से जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई में उद्योगों की जनसुनवाई होती है और उसका क्रियरम्स आता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार उसके लिए सदन के 90 सदस्यों में प्रबोधन का कार्यक्रम रखा जाये। आपके क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग हैं। उन उद्योगों को किन शर्तो के तहत पर्यावरण विभाग से अनुमति दी गई है। कम से कम ये माननीय सदस्य जाने तो कि उद्योगों में किस तरह से उल्लंघन हो रहा है और कहां पर उल्लंघन नहीं हो रहा है। विधानसभा की लाईब्रेरी में जितने छत्तीसगढ़ में उद्योग है, उनको जो पर्यावरण की स्वीकृति दी गई है, उसका लाईब्रेरी में रहे। समय की बाध्यता है, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान मांगों पर चर्चा मांग संख्या 35 परिवहन, मांग संख्या 21 आवास एवं परिवहन विभाग से संबंधित व्यय,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या 10 वन, मांग संख्या 39 खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरंक्षण विभाग से संबंधित व्यय, के मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। परिवहन मांग संख्या 36 में इसके संबंध में बताना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि हमारे नव गठित जिले बलरामपुर में परिवहन का कार्यालय शुरू हो गया है। आपने शुरू कर दिया है। जो लाईसेंस के लिए बहुत दूर भटकते थे..।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, परिवहन कार्यालय से जनहित का क्या विषय जुड़ा है इसको बताओ ?

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, जनहित का तो बता रहा हूं आप सुनते तो जाइये। जो लोग पूर्ववर्ती सरकार में लाईसेंस लेने के लिए महीनों चक्कर कांटते थे और बिना चढ़ोत्तरी के लाईसेंस नहीं मिलता था, तब से जिला मुख्यालय में परिवहन खोलने से कम से कम बंद हो गया। अब सीधे उनको लाईसेंस मिलने लग गया है।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, बृहस्पत सिंह जी, गारंटी के साथ बंद हो गया है न।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आप सुनते तो जाइये सर।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, आप जो बोल रहे हैं परिवहन विभाग में चढ़ोत्तरी बंद हो गई है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, परिवहन विभाग की लाईसेंस की बात कर रहा हूं। अभी आप सुनते जाइये।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, उसमें बस बंद हुई है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आप सुनते तो जाइये।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, बात को क्लीयर कर दो। जैसे वो श्री रामकुमार यादव जी बोले थे।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, चढ़ोत्तरी बंद हो गई, चढ़ोत्तरी कम हो गई। उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आपके जैसे चढ़ोत्तरी नहीं है, अब कम हो गया है। सबसे पहले तो मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बहुत दूरांचल जिला बलरामपुर में आपने परिवहन कार्यालय शुरूआत किया है। उससे बाईक चलाने वाले, मोटर साईकल चलाने वाले, ट्रेक्टर चलाने वाले, अंतिम छोर में रहने वाले लोग कम से कम अब जाते हैं और आवेदन लगाते हैं, एक हफ्ते चार दिन दस दिन में जो भी होगा। लाईसेंस उनको मिल जाता है। कम से कम जो दलालों का चक्कर रहता था जा दलाल बैठे थे उसके माध्यम से आपने बंद किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बहुत बधाई दूंगा। आपने बहुत अच्छा पहल किया है। परिवहन विभाग में जो सारी बसें रायपुर से जब चलती है, तो 450 किलोमीटर झारखंड बिहार के लिये जाते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मोहम्मद अकबर भैय्या पहली बार डिमांड मांग में परिवहन विभाग से शुरू हो रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, रायपुर से जो बसें चलती है, छत्तीसगढ़ की 450 किलामीटर की सीमा पार करते हुए झारखंड और बिहार को जाती है। बहुत अच्छी बसें चल रही है। लेकिन एक निवेदन करूंगा कि जब इतनी सारी सड़कें हमारी पार हो के बसें जाती है जो सीधे पैंसेजर यात्री मिलती है उनको बैठाते हैं, लेकिन बीच के जो बहुत कम स्टापेज होते हैं, उनको लेने से मना करते हैं। इसलिए उसका भी निर्धारण होना चाहिए। अंबिकापुर के लिए इतनी सीटें, बिलासपुर के लिए इतनी सीटें, उनको बैठाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। जब आप उनको इंक्रीमेंट देते हैं, तो उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था कराया जाना चाहिए। कई बसें बहुत ज्यादा स्पीड में जाती हैं, इससे बहुत ज्यादा आए दिन दुर्घटनाएं होती है, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। स्पीड कम हो जिससे जन दुर्घटना न हो, कम से कम हो उसकी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अगली बात जो बता रहा था, बार-बार हमारे भाई लोगों की ओर से क्लिंकर की बात आ रही थी। हमको विरासत में मिली है जो इतनी ओव्हर लोड गाड़ियां, आपने क्लिंकर से चला दी। जितनी सड़कें बनी थीं सारी उखड़कर गड्ढे हो गये। पूरे गड्ढे हो गये। इसलिए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उस क्लिंकर पर निश्चित ही गहन विचार होना चाहिए। क्योंकि हमारे राज्य में बहुत सारे क्लिंकर प्रोड्क्ट होते हैं और उसको दूसरे राज्यों में ले जाकर सीमेंट फैक्ट्रियों में सीमेंट बनते हैं। जहां सीमेंट बनते हैं, उस राज्य को 50 प्रतिशत जी.एस.टी. मिलता है और 50 प्रतिशत भारत सरकार को मिलता है। हमारे राज्य में जो क्लिंकर प्रोड्क्ट हो रहे हैं और परिवहन के माध्यम से बहुत सारी भारी भरकम गाड़िया जा रही हैं, यह कोई छुपा नहीं है और इसमें सत्ता विपक्ष की बात नहीं है। उसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। जहां रास्ते खराब हो रहे हैं वहां बहुत ओव्हर लोड गाड़िया चल रही हैं, उसमें भी अंकुश लगाने की जरूरत है जो मापदण्ड में आपकी सड़कें बनी हैं उससे कई गुना ज्यादा लोड लेने के कारण पूरी सड़कें खराब हो रही हैं और उससे दो नुकसान हो रहा है। एक तो यदि हमारे राज्य में उस क्लिंकर से सीमेंट बनता तो हमें 50 प्रतिशत जी.एस.टी. और 50 प्रतिशत भारत सरकार को जाता। वह भी क्षति हो रही है और सड़कें अलग से बर्बाद हो रही हैं। आपके माध्यम से थोड़ा सा आग्रह करना चाहूंगा कि उस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आपकी नई सरकार बनी है हमें ये समस्या विरासत में मिली है और हमारे साथी बड़े जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। पता नहीं, पहले अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे थे। लगता है कि अब उन्हें आजादी मिली है इसलिए जोर-जोर से चिल्ला कर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बोल रहे थे। मैं ये चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत सारी गड़बड़ियां की हैं। हमने 50 दिनों में बहुत सारी गड़बड़ियों को सुधारने का काम किया है। अभी और सुधारने की जरूरत है। ये 15 सालों में इतनी आदत खराब कर दिये कि इनके कर्मों के कारण, कई हजार करोड़ की सड़कें पूरी सत्यनाश हो गईं और इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि हमको जी.एस.टी. का नुकसान हुआ, हमें फायदा भी नहीं मिला। हमारे राज्य का माल चला भी गया। हमारी सड़कें भी खराब हो गईं। इसको सुधारने की जरूरत है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन्होंने जो छत्तीसगढ़ के साथ खिलवाड़ किया है। जो हेरा-फेरी का खेल खेला है उसको सुधारने की जरूरत आ गई है।

सभापति महोदय, मैं परिवहन विभाग में इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि रोज टी.वी. में समाचार पत्रों, विधान सभा में बातें होती थीं, टोकन जारी होता था। आपको गाड़ी चलाना है तो टोकन ले लीजिए। जहां से जहां तक चले जाईये। कोई गाड़ी को नहीं रोकेगा, पहले ये चलता था। माननीय मंत्री जी ने कम से कम टोकन का सिस्टम बंद किया है। हर कार्यालय में टोकन मिलता था। इसको सुधारने की जरूरत है इस पर रोक लगे। कुछ पुरानी सरकार की आदत में ढले हुए अधिकारी जो अभी भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको सुधारने की जरूरत है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 15 सालों में इतनी आदत खराब कर दी है कि अभी उनको सुधरने में टाईम लगेगा। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि उसको भी मंत्री जी सुधार करवा लेते तो ज्यादा अच्छा था।

माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण की बात है। आज पर्यावरण की हालत ये हो गई है कि पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सारी खदानों को दे दिया। जितने हमारे जंगल थे, वह अदानी, क्या-क्या भगवान जाने कितनी कंपनियां आ गई हैं। हमारे साथी अभी हमारे विपक्ष के साथी भी बोल रहे थे इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि धुंआधार बमब्लास्ट होते हैं, वह कोयला खदान, बॉक्साइट खदान को निकालने के लिए जंगलों को धुंआधार काटा जा रहा है और ये लगातार 15 सालों से कटता रहा। पूरे हाथी के रहवासी क्षेत्र को इन्होंने छिनने का काम किया है और इसका नतीजा ये हुआ कि आज जो जंगली जानवर रहते थे वहां हाथी, चितल, हिरण, नील गाय,भालू, खरगोश, मोर, तोता, मैना, तीतर ये सारे विलोपित होते चले जा रहे हैं। इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता होगी, यह मैं आपके माध्यम से चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे सरगुजा, बलरामपुर जिले में बहुत ज्यादा तादाद में चितल हिरण की संख्या बढ़ी है। मैंने पिछली बार कहा था कि आये दिन दुर्घटना हो रही है उसकी रखरखाव सुरक्षा के लिए उसके चारे के लिए, उसी जंगल में उसके चारे की व्यवस्था करनी चाहिए। उसी जंगल में ट्यूबवेल, तालाब खोदकर पानी देना चाहिए। लेकिन 15 सालों में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बल्कि इनके कई लोग उस चितल का शिकार करते रहे। इसी तरह से नील गाय हमारे सरगुजा के बलरामपुर जिले में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सरहदी क्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या में हो गई है और आये दिन दुर्घटनाएं, घटनाएं होती है, हमने उसकी सुरक्षा के लिए बजट में भी प्रावधान करने के लिए निवेदन किया था, पता नहीं वह हुआ है या नहीं। उनकी सुरक्षा के लिए जाली वाली तार फेन्सिंग हो जाये, उसके अंदर में चारा की व्यवस्था हो जाये, जंगल के अंदर में पीने के पानी की व्यवस्था हो जाये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। पूर्ववर्ती सरकारों से लगातार आग्रह किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अब मुझे भरोसा है हमारे जंगल में रहने वाले जानवरों की भी निश्चित रूप से सुरक्षा की जायेगी। लगातार बडे जंगलों की कोयला खदानों की धुआंधार रूप से नीलामी होने के कारण हाथी जंगल छोड़कर बस्ती की ओर जा रहे हैं और लगातार गांव के जन-धन का नुकसान कर रहे हैं, फसलें बरबाद होती हैं, हाथियों द्वारा जनता को कुचल दिया जाता है। इसमें भी रोक लगनी चाहिए और हाथियों के लिए एक निश्चित कारीडोर बनना चाहिए, उनको अलग रखने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारी जनता बस्ती में सुरक्षित रह सके। कभी भी कोई भी खदान की अनुमति देने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारे जंगल में रहने वाले जानवरों की व्यवस्था किधर सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि आये दिन बहुत घटनायें हो रही हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने थोड़ा बहुत एकात कदत बढ़ाया, फिर वहीं रूक गया। आपने थोड़ा और आगे कदम बढ़ाया है, हाथी से होने वाली मौत पर मुआवजा बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए माननीय मंत्री जी आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। जो हमारी जन-धन हानि होती थी, उसमें आपने काफी मुआवजा बढ़ाने का काम किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसके लिए धन्यवाद देते हुए बात समाप्त करो।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक और आग्रह करूंगा कि हमारे सदन में कुछ साथियों को एक बहुत गंभीर बीमारी पकड़ लिया है और उसका ईलाज मेरे ख्याल से जल्दी नहीं हो पा रहा है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराया जाना चाहिए कि बार-बार सदन का वक्त बरबाद करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। वन विभाग से संबंधित एक और बात बताना चाहूंगा बलरामपुर जिले के 51 गांव सेमरसोत अभयारण्य क्षेत्र में आते हैं। वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार वहां की जमीन को 2005 से पहले काबिज हैं, आप पट्टा दे सकते हैं, सारी व्यवस्था दे सकते हैं, वहां रह सकते हैं। लेकिन वहां पर उन आदिवासियों को वनोपज उठाने पर पूर्ववर्ती सरकार ने रोक लगा रखी है। वह उनकी जीविका संसाधन होता है, वनोपज से ही उनकी जीविका चलती है। उस पर पूर्ववर्ती सरकार ने रोक लगाया है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि नई सरकार उस पर कुछ पहल करे। सभापति महोदय, तेंदूपत्ता हर सीजन में आता है और फिर खत्म भी होता है, उस तेदूंपत्ता पर रोक लगाने की क्या जरूरत पड़ी, मेरे समझ से परे है। अगर आदिवासी पत्ता तोड़ते तो गांव वालों को रोजी-रोटी मिलती, दूसरा अगर आप उस पत्ते को रखते भी तो वह 4

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महीने बात सड़कर खत्म हो जाते हैं। कोई रहता तो नहीं है। उस पत्ती को तोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए और नजदीकी जहां भी संग्रहण केन्द्र हो, उसको बेचने की अनुमति दिया जाना चाहिए। क्योंकि पत्ती पेड में सीजन से आती है और फिर अपने आप झड़कर खत्म हो जाती है। और 51 गांव के लोगों को एकतरफा ऐसा आदेश कर देना कि आप तेदूंपत्ता, महुलाट पत्ता नहीं तोड़ सकते, साल-बीज चुनकर नहीं बेच सकते, ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए, क्योकि 51 गावों की गरीबों की, आदिवासियों की जीविका उससे जुड़ी है। हम लोगों ने लगातार 5 साल सरकार को अवगत कराया, वह नहीं सुना गया और इसकी सजा भी मिल गई, उन आदिवासियों का श्राप लग गया, इसलिए यह लोग 15 साल में 15 सीट पर सिमट गये हैं। आपके माध्यम से चाहूंगा कि कम से इन आदिवासियों का कल्याण किया जाये।

मानननीय सभापति महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति के संबंध में बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में चाऊर वाले बाबा का खेल शुरू हुआ। जब हम लोग इसी सदन में सुनते थे जब दिल्ली में 7 किलो का भोजन का अधिकार कानून बना तो यहां के नेता बोलते थे कि हमारे यहां चम्मच में नहीं खाते, पूरा एक थाली भात खाते हैं। यू.पी.ए. सरकार के 7 किलो के भोजन के अधिकार कानून का खूब विरोध हुआ कि मनमोहन सिंह जी ऐसा कानून क्यों लाये ? लेकिन जब इनकी सरकार आई उसी कानून को फिर 7 किलो लागू कर दिया। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो यहां इन्होंने 35 किलो चावल का कार्ड बनाया और असत्य बोलने की भी एक सीमा होती है, इन्होंने बोलते-बोलते 71, 72 लाख छत्तीसगढ़ के लोगों का कार्ड बना दिया कि इतने लोग गरीब हैं। क्योकि पकड़ें नहीं जायें, इसलिए इन्होंने क्या किया, क्योकि सारे राजस्व रिकार्ड में पुरूष के नाम पर अभिलेख दर्ज होते हैं, महिलाओं के नाम पर कम दर्ज होते हैं तो पकड़े न जायें इसलिये इन्होंने नया तरीका अपनाया कि हम महिलाओं के नाम पर राशन कॉर्ड बनायेंगे ताकि रिकॉर्ड में पकड़ न आयें और बनाते-बनाते अर्जी-फर्जी लेकर 70 लाख लोगों को बना दिया । अब 70 भी मान लो तो अगर एक परिवार में 5 सदस्य भी मानते हैं तो 7 पंचे 35, साढ़े 3 करोड़ होते हैं । ढ़ाई से पौने 3 करोड़ हमारे राज्य की आबादी है और साढ़े 3 करोड़ लोगों को ये बीपीएल में 35 किलो चावल देना शुरू कर दिया । लगातार भारत सरकार को ऐसी मिथ्या जानकारी देकर राशन लेते रहे, नॉन घोटाला करते रहे और जनता के नाम पर, बीपीएल परिवारों के नाम पर लूटते रहे । इतना बड़ा खेल हुआ और जब इसके बाद इनका चुनाव खत्म हुआ तो उसकी छानबीन शुरू कर देते हैं और वह काटते-घटते 54 लाख परिवार आ जाता है और फिर जब जनता ने चऊंर वाले बाबा को चुन लिया तो यह घटते-घटते 21 लाख परिवार में आ जाते हैं और उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो इसको 7 किलो में लाकर रूकते हैं । इन लोगों ने अर्थात् पूर्ववर्ती सरकार ने गरीबों के राशन कॉर्ड काटने का पाप ही नहीं बल्कि महापाप किया है इसकी सजा जनता ने इन्हें दी है कि इन्हें 15 साल में 15 सीटों पर लाकर बैठा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दिया है । इतना भर ही नहीं हुआ, गरीबों का चावल कटा, आप सरगुजा-बस्तर और जशपुर जायेंगे तो आप देखेंगे कि उन आदिवासियों के पास जिसके पास दो वक्त खाने के लिये रोटी नहीं है उन गरीबों का छॉटबीन करके राशनकॉर्ड काट दिया । अगर काटना ही है तो जो अवैध कॉर्ड बने हों, गलत कॉर्ड बने हों उन गरीबों की जांच करके आप काटिए लेकिन ये फरमान जारी कर देते हैं । बिना सोचे-समझे इतना परसेंट राशन कॉर्ड काटा जाये । जितने प्रभावशाली नेता थे उनके एक-एक घर में 5-5, 10-10 राशन कॉर्ड थे । अभी अधिकारियों ने जांच की है, हमारे बलरामपुर जिले में एक त्रिशुली गांव है वहां युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम पर 18 कॉर्ड बनवाकर रखा था और लगातार 10 साल तक राशन लेता रहा, अभी अधिकारियों ने उसे पकड़ा है । पति-पत्नी और उसका बच्चा मिलाकर केवल 3 लोग होते हैं लेकिन वह लगातार 18 कॉर्ड से राशन लेता रहा और उसी गांव का एक और साथी पकड़ा गया है जिसके घर में 16 कॉर्ड मिले । एक-एक नेता 15-15, 16-16 क्विंटल हर महीने राशन लेता रहा और गरीब जिनको 35 किलो चावल मिलना चाहिए, जिनके पेट में जाना चाहिए उनका हक छीना गया और उनका राशन कॉर्ड काटा गया । वे आदिवासी तड़पते रहे, लगातार दौड़ते रहे, उसकी एक बात नहीं सुनी गई । नेता-अधिकारियों ने मिलकर उनका इतना शोषण किया जो कि बहुत ही चिंता का विषय है । इतना बड़ा पाप किया । श्री चंद्राकर साहब मैं सोचता हूं कि आप ऐसे मामले में समर्थन भी करेंगे कि ऐसे दोषियों के खिलाफ बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और जो गरीब हैं उनको चावल मिलना चाहिए । ऐसा गड़बड़ करने वाले जो भी दोषी हों । गांव में 15-35 क्विंटल चावल खाये और जब रायपुर में आओ तो यहां पता चलता है कि यहां चावल बांटने वाले भी थोक के भाव में खा गये । जब यहां पकड़े जाते हैं तो नॉन घोटाला, फलाना घोटाला क्या शुरू हो जाता है । मैं एक बड़ी घटना बताउंगा । इस विभाग में पूरे प्रदेश के हर जिले में सरकारी मोबाईल भेजा गया और उन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन आप इस बात का हिसाब देंगे कि एक नंबर में कितना आया, दो नंबर में कितना आया, कहां से कितना पैसा उस मोबाईल के माध्यम से पर डे आप रिपोर्टिंग करो, यह तक हुआ । दूसरे नंबर से मत बताना, उसी नंबर से बताना यह भी तय हुआ और इतना होते-होते बड़े-बड़े अधिकारी से लेकर नेताओं के नाम आये, रंगे हाथ छत्तीसगढ़ की पुलिस ने केश भी पकड़ा, बरामद भी किया और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई लेकिन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, धान की बात है । छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था । लगातार कई सालों से चला । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो धान का फर्जी करने वाले हैं वे थोक के भाव में कॉर्ड बना लेते हैं और अधिकारियों से मिलीभगत करके

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं और उनकी सेटिंग हो जाती है कि इतने नामों पर आपको कागजों में धान बेचना है । कागजों में धान बिकता है, कागजों में धान खरीदा जाता है और कागजों में ही डी.ओ. बन जाता है, राईस मिलर कागजों में धान उठा लेता है, राईस मिलकर कूटकर कागजों में ही जमा कर देता है, न तो धान खरीदा जाता है, न धान बिकता है, न वहां से उठता है और बीच में ही सारी सौदेबाजी हो जाती है और राईस मिलर और खरीदी केन्द्र और अन्य लोगों का बहुत बड़ा गिरोह होता है, माफिया गिरोह करोड़ों रूपयों का होता है और जो मूल किसान होता है वह परेशान होता है । सभापति महोदय, एक बड़े मजे की बात बताता हूं जो मूल किसान धान बेचता है उसका नम्बर लगते, लगते, कई दिन उसको बैंक में चक्कर काटना पड़ता है । लेकिन वह बैंक अधिकारी फर्जी लोगों का पैसा बोरे में भरकर उनके यहां पहुंचाने जाता है । वर्षों से यह व्यवस्था बनी हुई है । सभापति महोदय, इस पर रोक लगना चाहिए । माननीय मंत्री जी से उम्मीद है कि ऐसे मामलों में रोक लगाएंगे । यह चावल-चावल और धान-धान का बहुत बड़ा खेल चल रहा है । हर साल कई हजार करोड़ का यह खेल होता है। मैं चाहूंगा कि ऐसे मामलों में अंकुश लगना चाहिए ।

सभापति महोदय :- समाप्त करिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, अंत में केवल यही कहना चाहूंगा कि गरीबों की झोपड़ी में जाने वाले राशन, गरीबों के पेट में जाने वाले राशन को इन लोगों ने गड़बड़ी की है, उसकी जांच होनी चाहिए । सही लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए, उनका पेट भरना चाहिए । मैं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार और माननीय मंत्री जी को इस बात की बधाई दूंगा कि आपने जो फैसला लिया है कि एपीएल हो या बीपीएल हो, सभी परिवारों को 35 किलो चावल देंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एपीएल को नहीं देंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- एपीएल को भी देंगे । जहां तक मुझे जानकारी है आपने एपीएल और बीपीएल दोनों ही को चावल देने की योजना बनाई है । उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं । काम करने वाले की नीति और नीयत ठीक होना चाहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा । गरीबों तक चावल पहुंचाने का काम करें, ऐसा मेरा आग्रह है । आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद् ।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है । भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, आज धीरे-धीरे बोलने की कोशिश करूंगा ।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- तबियत तो ठीक है ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपके लिए कितनी कटौती हुई बताउंगा, तो उस समय बोलिएगा । माननीय सभापति महोदय, मैं खाद्य विभाग से ही शुरू करता हूं । बड़ी प्रशंसा हुई 35 किलो चावल की । 35 किलो चावल योजना में एपीएल को आप 10 रूपए में देंगे । हिंदुस्तान की जो सार्वजनिक वितरण बनाई गई थी उसको देश के सर्वोच्च न्यायालय या तत्कालीन यूपीए सरकार ने भी प्रशंसा की और लोगों को सलाह दी गई कि इसके मॉडल की आप प्रशंसा करें । सभापति महोदय, मैं अब थक गया । मोहम्मद अकबर साहब, इस सरकार का मस्तक भी हैं और अपने विशिष्ट संसदीय तौर तरीकों के लिए भी जाने जाते हैं । मैं सोचता था कि उनकी सोच की उनकी छाप इस बजट में दिखेगी । मेरे पुरखे और उनके पुरखे वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं जिनको सबसे ज्यादा एफिशिएंट आदमी के रूप में जानता हूं, उनकी छाप इसमें नहीं दिखी । बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि आपने आदिवासी क्षेत्र में ये दिया, वो दिया । सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ से पैदा हुई, मैंने पंचायत विभाग की मांगों पर चर्चा के दौरान कहा था । छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना जिसने भोजन के साथ कुपोषण को भी जोड़ा, जो छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या थी । आज छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर एक दशक में जितनी गिरी, उतना देश में कहीं नहीं गिरी । लगभग 26 प्रतिशत के आसपास हम आ गए हैं । दुर्भाग्य से वह पोषण का प्रतिशत बहुत, माननीय बृहस्पत जी जिनको बहुत धन्यवाद दे रहे थे । बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्र जहां हमने चना वितरण की व्यवस्था की थी । दुर्भाग्य से उसको समाप्त कर दिया गया । माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, नमक बनाने के लिए नहीं थे। जो अंग्रेज सरकार नमक की किसानी करते थे। जिन किसानों का शोषण करते थे, उनके खिलाफ एक आंदोलन था और उस आंदोलन में एक प्रतीकात्मक थी कि उसको पानी उठाकर तोड़ना है और वह देश का प्रतीत बन गया। उसके बाद स्वदेशी का नारा चला जो अब तक स्वदेशी के तौर पर जानी जाती है। उन आदिवासियों का दुर्भाग्य है सदियों से नमक के बदले चाय और चिरोंजी जैसे बड़े उत्पाद हैं, उसके विनिमय होते रहे हैं और शहरी क्षेत्र में भी जो खान-पान में परिवर्तन आया। आयोडीन की कमी के कारण जो गले की बीमारी आयी। पूरी तरह से मुफ्त नमक की योजना बंद कर दी गयी । कहां है बृहस्पत जी।

डॉ. शिकुमार डहरिया :- इधर बैठे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- यह स्वास्थ्य उस स्वाभिमान का प्रतीक थी, जिसको किसी दौर में महात्मा गांधी जी ने उठाया था कि इनका शोषण मत हो और मैं निराश और हताश इसलिए हूं कि मैं जिस बजट को पढ़ता हूं और तुलना करता हूं तो हर बजट कम हुए हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप 5 साल तक नरवा, घुरवा, गरूवा, बारी और यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जैसी हवाई हवाई स्कीम में आपको भाषण दिया जाता रहेगा और हो सकता है कि आप के विधायक निधि को एक करोड़ से 2 करोड़ हुआ और 3 करोड़ कर दिया जायेगा। आप इसी में ताली बजाते रहेंगे, यह देख लीजिएगा और आप ऐसे ही भाषण देते रहेंगे कि जनहितकारी कल्याण की योजनाएं, सुपोषण की योजनाएं धीरे-धीरे बंद होती जाएंगी और एक काल्पनिक छत्तीसगढ़ में हम लोग जिंदा रहना शुरू करेंगे, जिसमें कहने के लिए कुछ नहीं होगा। जिसके लिए हम लोग जाने जाते थे। जो फूड कानून यहां से शुरू हुआ। जिसके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ कही गई। अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उज्जवला योजना। मैं जब पर्यावरण में बोलूंगा तो उज्जवला योजना में भी बोलूंगा। आप वन मंत्रालय भी देखते हैं। 5 लाख से ज्यादा महिलाएं आंखों के, श्वास की बीमारियों से ग्रसित होती थीं। अवैध कटाई के बाद तो जलाने के लिए लाते थे, उसको अभी छोड़ दे। उज्जवला योजना सिर्फ मोदी जी की है। इसलिए आपने वितरण के पैसे कम कर दिये। तो आपने भी 4 सिलेंडर देने की योजना घोषित की है। तो आप उसे नया नाम से शुरू कर दें। उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आप राजनीतिक के बाद भी। आप पर्यावरण मंत्रालय संभालते हैं, वन जैसे मंत्रालय संभालते हैं। यदि आप गंभीरता से वन सुरक्षा की और पर्यावरण की चिंता करेंगे तो उन चीजों में आ जाएंगे तो आपको उज्जवला संचालित करनी पड़ेगी यदि नाम से आपको आपत्ति है तो आप दूसरा नाम कर लें। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अपने घोषणा पत्र में कर लें। मूल्य स्थिरीकरण, शक्कर वितरण, रियायती दर ये सारे बजट कम कर दिये गये हैं। अब मैं पढ़ूंगा तो टाइम जाएगा। खाद्यान्न सुरक्षा लोगों के खाद्य बजट में आपने कमी कर दी। अब दूसरी चीज आपके परफारमेंस के विपरीत है क्योंकि खाद्य विभाग को छत्तीसगढ़ में आने के बाद आप ही ने थोडा आकार दिया था मध्यप्रदेश के बाद। जब आपने शुरू किया 20वां साल है माननीय 19वां साल है। मैं जिस जिले से आता हूं मेरा शहर धमतरी जिला मेरे पड़ोस के धनेन्द्र जी हैं नयापारा किसी समय में राइस मिलों का क्षेत्र और अभी भी राइस मिलों का क्षेत्र है। भाटापारा जहां से शिवरतन जी आते हैं अमूमन ये 4 जगह ही राइस मिल उद्योग के रूप में जाना जाता है। श्रम सेक्टर का सबसे बड़ा उद्योग छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नियोजित काम में करता है तो राइस मिल उद्योग करता है। मध्यम पूंजी के लोग और आज की तारीख में स्थानीय लोग जब शासन का काम मिलने लगा तो स्थानीय लोग छोटी पूंजियों से उनको स्थापित किये। बाकी को साहब हम बड़े के बारे में सोच नहीं सकते। आपको मैं फिर कहूंगा आप तो मस्तक है देखिएगा लीज किसको एलॉट है, कारखाने किसके नाम से हैं। तो ये बेचारे छोटे-छोटे लोग इस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

काम को करते हैं। 20 साल से उसकी मिलिंग दर नहीं बढ़ायी। उष्ना में आप 20 रूपया रखे हैं और अरवा में 40 रूपया है जिसमें 10 रूपया सेंट्रल का है और 30 रूपया हमारी प्रोत्साहन राशि है राज्य की। ये 20 साल से ज्यों का त्यों चल रहा है। बीच में अरवा वाला कुछ बढ़ा था। इस साल के कस्टम मिलिंग के बारे में आपको बता देता हूं। कस्टम मिलिंग में आरवा कटने बंद है। या बीच में शुरू हो जायेंगे। बताएंगे साहब कि अभी सर्वर डाउन हो गया है तो अभी कम्प्यूटर डाउन हो गया है कि अभी 27 जिले के धान मिलिंग की समीक्षा हो रही है और जिस स्पीड में वह चल रही है, उससे आप मान लीजिये कि आप बड़ी क्षति के लिए तैयार रहिये। अभी जो क्षति हुई है, हमारा पहला ध्यानाकर्षण उसी में था। हम उसमें तथ्य दिये थे। आपने ट्रांसपोर्टिंग में उत्तर दिया था, सहकारिता में किसी ने दिया था, मुझे याद नहीं है, शायद वह उनका काम है, तो विभाग में जो-जो चीजें हुई हैं, उसी पर बोलूंगा। तो आज जिस तरह से आर0ओ0 का सिस्टम चल रहा है, उसमें एक साल लगेंगे। एक साल लगेगा, उससे कम समय नहीं लगेगा। उन 27 जिलों की समीक्षा कब तक होगी, किधर जायेंगे, नहीं मालूम। मैं आपको अभी एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। महासमुन्द के धान की क्वालिटी की किसी को भेजकर जांच करवाईये। किसान का धान खराब नहीं था। किसान खराब धान पैदा नहीं करता है। आपके रखरखाव कैसे थे ? उसमें क्या-क्या अनियमितता हुई ? किस तरह से गड़बड़ी हुई ? क्वालिटी क्यों खराब हुई ? चूंकि आज मैं धीरे-धीरे बोलूंगा करके बोल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। आप इसकी जांच करवाईये, ये चीजें आपको बहुत मिलेंगी। अब आप एक सुझाव कह लें या कुछ भी कह लें।

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- ये धीरे-धीरे है ? ये धीरे-धीरे है या जोर से है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- देख लीजिये।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- अभी दो महीने में यह पहली बार है कि अजय जी इतना धीरे बोल से रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अपने स्वाभाव के विपरीत बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैंने आपको श्रेय दिया कि आपने खाद्य विभाग को आकार देने की कोशिश की। आपने भी बजट में चना के प्रोत्साहन के लिए राशि रखी है। हमने भी पिछले साल, जब आप फसल चक्र परिवर्तन की बात करते हैं, कैश क्राप की ओर फसल बढ़ाते हैं, किसानों की आमदनी को दोगुना करने का काम करते हैं, विभिन्न तरह की डायलाग आते हैं। जब मैंने बजट भाषण में यह बात कही थी कि जब हम खेत से किचन तक की बात करते हैं, रबी की खरीदी, चने की खरीदी, दलहन-तिलहन की खरीदी का आपके पास क्या सिस्टम है ? प्रोत्साहन राशि देना उपाय नहीं है। यदि आप ईमानदार हैं, तो आप इस बात का श्रेय लीजिये। आप उसका सिस्टम बनाईये। नाफेड खरीदेगा, कौन खरीदेगा, आप उसके ब्रांच सदस्य बनेंगे, आप उसकी तरफ से खरीदेंगे, क्या करेंगे ? मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सोचता हूँ कि रबी, चना या नकद फसल या रबी को बढ़ावा देते हैं तो आप उसकी खरीदी के लिए गंभीर होंगे। मैं सोचता हूं कि खाद्य विभाग में इतनी बात पर्याप्त है।

सभापति महोदय, हां, सरदार जी, आपको एक बात बता हूँ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बिलासपुर वाले विधायक बैठे हैं, रायपुर वाले विधायक ? पैसा जीरो है। ठीक से पढ़ लीजिये। उसमें खड़े होकर धन्यवाद दे दीजिये। चलिये।

श्री शैलेष पाण्डेय :- रायपुर को मिला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- खड़े होकर उसमें धन्यवाद दे दीजिये।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- आपने अपने कार्यकाल में एक ही विधानसभा को स्मार्ट सिटी माना था। तीन विधान सभा में तो था ही नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है, हमने नहीं किया।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- बोर्ड में पश्चिम स्मार्ट सिटी लिखा जाता था, हर जगह बोर्ड में पश्चिम स्मार्ट सिटी लिखा जाता था। बाकी को तो मानते नहीं थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मान लिया, मान लिया साहब। माननीय मंत्री जी, नया डेवलपमेंट रायपुर अथारिटी, वे कहां हैं जो बिना बजट पढ़े बात करते हैं, धन्यवाद देने के लिए बृहस्पत सिंह जी खड़े हुए थे। बस्तर के जितने विधायक हैं, वे इस बात को अच्छे से सुन लें कि नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए आवास योजना में 15 सौ हजार रूपये अर्थात् 15 करोड़ रूपये की कटौती हुई है। आप इसको सुन ले, आप बजट को पढ़ लीजिये। पिछले साल और इस साल के तुलनात्मक बजट को पढ़ लीजिये। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा, रायपुर को सीवरेज प्लाण्ट, स्मार्ट सिटी, अन्य ऐसे मद हैं, जिसमें या तो समाप्त कर दी गई या पैसे कम कर दिए गए। आप किसी का उदाहरण मत दीजिये। मैं हमेशा यह कहता हूँ कि जब मैं आवास एवं पर्यावरण विभाग पर बात कर रहा हूँ। आपने शिलान्यास करवाया, चलिये आपको श्रेय दे देता हूँ। उस दिन धनेन्द्र साहू जी का विषय था, पत्थर को बाहर निकालने के लिए और मंत्री जी तुरन्त गए थे। यदि स्मार्ट सिटी का कोई जनक है तो यह छत्तीसगढ़ है। जब नया रायपुर बसना शुरू हुआ, तो इस तरह से एक शहर बस सकता है, इसकी परिकल्पना हुई। मैंने कल अपने भाषण में कहा था कि आपको केन्द्र सरकार की जो योजनाएं पसंद नहीं आती, आप 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को शिक्षा के अधिकार कानून में शामिल करना चाहते हैं, रायपुर को स्मार्ट सिटी और बिलासपुर को स्मार्ट रखा जायेगा, आप पश्चिम में कोई काम मत करवाईये, चलिये मैं आपकी आपत्ति को मान लिया, तो क्या आपकी सरकार बाकी के लिए वैकल्पिक योजना लाने जा रही है ? आप इसको जरूर पूछिये और नहीं पूछ सकते तो उस पर धन्यवाद दे दीजिये, चलिये। चलिये, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ। माननीय मंत्री जी, इसमें भी जो नगर निवेश माने आबादी प्रगति का सूचकांक है कि शहरीकरण जिस राज्य में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बढ़ रहा हो चाहे उसके लिए नगरीय विभाग जिम्मेदार हो या आवास पर्यावरण विभाग जिम्मेदार हो, वह विकास का सूचकांक माना जाता है, पर जो बजट आपने आवास क्षेत्र में लाया है, उस आवास क्रांति को भी, नक्सलियों को भी जो आधुनिक विश्व स्तरीय बड़ा सोचने का, नवाकार की जो कल्पना की गई थी, वह शून्य होते हुए दिख रही थी, आप कोई वैकल्पिक योजना लाएंगे तो उसको मैं सुनने की, जानने की कोशिश करूंगा । जब आप आवास पर्यावरण में कह रहे थे, चूंकि आप रायपुर के हैं, जो उपलब्धियां हैं, जब हम छत्तीसगढ़ के बाहर जाते हैं तो जो आपके रायपुर की उपलब्धियां हैं, शहरी क्षेत्र की उपलब्धियां है, आवास पर्यावरण की जो उपलब्धियां हैं या तो आप उसको आगे बढ़ाएं या उस उपलब्धियों पर आप बाहर में ये मान लें कि छत्तीसगढ़ में 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में कोई उपलब्धियां नहीं रहीं । भारतीय रेल की सहायक कम्पनी के माध्यम से देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब यदि बन रहा है तो रायपुर में बन रहा है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, माननीय चन्द्राकर जी ज्यादा देख-देख कर पढ़ रहे हैं । आप तो काफी विद्वान हैं, कल बोल रहे थे कि मंत्री जी देख-देख कर पढ़ रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो बोल दिया था कि मैं दूसरे तरीके से बोलूंगा । मैं वैसा भी बोल सकता हूं, फिर आप चीख दोगे ।

सभापति महोदय, आवास क्रांति पर एक छोटा सा तथ्य आपको बता देता हूं । 1972 में जब गृह निर्माण मंडल बने और 2003 तक 30 सालों में छत्तीसगढ़ में सिर्फ 20 हजार मकान बने थे, यदि आप उपलब्धियों पर बात करते हैं, यदि आप अपनी पीठ थपथपाते चाहते हैं तो आपकी कितनी महान उपलब्धियां थीं और घाटे का मंडल था । हमने 14 सालों में 85 हजार आवास निर्माण किये और सबसे ज्यादा बढ़कर पूरे 146 ब्लॉक मुख्यालय में 6 हजार से ज्यादा मकान बनाए हैं, ये अधिकारीगण बैठे हैं । प्रशासन का विक्रन्द्रीकरण हो, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे शहरों में लोग रहना छोड़ें, वहां जाकर रहें, प्रशासन को गति दें, जब पहली बार इसकी परिकल्पना की गई...।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- सभापति महोदय, विधायक तो दिन भर हाऊसिंग बोर्ड के बने मकानों की, विधायक आवास की शिकायत करते हैं, ये भी उसी दौरान के हैं ।

सभापति महोदय :- अजय जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी-जल्दी पढ़ देता हूं । जो आपकी बात को मानते हुए 30 हजार रूपया महीना हमारी सरकार ने किराया दिया था, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को कहा है कि इसको और बढ़ाएं, आप मांग करिए ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- सभापति महोदय, जो विधायको को आवंटित हुए थे, जो घर रहने के लिए नहीं, जो विधायकों ने बिक्री में खरीदे थे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, जिन बातों से मैं अपेक्षा करता हूं, उनमें आ जाता हूं । मास्टर प्लान बनाने की गतिविधि बहुत धीरे है और उसके कारण छत्तीसगढ़ में विकृत शहरीकरण बढ़ रहा है । मात्र 17 शहरों का आपने अब तक प्रकाशित किया, मैंने किया है, ये जितना बोलना है, बोल दें, उससे मुझे मतलब नहीं है, पर विकृत शहरीकरण को रोकना और ईमानदारी से रोकना हम सब का दायित्व है और आप शहरी क्षेत्र के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं । मैं सोचता हूं कि जिन शहरों का मास्टर प्लान और रायपुर का पार्ट टू है, उसको आप जल्दी कर देंगे तो रायपुर में जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है कि दूसरे रिंग रोड़ और बाकी चीजें बन जाएं । दूसरी बात, आप अध्ययन कर लीजिएगा । हमने तीन विशेष क्षेत्र बनाएं हैं-सीपत, तमनार, अमरकंटक हमारे तरफ का और सिरपुर । मैं सरकार में था, सिरपुर लगभग 73 वर्ग किलोमीटर है । यदि उसकी पूरी खुदाई होती, वह जितनी बड़ी छत्तीसगढ़ की सम्पत्ति बनेगी, आपके पूरे विभाग में परिवहन विभाग को बस निकाल दीजिए, जितनी आवक आपको दूसरे विभागों से होती है, वह सिर्फ और सिर्फ सिरपुर के पर्यटन से होगी, यदि पूरी खुदाई और सिरपुर को विकसित कर दिया जाए और उसमें गांव और शहरी क्षेत्र दोनों हैं तो उनको मिलाकर उसका नोटिफिकेशन करके उस साडा को एक्टिव किया जाए, मैं सोचता हूं कि साडा को औद्योगिक पर्यटन या इस तरह के लिए बनाए गए थे, राजनीति से ऊपर हटकर छत्तीसगढ़ के जो एक्सपोजर हैं, उसके लिए इसको करने की जरूरत है । सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें मैं बोलना चाहता था, लेकिन दो-तीन चीजों में बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं । प्रदूषण, जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कुछ को आई.आई.टी. मुंबई से अपग्रेड करना था, कुछ को खड़गपुर आई.आई.टी. से मिलकर अपग्रेड करना था, दूसरा इस काम में कभी किसी की रूचि नहीं रही। आपको एक बड़ी घटना बता देता हूं कि कैसे संवेदनशील लोग होते हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ कुछ लोग थाईलैंड गये थे। आप थाईलैंड गये थे उस समय प्रदूषण लेवल सबसे ज्यादा था, तो वहां के प्रधानमंत्री जी ने प्रदूषण के लिए सावर्जनिक रूप से क्षमा मांगी। यह संवेदनशीलता होती है। रायपुर जिसका अभी उल्लेख हुआ, यहां कोई स्थायी सिस्टम नहीं है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम नियमित रूप से नापें और उसे नियंत्रित करने के लिए काम करें। यदि नरवा, घुरवा, गरूआ, बारी के बाद मानसिकता निकल जाती है तो जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में जितने निवेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं तो यह दिल्ली की तरह हो जायेगा। दिल्ली एक जीता-जागता गैस चेंबर हो गया है, लोग दिल्ली को छोड़कर भाग रहे हैं, लोग कलकत्ता को छोड़कर भाग रहे हैं। आप वन विभाग देखते हैं। यहां 44 प्रतिशत वन घट रहा है। उज्जवला जो बोलना चाहता था वही है। तो पर्यावरण पर जो एन.जी.टी. के सुझाव हैं वह कभी माने नहीं गये। उसके नियामक के लिए, उसे देखने के लिए कोई सुनिश्चित कार्यवाही और सिस्टम डेव्हलप नहीं किया गया । उसी तरह से ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण सहित जितने प्रकार के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदूषण हैं आप अभी कार्यालयों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में हैं, नीति बनाने की प्रक्रिया में नहीं हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि इस सरकार के नरवा, गरूआ, घुरूआ, बारी और एस.टी.आई. के बाद तीसरे नंबर पर सबसे महतवपूर्ण पायदान पर रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं पर्यावरण के बाद एक बात और कह देता हूं।

श्री मनोज सिंह मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- आप जितना सुना रहे हैं, डॉ. रमन सिंह जी को सुना रहे हैं। ये तो दो महीने की सरकार है जो नीति बना रही है। आप जितना बता रहे हैं वह डॉ. रमन सिंह की 15 साल की सरकार का है।

श्री अजय चंद्राकर :- लेकिन मैं जो विषय बोलने वाला हूं उसमें समझ में आयेगा तो उसमें नाम देकर जरूर बोलना।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- समझ में आ रहा हैं इसीलिए बोल रहा हूं। पूरा पूरा चिल्लाकर रमन सिंह जी को बोल रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष बन रहे हैं इसलिए ऐसा है क्या?

श्री अजय चंद्राकर :- जो विषय बोलने वाला हूं उसमें आप जरूर बोलना। सभापति महोदय, पूरी दुनिया की वैश्विक समस्या है, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाईमेट चेंज। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और उसका तीन-चार पार्ट में अध्ययन करना था और अध्ययन करके उसमें बजटीय प्रावधान करना था, ये उनकी अनुशंसाएं थीं। दुर्भाग्य से प्रदूषण पर आपका कोई बजट प्रावधान दिखता नहीं है। यह उसी तरह से कि इससे एम.ओ.यू. है, उससे एम.ओ.यू. है। और बाकी जगह जो कार्यलय खुलने हैं वह पेपरों में है। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें खारून नदी, केलो नदी, महानदी, शिवनाथ जो भी नदियां मर रही हैं, जिन कारणों से मर रही हैं उत्तर की जलवायु, मध्य की जलवायु, दक्षिण की जलवायु फसल स्वास्थ्य सब पर और एक हप्ते पहले ही छपा था कि 2000 के आखिरी तक हिमालय का आधा ग्लेशियर पिघल जायेगा। दुर्भाग्य से प्रदूषण और क्लाईमेट चेंज के बारे में कोई भी बात आपने नहीं कही है। ये दुखद विषय है। आप छत्तीसगढ़ को अगली शताब्दी में ले जाने का नेतृत्व कर सकते हैं, ये संभावनाएं मौजूद हैं। वन में छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र का घटना आप जितना भी कह लें, कोई भी तर्क दे दें जंगल और कृषि के जोत छत्तीसगढ़ में निरंतर घटे हैं। दूसरा- अवैध कटाई रोकने का कोई सिस्टम नहीं है, तीसरी चीज जिससे मैं सहमत हूं कि रोड साईड प्लांटेशन और कैंपा का जो पैसा है वह नियोजित नहीं किया गया नहीं तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वह आर्नामेंटल चीजों के लिए हो गया, एक पाकेट मनी की तरह हो गया कि साहब हम आर्नामेंटल चीजें बनायेंगे। जब मैंने क्लाईमेट चेंज और पर्यावरण की बात की तो क्लाईमेंट चेंज में रायपुर जो बढ़ रहा है उसमें कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए या शहरी क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए ? शहर में रोड साईड प्लाईनटेशन कितने प्रतिशत होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि यदि आपको नियम संशोधन करना पड़े,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विधानसभा आना पड़े तो कैंपा से इस मद का प्रावधान भी होना चाहिए और जिन शहरों में उद्योग हैं, रायपुर के अतिरिक्त उनमें भी इनका प्रावधान होना चाहिए। कुनकी हाथी, आप जब थे तो एक वन मंत्री होते थे वो हाऊस में नहीं है इसलिए नाम नहीं लेता। जब पहले हाथियों का उत्पाद हुआ, हमारा यहां ध्यानाकर्षण आया था, श्री रामविचार नेताम जी जो हमारे संसद सदस्य हैं। रेस्ट हाऊस में हाथी घूस गया, ऐसा विषय आया था। आप असम से एक एक्सपर्ट पकड़कर लाये थे, वे एक हाथी नहीं पकड़ सके, एक हाथी का ईलाज नहीं किये, लाखों का पेमेंट पाया चल दिया। ये कुनकी हाथी जो लाये हो, उसके भौतिक और वित्तीय प्रभाव क्या है ? ये जरूर बता दीजियेगा। अब परिवहन के बारे में बोलूंगा उसके बाद समाप्त करूंगा। परिवहन में अनिवार्य चीज है कि 18 साल में लाईसेंस बन जायेगा और इस अवधि में यहां यहां कैंप लगेगा चार्ट बन जाये सब के सब। दूसरा वाहन प्रदूषण गंभीरता से जांचा जाये, क्योंकि आपके पास पर्यावरण विभाग है उसका कोई मैक्नीजम यहां छत्तीसगढ़ में नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जहां हवाई कनेक्टिविटी नहीं है, जहां मध्यम वर्गीय लोग नहीं जा सकते। नागपुर, विशाखापट्नम, हैदराबाद, रांची, बनारस, ईलाहाबाद है जो सराऊंडिंग के हैं, आपकी तरफ लंबी दूरी के छत्तीसगढ़ में या कवर्धा से रायपुर कवर्धा होते हुए बालाघाट जाये जो अंतरप्रदेशीय सेवा है उनको चाहे तो आप ज्यादा सुविधा दें लेकिन फ्रीकवेंट और अच्छी बसें समय पर चलें। खास करके स्कूल बस के फिटनेस और उसकी दुर्घटना उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है वो एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। स्कूल खुले तो एक दिन जाकर चेक कर लेंगे। ट्रैफिक, परिवहन विभाग, स्थानीय शासन विभाग और पुलिस विभाग के बीच में आज तक ये डेनसिटी नहीं निकाली गई कि रायपुर मध्य में कितनी क्षमता की सड़क बननी चाहिए। सड़क की कितनी क्षमता है, कितने बजे हम भारी वाहन को प्रतिबंधित करेंगे, कितने बजे नहीं करेंगे, क्या होगा ? जब हम यहां के ट्रैफिक सिस्टम को देखते हैं, आवागमन को देखते हैं, तो भगवान के ऊपर भरोसा होता है कि हम जिंदा घर पहुंच जायेंगे और जिंदा घर पहुंचते हैं तो लगता है कि भगवान है। आपको ये पहल करनी चाहिए कि जो मैंने एक बार की थी, जब मैं कुछ दिनों के लिए वहां पर बैठता था। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्वाईंट हैं जिसमें दुर्घटना होगी ही। आप पुलिस से बात कर लीजिए जहां पर दुर्घटनाएं होगी ही, ब्लाईंड इस्पात छत्तीसगढ़ में कितने हैं। ड्रायवरों के फिटनेश के बारे में, गाड़ियों के फिटनेश के बारे में ये हम परिवहन विभाग में इनको पर्व जैसे मनाते हैं। जो मानवीय दुर्घटना, मानवीय क्षति जो है। यदि आपको परिवहन विभाग से सबसे ज्यादा लाभ होता होगा, वन यदि सबसे ज्यादा मानवीय क्षति देता है तो माननीय अकबर साहब जी, उस विभाग का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मैंने जो बातें कही या तो आप अपना कार्यक्रम लागू कीजिए। जो सपना हमने देखा था कि राजधानी स्मार्ट होगी, या जो हमने सपना देखा था कि नमक की दलाली नहीं होगी, कुपोषण से मुक्ति करेंगे, उज्जवला के माध्यम से हमने कोशिश की, पर्यावरण से लेकर, जंगल सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सुरक्षा को देखेंगे। आपके रहते मैं कह देता हूं कि ये क्षमता और इन जैसे क्लाईमेट चेंज विषयों में नई सदी के नेतृत्व के लिए छत्तीसगढ़ तैयार रहे और राजनीति से परे हटकर ईमानदारी से इस प्राथमिक क्षेत्र में जनता की सेवा हो, ऐसा आप कर सकेंगे। इन अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा तो मैं देखना बंद कर दिया कौन है वो।

श्री रेखचंद जैन (जगदलपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं श्री मोहम्मद अकबर जी वन मंत्री के द्वारा सदन में प्रस्तुत मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। बस्तर जैसे वन क्षेत्रों में जो हमारे यहां के वनवासी हैं, वे तेंदूपत्ता कार्य में काम करते हुए अपनी जीविका को चलाते हैं। इस संदर्भ में हमारे वन मंत्री जी, हमारी सरकार के द्वारा जो तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 2500 रूपये से 4000 प्रति मानक बोरा देने का निर्णय लिया गया है इससे वन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाईयों को बहुत खुशी है इसके लिए मैं वन मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और बस्तर के संदर्भ में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि बस्तर में जो वर्किंग प्लान अभी तक आपका पारित नहीं हुआ है। इससे इमारती और जलाऊ लकड़ी की कमी आ गई है और इससे टिम्बर उद्योग भी बन टाईप की स्थिति में आ गये है और जलाऊ लकड़ी उपलब्ध नहीं होने से तकलीफ हो रही है। इससे आमजन मानस परेशान है इस दिशा में जरूर तुरंत कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, वन क्षेत्रों में जो नदी नाला है इसके संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए और वन भूमि क्षेत्रों में हमारे देवगुड़ी आदि स्थित हैं इसके संरक्षण के लिए भी वन विभाग के द्वारा विशेष प्रावधान किया जाये और जो वन ग्राम राजस्व ग्राम में परिवर्तित हुए हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा है इसके लिए भी वन विभाग के द्वारा बजट में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। पहले बस्तर में निस्तार की सुविधा थी और वन क्षेत्रों में 5 किलोमीटर के दायरे में ही निस्तार की सुविधा है। अंदर के क्षेत्रों में रहने वाले वनवासियों को ये सुविधा नहीं मिल पाती। इस पर भी एक प्रावधान किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हरियाली के लिए प्रचार प्रसार हेतु आपके द्वारा बजट में प्रावधान किया गया है इससे निश्चित रूप से आम जनता, वन क्षेत्रों को इसका फायदा मिलेगा और मुख्यमंत्री बाड़ी योजना अंतर्गत आपके द्वारा जो 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। चूंकि बस्तर वन अच्छादित क्षेत्र है वहां पर बांस के लिए विशेष काम हो रहा है इसके लिए भी आपको बधाई दे रहा हूँ। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने वन विभाग, आवास एवं पर्यावरण, खाद्य एवं परिवहन विभाग की जो अनुदान मांगें रखी हैं और इतने विशाल ये विभाग है, जिसमें लगभग-लगभग छत्तीसगढ़ की 90 प्रतिशत जनसंख्या इन विभागों से प्रभावित होती है और अनुदान की जो मांगें और शासन द्वारा बजट में मांगों का प्रावधान किया गया है, वह इतनी कम राशि है कि इन राशियों की अनुदान मांगों का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले वन विभाग की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वन धन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं तो समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की पहचान धान के बाद जो हमारा वन व्यापक रूप से है और आज वन विभाग में आप देखें तो बजट में बहुत सारे प्रावधान हुए हैं उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान वन सुरक्षा का है। मैं समझता हूँ कि वन को बढ़ाने के लिए प्लानटेशन में जो आवंटन दे रहे हैं, वह तो वैसे भी कम है, लेकिन वन सुरक्षा पर अग्नि सुरक्षा, विशेषकर के हमारे क्षेत्रों में जो बालाघाट से शैडो वाला इलाका है माननीय मंत्री जी का भी क्षेत्र वहां पड़ता है तो वहां पर लगातार एक परेशानी पिछले 30-40 वर्षों में रही है कि वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अग्नि की दुर्घटनाएं होती हैं और आग लगती है। अग्नि सुरक्षा का जो प्रावधान है वह इसमें बहुत कम किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारे जो वन क्षेत्र हैं विशेषकर के जो कवर्धा जिले में है खैरागढ़ जिले में है, उसके बाद राजनांदगांव मण्डल है इन क्षेत्रों में न केवल आयरन और बॉक्साईट के खदान है बल्कि बहुत सारी अन्य चीजें भी हैं। मलाजखण्ड से लगा हुआ क्षेत्र भी पड़ता है। वन क्षेत्रों में तो बॉक्साईट की बहुत अच्छी क्वालिटी और वहां पर कॉपर की भी क्वालिटी निकलती है। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, मैंने उनसे इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे यहां लगभग पिछले डेढ़, दो, तीन वर्षों से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की, पी.डब्ल्यू.डी की सड़क बनती है, इसमें जो भी ठेकेदार काम करते हैं, उनके साथ जो लोग काम करते हैं वह लोग वहां पर वन क्षेत्रों में सड़क बनाने का तो काम करते हैं, लेकिन अवैध उत्खनन के नाम से आयरन और बाक्साइट जैसी चीजें वहां से निकाली जा रही हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी दो दिन पहले माननीय मंत्री जी ने तत्काल फ्लाईंग स्कवाड भेजा और लगभग-लगभग 2 हजार अवैध झाड़ कटे थे, उस पर अभी विभाग कार्यवाही भी कर रहा है। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। ये काम लगभग कई सालों से चल रहा है। नक्सली क्षेत्र भी है तो कभी नक्सलवाद, कभी प्रधानमंत्री सड़क के नाम पर वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन होता रहा है और उत्खनन के कारण बहुत से वन झाड़ कटते रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने दो वर्ष पहले जब कवर्धा में वन ग्रामों में एक बड़ी समस्या आई थी जिसमें कि एक फारेस्ट रिजर्व बनाने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की बात आई थी। लोगों में इतना भय व्याप्त हो गया था कि अगर फारेस्ट सेन्चुरी बनेगा तो वहां सब लोग तबाह हो जायेंगे, लोगों को वहां से जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो लडाई वन मंत्री जी ने उस समय लड़ी थी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्योंकि उसमें बहुत ही स्पष्ट होने की आवश्यकता है। उसमें सरकार का पक्ष क्लीयर कट आये कि वहां पर भविष्य में इस प्रकार का कोई निर्माण नहीं होगा, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी। क्योकि वहां पर जो गांव है, जो वन क्षेत्र है, वहां के लोग चाहते हैं कि जैसे लोग हैं, वैसे ही रहें। लेकिन जैसे-जैसे कान्हा नेशनल पार्क को बढ़ाने की बात होती है तो हमारे क्षेत्रों में यह डर लग जाता है कि अगर कान्हा नेशनल पार्क बढ़ाया जायेगा तो खैरागढ़, कवर्धा क्षेत्र के जितने जंगल हैं, सब उसके अंदर आ जायेंगे। आज भी ये भय है। जब कभी भी कान्हा के अधिकारी लोग घूमने आते हैं, सर्वे करने आते हैं कि कोई जंगल का जानवर है, जब भी वहां फूड मैपिंग होती है, हमारे क्षेत्रों में अलग तरह से जांच होती रहती है तो लोगों में यह डर, भय व्याप्त रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपकी भी विधानसभा में मेरी विधानसभा है। लोगों के बीच में यह विश्वास जागृत करने की जरूरत है कि हम वहां के वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करेंगे, वहां के वन्य संरक्षण को बनाये रखेंगे। लेकिन फारेस्ट रिजर्व के नाम से गांवों का हटा दिया जायेगा, ये डर को दूर करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं तेदूंपत्ता बोनस बढ़ाने के लिए तो निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा, बहुत दिनों की मांग है। लेकिन एक बात की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारे क्षेत्रों में जो तेदूंपत्ता की तोड़ाई होती है, उसी समय में जनपद पंचायतों के द्वारा नरेगा के बहुत सारे काम स्वीकृत कर दिये जाते हैं। उसी समय जब काम चलते रहते हैं तो उसके कारण तेंदूपत्ता की तोड़ाई में पूरा का पूरा गांव नहीं जा पाता। मेरा निवेदन है कि तेदूंपत्ता की तोड़ाई के सीजन के समय से पहले ही जनपद पंचायतों को निर्देश दें कि वहां पर वह काम करा ले ताकि तेदूंपत्ता तोड़ाई के समय वहां पर पर्याप्त मात्रा में लेबर उपलब्ध भी रहें और अच्छी क्वालिटी का तेदूंपत्ता निकल सके। वन भूमि के जो पट्टे हैं, वह निश्चित रूप से सरकार की प्रायरटी है। अभी जो समीक्षा का नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, मैं वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शासन के सभी एस.डी.एम. लोगों को आदेश जारी होना चाहिए कि सप्ताह में कम से कम एक दिन वन भूमि के पट्टे की समीक्षा कार्यक्रम रखें। होता यह है कि जिस समीक्षा कार्यक्रम होता है, एस.डी.एम., तहसीलदार कहीं और चले जाते हैं। लेकिन साथ-साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि जो नये सिरे से लोग वन भूमि में अतिक्रमण कर रहे हैं, वन विभाग को उससे सख्ती से निपटने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह से शिकायतें न आ पायें। जब मध्यप्रदेश था, जब आखिरी समय राज्य का विभाजन हो रहा था, तो खैरागढ़ वनमंडल उस समय बालाघाट वन मंडल के साथ मध्यप्रदेश एक इकाई के रूप में था, वहां पर बड़े पैमाने पर औषधि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्लान्टेशन किये गये। 1999, 2000-01 में बहुत कम राशि हुआ करती थी, उस समय मध्यप्रदेश के बजट से लगभग-लगभग 50 करोड़ की राशि वन औषधि प्लांटेशन के लिए मिली थी। लेकिन कालांतर में छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रोजेक्ट तो चलते रहे, एन.पी.एस.ई.ए. प्रोजेक्ट में काफी काम होता रहा। लेकिन खैरागढ़ वनमंडल में और कवर्धा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन औषधि प्लाण्टेशन जो हैं, उसको संबंधित विकास करके उसमें और अच्छे प्लाण्टेशन करने की जरूरत है। मध्यप्रदेश में वहां पर मोहलाईन पत्ते का बड़ा काम चलता था, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगभग-लगभग मोहलाईन पत्ते का काम ही समाप्त हो गया। मैं माननीय वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी 2 वर्ष पहले एक पायलेट स्टडी का प्रोग्राम वन विभाग से हुआ था। यह जो बायोडायर्सिटी के एसेसमेन्ट और एक्योलाजिकल स्टेटस को पता करने के लिए राजनांदगांव को उसमें चयन हुआ था और राजनांदगांव को उस प्रोग्राम के तहत कुछ राशि भी आई थी। मैं जानना चाहूंगा कि बॉयो डॉयवर्सिटी का जो एक एसेसमेंट हुआ था, उसकी जो इकॉलाजिकल स्टडी हुई थी उसकी रिपोर्ट में क्या हुआ ? चूंकि उसमें एक यह बात आयी थी कि जो वन क्षेत्र हैं उसमें लगातार कमी हो रही है और जो मिश्रित वन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्लांटेशन में जो मिश्रित वन लगाये जा रहे हैं वे प्राथमिक रिपोर्ट में असफल सिद्ध हुए थे और जहां बांस प्लांटेशन, पिछले कई सदी से जहां पर बांस लगता था वहां पर वन विभाग ने दूसरे प्लांटेशन किये थे जो असफल हुए थे । मैं वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट का निश्चित रूप से पता करें और बांस की बहुत सारी वैराईटीज, मैं बताना चाहूंगा कि खैरागढ़ वन मंडल में बालाघाट से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर वर्ष 1913-14 से बांस प्लांटेशन थे और अंग्रेजों के समय से वहां पर कागज के निर्माण के लिये वहां से बांस प्लांटेशन किया जाता था लेकिन कालांतर में विभाग ने जो बांस लगाया उसका कागज के बांड पेपर के निर्माण की कोई उपयोगिता नहीं है तो मेरा निवेदन है कि इस पर डिपार्टमेंट एक सर्वे करे कि जो बांस का प्लांटेशन हो रहा है, जिस प्रकार के बांस प्लांटेशन वर्षों से चले आ रहे हैं वही प्लांटेशन होना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर मैंने एक शिकायत आपको दी थी, आपकी जानकारी में भी है कि पिछले दो वर्षों में खैरागढ़ वनमंडल में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर काफी विवाद की स्थिति थी, बांस प्लांटेशन को लेकर और मुझे लगता है कि टूव्हीलर वगैरह के नंबर से ट्रांसपोर्टिंग हो गयी थी जिसकी जांच आप करवा रहे हैं । माननीय मंत्री जी, मैं आवास और पर्यावरण विभाग के संबंध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपने राजनांदगांव में एक बड़ी कार्यवाही की, निश्चित रूप से वह कार्यवाही आवश्यक थी । आप धन्यवाद के पात्र हैं और यहां पर मैं आपके सामने दो विषय लाना चाहूंगा कि अभी डेढ़ वर्ष पूर्व राजनांदगांव और दुर्ग की सीमा में आवास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा एक बड़े कृषि भूमि ईलाके को परिवर्तित करके उसे पतंजलि उद्योग को दे दिया गया । अब उसमें बहुत सारे किसानों की जमीन जा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रही है, कैसे किसानों की जमीन पतंजलि को दे दी, उनकी सहमति थी कि नहीं थी ? वह तो अलग विषय है लेकिन विषय यह आया था कि कृषि भूमि को किस तरीके से आवास पर्यावरण विभाग ने फूड पार्क लगाने के लिये पतंजलि को दे दिया, पतंजलि आगे उसमें क्या कार्यवाही करने वाले हैं, किसानों में एक बड़े डर की स्थिति है कि जो खेती करने वाले किसान हैं जहां फार्म हाऊस बने थे, खेती होती थी, उस जमीन को पतंजलि को दे दिया गया । उसमें आगे क्या कार्यवाही हो और कैसे दे दिया गया यह भी एक जांच का विषय है कि कैसे कृषि भूमि को परिवर्तित करके आवास पर्यावरण विभाग ने उसको फूड पार्क लगाने के लिये दे दिया ? अगर फूड पॉर्क लगाना था तो किसानों से बात की जाती कि किस विषय में लेकिन इसमें कहीं कोई क्लियरिटी नहीं है । माननीय सभापति महोदय, मैं इसी प्रकार से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि राजनांदगांव में कृषि उपज मंडी शहर के मध्य में है, करोड़ों रूपये की जमीन है । कृषि उपज मंडी की जो जमीन है उसके एक हिस्से को आवास पर्यावरण विभाग ने परिवर्तित करके सुमीत मॉल के नाम से जगह आवंटित कर दी, अब वह कृषि उपज भूमि की जमीन को कैसे लेण्डयूज, डॉयवर्ट कर दिया गया, कैसे चेंज करके कमर्शियल कर दिया गया, आज वहां पर पीवीआर सिनेमा हॉल बन गया है । आज वहां पर सुमीत का मॉल मिल गया है तो किस तरीके से इस तरह की चीजें हो गयीं कि आवास और पर्यावरण विभाग ने उसका पूरा लेण्डयूज ही चेंज कर दिया । कृषि उपज मंडी अधिसूचित की जाती है कि यहां पर कृषि की खरीदी-बिक्री होगी, अब कृषि उपज मंडी की जमीन जो करोड़ों की जमीन है उसको निजी व्यक्ति को मंडी क्षेत्र में दे दिया गया वहां पर सिनेमा हॉल का संचालन हो रहा है यह सब कैसे हुआ यह जांच का विषय है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से खाद्य विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । माननीय अजय चंद्राकर और बाकी लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो राशन कॉर्ड के मामले में स्थानीय निकायों में शिकायत होती है और फर्जी राशन कॉर्ड के संबंध में भी प्रारंभिक कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है लेकिन उसमें कार्यवाही करने की जरूरत है । मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में महिला समूहों को खाद्य विभाग ने राशन दुकानों का संचालन दे दिया है और उन राशन दुकानों में इतनी अव्यवस्था का आलम है कि महिला समूह विवाद में पडना नहीं चाहती और राशन दुकानों का सही तरीके से वितरण नहीं हुआ इस पर भी राज्य स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए कि हम महिला समूहों को आगे बढ़ाने के लिये राशन दुकान तो संचालन के लिये दे रहे हैं लेकिन राशन दुकानों के संचालन में जो परेशानियां महिला समूहों को आ रही है तो क्या विभाग को दोबारा स्वयं संचालन करना चाहिए इस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा और अंतिम जो बात श्री सौरभ सिंह जी ने और श्री अजय चंद्राकर जी ने नापतौल विभाग के बारे में कही तो निश्चित रूप से हर पेट्रोल पंप में नापतौल विभाग के एक अधिकारी, हमारे दुर्ग-भिलाई में बडे फेमस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अधिकारी हैं जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया, मैं भी नहीं लेना चाहता और प्रत्येक पेट्रोल पंप वाला इस बात को स्वीकार करता है कि अगर हम महीने की राशि नहीं देंगे तो हमारे ऊपर कोई न कोई कार्यवाही हो जायेगी और जब वह राशि वह देते हैं नापतौल के लोगों को तो कहीं न कहीं वह हमारे जो साथी हैं, जितने हमारे दूपहिया चालक हैं उनसे कहीं न कहीं वसूली हो जाती है । माननीय सभापति महोदय, मैं ओवरलोड के संबंध में कहना चाहूंगा कि आज भी परिवहन विभाग में ओवरलोड की समस्या बनी हुई है । पिछली सरकार में भी थी और इस सरकार में भी है । इसके संबंध में एक समन्वित नीति बननी चाहिए कि हम कितनी कार्यवाही करेंगे, कितनी ठोस कार्यवाही करेंगे ? चूंकि माननीय मंत्री जी के पास पर्यावरण विभाग भी है । मंत्री जी, हमारे क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर बाक्साइड, आयरन ओर इत्यादि का खनन होता है। उससे जो पर्यावरण का नुकसान होता है । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि इनका परिवहन बंद डिब्बे की गाड़ियों में होना चाहिए । लेकिन हम लोग देखते हैं रात-रात भर गाड़ियां निकलती हैं और इनके परिवहन में कहीं बंद डिब्बे की गाड़ियों का प्रयोग नहीं होता । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि परिवहन विभाग के माध्यम से, चूंकि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और शहरों से ये गाड़ियां निकलती हैं, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए । सभापति महोदय, मैं इन अनुदान मांगों का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, माननीय मोहम्मद अकबर जी के विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं । एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग, खाद्य विभाग है, जिसके माध्यम से सरकार की महती योजनाएं फलीभूत हो रही हैं । लोगों को 58 लाख, 4 हजार, 607 राशन कार्डों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण हो रहा है । सभापति महोदय, मैंने प्रतिवेदन में देखा कि खाद्य वितरण के लिए पूरे प्रदेश में 12300 दुकानें संचालित हैं । उसमें सहकारी समितियां 4448, ग्राम पंचायत 4130 और महिला स्व-सहायता समूह 3551, ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला समूह को रोजगार देने की बात हो रही है । सहकारी समितियां संचालित कर रही हैं वह तो समझ आ रहा है लेकिन ये ग्राम पंचायत को जो राशन दुकान संचालित करने की व्यवस्था दी है वह समझ के बाहर है । इसलिए क्योंकि हर पांच साल में ग्राम पंचायत का नया चुनाव होता है ।

समय :

1:52 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि जो वहां का नेतृत्वकर्ता सरपंच बनता है, उसी के हिसाब से बनता है । यह एक तरह से राजनैतिक पद है इसलिए इसमें दुर्भावनाएं भी बहुत रहती हैं । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहते हैं तो इन दुकानों को भी महिला स्व-सहायता समूह को आवंटित करें । ताकि इसके माध्यम से मिलने वाली कमीशन की राशि से वे अपने परिवार को चला लें । ग्राम पंचायत के पास बहुत सारे काम हैं, उनको बहुत सारे अधिकार हैं । उन्हें आप ग्राम पंचायत का काम करने दीजिए । वास्तविक महिला स्व-सहायता समूह को मिलना चाहिए । क्योंकि कई जगह ऐसे गिराह पैदा हो गए हैं कि गांव में महिला स्व-सहायता समूह तो बना लेते हैं । लेकिन एक अकेला आदमी कई-कई गांवों के दुकानों का संचालन कर रहा है । सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि गांव के तमाम राशन दुकानें महीने में एक या दो दिन ही खुलती हैं । नियम तो पूरे महीने भर खुलने का है लेनि एक दो दिन खोल देते हैं जो राशन लेने आ गए, वे आ गए और जो नहीं आए उनका भी राशन आवंटित दर्शाकर खा जाते हैं । आपने ऑनलाईन व्यवस्था की है । लेकिन उसमें भी इन्होंने सिस्टम निकाल लिया है, मृत व्यक्तियों को भी राशन का वितरण हो रहा है । जो आज नहीं हैं उनको भी राशन आवंटित हो रहा है । अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित ही व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को लाभ होगा ।

सभापति महोदय, जिनको उज्जवला गैस कनेक्शन मिला है, उनका आपने मिट्टी तेल काट दिया । गैस कनेक्शन मिलने के बाद, उनका मिट्टी तेल काटने का आपका आशय मैं समझ नहीं पाया । अगर उनको गैस मिल गया तो आपने मिट्टी तेल क्यों काटा ? क्या आप मिट्टी तेल उन्हें भोजन बनाने के लिए देते हैं या उनके घर में रौशनी हो, आवश्यकता पड़ने पर वे लालटेन, चिमनी जला सकें, उसके लिए देते हैं । अगर इन उद्देश्यों के लिए देते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि मिट्टी तेल का आवंटन पुन: जारी करें । जिन्हें उज्जवला गैस कनेक्शन मिला है, आप उन्हें मिट्टी तेल नहीं दे रहे हैं । धान खरीदी की व्यवस्था भी आपके पास है। किसान इसके माध्यम से अपने उपज की सही कीमत प्राप्त करते हैं। खरीदी में व्यवस्था की सुधार की आवश्यकता है। आपने जो तमाम व्यवस्था बनाया है। पंजीयन करने की व्यवस्था। पंजीयन के बाद टोकन की व्यवस्था और टोकन के बाद भुगतान प्राप्त करने की व्यवस्था। इसमें गांव के जो पढ़े-लिखे लोग नहीं, उनको बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। बहुत सारे लोग अपने पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण वे जमीन होते हुए भी धान बेचने से वंचित हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र जैजेपुर में एक सेवा सहकारी समिति का कचन्दा है। आपने इस साल वहां की धान खरीदी बंद कर दी और दूसरी जगह उनको शिफ्ट करके 20 किलोमीटर किसान को जाने के लिए आपने मजबूर कर दिया कि 20 किलोमीटर

अप्राधिकृत/प्रकाशन के लिये नहीं

जाकर किसान अपना धान बेचें। माननीय सचिव जी से और मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया और उन्होंने जो कारण बताया कि पिछले साल वहां शार्टेज आया था। गबन हुआ था। अगर शार्टेज आया, कमी आया तो इन किसानों की उसमें क्या गलती है? किसान कौन सा अपराध किये थे, जिसकी सजा आप उनको 20 किलोमीटर भेजकर दिये। जिनके कारण कमी आयी, उनको आपने खुली छूट दे दी। आपका विभाग निगरानी करता है। आपने आपके विभाग के ऊपर क्या कार्रवाई की? जो बंदरबांट किये, वे आज किसानों के शोषक बन गये और आज किसान लाचार और मजबूर होकर 20 किलोमीटर बेचने गये। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध चाहता हूं कि आपने एफ.आई.आर. तो दर्ज कराई लेकिन किसके ऊपर जो धान जो धान बेचे हैं, उन किसानों के ऊपर। अगर वहां कमी आई है तो आप विधिवत उसकी जांच कराएं। एक भी किसी स्तर की जांच नहीं हुई है। न अनुविभागीय अधिकारी जांच किये हैं और न आपके खाद्य विभाग के लोग जांच किये हैं। न सहकारिता विभाग के कोई लोग जांच किये हैं। अगर वहां विधिवत जांच करेंगे तो कमी का कारण भी पता चलेगा और दोषी व्यक्ति भी उसमें पकड़ाएंगे और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले साल में किसान परेशान न हों, इसके लिए आप सहकारी सेवा समिति कचन्ना में धान खरीदना सुनिश्चित करें और वहां 70 हजार क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी होती है और एक खरीदी केन्द्र के माध्यम से आप धान खरीदी करते हैं तो कम से कम वहां एक और उपकेन्द्र की आप व्यवस्था करें और ऐसे तमाम जगहों पर जहां कम से कम 50 हजार क्विंटल से अधिक धान खरीदी हो रही है, उनके लिए आप उपकेन्द्र की व्यवस्था करें ताकि किसान आसानी से धान बेच सकें। प्रत्येक माह राशन कार्ड कट रहा है। नाम विलोपित हो रहा है। यह कोई अधिकारी नहीं बता पाता, न जिला का कलेक्टर बता पाता न जिला का खाद्य अधिकारी बता पाता है कि आपका राशन कार्ड क्यों कटा? राशन कार्ड से नाम क्यों विलोपित हुआ? और प्रत्येक माह इसमें हर पंचायत से 5 से 10 इस तरह की शिकायत आ रही है। किन कारणों से कट रहा है? कृपया आप इसे देखवाएं। नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में निरंतरता है लेकिन नये राशन कार्ड क्यों नहीं बन पा रहे हैं। हम खाद्य विभाग के पास जाते हैं तो बोलते हैं हम नोडल नहीं हैं। जनपद पंचायत बनाएगा। नगरीय निकायों में सी.एम.ओ. बनाएगा। उनके पास जाते हैं तो हमारे पास आई.डी. नहीं है। खाद्य विभाग के लोग बनाएंगे। जो नाम विलोपित हो गया। राशन कार्ड विलोपित हो गया। पुन: कैसे जीवित होगा। यह लंबी प्रक्रिया है और गांव के पढ़े-लिखे लोग इसके लिए जिला से लेकर जनपद तक चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन व्यवस्थाओं पर आप थोड़ी सी निगरानी करें। लोगों के नाम मत कटे और जो नया राशन कार्ड बना रहे हैं, उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। परिवहन विभाग में ओवर लोड के नाम पर पुलिस द्वारा जो अवैध कार्रवाई की जा रही है। हर थाने में ओवर लोड के नाम से ट्रकों को रोका जा रहा है और आपसी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लेनदेन करके निपटा रहे हैं। कृपया, आप इस पर निगरानी करें। आपका विभाग कार्रवाई करे। न पुलिस विभाग के पास तौल करने के लिए कोई सिस्टम है। केवल एक अवैध वसूली के लिए ओवर लोड के नाम पर काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वन को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। वन का विस्तार करना भी बहुत जरूरी है। मेरे जांजगीर-चाम्पा जिले में ज्यादा वन क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक छीतापड़रिया है, जहां 1400 एकड़ का वन है। 1400 एकड़ के वन में विभिन्न वन्य जीव जंगली सुअर, खरगोश इस तरह के जीव भी वहां रह रहे हैं। लेकिन आपन उसमें से 500 एकड़ को बी0एस0पी0 को खदान के लिए दे दिए हैं। माननीय मंत्री जी, इससे केवल 500 एकड़ प्रभावित नहीं होगा। अगर 500 एकड़ पर खदान खुलेगा, डोलोमाइट निकलेगा तो पूरा वन प्रभावित होगा, उस वन में रहने वाले जीव प्रभावित होंगे, गांव वाले प्रभावित होंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार की तरफ से आवंटन तो हो गया है, अगर आप उसको निरस्त कर सकते हैं तो दूसरी जगह पर बहुत बड़ा एरिया है, जैजेपुर विधान सभा क्षेत्र पूरा डोलोमाइट का एरिया है, आप दूसरी जगह पर बी0एस0पी0 प्लाण्ट को खदान के लिए जमीन आवंटित करें और उसे निरस्त करने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे गांव में छोटे-बड़े झाड़ के जंगल हैं और ये राजस्व विभाग के अधीन है। अगर आपका विभाग इसको ले लेता है और उसमें प्लाण्टेशन करके विकसित करते हैं तो अवैध अतिक्रमण भी रूकेगा। साथ ही साथ वन के विस्तार होने की भी संभावना है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहां-जहां संभव हो सके, वहां-वहां आप वन का विस्तार करें। पेड़ लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है। बल्कि पेड़ को बचाना महत्वपूर्ण है। प्रतिवेदन पढ़ते हैं, आकड़ें देखते हैं। हर साल लाखों नहीं, करोड़ों पेड़ लगते हैं, लेकिन कितना बचता है ? आप भले ही आकड़ें कम रखें लेकिन पेड़ बचाने के आकड़ें ज्यादा रखें। पौधों को पानी देने की व्यवस्था करें। उन्हें जानवरों से बचाने के लिए घेरा हो सके तो वह करें तो निश्चित रूप से वन का विस्तार होगा। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से ड्रिप के माध्यम से खेती का प्रचलन बढ़ा है, आपके बांस का भी महत्व बढ़ा है। बांस का भी उपयोग होने लगा है। तो अगर वन क्षेत्र में बांस लगाकर व्यवसायिक दृष्टिकोण से उसका उत्पादन करें तो निश्चित रूप से आज बांस की आवश्यकता है, उसकी कमी महसूस हो रही है, उससे भी सरकार को लाभ हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके पास एक महत्वपूर्ण विभाग आवास एवं पर्यावरण विभाग भी है। आप इनके माध्यम से शहरों को विकसित कर रहे हैं। एक समुचित और व्यवस्थित शहर का निर्माण हो, कृपया इस पर ध्यान देंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती ममता चन्द्राकर (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान मांग संख्या- 36 परिवहन, मांग संख्या-21 आवास एवं पर्यावरण विभाग, मांग संख्या-10 वन, मांग संख्या-39 खाद्य, नागरिका आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं मांगों का समर्थन करती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने वन अधिकार पट्टा देने का कानून बनाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने वनवासियों के लिए कानून बनाया। पूर्व में वन भूमि के पट्टे के लिए वनांचल के सभी लोगों ने कई बार आवेदन किया, जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने निरस्त कर दिया। पूर्ववर्ती सरकार जल,जंगल और जमीन के बारे में बड़े-बड़े वायदे किए, परन्तु उनके अधिकार के बारे में कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी लोहण्डीगुड़ा में टाटा द्वारा अधिग्रहित 1,064 हैक्टेयर जमीन को वनवासियों को लौटाकर उनके अधिकारों का संरक्षण किया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारा कबीरधाम जिला, जो माननीय मंत्री जी का भी जिला है, मेरा विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया उस जिले में आता है, वहां कुछ वनांचल का क्षेत्र है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि वर्तमान में आदिवासी लोग पट्टे के लिए इधर-उधर हो रहे हैं । पूर्व में पट्टों के लिए बहुत सारी घोषणाएं हुईं, पर कहीं भी वितरण नहीं हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि उनके वन भूमि के लिए, उनके रहने की व्यवस्था के लिए उनके पट्टे की व्यवस्था कराएं और जो भी वनांचल के क्षेत्र की समस्या है, वैसे वहां बहुत समस्या है, विकास भी कम है, शिक्षा, पेयजल से लेकर सभी क्षेत्रों में समस्या है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए । मैं पुन: मंत्री जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देती हूं कि उनके अधिकार और संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं । सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- धन्यवाद सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान मांग संख्या-36 परिवहन और भाग संख्या-21 पर्यावरण के चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र उद्योग का क्षेत्र रहा है । बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में 7 इंटरनेशनल सीमेंट फैक्ट्रियां और चार स्पंज आयरन का प्लांट है । एक बड़ा आय का स्त्रोत होने के बाद भी बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र पूरी तरह से प्रदूषण से ग्रसितहै । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जब प्लांट लगाने के लिए पर्यावरण विभाग के द्वारा ई.सी. (इंवायरमेंट क्लीयरेंस) का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें साफ तौर पर प्लांट को निर्देशित किया जाता है कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उनको हर वर्ष कितने पौधे लगाने हैं और हमारा टारगेट क्या है । माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कम से कम विभाग के माध्यम से एक बार भौतिक सत्यापन करें । माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उदाहरण के तौर पर दो प्लांट जैसे अम्बुजा सीमेंट प्लांट और अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को स्थापित हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, लेकिन पर्यावरण विभाग के रिकार्ड में आपको सीधा दिखेगा कि हम लोग इतने हजार फलदार वृक्ष लगाएं हैं, जिसमें आम, अमरूद और दुनिया भर के पेड़ों का जिक्र है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कम से कम एक वृक्ष के दर्शन करा दें । मैं खुद बलौदा बाजार का रहने वाला हूं, लेकिन आजतक वहां पर एक भी फलदार वृक्ष का पेड़ मुझे देखने को नसीब नहीं हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये जो पर्यावरण विभाग है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पर्यावरण विभाग सिर्फ एक सर्टिफिकेट बेचने का विभाग है । माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण विभाग के जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे क्रेशर वाले को हों, चाहे उद्योगपति को हों, सिर्फ वे पैसा लेकर सर्टिफिकेट बेचने का काम कर रहे हैं। जब कोई शहर में मजदूर या किसान मोटर साईकिल में आ जाता है तो उसको ट्रेफिक वाले उसको पकड़ते हैं और पर्यावरण के नाम से हरे कलर का 200 रूपये का स्टीकर लगा देते हैं । इसी तर्ज में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पर्यावरण विभाग के जो कर्मचारी-अधिकारी हैं, वे कम से कम एक बार उस क्षेत्र में निरीक्षण करने जाएं और देखें कि पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से, पर्यावरण क्लीयरेंस के नाम से कितने सारे पौधे लगाए हैं । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने जो कदम उठाया, जिसमें एक अल्ट्राटैक सीमेंट प्लांट के द्वारा बांध में सड़क का निर्माण कर दिया गया था, उससे संबंधित मेरा प्रश्न यहां लगा, मैं माननीय मंत्री जी को ये बताना चाहूंगा कि अधिकारी किस तरीके से गुमराह करते हैं । वह तो मानीय मंत्री जी बुद्धजीवी हैं, समझदार हैं इसलिए जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए उस सड़क को उखाड़ दिया गया ।

सभापति महोदय :- कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, मैं वही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के नाम से हमारे क्षेत्र बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में नियम की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं । आपका कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहा है आप पहले ही बहुत अच्छे से काम किए हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम भौतिक सत्यापन करके कि कौन-कौन से क्षेत्र में कितने पौधे लगाये हैं इसकी जांच करके आने वाले समय में हमारे क्षेत्र को सुरक्षित रखें। माननीय मंत्री जी परिवहन विभाग भी आपके पास हैं मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि श्री सीमेंट के द्वारा लगातार ओव्हरलोड गाडियों का परिवहन ट्रकों के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माध्यम से करवाया जा रहा है। वहां लगातार ओव्हरलोड के कारण आयेदिन दुर्घटना हो रही है उसे भी रोकने का मंत्री जी प्रयास करें। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू (खुज्जी) :- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-2020 में मंत्री महोदय श्री मोहम्मद अकबर जी के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। जमीन और जंगल ही हमारे आदिवासी भाईयों की पहचान है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जमीन और जंगल हमारे आदिवासी भाईयों के अन्नदाता हैं। आदिवासी भाई जमीन और जंगल के सबसे बड़े संरक्षक और अन्नदाता हैं। वनवासी ग्रामीणों के आजीविका का बहुत बड़ा हिस्सा लघु वनोपज के संग्रहण पर आधारित है। इसलिए हमारी सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक दर 2500 रूपये से बढ़ाकर 4000 रूपये प्रति बोरा करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैं हमारी सरकार और हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। हमारी सरकार की मंशा आदिवासी भाईयों को केवल सरकारी योजनाओं का पैकेज देकर विकास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हम तो इन्हें स्वयं के लिए निर्णय लेने का अधिकार देना चाहते हैं इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमने बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता का काम हमारे स्थानीय आदिवासी विधायकों को सौंपा गया है। इस निर्णय के लिए मैं हमारे मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और मेरे खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के छुरिया ब्लाक में एक करोड़ 28 लाख रूपये का तेंदूपत्ता हेतु भवन का निर्माण हो रहा है, मैं सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगी कि एक करोड़ 28 लाख रूपये का तीन-तीन भवन बन रहा है लेकिन वह गुणवत्ताहीन बन रहा है। मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि वह भवन गुणवत्तायुक्त बने। वनांचल क्षेत्र में वन सुरक्षा समिति होती है जिसमें 5-10 लाख रूपये आवंटित होते हैं उसमें जो वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों को भी मालूम नहीं पड़ता कि उस वन सुरक्षा समिति के पैसे का हम किस प्रकार से उपयोग करें। गांव में नाली निमा्रण हो या वनांचल क्षेत्र में वनवासी देवी दुर्गा है उसमें मंदिर बनाने की बात हो लेकिन वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं समिति वालों को पता नहीं रहता इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहती हूं कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से वन सुरक्षा समिति को पता चलना चाहिए कि वन सुरक्षा में इतनी राशि आई है और हम इस राशि का कहां-कहां उपयोग करेंगे। आपने बोलना का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ) :- सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान चर्चा मांग संख्या 38, 21, 10 एवं 39 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में सड़क दुर्घटना से लोगों की जान जाती है लेकिन इस पर शासन का कोई ध्यान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि मृतजनों के परिजनों को आप 10 लाख रूपये मुआवजा के रूप में दें ताकि उन्हें जो क्षति हुई है उसे वह थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सकें। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि अक्सर सड़क दुर्घटना रोड पर खड़ी हुई गाड़ियों के कारण होती है । उन गाड़ियों के मालिकों से भी मृतजनों के परिजनों को मुआवजा के रूप में 10 लाख रूपये देने की, मैं इस सदन में मांग करती हूं। जो ओवर लोडिंग गाड़ी होती है, उन गाड़ियों के मालिकों के ऊपर भी कार्यवाही की जानी चाहिए। सड़क में जो दुर्घटनाएं होती है, वह ओवर लोड गाड़ियों के कारण ही होती है। मैं वन विभाग के बारे में बोलना चाहती हूं। वन विभाग में जो डीपो होती है उसमें गरीबों और मजदूरों को उपयोग करने के लिए लकड़ी नहीं दी जाती है। बल्कि उसे पूंजीपतियों को 10 लाख 20 लाख रूपये में बोली लगाकर बेच दिया जाता है और उसी लकड़ी को फिर से गरीबों और मजदूरों को ज्यादा पैसे में बेचा जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि सभी गरीबों और मजदूरों को उपयोग करने के लिए लकड़ी प्रदान किया जाये। क्योंकि जंगल में सबसे ज्यादा अधिकार गरीब और मजदूर किसानों की होती है। आजकल सभी प्रदेशों में राशनकार्ड में नाम कट गया है तो राशनकार्ड में नाम जुड़वाने के लिए लोगों से पैसे की मांग की जाती है। इस पर माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें। साथ ही एक शिविर लगाकर लोगों के राशनकार्ड में जो नाम कट गये हैं उसको जुड़वाने की कृपा करें। जिनके पास राशनकार्ड नहीं है उनका नाम भी जुडवाये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं। मेरे पामगढ़ क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान खोलने की मांग करती हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वन आवास पर्यावरण परिवहन खाद्य मंत्री जी के द्वारा लाये गये बजट अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। आप जानते हैं कि बीजापुर जिला सबसे ज्यादा आदिवासी जिला के रूप में माना जाता है। वहां पर वन विभाग के सबसे ज्यादा काम होते है। पिछली सरकार ने वन विभाग में जो मंत्री भी थे वही जिले से आते थे। बहुत सारे कैंपा मद में ऐसे काम हुए जहां पर बहुत सारे काम हुआ ही नहीं और भ्रष्टाचार में निकल गये। इस सरकार के आते ही सबसे बड़ी आदिवासियों की बात करती है। हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता रेट वहां के आदिवासी लगभग साल भर से इंतजार कर रहे थे कि कब वो तेंदूपत्ता तोड़े । इस सरकार ने आते ही सबसे पहले सौगात दे दी। जो तेंदूपत्ता का दर 250 रूपये होता था उसको बढ़ा करके सीधा 400 रूपये कर दिये। जिससे आज 400 रूपये की दर से तेंदूपत्ता मिल रहा है। वहां पर आदिवासी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। इस सरकार को और वन मंत्री का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। लगातार हमारी सरकार आने के बाद में वनोपजों का जो समर्थन मूल्य बढ़ रहा है उसके लिए भी मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय वन मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वन अधिकार पट्टा के लिए हमारी सरकार ने जो पहल की है, पिछली बार जो आवेदन दिये थे उनको वन अधिकार पट्टा नहीं मिल पाया। इस सरकार ने समीझा करके उनको फिर से वन अधिकार पट्टा दिया जाये, इस पर पहल की। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछली सरकार ने जो आदिवासी तेंदूपत्ता तोड़ के जाते थे उनको जूते का वितरण करते थे। इस सरकार के आने के बाद में जूता को बंद कर पैसे देना का काम किया है। उससे लगातार हमारे आदिवासियों में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। उन्होंने बहुत अच्छा पहल किया। इससे सीधे उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है। हमारा जिला पूरी तरह से वनों पर आधारित है। मैं माननीय वन मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि बीजापुर जिला में जो बांस की कटाई होती थी वह पूरे दक्षिण भारत में जाता था। बहुत दिनों से बांस की कटाई बंद है। उसको फिर से चालू किया जाये। बड़े डिपों में हमारा बीजापुर जिला आता था उस डिपों को फिर से वहां चालू किया जाये जिससे वहां के आदिवासियों को रोजगार मिले। मैं आपके माध्यम से एक और मांग करना चाहता हूं कि बीजापुर में वन विभाग के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उसकी निष्पक्ष जांच की जाये और जो भी इसमें शामिल हैं उन दोषियों पर कार्यवाही की जाये। मैं माननीय खाद्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आपके विभाग के अंतर्गत हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है जो पहले 7 किलो की दर से चावल मिलता था। इस बार सीधा सीधा 35 किलो चावल मिल रहा है। इससे आदिवासी वहां पर बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि और भी जरूरत मंद लोग हैं जिनको राशनकार्ड मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। उनको भी राशन कार्ड दिलाया जाये और आप परिवहन विभाग के भी मंत्री हैं तो मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि परिवहन कार्यालय जो बीजापुर जिले में होना चाहिए था, वह वर्तमान में दंतेवाड़ा से संचालित है, चल रहा है तो जल्द से जल्द बीजापुर जिले में परिवहन कार्यालय शुरूआत करवायें। मेरा अनुरोध है और आज यहां पर माननीय वन, परिवहन, खाद्य मंत्री जी जो अनुदान मांगों पर जो बजट लाये हैं, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मोहम्मद अकबर जी की सभी मांगों का विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरा क्षेत्र कोटा विधान सभा क्षेत्र वन अच्छादित क्षेत्र है और वहां की कुछ समस्याओं के प्रति माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मेरे क्षेत्र में कुरदर, उमरिया 10-12 किलोमीटर में फैली हुई 2 बैगा ग्राम पंचायत है परंतु उनका राजीव गांधी विद्युतीकरण, विगत 10 सालों से स्वीकृत है, लेकिन वन विभाग के अडंगें के कारण अभी तक वहां विद्युत लाईन नहीं पहुंची है। इस बजट में केन्द्र ने इको टूरिज्म के लिए वहां करीब 5 करोड़ रूपये की राशि प्रस्तावित की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है, देने की बात कही है तो न वहां ढंग की सड़कें हैं और सड़क तो जैसे तैसे बनी है, लेकिन विद्युतीकरण हो जाता, वन विभाग ने उसमें अपनी रोक लगाई है, वह हटा देते और प्रधानमंत्री सड़क के किनारे भी बिजली के खम्भे लगाये जा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के ध्यान में ये लाना चाहूंगी कि इसके अलावा ये एस.ई.सी.एल. जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है। वह प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये की राशि वन विभाग को देता है। अमरकंटक जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है। रोड और रोड के उस पार, वहां पर उन्होंने कम से कम 50-100 एकड़ में बहुत मजबूत वॉयर फेंसिंग करके प्लानटेशन किया हुआ है। पर छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वहां विगत 18 वर्ष हो गये, 19 वर्ष हो रहा है। एक भी पौधा नहीं लगाया गया है। मैंने उनसे एक बार बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्रतिवर्ष वन विभाग को प्लानटेशन के लिए वह राशि देते हैं। मेरा एक और कहना है कि विगत 6 सालों से 3 किलोमीटर की मुख्यमंत्री सड़क योजना केंवची से ठाड़पथरा, वह भी एक बैगा ग्राम पंचायत है, अमरकंटक के नीचे स्थित है। वह स्वीकृत है पर वहां फॉरेस्ट रोड भी बनी हुई है पर वन विभाग उसमें भी कुछ अड़चन पैदा करके, उसे नहीं बनने दे रहा है। हमारे यहां केंवची में एक हरबल सामग्री बेचने की दुकान है। दो साल तक वह रोड ही बंद रही बिलासपुर से केंवची और वहां कम संख्या में टूरिस्ट आते हैं और अमरकंटक में तीन जिलों के मतलब टूरिस्ट या पर्यटक आते हैं। डिंडोरी, अनूपपुर और बिलासपुर। तो अमरकंटक में वह दुकान को जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, मेरा अनुरोध है कि वहां लगायें तो बिक्री भी अधिक होगी और उसका सही मायने में उपयोग होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कम से कम 10 फॉरेस्ट के रेस्ट हाऊस हैं। शिवतराई में 24 कॉटेजेस बने हैं, जहां अचानकमार के लिए लोग आते हैं वहां से आगे बढ़ते हैं। परंतु वहां ऑन लाईन व्यवस्था होने के कारण कई पर्यटक या रूकने वाले लोगों को अड़चन होती है तो दोनों विकल्प यदि आप खोल दें कि ऑन लाईन और अगर कोई आता है तो कमरे खाली हैं तो उनको दे दिया जाये। इसी तरह केंवची, खोडरी आदि जगहों में रेस्ट हाऊस बने हैं पर वहां सामान्य व्यक्ति को रूकने की व्यवस्था नहीं है तो चूंकि रोड के किनारे रेस्ट हाऊस बने हैं और बिलासपुर से अमरकंटक की दूरी करीब 130-140 किलोमीटर है। उनका उपयोग हो सकता है। सन् 2001-02 में राजीव गांधी स्मृति वन ग्राम कुंडहर में बना था। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 20 अगस्त राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के दिन एक बरगद का पेड़ लगाकर उसका शुभारंभ किया था। वर्ष 2003 में उसका विधिवत उद्घाटन हुआ और वहां के लिए राजीव जी की आदमकद बड़ी मूर्ति शासन के द्वारा खरीदी गई थी। वह लग नहीं पाई और तत्कालीन सी.एम. के घर में रखी थी, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसको हम लोग अपने घर में लाकर रख लिये हैं। मैं शासन का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगी कि अब कांग्रेस की सरकार है, यदि वह मूर्ति को वहां स्थापित कर दें, जिसके लिए वह आई थी तो जैसा नाम राजीव स्मृति वन है, उसका सदुपयोग भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

होगा। वह शासकीय पैसे से खरीदी गई थी। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूं माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का वक्स दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विकास उपाध्याय (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं परिवहन, आवास, वन एवं खाद्य विभाग की अनुदान मागों का समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि परिवहन में नई सरकार ने बहुत अच्छी चीजें की जिसमें गोल्डन कार्ड, कूपन सिस्टम खत्म किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आज भी व्हाटअप से नंबर भेजकर बार्डर के होटलों में पैसा वसूली का नाम निरंतर तेजी से चल रहा है। उसकी तरह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं जिस विधानसभा से आता हूं वहां बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं, कोई ट्रक चलाने वाला है, टायर का पंचर बनाने वाला है, कोई इंजन बनाने वाला है, कोई पेट्रोल, डीजल बेचने वाला है। वहां पर पार्किंग की दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत के लिए सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वहां पर उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी तो उनको बहुत मदद मिल सकती है। वहां सड़कों के किनारे गाड़ी खड़े रहने से एक्सीडेन्ट के भी बड़े मामले होते हैं और बहुत लोगों की जान जा चुकी है। इस पर भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, ओवरलोड के मामले में आज भी ट्रक मालिक परेशान हो रहा है, ओवरलोड गाड़ी होती है, जबकि तीन लोगों को फाईन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टरों को फाईन होना चाहिए, जहां माल जा रहा है, उसको फाईन होना चाहिए, लेकिन ट्रक मालिक बेचारा परेशान है, उसका अकेला फाईन कटता है और इसकी मार को झेलता है। माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

समय :
2:28 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जिले की गाड़ी होती है, वहीं पर उसका फिटनेस कटता है, मेरा आपसे निवेदन है कि हर जगह कोई भी जिले की गाड़ी का पूरे प्रदेश में फिटनेस होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टरों को उससे सुविधा मिल सके। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग के मामले में लीज रेंट एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, हाऊसिंग में बहुत मध्यमवर्गीय परिवार के लोग रहते हैं, 30-40 साल से रह रहे हैं, लीज रेंट माफ करने की बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। हाऊसिंग बोर्ड में ही खेल-कूद के मैदान का मामला होता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कबीरनगर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहां 8 हजार से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ज्यादा हाऊसिंग के मकान बने हुए हैं। एक मकान में भी अगर दो बच्चे हैं तो वहां 16 हजार बच्चे रहते हैं और उन लोगों के लिए खेल का कोई मैदान नहीं है, अध्यक्ष महोदय, उस पर भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हाउसिंग बोर्ड के मकानों मे जिस प्रकार से गलत तरीके से प्लानिंग की गई, सीवर का पानी और पीने का पानी एक ही लाईन के एक तरफ से जाता है, जिसके वजह से दीनदयाल उपाध्याय नगर में, कोटा में, जनता कालोनी में डेंगू जैसी बीमारी फैली। सीवर का पानी नल के पानी में जा रहा है, उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कमल विहार सफेद हाथी के रूप में एक बड़ी योजना है जिसमें 400 करोड़ रुपया लोन है इस योजना को आम लोगों के लिये खोलना चाहिए यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं । हम लोग रायपुर राजधानी में रहते हैं और किसी को बोलने की आवयश्यकता नहीं है, हम अपने घर के पंखों को भर जाकर देख लें, कितना काला धुऑं आज भी हम अपने शरीर में ले रहे हैं उसके माध्यम से आपको पता चल जायेगा उस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र में वहां पर जरूर इस पर ध्यान देना होगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वन का एक बहुत बड़ा मामला है । मेरे विधानसभा में अटारी जरवॉय क्षेत्र है जहां 100 से भी ज्यादा बंदर वहां के ग्रामीण अंचल के लोगों को परेशान कर रहे हैं और चूंकि शहरी क्षेत्र है इसलिये न तो उनको नुकसान का मुआवजा मिलता है और पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने भी उसमें कोई काम नहीं किया लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें जरूर कुछ मदद देकर आप लोगों की मदद कर पायेंगे तो बहुत बढ़िया होगा । नंदन वन एक बहुत बड़ा पर्यटन या जू हमारे रायपुर राजधानी में था जिसे जंगल सफारी बनने की वजह से तमाम् जानवरों को वहां शिफ्ट कर दिया, उस पर कोई योजना लाकर चूंकि वह खारून नदी से लगा हुआ है वहां पर कोई बड़ी योजना लाकर यदि हम फायदा पहुंचा सकते हैं तो उसमें बहुत अच्छा हो सकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अलग-अलग विभाग की यही 3-4 बातें माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभाग है । इसमें प्रदेश की एक-चौथाई से भी ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और उनकी अपनी बहुत सी समस्याएं भी हैं । जैसे मैं वन विभाग के प्रतिवेदन को पढ़ रहा हूं, यह तो सब पुरानी सरकार का ही किया-कराया है उसमें कोई बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करने की जरूरत भी नहीं है । आप बहुत काबिल मंत्री हैं और आपसे बहुत उम्मीद है इसलिये यहां पर मैं आपके ध्यान में कुछ बातों को लाना चाहता हूं । अचानकमार टाईगर रिजर्व में.....।

श्री शिवरतन शर्मा :- काबिल के साथ-साथ आपके मित्र भी हैं, यह भी उल्लेख करिये न ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- मित्र तो आप भी हैं । अचानकमार टाईगर रिजर्व में लगभग 29 गांव के लोग रहते हैं । उन गांव के लोगों को बसाने की प्रक्रिया आपके अधिकारी कहते हैं कि वे लोग कर रहे हैं लेकिन अभी तक के कई वर्षों में खुड़िया के पास केवल 2-3 बसाहट ही बसी है और वह भी बहुत ही जर्जर और बहुत ही दयनीय स्थिति में उनका जीवन कट रहा है अगर आप चाहें तो जो बसाहट बसाया गया है उसको जाकर आप खुद देखिये । उनको बंजर जमीन दे दी गयी है, उनके पीने का पानी नहीं है, उनके रहने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों के पढ़ने का इंतजाम नहीं है तो मैं आपके माध्यम से आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अचानकमार टाईगर रिजर्व में बसाहट के लिये क्या सरकार के पास कोई फंड है ? क्या कोई प्लान है और फॉरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट से जिस जगह को आप बसाने जा रहे हैं क्या उसकी अनुमति ले ली गयी है इन सब चीजों को आप जरूर ध्यान में रखियेगा क्योंकि वे डरते रहते हैं । कोई भी एक अधिकारी बिलासपुर जाता है वहां उनको बयान देने का शौक आता है और वे बयान देते हैं कि अभ्यारण्य एक गांव को विस्थापित किया जायेगा उसके बाद लोगों में डर शुरू हो जाता है या तो आप उनको हटा दीजिये हमको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हटाने के पहले जो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं उनके लिये जमीन, पीने का पानी, स्कूल, शिक्षा, आंगनबाड़ी ये सबकी व्यवसथा कर लें और उतना अगर आपके फंड में पैसा हो तो जरूर कर दीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज वहां पर बहुत पहले से पैदलगॉर्ड और बैरियर गॉर्ड की भर्ती फॉरेस्ट वालों ने जंगल की सुरक्षा के लिये की थी और धीरे-धीरे वहां के स्थानीय लोग सब हट गये और सब सिफारशी लोग पिछले 10-12 साल में इधर से उधर से आकर के वहां भर्ती हो गये हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक सिरे से सबको बाहर करिये और वहां के जो स्थानीय हैं उनको प्राथमिकता दीजिये । जंगल का रास्ता जो जानते हैं उनको पैदलगॉर्ड बनाईये, जो बैरियर में बैठ सकते हैं जो फूल टाईम दे सकते हैं उनको पैदलगॉर्ड बनाईये । उनका पेमेंट भी नहीं हुआ है, कहां बोलें, किसको बोलें, रास्ता अलग बंद कर दिया जाता है। कलेक्टर और कमिश्नर के चेम्बर में बैठकर निर्णय हुआ कि रास्ता बंद कर दो, दूसरे दिन से बैरियर लग गया । अब वहां के हजारों की संख्या में रहने वाले लोगों को आना-जाना दूभर हो गया, बच्चियां पढ़ने नहीं जा सकती थी, किसी को अपने ही रिश्तेदार से मिलने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टोकन लेना पड़ता था । यह तो बहुत ही अमानवीय और असंवैधानिक कृत्य था । जिसे मैंने हाईकोर्ट में जाकर खुलवाया । अब आपसे निवेदन यह है कि वहां की जो रोड अंग्रेजों के जमाने की है । उस रोड की मरम्मत का काम भी फॉरेस्ट वाले नहीं करने दे रहे हैं । अगर पीडब्ल्यूडी वाले उस रोड की मरम्मत करें तो आप कृपया वन विभाग को यह निर्देश दें कि उस सड़क बनने से वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान नहीं होगा, वह आपके नियंत्रण में है । बल्कि वाइल्ड लाइफ के शिकार करने वालों को पकड़ने में वह सड़क काम आएगी और लोगों को आवागमन की सुविधा मिल पाएगी । वह सड़क बनवा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दीजिए । अभी खुड़िया से औंरापानी जो मध्यप्रदेश के बॉर्डर पर है, वह सड़क बन रही थी, पता नहीं खुद फॉरेस्ट वालों ने अनुमति दी थी, मैं तो आज अचानक आया हूं तो पूरे पेपर्स तो नहीं ला पाया, लेकिन आप से मिलूंगा । आपको एक-एक दस्तावेज दिखाउंगा, खुद ही अनुमति दी और बाद में उसे बंद कर दिया । अब गरीब आदिवासियों को कम से कम सड़क में चलने का अधिकार तो है । अगर सड़क थोड़ी सी कम चौड़ाई की भी बन जाए तो उसमें वन विभाग के जंगल का नुकसान नहीं होता । मेरी तो यह मान्यता है कि अगर जंगल सुरक्षित है तो सिर्फ वनवासियों के कारण ही सुरक्षित है, शहर के लोगों को यदि अनुमति दे दें तो 2 घंटे के अंदर जंगल को मैदान बनाकर आ जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ना, अब समाप्त कीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- 2 मिनट सर, बहुत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण विषय हैं, आप अनुमति दे दीजिए । अध्यक्ष महोदय, शिकार के मामले में वहां के बैगा लोगों को मुलजिम बना देते हैं । अब यह बताइए कि जिस गांव में एक भी भरमार बंदूक न हो वो चीता कैसे मारेगा, लेकिन चीता मारकर बाहर से कोई आ रहा है, चालू टाइप का आदमी और अगर वह किसी के घर में बैठ गया तो सिर्फ इस नाते कि उसके घर में बैठा है, 8-10 बैगा को उनके साथ मुल्जिम बना देते हैं । ऐसे कम से कम पचासों बैगा अभी भी जेल में बंद हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपराधी हैं उन्हें कुचलने का, उन्हें जेल भेजने का काम आप जरूर कीजिए लेकिन जो निर्दोष बैगा हैं, उन्हें उनके साथ पुरोनी में जेल न भेजा जाए और जो जेल में बंद हैं उनकी समीक्षा करके, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करिए । मैं तो आपसे बोल रहा हूं, आपके विभाग के अधिकारी भी यहां पर हैं, मैं बोल रहा हूं कि जिस अधिकारी को, जिस नेता को, व्यापारी को अगर मटन चाहिए तो बिलासपुर में चीतल का मांस ऑर्डर पर लोग बेचते हैं और रोज बेचते हैं । आखिर ये शहरी लोग, जो शहर में बैठकर शिकार खेलते हैं और गरीब लोगों को मुल्जिम बनाया जाता है, उनके पक्ष में मैं यह तर्क दे रहा हूं । आप उसको जरूर रूकवाएंगे ।

अध्यक्ष जी, आपके पास डिपार्टमेंट में कर्मचारी भी नहीं हैं । मुंगेली जिले में 3 रेंज हैं । मुंगेली, लोरमी और खुड़िया और तीनों में एक ही रेंजर है, एक ही एसडीओ है, एक ही डीएफओ है । अरे आप डिप्टी रेंजर को बना दीजिए ना साहब, किसी सीनियर आदमी को बना दीजिए, कम से कम वह अपने अपने क्षेत्र को ठीक से देखेगा और शिकार भी नही होगा । अब एक आदमी बन गया तो वह समझता है कि मेरा ही पूरा साम्राज्य है, उसको आप जरूर करवा दीजिए । दूसरी चीज, छपरवा से खुड़िया एक सड़क है, जो पहले से डब्ल्यूबीएम रोड है । उसको वन विभाग ने बनवाया था, आप उसको भी बनवा दीजिए । एकदम उबड़खाबड़ है, कोई अधिकारी भी नहीं जा सकता है, गांव के लोग भी नहीं जा सकते हैं । उसको बनवाने में कहीं पर फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट का उल्लंघन नहीं होता है । पृष्ठ क्रमांक 19 में आपने लिखा है कि वन मार्गों पर रपटा, पुलिया । खुड़िया, छपरवा, अचानकमार के बीच में कोई रपटा वपटा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नहीं बनाया गया है उसे काजवे, रपटा या पुलिया जो भी आप कहें । काजवे जो जमीन से लगा हुआ होता है, रपटा थोड़ा ऊंचा होता है । उसको बना दीजिए। लोरमी में मनियारी नदी, मुंगेली में अरपा नदी बहुत प्रदूषित हो गई हैं । इसके लिए पर्यावरण विभाग से अगर कुछ पहल करवाएं कि वहां पर गंदगी कैसे ठीक हो सकती है । हमारी ये दोनों नदियां जीवंत नदियां हैं, ये आगे ठीक होगा । एक निवेदन और करना चाहता हूं मंत्री जी, हाऊसिंग बोर्ड की कॉलोनी यहां पर बनी, उसमें सारे एमएलए और एमपी लोगों को मकान दिया गया, यहां पर उपस्थित बहुत से विधायक होंगे जिनको मकान मिला है । एक तरफ से क्विंस क्लब की तरफ से घुसने का रास्ता है और दूसरी तरफ का रास्ता तो पता नहीं 15 साल में क्या हुआ है बना है या नहीं बना है, रास्ता हमारा है या नहीं है? इस पूरे कॉलोनी की आप समीक्षा कर लीजिए। आखिर यह क्वीन्स क्लब किसका है? यह बताया गया था कि एम.एल.ए. लोगों का है। अब वहां हम अपनी कॉलोनी में अनुमति लेकर रात 10 बजे के बाद नहीं आ सकते हैं। एक तरफ ऐसा है कि अगर आप 2 दिन 4 दिन लगातार चलेंगे तो आपको स्मेनलाइटिस की बीमारी हो जायेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर सरकार को करोड़ों भी देना पड़े तो देकर वहां 110-15 लोग रहने वाले विधायक और सांसद स्तर के लोगों के आवागमन को आप सुगम कीजिए और यह क्वीन्स क्लब चाहे जिसने भी दिया हो, जैसे भी दिया हो, मैं नहीं जानता कि अभी उसका मालिक कौन है? उसका भी रास्ता तोड़वाकर बनवाइए। क्वीन्स क्लब से जैसे ही घूसते हैं, कॉलोनी के लिए आते हैं। एक सड़क के ऊपर कच्चा स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसमें कपड़ा सूखते रहता है। माने गाड़ी नहीं आ सकती, नहीं जा सकती। तो इसको करा दीजिए। अभी बहुत से विधायकों को नहीं मिला है तो हम वहां रह रहे हैं। एक आखिरी बात सर। धान खरीदी केन्द्र में मैंने पिछली सरकार में बहुत मांग की थी। आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं। एक डोंगरियाकला गांव है। वहां 40-40 किलोमीटर दूर से धान बेचने लमनी का आदमी आता है, जो पेण्ड्रा के पास है तो मैंने मांग की थी कि खुड़िया में एक केन्द्र खोल दिया जाए पर वे बोलें कि रायपुर से अनुमति नहीं है। रायपुर में सचिव जी को भेजेंगे। यह छोटा मोटा मामला है तो आप कलेक्टर को अधिकृत कर दीजिए, जो वहां का भूगोल देखकर, वहां अनुमति दे दे और 60-70 किलोमीटर अगर धान लेकर आयेगा तो उसके धान की कीमत तो उसके ट्रेक्टर के परिवहन में खत्म हो जायेगी। इसलिए अध्यक्ष जी, यह भी एक जरूरी है। दूसरा धान का प्लेटफार्म भी बनवा दीजिए तो उसे समयबद्ध बनावा देंगे तो जो धान सड़ता गलता है उससे भी बचेगा और गांव के दूसरे काम में भी आयेगा। मैं आखिरी एक बात और करना चाहता हूं। मैं समाप्त कर दूंगा। आग लगने की घटना जंगलों में बहुत होती है और गर्मी के दिनों में या प्राकृतिक रूप से यह घटना होती है। उस घटना को छिपाने की बात बहुत की जाती है या तो हमारे पास तंत्र नहीं है, सूचना नहीं आती। या हमारे पास आदमी नहीं है, जिसके कारण हम जंगल की आग को नहीं रोक पाते हैं। भर्ती भी बिना तनख्वाह दिये करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो इसको जरा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सुव्यवस्थित करिए कि गर्मी में जंगलों में आग मत लगे। अगर एक बार आग लगती है तो करोड़ों रूपये की संपदा का स्वाहा हो जाता है और किसी के ऊपर जवाबदेही तय नहीं होती है। पर माननीय मंत्री जी और भी बहुत सी समस्याएं हैं, जिन्हें लेकर मैं आपसे मिलूंगा पर मेरा विशेष आग्रह यह है कि आप विधायकों की कॉलोनी के बारे में कोई जरूर रास्ता निकालिए ताकि हम लोग भी सम्मानजनक तरीके से अपने घर तक पहुंच सकें और आने-जाने में हमें सुविधा हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भी क्षेत्र का था...।

अध्यक्ष महोदय :- आपने अपना समय माननीय उनको दे दिया है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- नहीं, वह तो आपकी अनुमति से।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा जल्दी से बात कीजिए। तुम्हारे यहां जंगल नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 36, 21, 10, और 39 का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज आवश्यकता इस बात की है कि जल, जंगल और जमीन को बचाया जाए। अभी हम खाद्य विभाग का प्रतिवेदन पढ़ रहे थे पर सरकार ने कहा है कि हम हर परिवार को 35 किलो चावल देंगे। किन्तु खाद्य विभाग के बजट में तो कटौती की गई है। घोषणा पत्र में नमक, चीनी, मिट्टी तेल उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख बजट में नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में जो फर्जी राशन कार्ड चल रहे हैं। वास्तव में, जब हम लोग बड़े लोगों के जनसंपर्क में जाते हैं, बड़े लोगों के कई जगह नाम पाये जाते हैं। गांव में जो रहने वाला व्यक्ति है जो पात्र है और जो गरीब है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-व्यापन करता है, जिसको शासन की सहायता की जरूरत है। जिसको राशन की जरूरत है। कई बार उसका नाम नहीं होता। इसलिए राशन कार्डों का पुनर्निरीक्षण करना आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से मिलर्स के बारे में कहना चाहूंगा अभी बीच में मिलर्सों का डेलीकेशन इनसे मिला था कि फिर से टेस्ट मिलिंग कराकर मिलर्स के साथ वार्ता करके कोई नई नीति बना लें ताकि बार-बार जो समस्या आती है मिलर्स के साथ में कि कस्टम मिलिंग की समस्या आती है, शासन की नीति पर बदलाव आता है तो एक बार कोई ठोस नीति बना ले। ताकि उनके साथ में बार-बार कोई दिक्कत न आये।

माननीय अध्यक्ष जी, आप भी हमारे जिले से आते हैं। उस जिले में जंगल नहीं है। जांजगीर-चाम्पा जिले में मात्र 2 प्रतिशत जंगल है। हमारा जो जिला है, वह मैदानी जिला है। लेकिन जो भी 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत फारेस्ट है, बलौदा क्षेत्र का जो छाता जंगल है, उस क्षेत्र में व्यापक रूप से बड़ी मात्रा में अवैध कटाई होती है। सक्ती के ईलाके में जो जंगल है, वहां पर भी अवैध कटाई की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक तो वह वैसे भी जंगलविहीन जिला है। जो थोड़ा-मोड़ा जंगल बचा है, उस पर भी माफिया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लोग जाकर जंगलों की सुनियोजित ढंग से अवैध कटाई करवा रहे हैं। उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो वृक्षारोपण किया जाता है, हम वृक्षों को लगा तो लेते हैं, लेकिन लगाने से ज्यादा आवश्यकता उसको बचाने की है। रिकार्ड में तो लग जाते हैं। हमने वृक्षारोपण का विश्व रिकार्ड भी बनाया। गिनीज बुक में नाम आ गया कि इस जिले में इतने लाख पौधे लगाये गये। लेकिन उसमें से कितने पौधे बचे हैं, कितने जीवित पौधे बचे हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। उसकी मानीटरिंग होनी चाहिए। यह माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बिलकुल होना चाहिए। आप लोग कहते थे कि हम लोगों ने इतने रतनजोत लगाये, इतने रतनजोत लगाये। यदि अब तक उसका डीजल निकला होता तो छत्तीसगढ़ के आधे डीजल की समस्या का हल हो गया होता।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, लाख को सरंक्षित करने की आवश्यकता है, शहद को सरंक्षित करने की आवश्यकता है। बजट में कहीं पर कोई उल्लेख वन विभाग के प्रतिवेदन में नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे बजट में सड़क सुरक्षा को लेकर शासन की कोई नीति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। हम समाचार-पत्रों को उठा लें। आज भी, प्रतिदिन के समाचार-पत्रों में इस बात का उल्लेख है कि सड़क दुर्घटना में इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस तरीके से आवागमन का दबाव बढ़ा है, तो हम लोगों को कैसे बचायें, सड़क सुरक्षा के प्रति कैसे लोगों को कैसे सचेत करें, कैसे आवश्यक कदम उठाये, वास्तव में इस पर कोई ठोस नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। इसका बजट में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। हमारे जो नवजवान हैं, वे बेचारे असमय काल के गाल में समा जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदूषणमुक्त पर्यावरण की व्यवस्था, हम देखते हैं कि सभी शहरों में रात 10 बजे के बाद जिस तेजी के साथ मुख्य मार्गों में जब नो एन्ट्री खुलता है, 20 चक्कें के वाहन, 25 चक्कें के वाहन, 40 चक्कें के वाहन ऐसे तेजी के साथ शहर में घुसते हैं, जैसे कोई साक्षात मौत आ रहा है। सरकार को इस पर चिंता करके नीति बनाने की आवश्यकता है कि हम क्या करें। सुबह 5 बजे तक वह सड़क खाली नहीं रहता और डम्फरों से चलता रहता है। हम पुराने वाहनों को कैसे कालातीत करें।

अध्यक्ष महोदय :- गति थोड़ा तेज कर दीजिये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वाहन की गति तेज करना है या इनकी ?

अध्यक्ष महोदय :- वाचन की।

श्री नारायण चंदेल :- मैं गति तेज कर देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में जितने घटारा वाहन हैं, वास्तव में उसकी मानिटरिंग होनी चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। परन्तु हम देखते हैं कि जो खदान एरिया है, वहां पर सड़क दुर्घटना सबसे ज्यादा होती है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है कि सुने, देखें और बोलें, लेकिन इस सदन में पूर्व संसदीय कार्यमंत्री जी सो रहे हैं, उनके सोने के लिए अलग से व्यवस्था करा दी जाये ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जगाने की जवाबदारी सत्तू भैया के पास थी, आजकल सत्तू भैया सो गए हैं और कोई काम ही नहीं रह गया है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- इनके क्या जगाना, ज्यादा खा लेते हैं तो इनको नींद आती है ।

श्री नारायण चंदेल :- वे आंख बंद करके सुन रहे हैं । अध्यक्ष जी, बिना हेल्पर के गाड़ी चलती है और हेल्पर साईड में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए बिना हेल्पर के जो बड़े वाहन चलते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है । जो ट्रेलर चलते हैं, उसमें ड्राईवर को नहीं दिखता, और वह रौंदते हुए चला जाता है । जो अधिकांश घटनाएं इस बीच में हुईं, उसमें बड़े-बड़े वाहनों में कोई हेल्पर नहीं रहता, जो एक साईड को देख सके ।

माननीय अध्यक्ष जी, अस्पतालों के किनारे हम देखते हैं कि जितने भी नर्सिंग होम हैं, बड़े अस्पताल हैं, निजी नर्सिंग होम हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल है, जो दवाई की पट्टियां हैं, इंजेक्शन हैं, उसका प्रबंधन आप कहां करेंगे, उसके रि-साईकिलिंग की क्या व्यवस्था है । उससे बहुत ज्यादा वातावरण प्रदूषित होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है । आपने बैठक करके कहा था कि सीमेंट प्लांट में प्लास्टिक का उपयोग किया जायेगा, उसका क्या हुआ, उसके बारे में इस बजट में, प्रतिवेदन में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। अभी जो पावर प्लांट चल रहे हैं, भूसा बेस जो पावर प्लांट हैं, उसमें ये कंडीशन है कि 80 प्रतिशत भूसा और 20 प्रतिशत कोयला होना चाहिए, लेकिन पावर प्लांट से जो प्रदूषण हो रहा है, कोयले से पावर प्लांट चल रहा है, उसकी मानीटरिंग होनी चाहिए, उसका निरीक्षण होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय धर्मजीत जी ने जिन बातों की ओर ध्यानाकर्षित किया है, निश्चित रूप से हम सब लोग अनेक बार आसंदी के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित कर चुके हैं कि हमारी जो एमएलए कालोनी है, उसकी जो सड़क है, वह अत्यंत दयनीय है और ऐसा लगता है कि वह अंडमान निकोबार टाईप का मामला है । कई साल हो गए, 150 मीटर की सड़क है । हर बार ये आश्वासन आता है कि जल्दी बन जायेगा, कल से काम शुरू हो जाएगा और आने जाने में जब विधायकों के साथ ये गति है तो फिर आम लोगों के साथ क्या होता होगा ।

अध्यक्ष महोदय:- बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने अच्छा बोला, आपको धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपको भी धन्यवाद, लेकिन मैं बोल रहा हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप इसमें निर्देश जारी कर दें कि जो विधायकों की कालोनी है, उस कालोनी की सड़क सरकार जल्द से जल्द बनवा दे ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं खुद जाकर देखूंगा, उसके बाद कहूंगा ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, आपका स्वागत है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका घर वही है क्या ?

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, इनका नहीं है, हम लोगों का है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका है क्या ? मुझे चाय पर बुलाइए ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, अभी बुला रहे हैं, आप सादर आमंत्रित हैं । धान खरीदी केन्द्रों में हमारा जो नवागढ़ विकासखण्ड है, धान खरीदी जो केन्द्र हैं-धुरकोट, भैंसदा, कुटरा, मोदा, पेंड्री, इन धान खरीदी केन्द्रों में अभी जो धान खरीदी हुई है, उसमें बड़े पैमाने पर शिकायत प्राप्त हुई है। मंत्री जी कृपया उसको दिखवा लेंगे और मैं हमारे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रोगदा और भड़ेसर में नये धान खरीदी केन्द्र का प्रस्ताव भी आपके पास में गया है, कृपया उसकी भी स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, उस दिन मैंने कृषि मंत्री जी का भी ध्यानाकर्षित किया था कि प्रदेश में जितने भी धान खरीदी केन्द्र हैं, सुदूर क्षेत्रों से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से किसान आते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था, प्रतीक्षालय की व्यवस्था और उनके पीने के पानी की व्यवस्था समुचित रूप से होनी चाहिए । वे वहां दिन भर बैठते हैं, एक दिन लग जाता है, दो दिन लग जाता है, लेकिन किसानों की जो गति है, वह बद से बदतर रहती है । इसलिए इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नारायण चंदेल जी बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिले में बलौदा वन परिक्षेत्र में एक फारेस्ट का रेस्टहाऊस है-कटरा। वह कटरा जंगल में है। माननीय अध्यक्ष जी का भी वह पसंदीदा जगह है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले की व्यवस्था में जैसा वह रेस्टहाऊस था वैसा उसे बनवाने के लिए कृपापूर्वक घोषणा करें।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आज की चर्चा में भाग लिया। माननीय सौरभ सिंह जी, माननीय बृहस्पत सिंह जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय रेखचंद जैन जी, माननीय देवव्रत सिंह जी,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय केशव प्रसाद चंद्रा जी, श्रीमती ममता चन्द्राकर जी, श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी, श्रीमती रेणु जोगी जी, माननीय विकास उपाध्याय जी, माननीय धर्मजीत सिंह जी, माननीय नारायण चंदेल जी। सभी माननीय साथियों ने बहुत अच्छे ढ़ंग से अपने सुझाव दिये। आरोप भी लगाये, आलोचना भी की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप और आलोचनाओं के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता। विभागों के पास उत्तर देने के पर्याप्त कारण हैं और सभी जानकारी विभाग के पास है। लेकिन यदि मैं आरोपों और आलोचनाओं पर उत्तर देना शुरू कर दूंगा तो कहीं न कहीं पूर्ववर्ती सरकार दिखाई देगी। इसलिए मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिये हैं, आज बजट के दौरान आपने दिया, बजट के बाद भी मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि आपके जो भी महतवपूर्ण सुझाव हैं उस पर अमल करने का मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- किसी ने हाथी कॉरीडोर के बारे में कुछ कहा क्या?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथी कारीडोर के बारे में बातें आई हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं खाद्य विभाग की अनुदान मांगों पर अपनी बात रखना चाहूंगा। 01 नवंबर, 2000 से वर्ष 2003 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय प्रदेश में धान खरीदी की नीति पहली बार कांग्रेस की सरकार ने बनाई। प्रदेश में 1333 सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी का कार्य होता था, आज वह बढ़कर 2000 केन्द्रों के जरिये खरीदी का कार्य होता है। इन 1333 सहकारी समितियों के जरिये उस समय हमने बेहतर व्यवस्था कराई थी लेकिन जिन कठिनाइयों का सामना उस समय करना पड़ता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग दिल्ली गये थे, हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी, हम लोग धान खरीदी के लिए पैसे की मांग करते थे। उसका कारण ये था कि जो धान खरीदी होती थी उसका जो चावल बनता है उसमें टूटन की मात्रा ज्यादा होती थी और सेंट्रल पूल में चावल जमा करने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं थी। फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसके बारे में कोई निर्देश नहीं था, वह हमारा चावल नहीं लेते थे। मजबूरीवश उस समय काम के बदले धान योजना तत्कालीन सरकार ने लागू की थी और जिसके जरिये जितना भी उपार्जित धान था उसका निराकरण हम लोग करा पाये थे। वही स्थिति आज भी हमारे सामने है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में 80 लाख 37 हजार मेट्रिक टन धान की खरीदी हम लोगों ने किया और ये 80 लाख 37 हजार मेट्रिक टन धान की खरीदी 2500 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो कि हमारे जन घोषणा पत्र में था उसके हिसाब से हम लोगों ने किया। पूरे देश में छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को सबसे अधिक धान का मूल्य देने वाली सरकार बन गई है क्योंकि 2500 रूपये प्रति क्विंटल किसी भी राज्य में आज तक नहीं दिया गया। इससे 15 लाख 71 हजार किसानों को लाभ हुआ, उनको भुगतान किया गया और ये भी हो सकता है कि भुगतान

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

की प्रक्रिया में आने वाले समय में उनके खाते में पैसा आये, लेकिन अधिकांश के खाते में पैसा जा चुका है। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार ने जो 1750 एवं 1770 रूपये का समर्थन मूल्य था उसमें 300 रूपये मिलाकर 2050 और 2070 रूपये की दर उन्होंने निर्धारित किया था। नई सरकार बनने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और किसानों की उन्नति और उनकी तरक्की के लिए पहली बार 2500 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की नीति बनाई और सफलता पूर्वक 80 लाख 37 हजार मेट्रिक टन धान खरीदने में हम लोग सफल हुए। पूरे राज्य में इस वर्ष प्रदेश के 15 लाख 71 हजार किसानों से 80 लाख 37 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है जिसके लिये 20 हजार 92 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया गया है। इसके पहले जितने भी रिकार्ड अगर आंकलन किया जाये तो पूर्ववर्ती सरकार सबसे अधिक धान खरीदी 2013-14 में सर्वाधिक 79 लाख 72 हजार मीट्रिक टन की खरीदी की थी जिसमें 12 हजार 971 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ था लेकिन वर्तमान सरकार ने सारे रिकार्डों को ध्वस्त करते हुए पहली बार 8 हजार 121 करोड़ रूपये अतिरिक्त का भुगतान किया गया है। कुल मिलाकर 80 लाख 37 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गइ्र है जो राज्य सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। 20 हजार 92 करोड़ रूपये किसानों के खाते में जाने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जो बाजार की स्थिति है, अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार की गुंजाइश दिख रही है। आने वाले समय में इसमें और अधिक सुधार हो सकेगा। माननीय सदस्य श्री सौरभ सिंह जी ने राशन कार्डो को लेकर अपने भाषण के दौरान कुछ बातें उठाई थी। हमारे जन घोषणा पत्र में है कि हम सभा परिवारों को 35 किलो चावल देंगे। छत्तीसगढ़ की जनगणना यदि हम देखें तो 2011 की जनगणना के अनुमान में 56 लाख 51 हजार परिवार छत्तीसगढ़ में है। 2013 में पूर्ववर्ती सरकार ने 72 लाख राशन कार्ड बना दिया। बाद में उन राशन कार्डो को सत्यापन के नाम पर कम किया गया और लगभग 13 लाख राशन कार्डों को निरस्तीकरण किया गया। वर्तमान में जो पापुलेशन का ग्रोथ है 2011 की जनगणना के अनुमान पर लगभग 65 लाख परिवार इस समय छत्तीसगढ़ में अनुमानित हैं। इन 65 लाख परिवारों के लिए जो हमारी योजना बनाई गई है कि सभी को 35 किलो चावल हर राशन कार्डधारी को दिया जायेगा ये हमारे जन घोषणापत्र में है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसके लिए 4 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान भी किया गया है। जो माननीय सदस्य की चिंता थी, इन्होंने ये कहा कि कई परिवार ऐसे भी हैं जिनको 7 किलो प्रति व्यक्ति चावल मिलता है और यदि 35 से ऊपर यदि 6 लोगों का परिवार हो तो क्या उनका राशन कार्ड काट दिया जायेगा? या नया बनेगा, या जो कम लोग हैं । इन सब बातों के लिए युक्तियुक्तकरण करने की आवश्यकता है। 35 किलो तो अनिवार्य रूप से देना ही है। कुछ परिवार छोटे भी हो सकते हैं, कुछ परिवार बड़े भी हो सकते हैं। जो चिंता आपके बड़े परिवारों के लिये थी, उन बड़े परिवारों के लिए राशन कार्डो के माध्यम से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

युक्तियुक्तकरण किया जायेगा, इस बात की मैं यहां घोषणा करता हूं। जो प्रमुख बातें इस वर्ष के बजट में है ये दोनों बात है। मैंने उसकी विस्तृत जानकारी आपको दे दी है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुदृणीकरण इसके लिए भी हम कदम उठा रहे हैं। ये सब पूर्व की योजनाएं हैं और इस पर विस्तारपूर्वक बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं। सारी बातें आपकी जानकारी में है। पी.डी.एस के लिए जो बजट में प्रावधान 4 हजार करोड़ रूपये का है। खाद्यान्न सहायता योजना में, शक्कर के लिए 100 करोड़ का बजट का प्रावधान है। भंडारण क्षमता का भी विकास हुआ है। भंडार गृह निगम 64 हजार टन क्षमता के नवीन गोदामों का निर्माण कराया गया है। विभागीय बजट में 10.5 करोड़ रूपये का आगे प्रावधान है। ये सारे नियमित कार्य हैं। अलग से कोई बहुत विशेष बात नहीं है जो विशेष बातें थी वह मैंने आपको बताया। आवश्यकत वस्तुओं के बाजार भाव की सतत निगरानी ये पुरानी प्रक्रिया है। भुगतानों का हित संरक्षण ये भी पुरानी प्रक्रिया है। नापतौल के बारे में आपने एक बात उठाई थी कि नापतौल उपकरण के सत्यापन की सेवाओं को इस समय आनलाईन करने की सुविधा विभाग द्वारा 2017 से है। ये भी पुरानी बात है कोई बहुत नई बात इसमें नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो खाद्य विभाग का बजट है, जो प्रमुख बातें थी वो मैंने आपकी जानकारी में लाया। माननीय सभी सदस्यों से इस बारे में अंत में मैं आग्रह करूंगा कि इसको पारित करायें। आवास एवं पर्यावरण विभाग का मुख्य काम आवासीय योजनाएं, शासकीय सेवा के लिए भवन, भवनों का निर्माण राष्ट्रीय और राज्य की आवास नीति का क्रियान्वयन एवं समन्वयन ये इसका मुख्य काम है। इसमें भी सारी बातें पुरानी योजनाओं की है। आप सब विद्वान सदस्य हैं आपने बजट पढ़ा है आपने देखा है, पुरानी बातों को दोहराते हुए अपनी बात रखने का मैं कोई औचित्य नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी दो-चार बातें आपने अपने भाषण में रखी हैं उसको कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय है, 02 अधिकरण, 02 मण्डल, 02 प्राधिकरण और 06 विशेष क्षेत्र प्राधिकरण इसमें कार्यरत हैं और प्रमुख रूप से संपूर्ण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिक्षेत्रीय योजना नगरों के विकास की योजना, अनाधिकृत विकास और निर्माण पर नियंत्रण रखना, ये इसका प्रमुख काम है। इस समय प्रदेश में 13 नगर पालिका, 43 नगर परिषद और 112 नगर पंचायत है और इन सभी क्षेत्रों का गठन किया जा चुका है और 158 क्षेत्रों के भू- उपयोग मानचित्र प्रकाशित किये जा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि अटल नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के लिए आवास एवं पर्यावरण में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि अटल नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अटल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन इसका जो बजट प्रावधान है वह नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत है। राज्य के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र के 10 जिलों में हो रहे औद्योगिक विकास और विकास को नियंत्रित करने...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, रायपुर शहर के मास्टर प्लान में बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो पिछले 20-25 सालों से एम.आर. रोड के रूप में चिन्हांकित है। परंतु वह सड़कें नहीं बन रही हैं और उन सड़कों के नहीं बनने के कारण लोगों को निर्माण का परमिशन भी नहीं मिल रहा है। तो क्या आप मास्टर प्लान की पुन: समीक्षा करेंगे और स्मार्ट सिटी रायपुर शहर बनना है या तो उन सड़कों को बनाये और वह सड़कें नहीं बन सकती है बजट में प्रावधान नहीं है तो उसको निरस्त करें, जिससे रायपुर शहर का डेवलपमेंट रूक गया है, वह डेवलपमेंट और आगे बढ़ सके।

श्री मोहम्मद अकबर :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सबंध में माननीय सदस्य से अलग से और चर्चा कर लूंगा और निश्चित रूप से उनके महत्वपूर्ण सुझाव पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपसे अलग से इस बारे में बात कर लूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एकीकृत उप नगर की स्थापना के लिए नीति बनायी है कि इसमें उप नगर को प्रोत्साहित करने के लिए, रायपुर के लिए जो न्यूनतम क्षेत्रफल का निर्धारण है वह 10 हेक्टेयर और अटल नगर के लिए 30 हेक्टेयर, बिलासपुर, दुर्ग भिलाई के लिए 8 हेक्टेयर तथा अन्य विशेष क्षेत्र के निवेश क्षेत्रों के लिए 5 हेक्टेयर भूमि होने का प्रावधान किया गया है, जिससे एकीकृत उप नगर का निर्माण किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की अमृत मिशन योजना इसके अंतर्गत प्रदेश के चयनित 9 नगरों को विकास योजनाएं, जी.एस. आई. ग्लोबल स्टेटिक इमेज आधार पर तैयार की जा रही है। भारत सरकार द्वारा जारी स्टैण्डर्ड डिजाईन और गाईड लाईन के अनुसार उपनगरों की हाई रिजलरेशन हेडलाईट इमेजरी के आधार पर जी.आई.एस. आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अटल नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कुछ 41 ग्राम सम्मिलित हैं और क्षेत्र में 41 गांवों को राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने 2014-2015, 31.01.2014 तथा 07.03.2015 द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। उस अटल नगर के पूरे क्षेत्रों के मार्गों की कुल लम्बाई 75.50 किलोमीटर है और 54 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण 258 करोड़ की लागत से प्रारंभ किया गया है। जल प्रदाय योजना के लिए 2021 के हिसाब से, वर्ष 2021 में कितने अनुमानित जल की आवश्यकता हो सकती है ये 52 एम.एल.डी. पानी और प्रस्तावित आबादी 3.6 लाख के लिए भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था के लिए भी योजना बनायी गई है। वर्तमान में जल प्रदाय व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। अटल नगर डेवलप प्लान 231 के अनुसार अनुमानित बिजली जो है वह 250 मेगावाट है प्रथम चरण में अनुमानित बिजली की मांग 123 मेगावाट आंकी गई है और वर्ष 2031 के अनुमान हिसाब से यहां निर्माण कार्य किये गये। ये सारी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बातें पुरानी है। वर्तमान सरकार के लिए इस समय जो बजट में प्रावधान है वह आपके सामने हैं लेकिन जो बातें अभी जो सुचारू रूप से चल रही हैं मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 एकड़ में सेन्ट्रल पार्क है। जो अटल नगर क्षेत्र में है। नार्थ सेन्टल पार्क, साउथ सेन्ट्रल पार्क इसके अलावा जो अटल नगर की रेल्वे कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए भी काम चल रहा है। मंदिर हसौद से केन्द्री तक बराट गेज रेल्वे लाईन बिछाने का काम रेल्वे द्वारा प्रारंभ किया गया है। फायर सिस्टम के लिए भी अटल नगर की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक फायर स्टेशन और आपदा प्रबंध केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है जो आगामी वर्ष में क्रियाशील होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल जिसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी अटल नगर के बारे में क्या आप कोई नई योजना बना रहे हैं ? या अटल नगर में जो 42 गांव शामिल किये गये हैं, वहां के लोगों की अलग-अलग मांग है कि उसको छूट दी जाये, वहां पर निर्माण की परमीशन दी जाये, सब प्रतिबंध लगा है, उसके कारण वहां पर बसाहट नहीं बस रही है, वहां पर आबादी आज भी कम है, क्या आप अटल नगर के विकास के बारे में कोई नई योजना बना रहे हैं ? कोई भी देश, प्रदेश का विकास, आर्थिक उन्नति दो ही तरीकों से होता है या तो औद्योगिक उन्नति हो या फिर वहां पर बसाहट बढ़े, निर्माण के काम बढ़ें। तो क्या आप निर्माण की कोई नई पालिसी ला रहे हैं जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में निर्माण की गतिविधियां फिर से उन्नत हो सकें और यहां की अर्थव्यवस्था अच्छी बन सके ? इन दोनों मामलों में आपको प्रयास करना चाहिए। अगर ये प्रयास होंगे तो मुझे लगता है कि आप भी रायपुर शहर में रहते हैं, रायपुर के शहर के बारे में, यहां के विकास के बारे में, यहां की आर्थिक गतिविधियों के बारे में हम चिंता नहीं करेंगे तो शायद रायपुर शहर राजधानी के रूप में जैसा विकसित होना चाहिए, वैसा विकसित ठीक तरीके से नहीं कर पायेंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- निश्चित रूप से आपने जो चिंता व्यक्त की है, हम लोग इस बारे में जरूर प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के बारे में भी कुछ बातें रखी गईं, विशेष करके जो विधायक कालोनी है, उसके मार्ग आवागमन के बारे में भी आपने बात रखी है। आपने स्वयं सदन से कहा है कि आप स्वयं जाकर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ मैं भी चलना चाहूंगा और साथ में जाकर जो बेहतर विकल्प हो सकेगा, उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद। आप कम से कम तकलीफ को तो देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में प्रचलित विभिन्न आवासीय योजना के अंतर्गत 87,769 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 15055 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। छेरीखेड़ी रायपुर में माननीय जनप्रतिनिधियों, अखिल भारतीय सेवा, न्यायिक सेवा और मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों, कर्मचारियों हेतु भूमि आवंटित की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण का गठन 2004 में हुआ और रायपुर विकास प्राधिकरण की कुछ योजनायें थीं जिसके बारे में विकास प्राधिकरण को कर्ज लेना पड़ा जिसको कमल विहार के नाम से जानते हैं और इसमें लगभग 600 करोड़ का कर्ज लिया गया और वर्तमान में भी 400 करोड़ का कर्ज देना अभी बाकी है। इसमें बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा कि कमल विहार योजना के नाम से कोई आवासीय कालोनी बसाई जाये। इसलिए सरकार ने ये तय किया है नगर विकास योजना क्रमांक 4 के अनुभव बहुत अच्छे नहीं होने से सरकार ने नगर विकास योजना क्रमांक-5 ये कमल विहार का ही एक पार्ट है, जिसमें 6 गांव सम्मिलित थे, को भू-स्वामियो के हित में समाप्त कर दिया गया है। क्योकि इसके पहले कमल विहार योजना बनाई गई, आवासीय कालोनी बनाई गई, उसका बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा और आज रायपुर विकास प्राधिकरण के ऊपर 400 करोड़ का कर्ज बाकी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कमल विहार में जो किसानों की जमीन ली गई है, उनको आज तक प्लाट नहीं मिला है, मुआवजा नहीं मिला है, क्या आप उसके निराकरण के लिए कुछ कर रहे हैं ? अनुभव अच्छा नही हैं, परन्तु आपकी सरकार को आये हुए दो महीना हो गया है, अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ है। जिन किसानों की जमीन ली गई, जिन भूमि-स्वामियों की जमीन ली गई, उनको आज तक प्लाट नहीं मिला, उसका विकास नहीं किया गया। उसके बारे में तो आपको योजना बनानी पड़ेगी। आप क्या प्लान कर रहे हैं कि कमल विहार का ठीक से विकास हो ?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल सरकार में रहने के बाद व्यवस्था नहीं कर पाये, इसलिए बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों की या जिन लोगों की भी जमीन गई है नियमानुसार 35 प्रतिशत की भूमि उनको मिलना चाहिए और निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि जिनका हक है वह जरूर उनको मिलना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज 10-10 साल हो गये हैं, उन भूमिस्वामियों को भूमि नहीं मिली, आज तक उनको प्लाट नहीं मिला है। किसी के घर में बच्चे की शादी है, कहीं पर कोई परिवार में जरूरत है, भूमिस्वामी दर-दर भटक रहे हैं, उसका निराकरण नहीं हो रहा है। मेरा आपसे यही आग्रह है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि उसका निराकरण कोई योजना, प्लान बनाकर भूमि-स्वामियों को जिनकी जमीन ली गई है, कम से कम उनको तो प्लाट मिल जाये, इतनी व्यवस्था कर दें।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- श्री बृहस्पत जी, आप पूर्व मंत्री को बोल रहे थे कि वे किस हालत में 15 साल झेले हैं, उनकी सुनते नहीं थे इसीलिये तो इधर सुझाव दे रहे हैं । उस समय में उसकी चलती ही नहीं थी । डॉ. रमन सिंह ने नहीं दिया, ये पहला अच्छा सुझाव दे रहे हैं लेकिन मजबूरी है क्या करेंगे बताओ ।

श्री मोहम्मद अकबर :- निश्चित रूप से आपने जो भी सुझाव दिये हैं उसमें हम लोग गंभीरता से लेते हुए उसमें कार्यवाही आगे बढ़ायेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दादी समझदार है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन कार्यक्रम मेनार्स के अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक जल स्रोत, स्रोतों की गुणवत्ता पर भी निगरानी विभाग द्वारा रखी जाती है । इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य नदियां महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, हसदेव, केलो, शंखनी, डंकनी, मांड, इंद्रावती नदियां शामिल है । यह योजना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर्थिकसहयोग से संचालित की जा रही है । प्रदेश में कोयला आधारित 79 ताप विद्युत केंद्र हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, हमारे मुंगेली और लोरमी को भी इसी में देख लीजिये । वहां पर बहुत गंदगी है, मुझे शहर वाले बुलाकर बोले थे तो मैंने कहा था कि आपको बता दूंगा ।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं आपसे अलग से इस बारे में जानकारी ले लूंगा और मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आपके जो भी महतवपूर्ण सुझाव हैं उस पर हम लोग अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे । कोयला आधारित 79 ताप विद्युत संयंत्र संचालित हैं, फ्लाईएश एक बड़ी समस्या है और इसके बारे में राज्य में सड़क और फ्लाईओवर निर्माण तथा रेल्वे लाईन में निर्माण में भी फ्लाईएश का उपयोग हो इसके लिये विभाग प्रयासरत है और संबंधित संस्थानों को निर्देशित किया गया है जिससे फ्लाईएश का अधिकतम लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास पर्यावरण विभाग के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण यह कार्यरत है । भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण कार्यरत है। अटल नगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कार्यरत है । अरपा क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत है, सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत है इसमें कोई नयी बात नहीं है जिसके बारे में उल्लेख किया जा सके सब पूर्ववर्ती सरकार की योजना है जो संचालित है । मैं अंत में माननीय सदस्यों से इस बारे में भी आग्रह करूंगा कि वे इस बजट को पारित करने में सहायता प्रदान करें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान एक-दो बातें रखीं थीं कि रायपुर-कोरबा क्षेत्र में जो इस समय पर्यावरण की अर्थात् प्रदूषण की जो स्थिति है उसके बारे में तो मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं कि रायपुर-कोरबा क्षेत्र में पॉलुशन लोड केयरिंग केपेसिटी स्टडी के लिये आई.आई.टी. मुंबई से अध्ययन कराया गया है । स्टडी रिपोर्ट नवम्बर 2018 में प्राप्त हुई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है । स्टडी रिपोर्ट के आधार पर कार्य योजना बनायी जा रही है । रायगढ़ व जांजगीर चांपा क्षेत्र में आईआईटी खड़गपुर के द्वारा पॉलुशन कंट्रोल केयरिंग केपेसिटी स्टडी करायी गयी है । स्टडी रिपोर्ट नवम्बर 2018 में प्राप्त हुई है, रिपोर्ट के आधार पर जांजगीर-चांपा व रायगढ़ क्षेत्र के लिये एक्शन प्लान बनाया जा रहा है । रायपुर, कोरबा, भिलाई, रायगढ़ में नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत परिवेशीय में पर्टिकुलेट मेटर मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, अन्य जिलों में मॉनिटरिंग की व्यवस्था के लिये प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं इसके अलावा भी यदि आपके और भी कोई सुझाव होंगे तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही करने का हम लोग प्रयास करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग के संबंध में भी बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगा । परिवहन विभाग में जो वर्ष 2018-19 में जो राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य था 1500 करोड़ उसके विरूद्ध वर्ष 2019 तक 970.89 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है । मालयानों में ओवरलोडिंग पर कार्यवाही वर्ष 2018-19 में 4277 वाहनों पर कार्यवाही कर 7 करोड़ 68 लाख 13 हजार समझौता शुल्क वसूल किया गया है । वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य शासन द्वारा परिवहन विभाग को 108.64 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा माह जनवरी 2019 में 45.47 करोड़ रूपये व्यय किया गया है । नवीन वाहनों के पंजीयन के बारे में भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 2018-19 जनवरी तक, कुल 4 लाख 63 हजार, 346 वाहन पंजीकृत हुए हैं । चालक लायसेंस 2018-19 तक 2 लाख, 33 हजार 051 जारी किए गए हैं । परिवहन कार्यालयों में वेब आधारित सुविधाएं - इस समय परिवहन कार्यालय में जो भी सुविधाएं हैं वे सब वेब आधारित हैं । ऑन लाइन टेस्ट का सिस्टम, फीस पेमेंट सिस्टम, डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑनलाइन वाहनों का पंजीयन, चिन्ह की नीलामी, ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस, अपाइंटमेंट सिस्टम, ये सब कम्प्यूटराइज्ड कर दिया गया है और इसके माध्यम से ये सब कार्यवाही संचालित है । अध्यक्ष महोदय, ड्राइनिंग, ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना भी विभाग द्वारा की जा रही है । इंस्पेकशन एण्ड सर्टीफिकेशन सेंटर की स्थापना भी की जा रही है । परिवहन सेवा केन्द्र - आधुनिक परिवहन सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है । इसके अंतर्गत बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, कोरबा, नांदगांव कबीरधाम में भी आधुनिक सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । अध्यक्ष महोदय, सेंसर आधारित कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग टेस्ट ई-ट्रैक, इसके लिए भी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है । बैटरी चलित ई-रिक्शा को प्रोत्साहित किया गया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है । राज्य में लगभग 134 पंजीकृत बैटरी चलित ई-रिक्शा एवं ई-कोर्ट निर्माता कंपनियों को पंजीयन की अनुमति दी जा चुकी है एवं कुल 2196 वाहन पंजीकृत किये जा चुके हैं । तथा इन वाहनों को प्रथम पांच वर्षों के लिए देय टैक्स से शत प्रतिशत छूट भी विभाग द्वारा दी जाती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पारस्परिक यातायात समझौता - छत्तीसगढ़ द्वारा पड़ोसी राज्यों से अंतर्राज्यीय परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक यातायात समझौते सम्पन्न किये गये हैं । इसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश से आपसी समझौता हुआ है । छत्तीसगढ़ एवं उत्तरप्रदेश के मध्य 9 वाहन संचालित हैं तथा आपसी यातायात समझौता कर परिवहन सेवा का विस्तार करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । कुछ मार्गों में ए.सी. बसों का भी संचालन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने अब तक जो ऑटो रिक्शा चालकों को 4 महीने का परमिट दिया जाता था और एक-दो दिन तक उनको परिवहन कार्यालय में जाकर रूकना पड़ता था, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में पंजीकृत सवारी ऑटो रिक्शा को वर्ष में तीन-तीन माह के लिए जो अस्थायी परमिट जो जारी किया जा रहा था उसको समाप्त करते हुए, वह समाप्त नहीं हुआ है यदि वे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं लेकिन वाहन स्वामियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए 5 वर्षों के लिए स्थायी परमिट जारी किया जा रहा है जिससे कार्य की सुविधा के साथ-साथ समय की भी बचत हो रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 के बजट का जो अनुमान है । परिवहन विभाग के अंतर्गत मुख्यालय, मैदानी कार्यालय राज्य परिवहन, अपीलीय अधिकरण, सड़क सुरक्षा कोष, ड्राइविंग, ट्रेनिंग, रिसर्च केन्द्र, अत्याधुनिक वाहन परीक्षण केन्द्र, योजनाओं के साथ-साथ स्टेट गैरेज का बजट किया जाता है । आवश्यकतानुसार 2019-20 के लिए 73.07 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं वन विभाग के बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहूंगा । इस समय प्रदेश में 44.21 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं । भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के प्रतिवेदन 2017 के अनुसार वन आवरण की दृष्टि में प्रदेश इस समय तीसरे स्थान पर है । मुख्यत: आद्र एवं शुष्क साल और सागौन प्रजाति के वनों के साथ साथ शुष्क मिश्रित वन एवं बांस के वन भी उपलब्ध हैं । प्रदेश का वन विभाग न केवल पर्यावरण को बचाने बल्कि प्रदेश के आदिवासी भाईयों की चिंता करते हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु प्रयत्नशील है । प्रस्तावित बजट वानिकी एवं वन्य जीवों के लिए 1095.87 करोड़, वानिकी एवं वन्य जीवन (अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए) 358.28 करोड़, वानिकी एवं वन्य जीवन के लिए 76.42 करोड़ ।

प्रदेश में हरियाली के प्रसार के लिए सामान्य जन के साथ मिलकर सभी विभागों औद्योगिक संस्थानों के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है । पूर्ववर्ती सरकार ने इसको हरियर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छत्तीसगढ़ का नाम दिया था । इस समय 2018 में इस अभियान के तहत वन विभाग के द्वारा 5 करोड़, 51 लाख पौधों का वितरण किया गया था । इसी अभियान को जोड़ने के लिए एक हितग्राही योजना हरियाली प्रसार योजना विभाग द्वारा संचालित है । इस योजना के अंतर्गत 50 से लेकर 5000 तक पौधे और देखरेख के लिए अनुदान राशि विभाग द्वारा दी जाती है । 2018-19 में 2 करोड़ 83 लाख 15 हजार पौधे इस योजना के अंतर्गत रोपित किये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के लिए 53 करोड़ रूपये राशि का प्रावधान किया गया है। वन क्षेत्रों के बाहर बांस उत्पादन किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानीय ग्रामीणों को उनके निवास से लगी हुई बाड़ियों और स्थानों पर उन्नत प्रजाति के बांस रोपण करने के लिए मुख्यमंत्री बाड़ी बांस योजना इस प्रदेश में संचालित है, जिसके तहत 2018-19 में 10 करोड़ 77 लाख, 2019-20 में 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में वृक्षारोपण कार्यों में पौधों की तीव्र वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विभाग की रोपणी में दाल प्लांट दो-तीन वर्षों में तैयार किये जाने के लिए राशि 20 करोड़ का प्रावधान इस बार किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन में वन क्षेत्रों की सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर 11 हजार 185 ग्रामों में गठित कुल 7 हजार 887 वन प्रबंधन समितियां कार्यरत हैं। कुल 33 हजार 190 किलोमीटर वन क्षेत्र का संरक्षण एवं संवर्धन इनके द्वारा किया जा रहा है। जो कि राज्य के कुल वन क्षेत्र का 55 प्रतिशत है। राज्य की 2 हजार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के परीक्षण रोजगारमूलक कार्य हेतु 694.55 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से ग्रीन इंडिया मिशन योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इस हेतु राज्य के 11 वन मण्डलों अंतर्गत क्लस्टर आधार पर कुल 80 वन प्रबंधन समितियों ग्रामों का चयन किया गया है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 19 हजार 128 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जो उत्पादन का काम होता है उन उत्पादन के कार्यों में वन मण्डल की कार्य योजनाओं में निर्धारित वार्षिक रूपों में काष्ठ एवं बांस की कटाई विदोहन का कार्य सरकार की अनुमति से ही किया जा सकता है। वर्ष 2017-18 में काष्ठ एवं बांस के राजकीय व्यापार तथा अन्य मदों में 291.71 करोड़ रूपये का वन राजस्व प्राप्त हुआ था। वन प्रबंधन समितियों को इसमें से 20 प्रतिशत राशि नियमानुसार आबंटित की जाती है और जो बांस के विदोहन से जो राशि प्राप्त होती है उसका शत-प्रतिशत लाभ समितियों को प्रदान कर दिया जाता है। मानव संसाधन एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी 3 वन विद्यालय जगदलपुर, महासमुंद एवं सक्ती में स्थापित हैं। वन विद्यालय जगदलपुर में अप्रशिक्षित वन पाथ एवं वन रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है और शेष वन विद्यालयों में अप्रशिक्षित वन रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के अंतर्गत जो माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की थी वृक्षारोपण को लेकर कि अलग-अलग स्थानों से वृक्षारोपण की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शिकायतें भी आती हैं। वृक्षारोपण हुआ नहीं। वृक्षारोपण के मेंटेनेन्स के अभाव में वहां पेड़ नहीं पाये जा रहे हैं तो इसके लिए एक नई पहल राज्य सरकार द्वारा की जा रही है और विभाग के द्वारा। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए समस्त वृक्षारोपणों का जी.आई.एस. जोग्राफिक इन्फारमेशन सिस्टम पद्धति से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु सभी वृक्षारोपण की के.एम.एल. फाइल तैयार कराई जा रही है। इस हेतु एक डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक वृक्षारोपण की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध होगी। इससे वृक्षारोपण कार्य में पारदर्शिता आयेगी और वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस हेतु वर्ष 2019-20 में डेढ़ करोड़ रूपये का प्रावधान डैशबोर्ड बनाने के लिए किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैम्पा के अंतर्गत प्रदेश द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1900 के अंतर्गत गैर वानिकी के कार्य हेतु हस्तांतरित वन भूमि के प्रकरणों में केन्द्र सरकार द्वारा लगाई शर्तों के अनुसार संबंधित उपयोगकर्ता संस्थानों से क्षतिपूर्ति वनीकरण अनिवार्य कार्य तथा शुद्ध प्रत्याशा एन.वी.पी. की राशि वसूलकर एडहॉक कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराई गई थी लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जारी केम्बा गाइडलाइन के अंतर्गत वन विभाग 24 जुलाई, 2009 को क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य केम्पा द्वारा 2009-10 से 2017-18 तक एडहॉक केम्पा से 1293.24 करोड़ प्राप्त कर 1081.45 करोड़ का उपयोग क्षतिपूर्ति वनीकरण, वन विकास, संरक्षण एवं वाणी प्रबंधन एवं संरक्षण के कार्यों में किया गया। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, घुरवा, गरूवा एवं बाड़ी विकास योजना अंतर्गत वन क्षेत्रों में नरवा योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कैम्पा मद से वन क्षेत्रों के नदी-नालों का रिज टू वेली आधार पर चयन कर उनमें वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जायेगा। जिससे वन क्षेत्रों मे भूजल संरक्षण के कार्य के साथ-साथ वन्य प्राणियों हेतु पूरे वर्ष पर्याप्त पानी उपलबध हो सकेगा। इसके साथ ही वन क्षेत्रों के आसपास के ढलान वाले क्षेत्रों की भूमियों में भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। जिससे कृषि भूमियों में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास का आधार कृषि है तथा नरवा रीढ की हड्डी है। अत: इसको दृष्टिगत रखते हुए इसे प्रारंभिक तौर पर 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वन्य प्राणियों के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ जैव विविधता से समृद्ध राज्य है। प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए 3 टाईगर रिज़र्व, 2 राष्ट्रीय उद्यान, 8 अभ्यारण्य अधिसूचित हैं। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20,982 लाख रूपये तथा वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 22,463 लाख का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि, जन घायल, पशु हानि, सम्पत्ति हानि, फसल हानि, मकान क्षति के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आर्थिक सहायता। जन हानि के प्रकरणों में मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता की राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, एक मिनट। मैं आपको अचानकमार टाईगर रिज़र्व का ही किस्सा बता देता हूँ। वहां के एक डिप्टी डायरेक्टर थे। मैंने उनसे कहा कि गांव के लोगों को शेर, भालू, चीता जानवर मार रहे हैं, उसका मुआवजा कैसे नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक बीट नंबर बताया कि इतने नंबर के बीट में अगर वह जायेगा तब उसको मारेगा तब हम उसका मुआवजा देंगे। तो भैय्या, वह जानवर तो है, पढा-लिखा तो है नहीं, वह बीट नंबर जानता नहीं। मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब से बहस करना भी चाहा, लेकिन वह तो डिप्टी डायरेक्टर थे। तो मैंने कहा कि मैं हार गया, आप जीत गए। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि बीट-वीट वाला सिस्टम खत्म करिये। जंगल में जानवर कहीं पर भी मारे उसको मुआवजा मिलना चाहिए। वह कौन से हिसाब से डिप्टी डायरेक्टर पढ़ा रहा था। बीट बताया कि 1874 नंबर बीट में जानवर जायेगा, उसको शेर मारेगा तब मुआवजा मिलेगा। उसके बाहर निकलेगा तो नहीं मिलेगा। यह बिलकुल सत्य है और आदेश में लिखा भी है। उसको भी सुधरवा दीजिये।

श्री मोहम्मद अकबर:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, निश्चित रूप से इस पर विचार करने की जरूरत है और हम इस विसंगति को अनिवार्य रूप से दूर करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथी मानव द्वंद के समाधान हेतु राज्य में चलाई जा रही हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास एवं प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजना के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में स्थापित सरगुजा, जशपुर हाथी रिज़र्व में आने वाले तमोर पिंगला अभ्यारण्य, सेमरसोत अभ्यारण्य एवं बादलखोल अभयारण्य में जल स्त्रोतों का विकास, चारागाह विकास, बांस वृक्षारोपण, हाथी मित्रदलों एवं वन सुरक्षा, समितियों का क्षमता विकास, प्रचार-प्रसाद आदि कार्य कराये जाते हैं गजराज परियोजना हेतु वर्ष 2018-19 में कैम्पा मद के अन्तर्गत 19.61 करोड़ रूपये प्रावधानित किया गया था और 2019-20 में भी इसके लिए पर्याप्त राशि प्रावधानित किया गया है। जिसको माननीय सदस्य ने अपर्याप्त बताया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नंदन जू, जंगल सफारी 791 एकड़ क्षेत्र में है। राजधानी अटल नगर के सेक्टर 39 में स्थित है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपके हाथी कारीडोर की बात खत्म हो गई क्या ?

श्री मोहम्मद अकबर:- नहीं, मैं तो अभी पढ़कर सुनाया।

अध्यक्ष महोदय :- लेमरू तो आया ही नहीं, जहां से केन्द्र सरकार ने आपको, राज्य सरकार को अनुमति दी थी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहम्मद अकबर:- नहीं, लेमरू प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें इसमें है। तो इसके बाद इसको पढ़ूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- बाद में पढ़ेंगे न ? है न ?

श्री मोहम्मद अकबर:- हां। लेकिन लेमरू प्रोजेक्ट के बारे में आप जो चिंता कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आगे लेमरू प्रोजेक्ट है। वह समाप्त नहीं हुआ है और लेमरू प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, अभी आप नंदन वन और जू सफारी के बारे में बोल रहे हैं। विकास उपाध्याय जी ने भी चिंता जाहिर की है कि नंदन वन समाप्त हो रहा है। हमारे जो गांव के लोग और गरीब लोग हैं, वे जंगली जानवरों को देखने के लिए नंदनवन जाते थे। नंदनवन के सब जानवरों को नई राजधानी के सफारी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो नंदनवन भी जीवित रहे और वहां पर जानवरों की कोई कमी नहीं हो, आप इसके लिए क्या प्रयास करेंगे, इसको जरा बता दें।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया:- भैय्या, बघवा संग फोटो कोन खिचावत रहिस ? उहां के उद्घाटन कोन करिस ? जंगल के शेर संग जंगल सफारी के उद्घाटन कोन करिस ?

श्री मोहम्मद अकबर:- माननीय विकास उपाध्याय जी ने जो बातें रखी हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने तय किया है जिस ढंग से माननीय अकबर साहब पूरा बैठकर सुनते हैं तो हम लोग प्रेम से बैठकर सुन रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कोई इंट्रप्ट नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं । धन्यवाद।

डा. शिवकुमार डहरिया :- परम्परा बनाए रखना ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लघु वनोपज के संबंध में मैं जानकारी देना चाहूंगा..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी, नंदनवन जो जीवित करेंगे..।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैंने बोल दिया, आपने नहीं सुना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं सुन रहा हूं । नंदनवन को जो पुराना स्वरूप था, वैसा ही नंदनवन का स्वरूप बना रहे, आप इसकी चिन्ता करेंगे । मुझे लगता है कि आप भी पहले नंदनवन घूमने गए होंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- अगल-बगल वाले सबको वहीं सफारी में छोड़ आए क्या भैया । पूरा खाली है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं उसको दिखवा लूंगा । अध्यक्ष महोदय, लघु वनोपज के संबंध में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि तेंदूपत्ता संग्रहण वन क्षेत्रों के पास रहने वाले ग्रामीणों विशेषकर आदिवासियों की आय का महत्वपूर्ण साधन है। 2018 में 14.84 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है, जिसमें 12.83 लाख मानक बोरे का विक्रय मूल्य 724.38 करोड़ है । औसत विक्रय मूल्य 5645 प्रति मानक बोरा, शेष तेंदूपत्ता के निवर्तन की कार्यवाही की जा रही है। संग्रहण वर्ष 2018 संग्राहको रूपए 25 सौ प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक 371 करोड़ रूपए का वितरण किया गया, लेकिन अब राज्य सरकार के नये फैसले के अनुसार वर्ष 2019 में संग्रहण वर्ष में हमारी सरकार ने संग्राहकों को 4 हजार रूपये प्रति मानक बोरा की दर से संग्रहण पारिश्रमिक देने का निर्णय लिया है, जो गत वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है। इस में लगभग 12.50 लाख वनवासी लाभान्वित होंगे । चरण पादुका के संबंध में माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की थी कि चरण पादुका बंद न किया जाए।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार एक ही आदमी को 6 नम्बर और 9 नम्बर का चरण पादुका मत दीजिएगा, इतना जरूर करिएगा ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, चरण पादुका के संबंध में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की थी कि पांव में कांटा गड़ जाता हैं, गोखरू हो जाता है और कई किस्म की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और जो चरण पादुका बंद किया गया, वह उचित नहीं है । इसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी योजना बंद नहीं की गई है, फर्क केवल इतना है कि पहले जो पारिश्रमिक उनको दिया जाता था, उसमें से ही पैसा काटकर और चरण पादुका खरीदकर उनको वितरण करती थी । वर्तमान इस सरकार ने ये फैसला लिया है कि पूरी की पूरी राशि उनको दे दी जाए, वे चाहे जिस क्वालिटी का चरण पादुका चाहें, वे खरीद लें और उसका उपयोग कर लें। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- चप्पल खरीदने में भी कमीशनखोरी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलो तो भला, न बोलो तो मुश्किल है। क्या किया जाए । हमने आज आपको कहा था कि बैठकर सुनेंगे और आपने जो एजेंडा दिया है, उसको पारित कराएंगे ।

श्री संतराम नेताम :- हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक चप्पल नौ नम्बर का था और दूसरा 6 नम्बर का था, इसलिए नगद देने की व्यवस्था हुई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, चप्पल में कमीशन की जरूरत नहीं है, जो चाहे, चप्पल उसको फ्री में भी मिल जाती है ।

अध्यक्ष महोदय :- बाजार में न ।

श्री बृहस्पत सिंह :- 15 साल में अनुभव किये हैं क्या ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अचानकमार टाईगर रिजर्व के बारे में भी माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी भोरमदेव टाईगर रिजर्व को बनाने का प्रयास किया गया, मैंने स्वयं उसका विरोध किया । उसमें 824 वर्ग किलोमीटर प्रभावित हो रहा था, 39 गांव उजाड़े जा रहे थे और टाईगर रिजर्व के लिए भोरमदेव अचानकमार कारीडोर के लिए इतनी व्यवस्था की जा रही थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया । अब चूंकि मैं इस विभाग का मंत्री हूं, इसलिए अधिकृत तौर पर घोषणा करता हूं कि भोरमदेव टाईगर रिजर्व नहीं बनेगा । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अचानकमार को भी आप लगे हाथ कर दो, भगवान भला करेंगे । कोई मतलब नहीं है, शेर की संख्या तो बढ़ी नहीं है । अचानकमार टाईगर रिजर्व को भी निरस्त कर दो । वहीं हैं तो क्या हो गया, दिल की बात तो सुन लीजिए । जब वह दर्द उनको है तो वही दर्द मुझको भी है, आप तो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं । सभी के दर्द का ईलाज आपके पास ही है, करवा दीजिए । दादी, आपसे कोई दर्द नहीं है, आपके विभाग से कोई मतलब भी नहीं है । इधर की बात कह रहा हूं, माननीय मंत्री जी ने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डिमांड मांग पर बहस ही ऐसा अवसर है, जिसमें हाऊस की गरिमा सबसे ज्यादा बढ़ती है कि माननीय विधायकगण जो भी पक्ष के हों, वे कहें, कोई बात आ जाती है। वे सबसे वरिष्ठतम में से हैं और दिल की बात कही तो दिल की बात आप जरूर सुन लीजिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपने जो दिल की बात कही है, मैं विशेष ध्यान रखूंगा। मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि इनके साथ इनके क्षेत्र में जाकर, जिस क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, जो बेहतर से बेहतर होगा वह किया जायेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप जैसा दिल की बात रामदयाल भैय्या को बोले थे वैसा दिल की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी और जरा लेमरू अभ्यारण्य के बारे में मुझे बता दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- लेमरू के बारे में मैंने बता दिया कि जो लेमरू प्रोजेक्ट है वह बनेगा, उसको नहीं हटाया गया है, वह बनेगा। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी का जो पसंदीदा रेस्टहाऊस के बारे में बताये थे उसकी घोषणा कर दीजिए। बलौदा के कटरा रेस्टहाऊस का।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की यह परंपरा रही है कि यदि आसंदी कोई निर्देश देता है तो माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे सदन का जो चेयर है उनके माध्यम से हमारा सदन चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो-तीन बार लेमरू की चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं, मुझे लगता है कि लेमरू के बारे में आपको माननीय अध्यक्ष जी की चिन्ता से अवगत होते हुए स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए। जो माननीय अध्यक्ष जी की चिन्ता है उस पर स्पष्ट निर्देश जारी होना चाहिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- कटरा रेस्टहाऊस और लेमरू के बारे में माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन किया जायेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये तो बतायें कि आपको कैसे मालूम है कि अध्यक्ष जी को कोई सा रेस्टहाऊस ही पसंद है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36, 21, 10 और 39 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएं।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की सिंचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या -	36	परिवहन के लिये- तिहत्तर करोड़, सात लाख, छत्तीब हजार रुपये,
मांग संख्या -	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- पांच सौ पैंसठ करोड़, पंचानबे लाख, तीस हजार रुपये,
मांग संख्या -	10	वन के लिये- एक हजार पचासी करोड़, पांच लाख, निन्यानबे हजार रुपये तथा,
मांग संख्या -	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय के लिये- दो हजार सात सौं पैंतालीस करोड़, पैंतालीस लाख, नब्बे हजार रुपये तक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) मांग संख्या 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय निकाय

मांग संख्या 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण

मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 18 श्रम

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

मांग संख्या - 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय निकाय के लिए- बाईस करोड़, अठहत्तर लाख, चालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये-नौ सौ छियालीस करोड़, तेईस लाख, सतहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए-एक हजार छः सौ पैंतालीस करोड़, तेरह लाख, चौंसठ हजार रूपये तथा,

मांग संख्या - 18 श्रम के लिये-दो सौ चार करोड़, बहत्तर लाख, सत्तर हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या 22

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	5
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री शिवरतन शर्मा	1
4.	डॉ. रेणु अजीत जोगी	15
5.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	2
6.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	4
7.	श्री रजनीश कुमार सिंह	6

मांग संख्या 69

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण

1.	श्री अजय चंद्राकर	1
2.	श्री सौरभ सिंह	1

मांग संख्या - 81

नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

1.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	1
2.	श्री अजय चंद्राकर	4
3.	श्री शिवरतन शर्मा	4
4.	श्री धर्मजीत सिंह	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 18

श्रम

1.	श्री अजय चंद्राकर	1
2.	श्री अजीत जोगी	2
3.	श्री धर्मजीत सिंह	1
4.	श्री देवव्रत सिंह	1
5.	श्री शिवरतन शर्मा	1
6.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	2

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास दोनों महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग ने जनहित का कार्य करने के बजाय पूर्व में हमारे महापुरूषों के नाम से संचालित योजनाओं का नाम परिवर्तित कर उन्हें अपमानित करने का काम किया है। इस तरह हम माननीय मंत्री जी के किसी भी चर्चा में भाग नहीं लेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने पूर्व में भी सदन में इस बात को उठाई थी कि जो महापुरूष हैं वो किसी एक पार्टी के नहीं होते, किसी एक समाज के नहीं होते, किसी एक दल के नहीं होते, वे पूरे देश के होते हैं, सभी समाजों के होते हैं, ऐसे महापुरूषों दीनदयाल उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी के नाम से जो योजनाएं थी उन योजनाओं का नाम नगरीय प्रशासन मंत्री ने परिवर्तित कर दिया। हमारी पार्टी ने तय किया है कि नगरीय प्रशासन विभाग के माननीय मंत्री जी कि जो अनुदान मांग है उसमें हमारी पार्टी के प्रतिपक्ष के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये नाम बदलने का नहीं, नाम सुधारने का काम किया है। बदलने का काम इन लोगों ने किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भाग नहीं लेंगे पर हम श्री भूपेश बघेल जी की सरकार को पूरी मदद करेंगे। हम सदन की परंपरा को बनाये रखेंगे। हम इस हाऊस में बैठकर सरकार की पूरी गतिविधि और भाषण को सुनेंगे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, नगरीय प्रशासन और विकास में कुछ नाम परिवर्तन पर इतनी आपत्ति आपको हो गई। परंपरा की शुरूआत तो आपने ही किया था। 2003 में जब

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सरकार थी तो प्रियदर्शिनी बस स्टैंड का नाम था, उद्यान का जवाहर उद्यान नाम था। सारे नामों को तो आपने पहले परिवर्तन किया था तब आपको ख्याल नहीं आया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आप इस नाम परिवर्तन की बात कर रहे हैं। नये जो स्वीकृत हुए उसके नाम परिवर्तित किये गये। जो पुराने थे उनका किसी का नाम परिवर्तित नहीं किया गया। जो बस स्टैंड बन गये थे वे पहले भी थे और आज भी हैं। जो नये स्वीकृत हुए हैं उसके नाम परिवर्तित किये गये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, प्रायमरी जो किसी भी विचारधारा के हैं उसका सम्मान करते हैं। आप कोई भी नामकरण करेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये परंपरा उचित नहीं है। महापुरूष किसी एक दल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज का है। पूरे प्रदेश का है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परंपरा की शुरूआत तो इधर के लोगों ने ही की थी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये परंपराएं उचित नहीं है। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। बड़े विचार के साथ में वास्तव में सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अच्छे से बैठिये। लेकिन कितना सुंदर सदन चल रहा है या आप चला रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सुंदर चलेगा और हम लोग पूरी गंभीरता से सुनने के लिए उपस्थित हैं। हमने पहले दिन अध्यक्ष जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है। हम कोई बहिर्गमन नहीं कर रहे हैं, हम बैठ के सुनेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, ये भी इन डायरेक्ट्री सपोर्ट करने का तरीका है। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी आपको दो महीने सरकार में आये नहीं हुए। पहले आपको काम करना चाहिए था, कुछ करके दिखाते उसके बाद में आप कुछ करते। परंतु आपने दो महीने में पहला काम एक ही किया कि महापुरूषों का अपमान करना। ये पहला काम करना, क्या ये औचित्यपूर्ण है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा न कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। शुरूआत हो रही है, नगर प्रशासन और विकास बड़ा विभाग है। छत्तीसगढ़ की 26 प्रतिशत आबादी नगरों में रहती है। उसके लिये योजनाएं बन रही है। ये लिखेंगे कि नगरीय विकास के लिए आपके पास कोई सुझाव नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, उसके पहले तो नाम बदल दिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आप कोई सहयोग नहीं करना चाहते।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वो हमारी स्थिति हमारी चिंता है। जो लिखे जो समझे वो अलग विषय है। आपने माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो कमीटमेंट किया है । हमारी सदन की उच्च परंपराएं, हम कभी बाधित नहीं करेंगे। हम सदन में उपस्थित हैं । हमने ये तय किया है कि उसके विरोध में हम गांधीवादी तरीके से चुपचाप बैठे हैं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, गांधी को क्यों बदनाम कर रहे हो । गांधी जी को बदनाम मद करो।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैं अपील भी करता हूं और आपसे अनुरोध भी करता हूं । आप शुरूआत करें, चर्चा में भाग लें। जिन बातों को आप कह रहे हैं, उनको चर्चा में कहिये न। उसमें परिवर्तन से क्या फर्क पड़ा। आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? भविष्य में क्या योजनाएं हो सकती है। आप विभाग को दीजिए । आप सुझाव दीजिए, हम स्वीकार करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो भाई नारायण चंदेल जी ने कहा कि गढबो नया छत्तीसगढ़।(व्यवधान) आप नया-नया नाम रख रहे हैं(व्यवधान) छत्तीसगढ़ के साथ इधर-उधर हो।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने की हिम्मत ही नहीं है। इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। क्योंकि 15 सालों में इतनी गड़बड़ी किये हैं, ये सारा सामने आएगा। इस डर से नहीं बोल रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। यदि हिम्मत है तो बोलकर देखें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, आपके सुझाव के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। आप सुझाव दीजिए। परिवर्तन हुआ है तो उसमें भी आप सुझाव दे सकते हैं। ये चर्चा तो इसी बात के लिए है, सदन इसी बात के लिए है। वह तो कहेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पक्ष के भी अच्छे सुझाव हैं। हम लोग बढ़िया सुनेंगे और आपको समर्थन देंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं। मैं फिर से अपील करता हूँ कि आप भाग लें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा की उच्च परम्परा रही है और सहमति, असहमति के अनेक दौर आये भी हैं और जब अजय जी इधर थे, हम लोग भी कभी बहिर्गमन करते थे। गांधी जी के पास बैठे रहते थे, लॉबी में बैठे रहते थे, वे हमें मनाने भी आते थे। अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने आपसे अपील की और जैसा कि उन्होंने कहा कि सरकार के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किसी निर्णय से यदि आपकी असहमति है तो निश्चित रूप से अपने वक्तव्य में उसको उल्लेखित करिये। जैसे अजय जी जोर से बोलते हैं तो और जोर से बोलिए। शिवरतन जी और थोड़ा ताकत लगा दें।

श्री अमरजीत भगत :- मुख्यमंत्री जी, दरअसल, बोलते-बोलते [XX][13]। अब क्या बोलेंगे, कोई आवाज ही नहीं निकल रही है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये परम्परा रही है कि और सदन में सदस्य बैठे रहे और बोलें भी न...।

श्री धर्मजीत सिंह :- अमरजीत जी, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं तब तो कम से कम आपको नहीं बोलना चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आदरणीय आवाज के बारे में बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :-नहीं। चाहे जो [XX] हो [XX] , लेकिन मुख्यमंत्री जी के बाद [XX]। अभी तो मुख्यमंत्री जी फाड़ रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अब धर्मजीत भईया, सत्तू भईया के बाद आपका ही नंबर है, ऐसा लगता है। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- आपके भावी मंत्री का ये हाल है। मैं आपका ध्यान उसी तरफ आकृष्ट कर रहा था।

श्री भूपेश बघेल :- धर्मजीत जी, आप तो भाग लेंगे? भाग थोड़ी जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो भाग ले रहे हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, मेरी पार्टी भाग ले रही है।

श्री भूपेश बघेल:- आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों से अपील करना चाहूंगा चूंकि आप सदन में रहेंगे भी और भाग भी नहीं लेंगे। ये उचित फैसला नहीं है। मैं पुन: आपसे अपील करता हूँ कि इसमें अपनी बात रखें और पूरी ताकत के साथ रखें और इसमें पुनर्विचार करें। मेरी अपील है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग कुछ विचार कर रहे हैं या मैं अपनी ...।

श्री अमरजीत भगत :- इनकी बोलती बंद हो गई है, क्या बोलेंगे ये नहीं? आज सुबह से आवाज बंद है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय भगत जी, कृपया बैठ जाएं।

आज सदन में माननीय डॉ. शिवकुमार डहरिया मंत्री जी की विभागों की मांगों पर चर्चा हो रही है। जिस पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, सदन में उपस्थित रहकर चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं। मैं

[13] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समझता हूँ कि यह उचित संसदीय परम्परा नहीं है। लोकतंत्र में विभिन्न कारणों से परस्पर असहमति हो सकती है और मतभेद भी हो सकता है मैं माननीय सदस्यों के उक्त आचरण के संबंध में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह अवश्य विचारणीय है कि सदन में उपस्थित रहकर भाग न लेना, उचित नहीं कहा जा सकता। मगर पूर्व में भी ऐसे उदाहरण हैं कि पूर्व में भी एक दो अवसर पर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कार्यवाही में सदन में उपस्थित रहते हुए भी भाग नहीं लिया। अत: अगर ये सदस्य भाग नहीं ले रहे हैं फिर भी सदन में माननीय मंत्री जी की मांगों पर चर्चा होगी, जारी रहेगी। इसे नहीं रोका जा सकता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। परंतु आप अगर कहें तो आप हमें निर्देश दे सकते हैं हम सदन से बाहर चले जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। हम बाहर जाने के लिए नहीं कहेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में नहीं, परंतु आपकी जो व्यवस्था है आज तक जो व्यवस्था आयी है वह इस प्रकार की आयी है कि मैंने ध्यानाकर्षण लगाया और ध्यानाकर्षण लगाकर मैं कहूं कि मैं उसमें कुछ नहीं पूछूंगा, वह व्यवस्था आयी है। मैंने प्रश्न लगाया और प्रश्न में नहीं पूछूं। परंतु आज तक, मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम किसी मंत्री का बहिष्कार करें। सदन में ऐसा पहले भी हुआ है और आपकी जो व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है परंतु हम चाहेंगे कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें । क्योकि सदन में हम किसी मंत्री के मामले में विरोध प्रदर्शित करना चाहें तो यह हमारा अधिकार है। परन्तु आपकी जो व्यवस्था आई है, इसके पहले व्यवस्था जो है, मैंने कोई प्रश्न लगाया और मैं उसमें भाग नहीं लूं, मैंने कोई ध्यानाकर्षण लगाया, मैं उपस्थित रहकर भाग नहीं लूं तो आप उसको कह सकते हैं। इसमें हमारे सभी सदस्य भाग नहीं लेने वाले हैं। हमारे दो-तीन सदस्य बोलने वाले हैं, आपने सभी सदस्यों के खिलाफ में इस प्रकार का प्रस्ताव दे दिया तो मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कहीं पर असहमत नहीं हैं। वो हमारा एक तरीका है। लेकिन इस सदन में ऐसा हो चुका है कि जिस सरकार के खिलाफ हमने अविश्वास प्रस्ताव दिया, वह पूरी सरकार गायब रही और अविश्वास प्रस्ताव पर आसंदी ने चर्चा करवाई है। हम तो उपस्थित हैं, हम कुछ भी कह भर नहीं रहे हैं। ऐसा भी इस सदन में हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- इत्तफाक से उस समय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय रविन्द्र चौबे जी थे और आज भी संसदीय कार्य मंत्री आप ही हैं और उस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी भी मंत्री थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह भी संसदीय इतिहास का अभूतपूर्व वक्तव्य है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप लोगों ने मेरी बात नहीं की, पूर्व में भी एक, दो अवसर पर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कार्यवाही में सदन में उपस्थित रहते हुए भाग नहीं लिया है, मैंने इस बात को कहा, उसको आपने समझा नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, मगर मांगों पर चर्चा जारी रहेगी, मैं यह कह रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में कहा है कि माननीय सदस्यों का उपस्थित रहकर भाग नहीं लेना ये उचित नही है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उचित नहीं मानता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये हमारा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- वह आपका अधिकार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। आपकी जो व्यवस्था आई है, मैंने जैसे कहा कि प्रश्न लगाया, ध्यानाकर्षण लगाया और मैं उपस्थित हूं और प्रश्न नहीं कर रहा हूं। चर्चा में भाग नहीं लेना, ये अनुचित कहना मुझे लगता है, अपना निर्णय शिरोधार्य है, परन्तु ऐसी व्यवस्था उचित नहीं है, आपको पुनर्विचार करना चाहिए, ये मेरा आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अपनी ओर से एक बार और आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है, आपको आग्रह करने का अधिकार ही नहीं है, या तो आप व्यवस्था वापिस ले लें। आप अपनी व्यवस्था वापिस लेंगे तो फिर हम पुनर्विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अपनी व्यवस्था का वापिस नहीं ले रहा हूं। मैंने कोई ऐसी गलत व्यवस्था नहीं दी है। मैं अपनी ओर से अनुरोध कर रहा हूं कि आप चर्चा में भाग लें, ये मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अमरजीत भगत :- बिना नेता का जो दल है, उसका हश्र क्या होगा ? न उनके नेता हैं, न उनके उपनेता हैं, नेताविहीन पार्टी का क्या होगा ? कोई भी कुछ भी बोल रहा है। दिशाविहीन हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहले आप अपनी दिशा तय कर लो कि किस दिशा में जाओगे। यहां सब नेता हैं, अपने आप में सब सक्षम हैं और सब एक हैं।

श्री अमरजीत भगत :- वहां सब नेता हैं। हमारे नेता तो सामने बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत जी, बैठिये। बृहस्पत सिंह जी।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज):- आज डॉ. शिवकुमार डहरिया नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्रीसे संबंधित अनुदान मांग संख्या 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग- नगरीय निकाय, मांग संख्या 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण, मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता, मांग संख्या 18 श्रम के समर्थन के बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। नगरीय क्षेत्र में 26 प्रतिशत लोग शहर में निवास करते हैं जिसके संबंध में बजट लाया गया है। बहुत सारे शहरों की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्थिति बहुत खराब थी। कई जगह पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, कई जगह सड़क नहीं है, लोग नाली किनारे रहते थे, उसके लिए नगरीय निकाय में हमारे माननीय मंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने बजट में प्रावधान करके लाने की कोशिश किया है। शहरी क्षेत्र में कई ऐसे बी.पी.एल. परिवार हैं जो वंचित रह गये थे, उनके लिए भी योजना आई है, उनके लिए भी करने की वयवस्था की गई है। अब तक शहर में जो रहते हैं, कई जगह उनकी बीमा नहीं हो पाती है, उनको भी खोज-खोज कर के बीमा करने का काम किया है। हमारी सरकार ने नगरीय निकाय के लिए बहुत से सार्थक प्रयास किये हैं । हमारी सरकार ने नगरीय विकास की अवधारणा को व्यापक तौर पर विस्तृत बनाया है । विकास शब्द का आशय अब केवल कुछ एक परियोजना या अधोसंरचना से ही नहीं है । हम शहरी जीवन के स्तर को ऊपर उठाने का व्यवस्थित प्रयास कर रहे हैं । नगरीय विकास के प्रति हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता का परिणाम है । वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये बजट प्रावधान रूपये 2929.80 करोड़ रूपये रखा गया है । हमारी सरकार सभी नगरीय निकायों के नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कृतसंकल्पित है इसके लिये अधोसंरचना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 371.8 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिससे नागरिकों को पक्की सीसी सड़क, पक्की नालियॉ, पेयजल, पाईप लाईन आदि मूलभूत सुविधा मिल सकेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता हेतु राशि रूपये 620.32 करोड़ रूपये का प्रावधान सदन में प्रस्तुत किया है जिसमें चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रूपये 500 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क के रूप में राशि रूपये 71.35 करोड़ रूपये बार लाईसेंस फीस के रूप में राशि 17.10 करोड़ रूपये यात्री कर क्षतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 8 करोड़ रूपये, सामान्य उद्देश्यीय अनुदान राशि रूपये 8 करोड़ रूपये सड़क मरम्मत अनुरक्षक हेतु राशि 5.04 करोड़ रूपये एवं राज्य उत्पाद कर अधिभार राशि रूपये 10.47 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । वित्तीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को मूल सेवाओं हेतु अनुदान में कुल राशि रूपये 77.09 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया हे । जिसमें से राशि रूपये 30.69 करोड़ रूपये का प्रावधान सामान्य आयोजन में है । अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत राशि रूपये 10.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, अनुसूचित जाति योजना अंतर्गत राशि रूपये 35.90 करोड़ रूपये जिसके तहत् नगरीय निकाय अपने क्षेत्र में सड़क, नाली, प्रकाश, साफ-सफाई, पेयजल एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की प्रति नागरिकों को प्रदाय कर सकें । छत्तीसगढ़ राज्य के चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाना है, इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस मद में राशि रूपये 485.89 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है इस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राशि से नगरीय निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलपूर्ति, मल प्रबंधन, वर्षा जल की निकासी, डाटाबेस संधारण जैसे आवश्यक कार्यों को संपादित किया जा सकेगा ।

मानीय अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग की बात करें । श्रम विभाग के अधीन गठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि अनुदान भुगतान योजना के तहत् श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर 25 हजार रूपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 लाख रूपये एवं दुर्घटना में अस्थायी अपंगता पर 75 हजार रूपये की सहायता एवं अंत्येष्टि हेतु 5000 रूपये तत्काल दिये जाते हैं इस योजना के तहत् अब तक लगभग 27 हजार को लाभांवित किया गया है । 11 दिसंबर 2018 से 12 फरवरी, 2019 तक नयी सरकार बनने के बाद अवधि में 992 श्रमिकों को लाभांवित किया गया है । प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु श्रम विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम रायपुर से दिनांक 28 मई 2018 को निम्न शर्तों के साथ अनुबंध किया गया है । बीमित श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 2 लाख रूपए एवं दुर्घटना में मृत्यु होन पर 4 लाख रूपए, स्थायी अपंगता पर 1 लाख रूपए देने का प्रावधान किया गया है । इसके अंतर्गत मंडल द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के लगभग 15 लाख श्रमिकों को बीमित करने का प्रयास किया जा रहा है । अब तक 1 लाख 43 हजार श्रमिकों को बीमित किया जा चुका है ।

समय :
4:06 बजे

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल के श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मेघावी छात्र, छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है । सभापति महोदय, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा पहली से स्नात्कोत्तर तक अध्ययनरत बच्चों को 1 हजार रूपए से 10 हजार तक की छात्रवृत्ति प्रदान करने प्रावधान है । इसके तहत लगभग 3.75 लाख बच्चे छात्रवृत्ति का लाभ ले चुके हैं । पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के ऐसे बच्चे जो कक्षा दसवीं, बारहवीं या उससे उच्च कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उसे पांच हजार से साढ़े बारह हजार तक का अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है । सभापति महोदय, इसके तहत अब तक 6 लाख 48 हजार बच्चों को लाभ दिया जा चुका है । 11 दिसम्बर 2018 से 19 फरवरी 2019 की अवधि तक 20 हजार बच्चों को नई सरकार ने लाभान्वित किया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे यदि छत्तीसगढ़ श्रमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित दसवीं, बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में प्रवीण्य सूची में प्रथम दस में स्थान प्राप्त करते हैं तो 1 लाख रूपए

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से दिए जाने का प्रावधान है । अब तक 5 बच्चों के द्वारा प्रवीण्य सूची के प्रथम 10 में स्थान प्राप्त करने पर रूपए 1 लाख का अनुदान प्रदान किया गया है । सभापति जी, आईआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, लॉ, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, कृषि विश्वविद्यालय एवं आईटीआई में प्रवेश लेने पर समस्त शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं भोजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति एवं वर्ष में एक बार स्टेशनरी हेतु 2000 रूपए मंडल द्वारा देय होगा । अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश लेने पर शासकीय संस्थाओं हेतु निर्धारित शुल्क दिए जाने का प्रावधान है । सभापति महोदय, इसके तहत 220 बच्चे वर्तमान में लाभ प्राप्त कर रहे हैं । जिनमें से 5 बच्चे एमबीबीएस एवं एक बच्चा आईआईटी धनबाद में एमटेक कर रहा है । जिसे इस योजना के तहत प्राप्त हो रहा है । सभापति महोदय, नई सरकार आने के बाद जो भी गड़बड़ी पिछले 15 सालों में थी, उनको ठीकठाक करके नए ढंग से राज्य के शहर में 26 प्रतिशत लोग रहते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है । यह जरूर है कि हमारे कुछ साथियों ने 15 सालों तक लगातार सरकार में रहने के कारण इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा और इनको लगता है कि अगर चर्चा में भाग लेंगे तो सदन में हमारी ही बात कही जाएगी । इसलिए इन्होंने चुप रहना ही उचित समझा । इसलिए आज सदन में चुप रहकर, मौन रहकर सुनना पसंद किया क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था । सभापति महोदय, 15 सालों में इनके द्वारा किए गए महापापों का खुलासा होता, इस डर से सभा में भाग लेने और बोलने की हिममत नहीं जुटा पा रहे हैं । सच्चाई तो यह है । अभी भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। अगर हिम्मत है तो बोलकर देखे कि क्योंकि 15 साल में इन्होंने महापाप जनता के साथ किया है। इसलिए इस 15 साल की सरकार को जनता ने 15 सीटों में सीमित कर बैठा दिया है। आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से पूरे सदन के लोगों से मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को बजट को पास किया जाए। माननीय मंत्री जी को पुन: निवेदन करूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जैसे लोगों को धोखा दिया है, छलावा किया है, उसको सुधारने का काम जरूर करेंगे। अटल नगर के नाम पर, अपने नेता के नाम पर 40 गांवों के लोगों को खाली कर दिया, पूरा गांव खाली कर दिया। उनको गांव से खदेड़ दिया। उनके मुआवजे की व्यवस्था नहीं की। उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की। अभी तक बैंकों से इन्होंने जो लोन लिया, कर्जा नहीं पटा पाया। ब्याज तक की रकम नहीं पटा पा रहे हैं। कुछ प्लाट बेचकर ब्याज की रकम पटाते हैं। उसको भी सुधारने का काम करेंगे। बड़े-बड़े बिल्डिंग खड़े कर दिये गये। मैंने नये शहर रायपुर में देखा। 27 नं. प्लाट क्या-क्या नंबर प्लाट पूरे घर खाली हैं। गांवों में तो कहते हैं, उसमें प्रेत रहने लगता है। अगर खाली घर बनाकर छोड़ दो तो उसमें भूत का वास हो जाता है, प्रेत का वास हो जाता है लेकिन 15 साल में यह सरकार उसमें व्यवस्था तक नहीं कर सकी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- बृहस्पत सिंह जी, भूत प्रेत को भी तो जगह चाहिए। बढ़िया किये हैं जगह देकर।

श्री बृहस्तप सिंह :- इस भूतपूर्व सरकार ने भूत को रहने के लिए भवन दिया है। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने अगर आपको मौका दिया है तो उसमें इंसान के रहने की व्यवस्था कराइए। उसकी प्रीमियम कम कराइए। उसकी रेट कम कराइए लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बनाये गये भवन छत्तीसगढ़ की जनता को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। आपके माध्यम से मेरी ऐसी गुजारिश है। धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजर) :- माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान मांग भाग संख्या 22 और भाग संख्या 18 में चर्चा करने के लिए सम्मिलित हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान बलौदाबाजार विधान सभा की ओर आकर्षण करना चाहूंगा। जो कुछ समस्याएं हैं। तिल्दा ब्लाक के क्षेत्र में लगभग 4 से 5 आयरन प्लांट हैं। माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके साथ जो शोषण हो रहे हैं, उनको रोके। पूरे प्लांट में उनको लगभग 180 रूपये से 200 रूपये रोजी दिया जा रहा है। जबकि कलेक्टर दर निर्धारण 333 रूपये है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कोई योजना बनाए, नियम बनाए कि वहां मजदूरों के साथ हो रहे शोषण को रोका जा सके और मैं माननीय श्रम मंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा कि एक प्लांट की शिकायत स्पंज आयरन के पहल से जो आश्वासन मिला, संभव आश्वासन मिला, उनको उचित रोजगार दर दिया जायेगा लेकिन उसके बाद भी ऐसे मजदूर जो अपने हक की मांग करते हैं, उनको तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग हैं जिसमें दो सीमेंट संयंत्र जिसमें श्री सीमेंट रायपुर खमराडीह, जिसमें आज भी प्लांट चालू होने के 4 साल बाद भी इसमें सीमेंट वेज बोर्ड लागू नहीं किया गया है। सीमेंट वेज बोर्ड ततकाल लागू होना था। ठेका श्रमिक के द्वारा काम लिया जा रहा है और हमारे क्षेत्रीय लोग लोकल के लोगों का कम मजदूरी पर शोषण किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में मजदूर भाइयों के साथ शोषण हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शोषण को रोके और उनको उचित मूल्य और तनख्वाह मिले। उनके साथ शोषण न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे लोकल के क्षेत्रीय लोग जो इस सीमेंट प्लांट में काम करते हैं, इनको बहुत कम दर पर पेमेंट दिया जाता है और जो बाहरी लोग हैं, गुजराती, बिहारी, बंगाली लोग हैं, इनका जो तनख्वाह है, वह दो गुना ज्यादा है। इस प्रकार के हो रहे शोषण के लिए मैं माननीय श्रम मंत्री जी से बार-बार निवेदन करूंगा कि एक उचित जांच टीम बैठाये और हो रहे शोषण को रोके।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि तिल्दा नेवरा मुन्नी बाई तालाब में एक छठघाठ निर्माण कार्य बजट में जोड़ा जाए। हमारे क्षेत्र के तालाब में जो दूषित पानी है। रमसगरा तालाब की सफाई के लिए कोई योजना बनाये। हमारे क्षेत्र के प्रभारी श्रम मंत्री जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र का जो डी0एम0एफ0 फण्ड का पैसा है, हमारा जो सीमेन्ट प्रभावित क्षेत्र है, जो प्रदूषित हो रहा है, वह पैसा पूर्व सरकार के समय की तरह न जाकर उस पैसे से उस क्षेत्र का विकास हो। सी0एस0आर0 राशि के एक-एक पैसे का हिसाब हो। हमारे औद्योगिक क्षेत्र का जो सी0एस0आर0 राशि का पैसा है, सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाईन के हिसाब से उस पैसे का उस क्षेत्र में विकास करना है, जो प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पैसे को खर्च करना है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले सरकार के द्वारा हमारे बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र का पैसा, हमारे जिले का पैसा अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में खर्च किया गया था। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बलौदा बाजार क्षेत्र लटवारोड बहुत ही संकरा है। उसका भी चौड़ीकरण करने के लिए कोई योजना बनाये। और बहुत सारी मांग है, तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बलौदा बाजार क्षेत्र को विशेष रूप से इसलिए ध्यान दे कि बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र राजस्व का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। लेकिन पिछले 10 साल से बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र बहुत ही उपेक्षित रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मजदूरों के साथ हो रहे शोषण, अत्याचार और अन्याय जो वहां के उद्योगपतियों के द्वारा किया जा रहा है, उस पर तत्काल जांच समिति बैठाकर वहां के लोकल लोगों के साथ न्याय करे। मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी की कार्यशैली को हम लोग देखे हुए हैं, आपके प्रयास से अभी पिछले दो दिन पहले ही एक स्पंज आयरन में श्रमिकों की मजदूरी 200 रूपये से बढ़ाकर 333 रूपया निर्धारित दर, जो उनके हक का पैसा है, उसके लिए आश्वासन मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी बताना चाहूंगा कि आपके प्रयास से उनको आश्वासन तो मिला लेकिन उनको तरह-तरह से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। उनको किसी न किसी बहाने से काम से निकालने षड़यंत्र उन उद्योगपतियों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसी कोई योजना बनाये कि उनके साथ हो रहे अत्याचार हमारे क्षेत्र में बंद हो। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह नई सरकार, जो किसान की सरकार है, मजदूर की सरकार है, आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगी। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जी के अनुदान मांग संख्या-22, 69, 81 और 18 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज्यादा श्रमिक लोग काम की तलाश में पलायन करते हैं। माननीय मंत्री जी के पास श्रम विभाग भी है। मैं आज ही टी0व्ही0 समाचार में देख

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रहा था कि गरियाबंद के श्रमिक बंधक बना लिए गए। तो ऐसे कुछ मामले ही समाचार-पत्रों या टी0व्ही0 चैनलों पर आता होगा। बाकी अधिकांश मामला सामने नहीं आ पाता है। बहुत सारे लोग तो अपनी शिकायत नहीं कर पाते हैं। यह व्यवस्था तब सुधरेगा, जब छत्तीसगढ के श्रमिक को छत्तीसगढ़ में उनको न्याय मिलेगा, काम मिलेगा। श्रम विभाग में अनेक योजनाएं हैं। जिसमें बंधक श्रमिक को मुक्त कराने पर सरकार की तरफ से पुनर्वास के लिए राशि दिया जाना है। उनको आवास देना है, मनरेगा के अन्तर्गत काम देना है, लेकिन मेरी सोच है कि यह केवल कागजों तक सिमटकर रह गई है । श्रमिक मुक्त होकर आते हैं तो पहले तो प्रमाण-पत्र के लिए भटकते हैं । प्रमाण-पत्र मिल भी जाता है तो इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जिला कार्यालय से लेकर तमाम जगह खाली भटकते रहते हैं और सैकड़ों श्रमिकों में कहीं पांच-दस प्रतिशत श्रमिक इसका लाभ ले पाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, अभी आपको उस क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है । ये श्रम करने वाले लोग हैं, कृपया आप उस व्यवस्था को सुधारने का कष्ट करेंगे, ताकि इनको न्याय मिल सके और श्रम विभाग में और बहुत सारी योजना है, जिसके माध्यम से श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, शासन की विभिन्न योजना का उनको लाभ दिया जाता है, आप विभिन्न तरह की सामग्री बांटते हैं और ये तमाम चीज कुछ ठेकेदार या दलाल तक सीमित है । गांव-गांव में संगठन बना लिये हैं और ये उनसे पैसा लेकर बोलते हैं कि हम आपको सायकल दिलाएंगे, आपको फलाना सामग्री दिलाएंगे, जिसके कारण जो वास्तविक लाभ उन श्रमिकों को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता । छत्तीसगढ़ में बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन उन उद्योगों पर आप अध्ययन करेंगे तो उद्योगों पर काम करने वाले मजदूर छत्तीसगढ़ के बाहर के प्रदेश के हैं । हम और किसी पद की बात करें तो उनकी योग्यता की बात करेंगे, लेकिन श्रमिक में क्या योग्यता चाहिए, केवल श्रम करने की ताकत उसमें होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ के श्रमिक से और ज्यादा ताकतवर बाहर के प्रदेश के लोग नहीं हो सकते । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसी कोई नीति का निर्धारण करें कि अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई उद्योग लग रहा है तो शत-प्रतिशत छत्तीसगढ़ के श्रमिक उसमें काम करें, ताकि उनको रोजगार मिल सके, उनको अवसर मिल सके । ये उद्योगपति बाहर के श्रमिकों को इसलिए लाते हैं कि अगर लोकल श्रमिक काम करेंगे, उनके साथ अन्याय होगा तो बगावत होगा, वे आंदोलन करेंगे । बाहर के श्रमिक के साथ अगर अन्याय भी होता है, उनका शोषण भी होता है तो इतने लाचार और बेबस रहते हैं, उनके साथ संगठन नहीं रहता, उनके साथ लोग नहीं रहते तो उस उद्योग के खिलाफ वे आंदोलन भी नहीं कर सकते, अपनी मांगों को भी नहीं रख सकते । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें कि छत्तीसगढ़ के उद्योग में जितने भी श्रमिक काम कर रहे हैं, वे छत्तीसगढ़ के निवासी हों, छत्तीसगढ़ प्रदेश के हों।

अप्राधिकृत/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, नगरीय निकाय भी माननीय मंत्री जी के पास है । शहरी क्षेत्र का विकास करना उनका दायित्व है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो एक मात्र नगर पंचायत है और ग्रामीण क्षेत्र को नगर पंचायत इसलिए बनाया गया कि ग्रामीण अंचल में भी शहर की कल्पना कर सकें, शहर जैसे विकसित हो सके, लेकिन वास्तविक में वह दिखता नहीं है, बल्कि नगर पंचायत बनने के बाद वहां के लोगों को शोषण हुआ । एक तो वहां के मजदूर मनरेगा के अंतर्गत काम नहीं कर पाते क्योंकि वह शहरी क्षेत्र में आ गए और उस योजना का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं और नगरीय प्रशासन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां काम करने वाले मजदूरों को काम दे सकें। विभिन्न योजना, सभी योजनाओं से मेरे विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत वंचित हैं । नगर पंचायत बनने के बाद आजतक वहां न बस स्टैण्ड बन पाया, न स्टेडियम का निर्माण हुआ, न इंडोर स्टेडियम बना, न हाट बाजार बना, न वहां ऐसी कोई सर्वसुविधायुक्त भवन बना, जिससे लोग अपनी सामाजिक आवश्यकताओं के बैठकों की पूर्ति कर सकें तो ऐसे ग्रामीण अंचल को नगर पंचायत बनाने का कोई औचित्य नहीं है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अकेला नगर पंचायत है, आपकी योजना पर तमाम चीजें हैं कि नगरीय क्षेत्र में आप इन चीजों को करेंगे तो मेरा निवेदन है कि उस नगर पंचायत के विकास के बारे में भी आप अपनी सोच बनाएं और अंत में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अभी-अभी नगर पंचायत जैजैपुर में एक लिपिक वर्ग दो को प्रभारी सीएमओ के पद पर पदस्थ किये हैं । पूर्व में भी वह रहा है और वह अनेकों बार सस्पेंड भी हुआ है। वह विवादास्पद आदमी है। मैं नहीं कहता कि आप वहां किसे नियुक्त करेंगे, प्रशासन आपको चलाना है, आप कैसे बेहतर काम लेंगे यह आपकी जवाबदारी और जिम्मेदारी है लेकिन एक निर्विवाद आदमी को आप वहां पदस्थ करें ताकि नगर पंचायत जैजेपुर जो विकास से कोसों दूर है वहां विकास हो सके। इस अनुरोध के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- XX

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- (श्री पुन्नूलाल मोहले के अपनी सीट से बोलने हेतु नहीं उठने पर) बोल ना बबा। जब बोलना नई रहिस त पहिली ले नाम काबर देवाय हस।

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी के जो नगरीय प्रशासन विभाग है, श्रम विभाग है इनकी मांगों का मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नगरीय प्रशासन विभाग की जवाबदारी प्रदेश में बहुत बड़ी होती है। लगभग 59.36 लाख जनसंख्या वह नगरीय निकायों में रहती है। हमारे प्रदेश में 13 नगर निगम हैं, नगर पालिका की संख्या 44 है, नगर पंचायतें 111 हैं। कुल मिलाकर 168 निकायों में लगभग 60 लाख जनसंख्या रहती है। पानरी एक स्थानीय समस्या भी है,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वैश्विक समस्या भी है, इसे लेकर हमारी सरकार बहुत चिन्तित है। उसमें जल आवर्धन योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में पानी की टंकियां जो बनाई गई हैं उसे लेकर लगभग 10 नगर पालिकाओं में 78 करोड़ रूपये की लागत से जल आवर्धन योजना कवर्धा, भाटापारा, बैकुंठपुर, महासमुंद, जशपुर नगर, अकलतरा, तिल्दा नेवरा, बलरामपुर, नैला, जांजगीर आदि स्थानों पर जल आवर्धन योजना लागू की गई है। इसके साथ-साथ लगभग 2 नगर निगम धमतरी, बिरगांव, मुंगेली और तीस नगर पंचायतों में यह योजना लागू की जा रही है। इसमें 65 करोड़ रूपये के आसपास का प्रावधान रखा गया है और इससे 11 लाख लोग लाभान्वित होंगे। मैं माननीय मंत्री जी के इस प्रयास को बहुत-बहुत बधाई देता हूं क्योंकि पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है। मैं बिलासपुर क्षेत्र से आया हूं। वहां पर बहुत समय से पिछली सरकार ने जल आवर्धन योजना लागू की थी। मैं विपक्ष पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं लेकिन सच्चाई बताना मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं वहां का जनप्रतिनिधि हूं। आज तक वहां नगर निगम ने जल आवर्धन योजना को पी.एच.ई. विभाग को हैंडओवर ही नहीं किया। हमारी सरकार जब से आई है उसने ये प्रयास किया और उन्होंने तत्काल निर्देश दिये हैं और उस योजना जिसके अंतर्गत पानी की टंकियां बनाई गई हैं उसे हैंडओवर किया गया है। तो हमारी सरकार का हमारे मंत्री जी का एक बहुत सकारात्मक रूख प्रदेश की जनता को लेकर है। इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, रायपुर एक महानगर के रूप में परिवर्तित हो रहा है और हमारे प्रदेश में महिलाएं भी बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है जिसके कारण वर्किंग वूमन किसी जगह पर सुरक्षित तरीके से रह पायें। इसे लेकर लगभग 10 करोड़ रूपये की लागत से जो छात्रावास का निर्माण किया गया है यह रायपुर के वी.आई.पी. रोड में बनाया जा रहा है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी सराहना करता हूं और उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वर्किंग वूमन्स के लिए भी आपकी बहुत अच्छी योजना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का अन्य विषयों पर भी ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे नगरीय निकायों में फंड की बहुत कमी रहती है इसके कारण पूरे शहर का वातावरण क्योंकि सफाई का काम नगर निगम को करना पड़ता है, पानी की सप्लाई नगर निगम को करना पड़ता है। कई बार सारे स्ट्रीट लाईट का काम सारे नगर निगम को करना पड़ता है। नगर निगम की जिम्मेदारियां बहुत है। लेकिन नगर निगम के पास आय के उतने स्त्रोत नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगरीय निकायों को अधिक से अधिक फंड दिया जा सके जिससे कि हम जनता को सुविधाएं दे सकते हैं। हम उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दे सके ये मेरा पहला निवेदन है। निगम के स्कूलों में अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है। लोग निगम के स्कूलों में पढ़ना ही पसंद नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करते हैं। निगम के स्कूलों और अस्पतालों पर विशेष ध्यान रखा जाये। ताकि उनका सुधार किया जा सके।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति जी, 15 साल से जो गड़बड़ हो गया न उनको भी आपके माध्यम से सुधारने का काम करेंगे। बड़े सरकारी स्कूलों का गड़बड़ शहरी क्षेत्रों में हुआ है। क्योंकि गंगाजल वाले मंत्री शहरी क्षेत्रों में होते थे। इसलिए आपसे बोलूंगा।

श्री शैलेष पाण्डेय :- सभापति महोदय, मंत्री जी के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलते, आखिरी में बोलूंगा। ये विषय मैंने एरिगेशन मिनिस्टर साहब से भी कहा है कि अरपा साडा एक योजना बना के रखिये उसमें आपने सी.ई.ओ. नगर निगम क्षेत्र के रखे हुए हैं। इसलिए अरपा नदी के आसपास जो नाले बनाने की योजना है, जिससे की पूरे शहर का पानी नालों के माध्यम से ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एस.टी.पी बनाये जा सके और फिर उस पानी का उपयोग किया जा सके। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि साडा, योजना के अंतर्गत है इसलिए अरपा को सुंदर बनाना भी हमारा काम है। नगर निगम का काम है। इसको लेकर नगर निगम का सहयोग चाहिए। शहर को इसमें दो बैराज और एक एनीकट की भी आवश्यकता मैं अपने बिलासपुर क्षेत्र के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक बहुत इंपारटेंट बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रायपुर बिलासपुर एक बहुत इंपारटेंट रोड है। उसमें हजारों लाखों लोग यातायात करते रहते हैं। पिछली सरकार ने एक तिफरा का ब्रिज बनाया था। वह ब्रिज इतना सकरा बनाया गया था कि उसको 10 साल में दोबारा बनाने की जरूरत पड़ गई है। पिछली सरकार ने फिर से एक और नया ब्रिज बनाया है। पिछले डेड़ दो साल से बगल में बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी बन नहीं पाया है। उससे जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनका मुआवजा नहीं मिला है, उनको मुआवजा दे दिया जाये, ताकि वो ब्रिज जल्द से जल्द बन सके। रायपुर बिलासपुर मार्ग जो है वो बहुत अच्छा और सुंदर रह सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मुझे थोड़ा बोलने की अनुमति दी जाये। आये दिन बिलासपुर में आग लगती रहती है। हमारी जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो नगर सेना के पास रहती है। मैं चाहता हूं कि चाहे नगर सेना रखे, चाहे नगर निगम रखे लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक रहे। कम से कम जब बुलाया जा सके तब वे आ जायें। बिलासपुर महानगर है इसलिए इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। एक बहुत इंपारटेंट बात है। केन्द्र सरकार ने जो स्मार्ट सिटी की योजना बनाई है उसमें बिलासपुर को भी चयन किया है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिलासपुर के स्मार्ट सिटी को आपसे फंड मिलेगा तो बिलासपुर की स्मार्ट सिटी बहुत अच्छी हो पायेगी। इसमें स्थानीय प्रतिनिधि जो विधायक होते हैं, उनका परामर्श लिया जाये, उनकी राय ली जाये। ताकि जो स्मार्ट सिटी है उसमें क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को भी सम्मान दिया जा सके। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झोपड़ पट्टियां चूंकि अर्बन शहर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बन रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है तो झोपड़ पट्टियां है, वहां जनता रहती है उनका क्या करेंगे ? हम वहां जाते हैं उनसे मिलने के लिए उनकी पचासो समस्याएं हैं, पानी की की समस्या रहती है, बहुत सी समस्याएं रहती है। लेकिन वे भी एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके पास एक सुंदर मकान हो, एक ग्राऊंड हो, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढें। इसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम उनके लिए ऐसी व्यवस्था करें। आज 26 हजार मकान देने का वायदा प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत किया गया था, लेकिन आज उनमें से किसी एक व्यक्ति का मकान बनना शुरू नही हुआ है या एक व्यक्ति को मकान नहीं मिला है। हम कैसे अच्छे नगरों की कामना करेंगे, हम कैसे शहरों को स्मार्ट बनायेंगे। ये हमारी समस्याएं हैं। ये हमारे लिये चुनौती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम ये काम अगले पांच वर्षो में कर पायेंगे। शहर की समस्या के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मच्छरों की समस्याएं आपको बता ही चुका हूं। आशा करता हूं कि इसका निराकरण आप अच्छे से करेंगे। एक विशेष अनुरोध आपसे करना चाहता हूँ कि सरकार ने विधायकों की निधि को 1 से 2 करोड़ रूपये किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्षदों को 4 लाख रूपये की निधि मिलती है, उसमें कुछ नहीं होता है। उनकी निधि को 10 लाख रूपये किया जाये ताकि वह भी अपने क्षेत्र में कुछ-कुछ कर सकें। हम मांग तो कर सकते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- 4 लाख की निधि को 10 लाख रूपये करने का नगरीय प्रशासन मंत्री को पॉवर थोड़ी है।

श्री शैलेष पांडे :- वे प्रस्ताव दे देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां। वे आपकी बात को रखेंगे।

श्री शैलेष पांडे:- क्योंकि निगम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हो सकता है मैंने गलत कह दिया हो तो मुझे माफ करियेगा। ऐसा कुछ नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- ऐसा कर सकते हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, अब आप समाप्त करें।

श्री शैलेष पांडे :- माननीय सभापति महोदय, एक विशेष अनुरोध हैकि चूंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या आती जा रही है और माननीय मंत्री जी, वॉटर हार्वेस्टिंग जो है, वह बहुत जरूरी हो गया है तो नगर निगम नक्शे पास करता है, उसमें वॉटर हार्वेस्टिंग को लेकर कंपंसन होना चाहिए और उस कंपंसन के साथ-साथ उसमें निरीक्षण भी होना चाहिए कि प्रत्येक घर के अंदर वॉटर हार्वेस्टिंग प्रत्येक शासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग जो शहर सीमा के अंतर्गत हैं उसमें वॉटर हार्वेस्टिंग होगी तो हम पानी को एक सही जगह ले भी जाएंगे और बहुत सारी समस्याएं हैं उससे भी हमको राहत मिलेगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में दो मिनट और लूंगा। शहरों में सेन्ट्रल लाईब्रेरी बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है मैं बिलासपुर की बात करता हूँ तो पढ़े-लिखे बुद्धिजीवि लोग कहां जाएंगे, उनके लिए कोई लाईब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों और कॉलेजों में लाईब्रेरी है, लेकिन बुद्धिजीवियों के लिए नहीं है। जनता के लिए लाईब्रेरी नहीं है। जो है वह बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़े शहर, स्मार्ट सिटी जिनको हम बना रहे हैं, उनमें बड़ी-बड़ी लाईब्रेरियां भी होनी चाहिए और जिससे कि लोगों को वहां पर सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, श्रम विभाग भी आपके पास है। श्रम विभाग के अंतर्गत 53 प्रकार के असंगठित श्रमिकों का चिन्हांकन कर पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है और इसमें जो 39 योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन, रोजगार आवश्यक सहायता दी जाती है माननीय मंत्री जी मैं इस योजना की प्रंशसा करता हूँ लेकिन आपका ध्यान आकर्षण एक दिशा में और करना चाहूंगा कि आप हमारे पास विरासत में लगभग-लगभग 23 लाख युवा बेरोजागर मिले हैं। ये हम सब के लिए चुनौती है कि हम इन 23 लाख युवाओं को किस दिशा में ले जायें? क्योंकि इनमें से मैक्जिमम पढ़ रहे हैं और पढ़ने ...।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति महोदय, ये 23 लाख तो रजिस्टर्ड है और जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, वह कितने होंगे?

श्री शैलेष पांडे:- आदरणीय सदस्य जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सभापति महोदय, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि श्रम विभाग के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे फण्ड होते हैं हम बहुत सारी अच्छी योजनाएं, ठोस योजनाएं बनायें, जिसके अंतर्गत हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उनको सही दिशा मिल सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ..।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आप बिलासपुर के बारे में बोले ही नहीं। रोज गड्ढा खोद रहे हैं, रोज पाट रहे हैं। रोज बराबर कर रहे हैं।

श्री शैलेष पांडे:- माननीय सभापति महोदय, सिवरेज के लिए चाहता हूँ कि सदन में विशेष समय दिया जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- देखिए, सिवरेज के नाम से आप यहां तक जल्दी पहुंच पाये हैं। अब उसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सरकार बनते ही आपको क्या हो गया? सिवरेज में आप अगरबत्ती जलाये हो, फोटो ले-लेकर घूमे हो। आप यहां उसके बारे में भी बोलिए।

श्री शैलेष पांडे:- माननीय सभापति महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कह देता हूँ। मैं केवल 5 मिनट ही बोलूंगा।

सभापति महोदय :- आप बाद में कह लीजिएगा। चलिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शैलेष पांडे:- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ उनके पूरे विभाग से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी योजना न बनाये जो जनता के लिए काल बन जाये। ऐसी योजना न लायें, जो हम कर ही न सकें। जिसमें लोगों की मौतें हो रही हैं हम ऐसी योजना न बनायें। 2 साल के नाम पर अगर योजना बनायी जाती है तो अगर लगभग 300 करोड़ उस योजना में लगाये जाते हैं तो वह योजना 2 साल में क्यों पूरी नहीं की जाती है? मैं उन विद्वान लोगों को जिन्होंने बिलासपुर की उस सिवरेज योजना को बनायी थी, मैं उस विद्वान नेता, उस विद्वान अधिकारी को कहना चाहता हूं कि वह बतायें। इसकी जांच की जायें ताकि इस प्रकार की जो योजनायें हैं, जो दो साल के लिए बनाई गई थीं, लेकिन 10 साल में पूरे शहर को खोदापुर बना दिया गया और न जाने कितने लोग मर गये। माननीय मंत्री जी आपके नेतृत्व की सरकार है मैं आशा करता हूं कि बिलासपुर की जनता को न्याय मिलेगा, उन मरने वाले लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर गंभीर रूप से ध्यान देने का कष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- बनाना है या नहीं बनाना है, आप तो कुछ बोले नहीं, गोल-गोल बात कर लिये। आप बोलो कि उसको रोकना है या बनाना है।

श्री शैलेष पाण्डेय :- वह समझ गये।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, हम लोग समझना चाहते हैं, आप समझाने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आप बोलिये कि उसको बनाना है या नहीं बनाना है ?

श्री शैलेष पाण्डेय :- किसको ?

श्री धर्मजीत सिंह :-सीवरेज को बोरी डालकर बंद कर दें या या उसको आगे बढ़ायें। यह आप बोलिये।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी थी कि वह बिलासपुर में बैठक लेकर माननीय मंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे। इसलिए इसमें निर्णय हो चुका है।

श्रीमती इंदु बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-2020 की नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अनुदान मांग संख्या 22, 69, 81, 18 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि मेरे पामगढ़ विधानसभा में 3 नगर पंचायत शिवरीनारायण, खरौद, रहौद हैं। हमारे तीनों नगर पंचायत में विकास की राशि बहुत आती है लेकिन आप जाकर देखिये वहां एक भी आपको विकास का कार्य नजर नहीं आयेगा। मुख्य मार्ग को छोड़कर हर एक मार्ग में गंदे पानी का बहाव होता है, न तो वहां पर नाली का निर्माण है और कचरे का ढेर अगल-बगल में और चारो तरफ सड़कों में बिछा रहता है। मैं आपके माध्यम से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप वहां जांच कमेटी बनायें और जांच कराकर विकास की जो राशि होती है, उसका सही उपयोग करायें। क्योकि हमारे पास बहुत सी शिकायत आती है कि न तो हमारे नगर पंचायत में एक भी नाली का निर्माण हुआ है, न ही भवनों का निर्माण हुआ है और न ही सड़कों का निर्माण हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बोलना चाहती हूं कि उसकी जांच करा कर हमारे नगर पंचायत में विकास के कार्य को आगे बढ़ायें। साथ ही मेरे तीनों नगर पंचायतों में करीब एक साल से प्रत्येक पेंशनधारी को राशि नहीं मिली है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि मेरे तीनों नगर पंचायत में हितग्राहियों को जो पेंशन नहीं मिली है, उसकी जांच करा भुगतान कराने की मांग करती हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि न सिर्फ तीनों नगर पंचायत में, साथ-साथ पूरे पामगढ़ विधानसभा में श्रम विभाग से एक भी शिकायत न मिले, ऐसी आप कार्ययोजना बनायें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019-2020 की नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अनुदान मांग संख्या 22, 69, 81, 18 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। हर हाथ को काम मिले, उसको उचित दाम मिले, हर पेट को अन्न मिले, यह हमारी सरकार की आदर्श नीति है, हमारी सरकार उस नीति को क्रियान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के अधीन गठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत उसी परोपकारी उद्देश्य से श्रम एवं अन्य सहायता योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में भोजन वितरण केन्द्र तेलीबांधा चौवड़ी रायपुर, गांधी मैदान चावडी रायपुर, उरला एवं चन्द्रा मौर्या टाकीज के पास सुपेला, भिलाई, कुम्हारी, बिलासपुर बृहस्पति बाजार तथा राजनांदगांव आदि स्थानों में कुल 18 भोजन वितरण केन्द्र संचालित हैं। श्रमिक को पौष्टिक भोजन प्रदाय किया जा रहा है और भी नये स्थानों पर खोलने का प्रस्ताव हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिलतरा में जहां प्रदेश के सबसे ज्यादा मजदूर कार्य करते हैं । अगर सिलतरा अंबेडकर चौक भोजन वितरण केंद्र खोला जाता है तो लगभग 1 से डेढ़ लाख मजदूर परिवार को भोजन व्यवस्था हो जायेगी । मजदूर को सस्ते दर पर भोजन प्राप्त हो सकेगा । मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनेक फैक्ट्री हैं जिसके सीएसआर के कार्यों से मिलने वाले फंड का उपयोग मेरे क्षेत्र की पीड़ित जनता के लिये हो ऐसा मेरा आग्रह है क्योंकि विशेष तौर पर सिलतरा के प्रदूषण की चर्चा हो रही है अत: उन्हें उद्योग के कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे मतदाता प्रदूषण के शिकार हैं । मैं निवेदन करती हूं कि यहां सीएसआर के फंड के द्वारा हॉस्पिटल और अन्य व्यवस्था दी जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेंद्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्तुत प्रतिवेदन का समर्थन करते हुए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- श्री देवेंद्र भैया, आप उसी निकाय से शहरी क्षेत्र से सदन में आये हैं । आप मंत्री जी को बढ़िया सलाह दीजिये ।

श्री देवेंद्र यादव :- जी जरूर । मैं अपनी बात की भी यहीं से शुरूआत करने वाला था कि मेरे लिये यह बड़ा अवसर है कि बतौर महापौर रहते हुए विधानसभा के अंदर अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है । निश्चित रूप से जो समस्याएं नगरीय स्तर पर जो तीन सरकारें होती हैं, केंद्र की, राज्य की और शहर की सरकार। शहर की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए जो समस्याएं आती हैं तो निश्चित रूप से यहां पर उसको मैं रखूंगा । आपने सुना होगा आज से दो साल पहले एक घोषणा हुई थी सुपर स्मार्ट सिटी और उस घोषणा में नाम आया कि कोरबा, भिलाई, राजनांदगांव को स्मार्ट सिटी बनायेंगे । मेरे शहर में बहुत विद्वान लोग रहते हैं वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर सभी हमारे विद्वान लोग रहते हैं लेकिन भिलाई में ज्यादा विद्वान लोग रहते हैं तो सभी विद्वान लोगों ने बहुत बधाई दी, बोले वाह भई यादव जी आपने सुपर स्मॉर्ट सिटी की घोषणा करवा दी, बहुत बधाई इसके बाद एक महीना निकल गया, दो महीना निकल गया, देखते-देखते दो साल निकल गये ।

समय :
4:47 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मैं लोगों के पास तो लोग पहले पूछते थे कि तुम्हारी सुपर स्मार्ट सिटी कहां है पहले यह बताओ । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- 5-5 साल गोद लिये लेकिन एक रूपये नहीं मिला । दिल्ली से आने वाला था, बाबा बोला था, कुछ नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये जल्दी समाप्त करिये ।

श्री देवेंद्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बोलना शुरू किया है । मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है । नगरीय निकाय का विषय है, मैं स्वयं महापौर हूं तो मुझे आप थोड़ा समय देने की कृपा करेंगे । मैं बताना चाहता हूं कि दो साल में उस सुपर स्मार्ट सिटी योजना में कुछ हुआ है तो बस इतना हुआ है कि बाहर से ये एक कंसल्टेंट बुला देते हैं वह कंसल्टेंट पूरा नगरीय निकाय का दौरा करता है, बहुत सारी मीटिंग लेता है, बोलता है यहां तोड़ंगा, वहां जोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा और उसके बाद प्रोजेक्ट बनाता है 2700 करोड़ का, 2700 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाता है और उसके ही जो प्रोजेक्ट के आधार पर उसकी फीस रहती है वह हम लोगों से ले ली जाती है लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखता तो मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि पहले तो नगरीय निकायों से कंसल्टेंट को भगाईये । ये कंसल्टेंट कोई कंसल्ट नहीं देते, केवल हम लोगों से वसूली करके जाते हैं, हमारा पैसा लेकर जाते हैं, निगम निधि में थोड़ा पैसा रहता है वह भी इनके माध्यम से चला जाता है उसका हम रोड नाली या कुछ काम करवा लेंगे तो वह ज्यादा बेहतर रहेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और विषय सम्मानीय मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा बॉम्बे आवास, आईएचएसडीपी आवास, इंदिरा आवास, अटल आवास। हम लोग आज प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, हम लोग यह बात करते हैं कि जो भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, आवास नहीं है उसको घर दिया जाए लेकिन आज की नगरीय निकायों में जो स्थिति है वह आपके समक्ष रखना चाहता हूं । लगभग इंदिरा आवास, अटल आवास, आईएचएसडीपी मिलाकर 3800 आवास, हमारे भिलाई नगर निगम में 1800 जो हितग्राही रह रहे हैं केवल वे ही पात्र हैं बाकी 2000 मकानों में किसी ने 10 मकान कब्जा करके किराये पर चला रहा है, कोई 20 मकान कब्जा करके किराये पर चला रहा है । कहीं इसकी सेटिंग, कहीं उसकी सेटिंग । ये सारी चीजें बंद होना चाहिए । मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी के निर्देश पर आने वाले समय में जो लोग वहां पर रह रहे हैं वे खुद भी बीपीएल परिवारों से आते हैं, वे खुद भी हितग्राही हैं, वे खुद भी पात्र हैं । लेकिन जो व्यवस्थाएं पूर्व में रखी गई थीं या जो तौर तरीका पूर्व में रखा गया है जिसके कारण आज उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है । नियमत: उनको वह मकान एलॉट हो जाना चाहिए । इसकी शुरूआत हम लोगों ने भिलाई नगर निगम में कर दी है । कल के दिन हम लोगों ने ऐसे 60 परिवारों को मकान एलॉट किया है और आज के दिन अभी तक हम लोगों ने 40 मकान वहां पर जो हितग्राही रह रहे हैं और जो पात्र हैं उन्हें देने की कार्यवाही आगे बढ़ाई है । इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग स्वरोजागर की बात करते हैं । स्वरोजगार में एनयूएलएम में बहुत सारी योजनाएं हैं । मैं देखता हूं कि ये जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है इसमें बहुत सारे विषय हैं, कुछ पुराने विषय हैं, कुछ नये विषय हैं । मैं उनका स्वागत करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि एनयूएलएम के अंदर जो नीति हमने बनाई है उस नीति के आधार पर जितने लोगों को हम लोग प्रशिक्षित करते हैं, उन प्रशिक्षित लोगों में से कम से कम 70 प्रतिशत लोगों को हमें रोजगार सुनिश्चित करना है । मैं बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूं कि नगरीय निकाय में कहीं पर भी हम लोग इस पर अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं । इसका जो कारण रहा है, पिछले 15 सालों से जो सरकार चली है, वह मूलभूत आवश्यकताओं को भूलकर केवल इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगी रही । उसका मानना ही केवल यही रहा कि केवल बिल्डिंग बनाओ, योजना लाओ लेकिन क्रियान्वयन कितना हो रहा है, उसकी गहराई पर कभी नहीं गए । मैं अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि एनयूएलएम के अंदर वार्ड नर्सेस, मशरूम कल्टिवेशन, ड्राइविंग, हार्टिकल्चर, गार्डनिंग से लेकर बहुत सारे विषय हैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिनमें हमारे बच्चे ट्रेंड होते हैं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं उसमें नीति ही ऐसी बनी हुई है कि एक बच्चा केवल एक ही विषय पर ट्रेनिंग ले सकता है। उसे बदलते हुए जो व्यक्ति मल्टिपल ट्रेनिंग ले सकता है या लेना चाहता है उसको यह सुविधा दी जानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि सिटी बस योजना चालू की गई । राज्य सरकार ने हमको एक पत्र भेज दिया कि आप अपनी संचित निधि से 10 करोड़ रूपया दे दो । हमने दे दिया क्योंकि राज्य सरकार का निर्देश था, हमारे पास उसको रोकने का कोई तरीका नहीं था, हमने दे दिया । वह 10 करोड़ तो ले लिए, सिटी बस भी ला दिये लेकिन इसके बाद सिटी बस का जो संचालन हो रहा है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस सिटी बस का संचालन व्यापार के लिए हो रहा है, व्यवसाय के लिए हो रहा है । अगर सरकारी तौर पर हम सिटी बस का संचालन कर रहे हैं तो उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए कि शहर के अंदर उन जगहों पर भी वह बस पहुंचे जहां पर यात्री को आने में असुविधा है । लेकिन वह तो एन.एच. को छोड़ती ही नहीं है । ऐसी प्लानिंग बना दी है, ऐसी कमीटी बना दी है उसमें कलेक्टर, कमिश्नर को स्वीकृत कर दिए और हम जनप्रतिनिधियों से कोई पूछ परख नहीं । अध्यक्ष महोदय, इससे नुकसान होता है । मैं चाहता हूं कि इस पर भी माननीय मंत्री जी विचार करके इसको ठीक करेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महिला स्व-सहायता समूह, हम लोगों का मुख्य काम है कि इनको स्वरोजगार देना, इन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करना । लेकिन बहुत दुख के साथ मैं इस बात को कहता हूं कि समूह तो बन जाते हैं, समूह में वे महिलाएं आपस में मीटिंग भी लेने लग जाती हैं । तीन महीने चला भी लेती हैं और सरकार पहली किश्त के रूप में इनको 10 हजार रूपया दे भी देती है । इसके बाद वे महिलाएं आगे लोन के लिए भटकती रहती हैं । साल, डेढ़ साल निकल जाते हैं और उनको लोन नहीं मिलता तो वे भी अपने घर पर बैठ जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, अब बहुत हो गया ।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा । चूंकि महापौर हूं तो ऐसे ही विषय रख रहा हूं जो वाजिब विषय हैं, जो आम आदमी की जरूरतें हैं । आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि मुझे बोलने के लिए पांच मिनट का और समय दें और बिंदु हैं जिन्हें रखना अतिआवश्यक है । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि ऐसी योजना लाई जाए कि हमारी जो बहनें स्व-सहायता समूह बनाती हैं, जो रोजगार करना चाहती हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। इनको लोन का जो माध्यम बने तो सरकार बने ताकि उनको जल्द से जल्द मिले और सुनिश्चित किया जाए। 15 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन कभी नहीं होती है। एक बहुत अच्छी योजना है मोर जमीन मोर मकान। बड़ा अच्छा नाम है, उतनी ही अच्छी योजना है। लेकिन इस पर आधा काम होता है। इसमें योजना की नीति यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी 450 वर्गफीट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

की भूखंड है, उसकी रजिस्ट्री है या उसका पट्टा है उसको शासन की ओर से 3 किश्तों में पैसा मिलेगा। 80 हजार फिर 80 हजार लगभग ढाई लाख रूपये तक मिलता है और वह मकान उनको खुद बनाना है। तो ये जो गरीब लोग हैं, इनके पास एक दिक्कत तो यह रहती है। कुछ ऐसे हितग्राही हैं, जिनके पास 450 वर्गफीट नहीं है तो उनको यह सुविधा दी जाये कि जिसका 400 वर्गफीट है वह भी इस योजना में आये ताकि गरीब आदमी है, उसे लाभ मिले। दूसरा इस पर यह नियम बना है, यह नीति बनी है कि उसको स्वमेव बनाना है तो एक बूढ़ी औरत जो खुद अकेले अपने पुराने पट्टे में रहती है या पुरानी जमीन पर रहती है, वह अपने हाथ से बनाने में सक्षम नहीं होती। वह किसी ठेकेदार को लाती है। ठेकेदार को पैसा देती है और ठेकेदार पैसा खा जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इसको भी स्वसहायता समूह के माध्यम से बनाया जाए ताकि सुनिश्चित किया जाए कि सरकार का पैसा सही हाथों में जाए। सही लोगों को मिले ताकि हम जो योजना मोर जमीन मोर मकान से लाभ दिलाना चाहते हैं, उसमें हम लोग पूरी तरह से सफल हों। अमृत योजना बहुत अच्छी योजना है। इस पर हम लोगों को बहुत शब्बासी भी मिल रही है कि बहुत समय से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें मेरा एक सुझाव है माननीय मंत्री जी, गरीब लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भागीरथी कनेक्शन में मुफ्त कनेक्शन का भी प्रावधान रखा है। चूंकि अमृत योजना में लगभग साढ़े 6 हजार रूपये ए.पी.एल. और साढ़े 3 हजार बी.पी.एल. को देना पड़ता है तो इसके लिए हम लोगों ने नगर-निगम के अंदर 200 और 100 रूपये का इनकम टैक्स पेयी और नॉन इनकम टैक्स पेयी लाया है। इस माध्यम में इसको अलग कर दिया है ताकि झुग्गी बस्ती झोपड़ी के लोग भी इसका लाभ ले सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये शहरी गरीबों के लिए आश्रय केन्द्र की जो योजना बनी है जो गरीब भीख मांगते हैं, कहीं किसी सार्वजनिक जगह में सोते हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया है। यह पूर्णत: सफल तब होगा जब उनके खाने के लिए भी व्यवस्था वहां पर की जायेगी। अगर हम लोग वहां पर दाल-भात केन्द्र या कोई ऐसी व्यवस्था करें कि वह गरीब वहां पर दोपहर में जाकर खाना खा ले तो उसकी आदत बनेगी जाने की। तब हम लोग उसे पूरी तरह से सफल कर पायेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा विषय मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं। बी.पी.एल. परिवार बी.पी.एल. श्रेणी जो बी.पी.एल. क्रमांक नंबर रहता है, उसको आम लोग ढूंढते ही रहते हैं क्योंकि वे इतने जागरूक भी नहीं रहती है कि बी.पी.एल. के अंतर्गत उनका क्रमांक क्या है और उसको लेकर उनको किन-किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है और क्या-क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हम लोगों ने शुरूआत की है। माननीय मंत्री जी के नाम से की है, माननीय भूपेश बघेल जी के नाम से की है कि भिलाई नगर के अंदर आने वाले 50 हजार बी.पी.एल. परिवारों को हम लोग एक कार्ड बनाकर दे रहे हैं, जिस पर उनका सर्वे क्रमांक नंबर और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जितनी भी योजनाएं है, उनकी डिटेल लिखी रहेगी ताकि उन बी.पी.एल. परिवारों को उसका लाभ मिल सके। यह सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह शिक्षा उपकर का विषय अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे स्कूलों की जो स्थिति है, बहुत खराब है। स्थितियां बहुत गड़बड़ है। वजह यह है कि कुछ नगरीय निकायों में हमें शिक्षा उपकर तो मिलता है। हम लोग उसके टैक्स में शिक्षा उपकर सुनिश्चित करते हैं लेकिन उसका उपयोग जिस दिशा में करना चाहिए, उस दिशा में उपयोग नहीं हो पाता।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बहुत हो गया।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी दो मिनट लेकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। निवेदन है कि मैं आखिरी दो मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। शिक्षा उपकर का उपयोग केवल और केवल स्कूलों में होना चाहिए, शिक्षा के लिए होना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा और बहुत सारे विषय हैं। चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को नगरीय निकायों को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए हमारा सहारा बन रहे है, हमारी बात सुन रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 15 सालों में तीसरी बार की सरकार के द्वारा जो शहरी सरकार के साथ अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, वह माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इन सभी चीजों को ठीक किया जायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रेखचंद जैन (जगदलपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे माननीय मंत्री डॉ0 शिव डहरिया के द्वारा जो अनुदान मांग रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मेरी जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनको आपके सामने रख रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जगदलपुर शहर में दलपत सागर और गंगामुन्डा, दो ऐसे तालाब है, जो बहुत ही प्राचीन हैं और उनका एक ऐतिहासिक रूप है। उन तालाबों के उन्नयन के लिए आपके द्वारा बजट में कुछ पैसा दिया जाये। जगदलपुर शहर में सिटी ग्राउण्ड और हाता ग्राउण्ड जो खेल के मैदान हैं, वे भी बहुत पुराने हैं, उसके उन्नयन के लिए भी आप फण्ड उपलब्ध करायें, यह मेरा निवेदन है। जगदलपुर शहर में शहीद पार्क, जो कि बहुत ही पुराना है। अब उसके उन्नयन की जरूरत है। इसके लिए भी पुष्प वाटिका उद्यान योजना में कुछ मद उपलब्ध कराने का आपसे निवेदन है। चूंकि जगदलपुर में अब ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है। इसलिए वहां पार्किंग की बहुत तकलीफ होती है। तो वहां मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के लिए भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि पैसा दिया जाए। जगदलपुर शहर पुराने सिस्टम में बसा हुआ है, इसमें सब तरफ से आऊटलेट बंद हो गए हैं। इसके लिए बड़े नालों के निर्माण की जरूरत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हू कि इसे लिए भी कुछ पैसा दिया जाए। शमशान घाट में इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के लिए भी मेरा आपसे निवेदन है। आपसे एक निवेदन यह भी है कि जगदलपुर सनसिटी और कालीपुर में अटल आवास जो काफी पुराने बने हुए हैं, उनकी स्थिति काफी जर्जर हो गई है। वहां पर रहने वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसके मेन्टनेंस के लिए आपसे फण्ड की उम्मीद करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक चीज यही कहना चाह रहा था कि नगरीय निकायों में कॉल मी सर्विस सिस्टम है, जिसके माध्यम से लोगों की भर्ती की जाती है। एक तरीके से उन लोगों का शोषण ही हो रहा है। इसलिए इन कम्पनियों को बाहर करते हुए स्थानीय निकायों को पहले अधिकार थे, वही अधिकार दिए जाये, यही मेरा निवेदन है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ0 विनय जायसवाल, तीन मिनट में अपनी बात खत्म करिये।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधा अनुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-5(3) का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

<u>वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

डॉ0 विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी की अनुदान मांगों के समर्थन में चर्चा करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें 01 नगर निगम और 01 नगर पालिका और नगर पंचायत और 37 पंचायतों का विधान सभा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में 13 नगर निगम है, उसमें से चिरमिरी नगर निगम एकदम अनूठा और अनोखा नगर निगम है। 7 पहाड़ों में बसा नगर निगम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शहरी प्रशासन और एसईसीएल ध्यान नहीं दे रहे हैं। चूंकि एसईसीएल का जो प्रबंधन है, उसकी मानीटरिंग और उसका प्रबंधन पूरा केन्द्र सरकार से होता है तो आज चिरमिरी नगर निगम की स्थिति ये है कि इतना अच्छा पर्यटन का स्कोप होने के बाद इतना अच्छा शिक्षा का हब बनाया जा सकता है, लेकिन वहां ऐसा कोई भी काम देखने के लिए नहीं मिला, न ही पिछले 15 सालों में ऐसा कोई प्रयास

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हुआ । मैं आपके माध्यम से माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री से निवेदन करूंगा कि चिरमिरी में आज 30 साल पहले कुल 9 माईन्स थे, आज स्थिति ये है कि चिरमिरी में मात्र तीन माईन्स हैं और चिरमिरी में जो पलायन है, वह लगभग 40 प्रतिशत हो गया है । एक शहर होता है, जो लगातार वर्ष दर वर्ष ग्रोथ करता है, लेकिन चिरमिरी नगर निगम की स्थिति ये है कि वह डी ग्रोथ कर रहा है, लगातार उसका अवमूल्यन हो रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री से निवेदन करूंगा कि चिरमिरी में जो पट्टे की समस्या है, जो एसईसीएल की भूमि है, आज हम नया रायपुर की बात करते हैं, नया रायपुर में करोड़ों-अरबों रूपए खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है । मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अगर आप विशेषज्ञों से भी बात करेंगे तो नया रायपुर को बसने में कम से कम 25 से 30 साल लगेंगे, लेकिन जहां चिरमिरी जैसा नगर निगम, जो पिछले 100 साल से अपने यौवन से लेकर अपने बुरे दिन को देख रहा है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां नाली है, वहां सड़क है, वहां लोग हैं, लेकिन वहां के लिए पिछली सरकार ने कोई सुध नहीं ली। मैं बहुत ही कम समय लेते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि जो एसईसीएल का काम हो गया है, जहां से कोयला निकाला जा चुका है, उसको समतलीकरण करके उसमें वृक्षारोपण करें और उसको राज्य शासन अपने अधिग्रहण में ले, जिससे वहां अधो संरचना के लिए विकास के कार्यों को किया जा सके, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और पट्टे का मुद्दा है । आज वहां चिरमिरी में अपनी जमीन होने के बाद भी जो लोग 50-60-70 सालों से काबिज हैं, लेकिन उनको अपनी भूमि का स्वामित्व नहीं है । आज वे इस जमीन पर एक रूपये का लोन भी नहीं ले सकते, अगर वे व्यापार करना चाहते हैं तो वे व्यापार भी नहीं कर सकते तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे जितने भी कार्य हैं, जो शासन से एसईसीएल से अधिग्रहण किया जा सकता है, जैसे पोड़ी है, कोरिया है, गिलापानी है, ये बहुत बढ़िया एरिया है, जिसको राज्य शासन अधिग्रहण करके विकास के और अच्छे कार्य कर सकते हैं । मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम को आप करें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं नगरीय प्रशासन मंत्री से आग्रह करूंगा कि हमारा जो चिरमिरी है, वह बहुत बड़े-बड़े प्लेयर लोगों के नाम से जाना जाता है । एक समय पूरे छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में फुटबाल के नाम से बहुत प्रसिद्ध था और बाबे और कांके जैसे प्लेयर चिरमिरी में पैदा हुए हैं । मैं नगरीय प्रशासन मंत्री से आग्रह करूंगा कि वहां एक बहुत अच्छा इंडोर स्टेडियम बनाएं, वहां बहुत सारे मैदान हैं, कम से कम 7 से 8 ऐसे ग्राउंड हैं, जिनका उन्नयन किया जा सकता है, इंडोर स्टेडियम बनाया जा सकता है, एस्ट्रोटर्फ बनाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, पर्यटन स्थल के रूप में वहां रोप वे का बहुत अच्छा स्कोप है, 7 पहाड़ों में बसा हुआ चिरमिरी है । अगर उसमें रोप वे की व्यवस्था कर दें तो पर्यटक आकर्षित होंगे और लोगों को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रोजगार भी मिलेगा। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो माइंस बंद हो गए हैं, अंडर ग्राउंड माइन्स जो बंद हो गए हैं, वे लगभग 8-10-15 किलोमीटर का टनल है, उसको बंद कर दिया गया है । अगर टनल पर्यटन के रूप में चिरमिरी का विकास करते हैं...।

अध्यक्ष महोदय :- ये तो आपको पर्यटन विभाग में बोलना था, आप नगरीय प्रशासन में नहीं आता ।

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, ये नगरीय प्रशासन में भी आता है । इसलिए मैं आग्रह कर रहा था कि अगर टनल पर्यटन के रूप में चिरमिरी को नया रूप देते हैं तो न केवल छत्तीसगढ़ के, बल्कि देश और विदेश के लोग वहां घूमने आएंगे और चिरमिरी का जो अस्तित्व खतम हो रहा है, वह बना रहेगा । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- उपसंहार या समापन के रूप में माननीय धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, देवव्रत सिंह जी भी बोलना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय:- दोनों में से कोई एक, समय बहुत हो गया है । जबकि इन लोगों ने बड़ी सुविधा प्रदान की है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आपने टैक्स हाफ की बात की है तो नगर निगम और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में सम्पत्ति कर आना बंद हो गया है तो कृपा करके वहां देख लीजिए कि उनकी वित्तीय व्यवस्था चरमरा रही है । या तो आप हाफ करिए या जो हाफ होकर जो पैसा उनका बचता है वह आप उनको दे दीजिए। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि बिलासपुर में दो नगर निगम बनवा दीजिए। हॉ-हॉ, दो बन सकता है। जब दिल्ली में चार बन सकता है तो बिलासपुर में दो क्यों नहीं बन सकता? एक नदी के इस तरफ बिलासपुर शहर और नदी के उस तरफ सरकंडा एरिया और जो कोल कंपनी का रहवाश है वह बन सकता है। आपसे मैं मांग करना चाहता हूं कि गोंड़खामी को आप कृपा करके नगर पंचायत बना दीजिए। आपसे मैं ये भी मांग करना चाहता हूं कि स्काई वॉक जो सिरफिरे लोगों की योजना है उसे आप तत्काल तोड़ दीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि वहां पर नशा करने वाले लड़के रहेंगे और जो भी यात्री वहां रहेंगे उनको चक्कू से भी मारेंगे तो उनको बचना नहीं है। या तो वह मरेंगे या वहां से कोई आत्महत्या करेगा। वह सुसाईडल प्वाईंट बन जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष के अधिकार को पिछली सरकार ने छीन लिया था, सी.एम.ओ. को अधिकृत कर दिये थे। जब से सी.एम.ओ. अधिकृत हुए हैं तब से बिल्कुल तानाशाह सरीखे उनका व्यवहार हो गया है। आपके पूर्व की व्यवस्था को अगर आप चाहें, अगर ये नहीं चाहते हैं कि सी.एम.ओ. बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न हो तो आप अध्यक्ष और सी.एम.ओ. दोनों को जो मिलाजुला अधिकार रहता था वह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रदान करने के बारे में विचार करियेगा। लोरमी के वार्ड नंबर 14 और 15 जो कि नदी के दूसरे किनारे पर है, जहां आप बाबा गुरू घासीदास बाबा की जयंति में स्वयं मंत्री बनने के पहले गये भी थे वहां यदि आप एक पानी टंकी बनवा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी और वहां एक सामुदायिक भवन बनवा देंगे तो अच्छा रहेगा। पाण्डेय जी यहां से चले गये, सीवरेज के बारे में कहना था। पता नहीं क्यों डरते हैं। पहले जब ये सीवरेज बन रहा था तो कांग्रेस पार्टी के सारे नेता फोटो खिंचाने के लिए आगे-पीछे होते थे, धक्का-मुक्की होती थी कि हम सीवरेज का विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यहां बोलो न। जब सरकार आ गई है तो या तो सीवरेज का विरोध करो या उसका समर्थन करो। सीवरेज के बारे में सरकार की मंशा भी स्पष्ट होनी चाहिए कि आप इसे बंद करेंगे या इसे शुरू करेंगे। रेल्वे के पार्षद जो बिलासपुर में हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि रेलवे का जी.एम., रेलवे का डी.आर.एम. उनको किसी भी प्रकार से एक नल खोदने की भी अनुमति नहीं देते हैं। या तो उसे बिलासपुर नगर निगम की सीमा से हटा दीजिए और अगर रखे हैं तो सरकार के स्तर पर रेल्वे के जी.एम. से बात होनी चाहिए कि वह निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, उसका अपमान ठीक नहीं है। वह वहां की जनता की छोटी-मोटी समस्याओं का हल करा सकता है। वह रेल्वे की जागीर नहीं है, वह जो भी जमीन है, छत्तीसगढ़ की है, हमारी जमीन है उसमें रेल्वे को व्यवस्था करने के लिए हमने दिया है। माननीय मंत्री जी, तीसरी बात कि सफाई का ठेका हो गया है। हमारे जो पुराने सफाई कर्मी हैं उनके बीच बहुत गुस्सा है। मैं सबेरे-सबेरे जब अपने मित्रों के यहां जाता हूं तो वह लोग मुझे बैठे मिलते हैं। वह इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। अगर सफाई ठेका ही देना है तो उनके हितों की पूरी रक्षा होनी चाहिए जो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षों से यहां सफाई ठेका का काम कर रहे हैं। पुराने कर्मियों का शोषण बंद होना चाहिए। मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूं कि जो स्वीपिंग मशीन आती है मैं देखता रहता हूं कि एक दो-चार साल के बाद यहां से करोड़ों रूपये की खरीदी होती है। वह 10 फुट भी साफ नहीं कर पाता, क्यों करोड़ों रूपये में खरीदते हैं? झाड़ू लगवा लीजिए जो पुरानी गांधी जी की पद्धति है। वह ज्यादा अच्छा है कि कम पैसे में वह सफाई होगी। मशीन खरीदने का काम बंद करा दीजिए, वह बेकार का है।

अध्यक्ष महोदय, मेडिकल बायो ट्रीटमेंट प्लांट, बायो वेस्ट इंसीनेटर शायद आपके ही विभाग में होगा। अगर आपके विभाग में है तो देखिए। शहर में जो मेडिकल हॉस्पिटल हैं उनसे जो गंदगी निकलती है उनकी गंदगी को ठीक करने, जलाने या खपाने का काम नगर निगम में ही होना चाहिए। आवास पर्यावरण का है इम्प्लीमेंट आपको कराना है। तो बिलासपुर, रायपुर में उसे जरूर दिखवा लीजिएगा। आपको ई.एस.आई. का अस्पताल भी बनवाना है। बहुत दिनों से ई.एस.आई. का कोई अस्पताल दिखता नहीं है कि कोई कार्यरत है या उसकी क्षमता दिखे या वहां मजदूरों को उसका फायदा मिल सके। माननीय मंत्री जी, बंधुवा मजदूरों की भी समस्या है। छत्तीसगढ़ में बंधुआ मजदूरी कराने के लिए लोग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ले जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। उनकी नीति भी आप ठीक से बनाईये ताकि वह यहां पर ठीक से रह सकें और उनका पलायन रूक सके इसके लिए भी इंतजाम करिये। श्रमिकों की सुरक्षा और मजदूरी का भुगतान भी नहीं हो रहा है। मनरेगा के मजदूर भी तो श्रम विभाग के हैं। अध्यक्ष महोदय, साल-साल भर से मनरेगा की मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। आप एक ऐसा नियम बनाईये कि अगर लेबर डिपार्टमेंट में कोई शिकायत करे तो जिन विभागों के अधिकारी लोग उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर एफ.आई.आर दर्ज होना चाहिए। इस तरीके से लेबर को शोषण करना ठीक नहीं है। बिलासपुर में गोल बाजार एक व्यस्ततम बाजार है और वो पुराना शहर का प्रमुखतम हिस्सा है। वहां पर पास में एक सिटी कोतवाली है, उस सिटी कोतवाली को आप पशु चिकित्सालय के पास ले जाइये और पूरे सिटी कोतवाली में मल्टी लेवल पार्किंग वहां बनवा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मांग किया हूं उसको देंगे और बिलासपुर का मल्टी लेवल पार्किंग जरूर बनवायेंगे। क्योंकि वहां की जरूरत है, पूरे शहर के लोग परेशान रहते हैं और सफाई कर्मियों की समस्या को भी देखेंगे। नगर निगम और नगर पालिकाओं में मुद्रा पानी जरूर भेजवा दीजियेगा । सी.एम.ओ. के जो अधिकार असीमित हैं उनको सीमित करने का प्रयास कीजियेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो अनुदान मांगे रखी गई है। नगरीय प्रशासन चूंकि बड़ा विभाग होता है प्रदेश के विकास का दिखाई देता है। हम किसी बड़े प्रदेश में जाये तो शहरों को देखकर विकास दिखता है। जो आबंटन बजट में दिया गया है वह बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि नगरीय निकायों को नगरीय प्रशासन की संस्थाओं को यदि हम वित्तीय रूप से कमजोर करेंगे तो हमारे शहरों की व्यवस्था चरमरा जायेगी। जब शहरों की व्यवस्था चरमरा जायेगी तो इस प्रदेश का चेहरा दिखेगा वह बहुत अच्छा चेहरा नहीं होगा। चुंगी क्षति पूर्ति में न तो नगर पालिका, नगर पंचायत की राशि की वृद्धि हो रही है ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें राशि वैसी भी नहीं आती है। टैक्स के रूप में टैक्स हाफ करने के बाद में तो और संभावनाएं कम हो जायेगी। मुझे लगता है कि चुंगी क्षति पूर्ति के साथ साथ यात्री कर का अनुदान है, उसको भी बढ़ाये जाने की जरूरत है। माननीय सिंहदेव साहब नहीं हैं, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि जी.एस.टी काऊंसिल की मीटिंग में जब हमारे मंत्री जायें तो इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि जब छत्तीसगढ़ राज्य की अवधारणा बनी थी, तो हम तो बहुत छोटा और पिछड़ा स्टेट थे। मुझे लगता है कि जी.एस.टी काऊंसिल में ये बात भी जानी चाहिए कि हम जैसे छोटे राज्यों को जी.एस.टी. का छोटा सा लाभांश एक छोटा सा अंश सीधा नगरीय निकायों को मिलना चाहिए। जब आप देखेंगे कि जो उन्नत प्रदेश है और उन्नत राष्ट्र से महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, वहां पर जितनी भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शहरों का विकास हुआ था वो आक्ट्राय के कारण ही हुआ था। अब आक्ट्राय हमने बंद कर दिया और सारी चीजें बंद करते चले गये लेकिन जी.एस.टी में भी मैक्सिमम पैसा शहरों से जाता है तो वहां पर कुछ अंश लोकल विकास के लिए आना चाहिए। माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि खैरागढ़ नगरपालिका 1921 की आजादी से पहले की नगरपालिका है। वहां पर 1890 में पूरी बिजली की व्यवस्था थी। 1895 में स्वयं का पानी का सिस्टम था और एक बड़ा शहर था। लेकिन आज ये स्थिति है कि छोटी छोटी बातों में अध्यक्ष और पार्षदों के विवाद के चलते राज्य सरकार ने दो साल पहले बस स्टैंड वहां स्वीकृत किया है, वहां बस स्टैंड की जगह तय नहीं हो पा रही है। उसके बाद श्री भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक सर्व समाज का मंगल भवन स्वीकृत हुआ है लगभग लगभग 5 करोड़ की, उसकी जगह तय नहीं हो पा रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि खैरागढ़ जैसा शहर जहां इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में पूरे देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आते हैं। हर साल लगभग 600 विदेशी विद्यार्थी पढ़ते हैं जिस शहर में और सेमीनार और कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश की बड़ी बड़ी ख्याति प्राप्त लोग आते हैं। ऐसे शहर में सौंदर्यीकरण और व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर कलेक्टर को निर्देशित करें कि यहां से अपर संचालक उप संचालक वहां पर जायें। ये दो बड़ी चीजें जो खैरागढ़ में स्वीकृत हैं वे कार्य प्रारंभ हो सकें। खैरागढ़ नगरपालिका में पिछली सरकार में दो किलोमीटर शहर के अंदर सौंदर्यीकरण के लिए 6 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत हुई। आज भी 6 करोड़ का काम नहीं हो पाया है, 3 करोड़ रूपये राशि पड़ी हुई है। ऐसे में जब एक विश्वविद्यालय वहां पर है तो उनके लिये पैसा मिलना चाहिए। अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नगर पालिका, नगर पंचायतों में एक नई चीज आप प्रारंभ करें। आप जो बजट देते हैं, उसमें प्रावधान करें कि जो भी शहरों के बस स्टैंड हैं, शहरों के बाजार हैं वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी कैमरे आपको इंस्टाल्ड करने चाहिए। पुलिस और नगर पालिका, नगर निगम की जो संस्था है उसके ज्वाईंट देख रेख में वहां पर सी.सी.टी.वी कैमरे इंस्टाल्ड होने चाहिए। रायपुर जेसे शहर में हम सब लोग रहत हैं, नगर निगम रायपुर के माध्यम से अभी 4 या 5 फैक्ट डांस बार क्लब चालू हुए हैं। जिनको शनिवार, रविवार को इस तरह बार की अनुमति रात भर म्यूजिक और तरह तरह के इंतजाम होते हैं। इस बात को मैं दावे से कहता हूं कि मेरे पास प्रमाण भी है कि ये जो डांस बार नगर निगम के द्वारा संचालित हो रहे हैं, बड़े लोगों को परमिशन मिली है। वहां पर अफीम, चरस, गांजा और सब तरह की चीजों का सेवन उन हुक्का बार के माध्यम से किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से स्वीकृति दी गई है। मुझे लगता है कि इसपर पुनर्विचार करना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अगेन्स में है।

अध्यक्ष महोदय :- ये कहां-कहां चल रहे हैं यदि आपको पता है तो बता दीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, सभी फाईव स्टार होटल है जहां पर ये डांस बार की परमिशन दी गई है। ...।

अध्यक्ष महोदय :- ये बिलासपुर में है या रायपुर में है।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर में है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपने समाप्त कर दिया। आपको धन्यवाद।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जनता की आकांक्षाओं से चुनी गई है तथा अब हमारा कर्तव्य भी है कि हम उसके अनुरूप नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को जन आंकाक्षाओं के अनुसार परिणाम मूलक कार्य करें।

सरकार के द्वारा इस दिशा में नगरीय निकायों को इस दिशा में ज्यादा स्वावलंबी तथा सक्षम बनाने हेतु प्रयास करेगी।

हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राशि रूपये 2929.80 करोड़ का प्रावधान राज्य की नगरीय निकायों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु रखा गया है। इस राशि में से प्रमुख रूप से राज्य के नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति खत्म करने के कारण उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिससे की राज्य की नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास, राज्य प्रवर्तित योजनाओं एवं नगर विकास के विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता तथा निकायों को उन्हें चुंगी क्षतिपूर्ति के समाप्ति के फलस्वरूप मिलने वाले आय के विरूद्ध 26.00 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुदान वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर दी जाती है।

माननीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार के द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु राशि 371.08 करोड़ का प्रावधान अधोसंरचना विकास हेतु किया गया है। जिससे की नगरीय निकायों को उनके सड़क नाली, पुल-पुलियों सहित अन्य अधोसंचना विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जायेगी। जिससे की शहरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के द्वारा मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार 77.09 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिससे नगरीय निकायों में पेयजल, प्रकाश, स्वच्छता सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के द्वारा नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल आवर्धन योजना के विस्तार के लिए राशि रूपये 25.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिससे की हम आवश्यकतानुसार नगरीय निकायों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सके।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के द्वारा नगरीय निकायों में शॉपिंग कॉम्पलेक्स का निर्माण, ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर योजना तथा भूमिगत सीवरेज जैसे पूंजीगत कार्यों के लिए भी राशि रूपये 15.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिससे की शहरों में मूलभूत सुविधाओं का सुव्यवस्थित विकास संभव हो सकेगा तथा आम जनता को बेहतर सुविधाएं इन शहरों में मिल सकें।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के द्वारा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में पेयजल तथा शौचालय निर्माण हेतु नगरीय निकायों को सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से राशि रूपये 9.41 का प्रावधान किया गया है जिससे की पाईप लाईन विस्तार, शौचालय निर्माण, पानी टंकियों का निर्माण सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं वंचित वार्डों में उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के द्वारा पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ कर स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु समस्त नगरीय निकायों में वॉटर एटीएम की स्थापना हेतु 5.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के स्थापना हेतु राशि रूपये 5.00 करोड़ रूपये राशि का प्रावधान किया गया है जिससे की रायपुर में राज्य स्तरीय प्रयोगशाला एवं दुर्ग, बस्तर बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का निर्माण कराया जा कर शुद्ध पेयजल हेतु परीक्षण की व्यवस्था की जायेगी। हमने नगरीय निकायों में संचालित पेयजल योजनाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु अंबिकापुर, जगदलपुर, भिलाई, मनेन्द्रगढ़, रायपुर एवं चांपा जल प्रदाय योजनाओं के संचालन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अधीन स्थानीय निकायों को समर्पित शुल्क, अर्थ दण्ड तथा अन्य प्राप्तियों के नगरीय निकायों को उपलब्ध कराने हेतु राशि रूपये 71.35 करोड़ रूपये का प्रावधान भी किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न नगरीय निकायों में एफ एल लाइसेंस फीस की राशि जो राज्य के पास जमा है, उन्हें नगरीय निकायों को प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 17.10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य उत्पादकर से नगरीय निकायों को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार आर्थिक सहायता कराने हेतु राशि रूपये 10.47 लाख का प्रावधान किया गया है जिससे की नगरीय निकाय अब बेहतर प्रबंधन के साथ कार्य कर सके। इसी प्रकार यात्रीकर समाप्त होने के फलस्वरूप जिन निकायों को आर्थिक क्षति हुई थी उन निकायों को आर्थिक सहायता के रूप में विशेष अनुदान 8.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरी स्थानीय निकायों को सड़क मरम्मत हेतु राशि रुपये 5.40 करोड़ रुपये का प्रावधान हमारी के द्वारा किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के द्वारा शहरों में स्वच्छता के लिये तथा निकलने वाले कचरे के उचित प्रबंधन हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से नगरीय निकायों कों ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न गतिविधियों के लिये राशि स्वीकृत किये जाते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के द्वारा वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने हेतु छत्तीसगढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है जिससे कि नगरीय निकायों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु आवश्यक सलाह एवं सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रदेश स्तर पर नगरीय निकायों के बेहतर प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु संचालनालय एवं स्थानीय कार्यालयों के प्रबंधन के लिए राशि 3.55 करोड का प्रावधान भी किया गया है तथा नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन योजना के संचालन हेतु कार्यालयीन व्यय हेतु प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश को 14वें वित्त आयोग के अनुशंसानुसार भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु राशि रुपये 485.89 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे की नगरीय निकाय, नगरीय क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना का विकास कर सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रशासकीय प्रतिवेदन दिया है, उसमें बहुत सारी जो योजनायें हैं, नगर निगम, नगरपालिकाओं और नगरीय निकायों के लिए जो व्यवस्थायें करनी हैं, मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करानी हैं, उसके लिए बहुत सारी योजनायें हैं। उसके लिए बजट प्रावधान किया हुआ है। चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान, अधोसंरचना विकास, राज्य वित्त आयोग, जल आवर्धन योजना, पेयजल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ई-गवर्नेस, अमृत योजना, मिशन स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन क्लीन सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, एल.ई.डी. लाईट स्थापना योजना, इंदिरा प्रियदर्शिनी शुद्ध पेयजल योजना, श्रद्धांजलि योजना, पेयजल आवर्धन योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, निदान 1100, मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन योजना, राजीव गांधी आजीविका केन्द्र योजना, पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, छत्तीसगढ़ लोक प्रबंधन वित्त परियोजनायें, अन्य नवीन योजनाओ को शामिल किया हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग के तहत श्रम विभाग द्वारा संगठित/असंगठित/निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास का कार्य संपादित किया जाता है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कार्यदशा, सेवाशर्तों एवं कार्यक्षेत्र में स्वास्थय, सुरक्षा एवं औद्योगिक शांति स्थापित करने की कार्यवाही विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन द्वारा सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान में श्रम विभाग के अंतर्गत 27 जिलों में श्रम कार्यालय एवं 11 उद्योग बाहुल्य जिलों में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय संचालित है। श्रम विभाग द्वारा संगठित/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन कर, पंजीकृत श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों के कल्याण के लिए गठित मंडल- निर्माण, असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए विभाग में 3 बोर्ड गठित हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

01. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

02. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

03. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल

अब तक 36.50 लाख निर्माण/असंगठित/संगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिए इन मंडलों द्वारा कुल 78 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में 997.36 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के तहत वर्ष 2019-20 में असंगठित श्रमिकों के लिए 63.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। असंगठित श्रमिकों में स्वनियोजित, घरों में काम करने वाले एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों जैसे नाई, धोबी, मोची, रिक्शा/आटो चालक, फुटकर सब्जी, फल, फुल विक्रेता, हमाल, सफाई, कर्मकार इत्यादि 53 प्रकार के श्रमिक हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे श्रमिक जिनकी शहरी क्षेत्र में मासिक आय 15,000 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 10,000 से कम हो को असंगठित श्रमिक मान्य किया गया है। श्रमिक के श्रमिक होने के संबंध में स्वघोषणा के आधार पर पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर जिला श्रम कार्यालय द्वारा पंजीयन किया जाता है । अब तक राज्य में 14.55 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है । इन योजनाओं में वर्ष 2018 में 14.53 लाख पंजीकृत श्रमिकों को लाभांवित किया गया है जिस पर राशि 49.12 करोड़ व्यय किया गया है । पंजीकृत असंगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता हेतु कुल 39 योजनाएं संचालित की जा रही हैं । इसी तरह छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत् निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए 60 प्रवर्ग के श्रमिकों जैसे- राजमिस्त्री, बढ़ाई, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, पेंटर, रेजा, कुली इत्यादि को अधिसूचित किया गया है । निर्माण श्रमिक जिसने गत् वर्ष कम से कम 90 दिवस निर्माण क्षेत्र में कार्य किया हो । 18 से 60 वर्ष की आयु, 60 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो का ऑनलाईन आवेदन करने पर पंजीयन किया जाता है, अब तक इन प्रवर्गों के 18.60 लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है । पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिये 27 योजनाएं संचालित की जा रही हैं । इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2018 में लगभग 8.65 लाख निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को लाभांवित किया गया है, जिस पर 147.09 करोड़ रूपया व्यय किया गया है । छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के तहत् वर्ष 2019-20 में संगठित श्रमिकों के लिये 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थान

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संगठित श्रेणी में आते हैं । संगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों का नियोजक के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन की कार्यवाही की जाती है । अब तक 3781 संस्थानों में 2 लाख 65 हजार 826 संगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है । पंजीकृत संगठित श्रमिकों एवं उसके परिवार के सदस्यों के लिये 12 योजनाएं संचालित की जा रही हैं । इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2018 में लगभग 75 हजार संगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को लाभांवित किया गया है जिस पर रूपये 2.53 करोड़ व्यय किया गया है ।

श्री अमरजीत भगत :- श्री शिवरतन जी, पुरा सुनकर बेहोश हो गये न ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा श्रमिकों के कल्याण के लिये हमारी सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं । शहीद वीर नारायण सिंह श्रम योजना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को भुगतान कराया जाता है, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, इंडस्ट्रियल हाईजीन लैब की स्थापना की जा रही है, व्यावसायिक संघ बाल श्रम उन्मूलन, बंधक श्रमिक योजना, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के अलावा हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश में पूर्व प्रचलित दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के स्थान पर नवीन छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 दिनांक 23.08.2018 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है । छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 के नियम प्रभावशीलन की कार्यवाही निरंतरित है जिससे 10 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले अथवा बिना श्रमिक नियोजित करने वाले संस्थानों को पंजीयन से छूट दी जायेगी । वर्तमान में सभी स्थापनाओं को प्रत्येक 5 वर्ष में पंजीयन के नवकरण में छूट दिये जाने के संबंध में नियम में प्रावधान करने जा रही है । छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश नियम 1963 के अंदर राज्य में स्थापित विभिन्न कारखानों, उपक्रमों एवं संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की वर्तमान में सेवानिवृत्त आयु 58 वर्ष निर्धारित है । हमारी सरकार द्वारा श्रमिकों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने हेतु नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है । इससे राज्य में कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिक लाभांवित होंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने के लिये बहुत कुछ है । मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सम्माननीय सदस्यों श्री बृहस्पत सिंह जी, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, श्री केशव प्रसाद चंद्रा, श्री शैलेश पाण्डेय, श्रीमती इंदु बंजारे जी, आदरणीया श्रीमती अनिता शर्मा जी, भाई देवेंद्र यादव जी और श्री रेखचंद जैन जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि नगरीय निकाय विभाग द्वारा 2.1.2004 को पूर्व में जारी योजनाओं का नाम परिवर्तन किया गया था । जैसे इंदिरा विद्या भवन योजना का नाम ज्ञान स्थली योजना कर दिया गया, इंदिरा शहरी सरोवर योजना का नाम सरोवर धरोहर योजना किया गया, राजीव खेल मैदान योजना का नाम उन्मुक्त खेल मैदान योजना कर दिया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गया, नेहरू बाल उद्यान योजना थी, जो कि नेहरू जी के नाम पर थी उसे बदलकर पुष्प वाटिका उद्यान योजना कर दिया गया, राजीव स्वावलम्बन योजना का नाम मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना कर दिया गया, प्रियदर्शिनी जो कि इंदिरा जी के नाम पर थी, बस स्टैंड योजना उसे बदलकर प्रतिक्षा बस स्टैंड योजना कर दिया गया । हमारे आदरणीय विपक्ष के सदस्यगण कहते हैं कि हमने नाम परिवर्तन किया । नाम परिवर्तन हमने नही किया, नाम परिवर्तन की शुरूआत उन्होंने की और उन नामों को जिन्हें इन लोगों ने परिवर्तन किया था, हमने उन्हें सुधार कर वापस उन्हीं नामों पर कर दिया, जिनको इन्होंने परिवर्तित किया था । ये योजनाएं राजीव जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखी गई हैं । इस पर इन्हें आपत्ति हो तो हो । लेकिन इस पर मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है । लेकिन जो नाम परिवर्तन किया गया है, वह ठीक किया गया है । इन्होंने जो पहले नाम परिवर्तन किया था, हमने उसे सुधारा है । उसे सुधारकर नाम परिवर्तन किया है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि कटौती प्रस्तावों को वापस लेने का तो सवाल ही नहीं है, ये लोग तो वापस लेंगे ही नहीं । प्रस्तुत अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित करवाने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22, 69, 81 एवं 18 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिये बाईस करोड़, अठहत्तर लाख, चालीस हजार रूपये,
मांग संख्या - 69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये नौ सौ छियालीस करोड़, तेईस लाख, सतहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या - 81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - एक हजार छः सौ पैंतालीस करोड़, तेरह लाख, चौंसठ हजार रूपये तथा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 18 श्रम के लिये - दो सौ चार करोड़, बहत्तर लाख, सत्तर हजार रूपए तक की राशि दी जाए ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजो की थपथपाहट)

(3) मांग संख्या 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

मांग संख्या 34 समाज कल्याण

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिए - एक हजार बहत्तर करोड़, पच्यासी लाख, अस्सी हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 34 समाज कल्याण के लिये - सत्यासी करोड़, इकहत्तर लाख, उन्यासी हजार रूपए तक की राशि दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे ।

मांग संख्या - 55

महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

1.	श्री धर्मजीत सिंह	2
2.	श्री शिवरतन शर्मा	6
3.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या - 34

श्रम

निरंक

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों ओर कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी । श्रीमतीरंजना डीपेन्द्र साहू।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित व्यय मांग संख्या 55 और समाज कल्याण मांग संख्या 34 के विरोध में नहीं बोलूंगी क्योंकि पिछले समय जो पेश किया गया था, उसी को उठाकर वैसे का वैसा यहां पर रखा गया है। बजट में पूरी तरह कटौती की गई है और साथ ही साथ जितनी योजनाएं थीं, उनको वैसे का वैसा रखा गया है। महिला सशक्तीकरण की यदि बात करते हैं तो महिला सशक्तीकरण के लिए एक भी नई योजनाओं को नहीं लाया गया है। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था महिला श्रम पर आधारित होती है और यदि छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन और कृषि पर आधारित हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के 85 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। लोग कृषि करते हैं और उस पर उनकी आजीविका निर्भर करती है। माननीय महोदय जी, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है और छत्तीसगढ़ में श्रम पोषित महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि पूर्व में मुख्मंत्री डॉ. रमन सिंह की सरकार थी और उन्होंने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए राशन कार्ड को महिलाओं के नाम से शुरू किया और महिलाओं को घर का मुखिया बनाया। रोजगार गारंटी के तहत महिलाओं को जॉब कार्ड में उनका नाम आगे किया लेकिन इन मांग संख्याओं पर और महिला विकास और समाज कल्याण के इन किताबों को यदि देखा जाए तो कहीं पर भी महिला सशक्तीकरण के लिए पृथक किसी बजट की व्यवस्था नहीं है। इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष 2002 की जनगणना में जब सर्वे की रिपार्ट आयी तो उस समय एक हजार पुरूषों के पीछे 990 महिलाएं थीं लेकिन जब वर्ष 2011 की सर्वे सूची रिपोर्ट आयी तो एक हजार पुरूषों के पीछे 981 महिलाएं। 8 प्रतिशत महिलाओं की कमी आयी है। हम यदि छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं तो कैसे हम 8 प्रतिशत महिलाओं को नहीं बचा पाएं? इन 8 प्रतिशत महिलाओं का क्या हुआ? हम महिलाओं के हितों की बात करते हैं। उनके हितों की रक्षा की बात करते हैं। हम सबसे ज्यादा यदि कहीं देखते हैं। महिलाओं का परिवार यदि किसी चीज से सबसे अधिक ग्रसित है, वे परेशान हैं, उनका परिवार यदि टूट रहा है तो उसका कारण है शराब। सरकार ने अपने जनघोषणा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पत्र में शराबबंदी की बात कही थी लेकिन कहीं पर भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और इसके परिणामस्वरूप आज महिलाओं का परिवार टूट रहा है। महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और उनकी भावनाओं को दरकिनार कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति अब जाग चुकी है और उसका जीता जागता उदाहरण हमें कहीं देखना है तो हम छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में रात के समय चले जायें, हमको जागरूक महिलाओं का ऐसा समूह दिखेगा जिनके हाथ में डण्डा, टॉर्च और सीटी लेकर वे घूमती रहती हैं। उनका उद्देश्य केवल यही है कि समाज में सुव्यवस्था की स्थापना करना। ये महिलाएं दिन में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास करती हैं और उसके साथ ही साथ रात में वे समाज में ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज की व्यवस्था को खराब करते हैं, उनको सुधारने के लिए काम करती हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मुझे बहुत दुखी मन से कह कहना पड़ रहा है। बहुत रूंधे स्वर से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हम महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं लेकिन ऐसी महिलाएं जिन्हें हम महिला कमांडो के रूप में जानते हैं, इनके लिए कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। इस सदन के माध्यम से मैं मांग करना चाहती हूं कि ऐसी महिलाओं के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की जाए ताकि ये महिलाएं जो बिना किसी अपेक्षा से सरकार का काम करती हैं। आधे से ज्यादा सरकार की भूमिका निभा रही हैं शराबबंदी को लेकर। ऐसी महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की जाए ताकि वह महिला और आगे आकर काम करे। कुछ करने की यदि उनमें क्षमता है तो वे बिल्कुल काम करेंगी। ये महिलाएं जब घर से निकलती हैं, घर का जब चौखट लांघती हैं हमारी संस्कृति रही है, हमारी परंपरा रही है कि सदैव से महिलाओं को घूंघट की आड़ में रहने के साथ-साथ जब वह घर की चौखट को लांघती है तो समाज उनके पीछे बहुत सी बातें करता है। वह बातें इसलिए करता है क्योंकि वह समाज की व्यवस्था को सुधारना चाहती है। लेकिन वह कहां पर गलत है ? यदि वह ऐसा करना चाहती है तो मेरे ख्याल में वह बहुत सही है और उनके लिए मानदेय की व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस सदन को भी अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं इससे पूर्व जनपद अध्यक्ष थी। उसके पहले एक साधारण सी महिला थी। एक महिला होने के नाते बहुत ही पवित्र मन से एक सकारात्मक दिशा में योजना की शुरूआत की गई, जिसे हम बिहान के नाम से जानते हैं। योजना बहुत छोटी थी, लेकिन पूर्व के पंचायत मंत्री माननीय अजय चन्द्राकर जी ने इस योजना में जान डाल दी। महिलाओं की सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को सक्षम, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई। जब हम इस योजना को गांव-गांव लेकर जाते थे तो हमको वास्तव में समझ में आता था कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। उनमें कहीं कुछ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कर गुजरने की क्षमता है और वह कुछ करना चाहती है। जब हम उन महिलाओं के पास गए तो हमने उन महिलाओं को देखा कि वह अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वह कुछ व्यवसाय करना चाहती है। उन्होंने खुले मन से इस योजना का स्वागत किया और उन्होंने काम किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यहां पर इस सदन के माध्यम से सत्ता में बैठे हुए जिम्मेदार लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि बदलापुर की राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठकर यदि हम वास्तव में काम करेंगे तो हम अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं। चूंकि हम सब जानते हैं कि विपक्ष ने हमेशा एक आईनें का काम किया है। यदि आप वास्तव में विपक्ष को आईना समझते हैं , उनकी सुनते हैं तो निश्चित ही अपने काम में सक्षम रहेंगे, काम को कर पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत से ऐसे विषय है। आज ही का विषय है। मैं जब धमतरी से रायपुर आने के लिए निकल रही थी तो उतने ही समय मैंने एक न्यूज पेपर में पढा। महिला बाल विकास विभाग से संबंधित बातों पर मेरा निवेदन है कि इसमें गौर किया जाए। माननीय महोदय जी, मैं यहां पर कोई वक्तव्य दे रही हूँ तो उसे मेरा भाषण न समझा जाए। क्योंकि मैने इस चीज को बहुत करीब से जाना है, दिल से इस चीज को स्वीकार किया है कि यदि मेरे कहे गए वक्तव्यों पर वास्तव में कहीं एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं, तो यह छत्ततीसगढ़ की सभी महिलाओं का सम्मान होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास विभाग में एक योजना की शुरूआत की गई थी। जिसे हम पूरक पोषण आहार योजना के नाम से जानते हैं, इस योजना की शुरूआत की गई। इस योजना के अन्तर्गत 14 से 18 वर्ष किशोरी बालिकाएं, ऐसी बालिकाएं, जिन्होंने शिक्षा छोड़ दी है, ऐसी बालिकाओं को रेडी टू इट दिया जा रहा था। लेकिन इस योजना को बंद कर दिया गया है। माननीय महोदय जी, 14 से 18 वर्ष की उम्र ऐसी होती है, जब बालिकाओं के शरीर को पौष्टिक पोषण आहार की आवश्यकता होती है। जब 18 वर्ष की आयु के पश्चात उनकी शादी हो जाती है, तो यदि यह पौष्टिक पोषण आहार उनको नहीं मिलता तो वह कुपोषित बालक को जन्म देती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन था कि पूरक पोषण आहार योजना को बंद न किया जाए, इस योजना को चालू रखा जाए। चूंकि आज ही एक न्यूज पेपर में आया है कि इस योजन को बंद कर दिया गया है तो मेरे धमतरी जिले के ही बात है कि विभाग में 60 लाख का बकाया है। विभाग के द्वारा महिलाओं को राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसमें लिखा गया है कि किशोरी शक्ति योजना के बंद होने से महिलाएं कर्ज में डूबी हैं। बहुत सी ऐसी महिला समूह हैं, जिनको राशि का भुगतान नहीं हुआ है। लगभग 60 लाख के आसपास ये राशियां हैं और वे महिलाएं कर्ज में डूब गई हैं। चूंकि ये समूह चलाती थी, इसलिए माननीय महोदय जी, मेरा निवेदन है कि इस योजना को फिर से शुरू किया जाए।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अधयक्ष महोदय, मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत आंगनबाड़ी में हमारे बच्चों को सप्ताह में एक दिन दूध दिया जाता है। ताकि बच्चें सुपोषित रहें, कुपोषण के शिकार न हों। इसलिए सप्ताह में एक दिन दूध दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन से निवेदन है कि इन्हें एक दिन नहीं, बल्कि दो दिन यह दूध दिया जाना चाहिए। ताकि हमारे बच्चें कुपोषित न हो और बड़े होकर वे स्वच्छ और सुन्दर समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

श्री संतराम नेताम :- मैडम, हमारी सरकार ने, मंत्री जी ने एक कदम आगे चलकर अण्डे की व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय :- नेताम जी, डिस्टर्ब मत करो।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब आप कहां महिला बाल विकास में आ गए भाई। भैय्या, बैठे रहो, सुनो न।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पिछले समय तो आप दूध पिला रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय:- आप भी बैठिए, आज सिर्फ महिलाएं बोलेंगी, पुरूषों को बोलने नहीं मिलेगा ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा बोल रही हैं, हम माननीय सदस्या को जानकारी दे रहे हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महतारी जतन योजना में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में श्रमिक महिलाएं और खेतिहर मजदूर महिलाएं बहुत अधिक संख्या में हैं । चूंकि कृषि मजदूरी महिलाओं पर निर्भर करती हैं और श्रम भी महिलाओं पर निर्भर करता है । इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सप्ताह में एक दिन उनको गरम भोजन करने जाना रहता है, वे आंगनबाड़ी में गरम भोजन लेती हैं, लेकिन हमारी महिलाएं, विशेषकर शहर की महिलाएं जो सुबह काम पर जाती हैं और शाम को घर लौटती हैं, वे महिलाएं आंगनबाड़ी में जाकर भोजन करना पसंद नहीं करती हैं। गांव की महिलाएं जिनको आंगनबाड़ी में गरम भोजन करने जाना रहता है, वे इस डर से आंगनबाड़ी में नहीं जाती क्योंकि उनकी मजदूरी में कटौती होगी तो ये योजना बहुत अच्छे से संचालित नहीं हो रही है । मेरा निवेदन है कि इस योजना को दूसरे तरीके से लिया जाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कुछ विषय और है, जो बहुत जरूरी है क्योंकि समाज कल्याण से संबंधित है । चूंकि समाज कल्याण में ऐसी अष्ट बाधित दिव्यांगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाए क्योंकि प्रदेश में केवल चार-पांच स्थान ऐसे हैं, जहां पर दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है, साथ ही साथ 70 वर्ष से अधिक वृद्धजनों को जो पेंशन दी जाती है, वह इस कारण पेंडिंग रहती है कि या तो आईएफएससी कोड उनका गलत रहता है या फिर उनके दो एकाउंट होते हैं । दो एकाउंट होते हैं तो उनको ये परेशानी होती है कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उनको कहां से अपनी पैसों को निकालें तो 70 वर्ष से अधिक वृद्धजनों को इस प्रकार की बहुत सी परेशानी आती है । मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को यदि पेंशन दिया जा रहा है तो उनको ग्राम पंचायतों के माध्यम से पेंशन दिया जाए । अध्यक्ष महोदय, सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध बाबत। विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों जैसे अष्ट बाधित हैं, मूक बधिर हैं, ऐसे दिव्यांगजनों को केवल 500 रूपये का पेंशन मिलता है, जो कुछ भी नहीं है तो मेरा निवेदन है कि इनकी पेंशन की राशि बढ़ायी जाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बालिका अनाथ आश्रम का संचालन- बालिका अनाथ आश्रमों को हर जिले में एक-एक आश्रम बनायी जाये क्योंकि बालिकाओं को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है इसलिए एक-एक आश्रम हर जिले में बनायी जाए । साथ ही साथ वर्तमान में वृद्धजनों के लिए तीर्थ यात्रा योजना चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह जी ने इस योजना की शुरूआत की थी और श्रवण कुमार बनकर उन्होंने वृद्धजनों को यात्रा कराई थी तो मेरा निवेदन है कि इस योजना को बंद न किया जाये और सरकार के द्वारा जन घोषणा-पत्र में 60 वर्ष से अधिक आयु को एक हजार रूपये पेंशन, 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 15 सौ रूपये पेंशन की बात कही गई थी, लेकिन इस बजट में उसका उल्लेख कहीं भी नहीं है । मेरा निवेदन है कि बजट में उसका उल्लेख किया जाये या उसको जोड़ा जाए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय बहुत सारे हैं, लेकिन आप समय बहुत कम दे रहे हैं । मेरा निवेदन है कि आपसे समय और मिलना था । चूंकि अपने दल से मैं एक ही वक्ता हूं इसलिए मुझे समय और देना था । एक विषय और था कि मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों को आजीवन रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए घरौंदा की योजना है । घरौंदा की शुरूआत अभी केवल बालोद जिले में शुरूआत की गई थी, मेरा निवेदन था कि छत्तीसगढ़ की सभी 27 जिलों में घरौंदा की शुरूआत की जाए, ताकि मानसिक रूप से जो बाधित व्यक्ति हैं, उनको उनके घर के लोग रखने को तैयार नहीं होते, ऐसे समय में उनको आवश्यकता होती है कि वे कहां पर जाएं। समाज उनको स्वीकार नहीं करता, ऐसे समय में यदि हर जिले में एक-एक घरौंदा हो जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना । ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । ऐसे बच्चे जो संकटग्रस्त हैं, कुपोषित हैं, ऐसे बच्चों को वर्ष में केवल एक बार सिर्फ 500 रूपये की दवाई का प्रावधान है । चूंकि हर महीने उनकी जांच होती है तो 500 रूपये में कुछ भी नहीं होता । मेरा निवेदन था कि ऐसे बच्चों को प्रतिवर्ष कम से कम दो हजार रूपये दिया जाये, ताकि उनकी दवाई की भी व्यवस्था हो सके । साथ ही साथ नोनी सुरक्षा योजना की शुरूआत 1 अप्रैल, 2014 को की गई थी, जिस घर में पहली बच्ची होती है, एक बच्ची का जन्म होता है और जब वह बच्ची 18 वर्ष पूर्ण करती हैं, जब वह 12 कक्षा तक पहुंच जाती है तो इस योजना के अंतर्गत उसे एक लाख रूपये मिलने का प्रावधान है,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लेकिन आज वह जन्म लेती है और 18 साल बाद उस एक लाख रूपये की वैल्यू क्या रहेगी? एक लाख रूपये बहुत कम राशि है। तो मेरा यह निवेदन है कि इस राशि को बढ़ाकर तीन लाख रूपये कर दिया जाए। महतारी जतन योजना के अंतर्गत धातृ माताएं, ऐसी माताएं जो बच्चों को दुग्ध पान कराती हैं ऐसी माताओं के लिए भी भोजन का प्रावधान रहना चाहिए। क्योंकि जब वह बच्चों को दुग्ध पान कराती हैं तो उनके शरीर को प्रोटीन, कैल्सियम और आयरन की आवश्यकता होती है और उनको वह मिलता नहीं है तो ऐसे समय में उनको गर्म भोजन की व्यवस्था या भोजन बनाकर टिफिन की व्यवस्था कराई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण के बजट के समर्थन में मैं अपनी बात रखने के लिए आज खड़ी हुई हूं। मैं सबसे पहले यह बताना चाहती हूं कि जो बजट है उसमें बच्चों के देखभाल, विकास, संरक्षण, महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा के साथ ही कुपोषण की रोकथाम का प्रयास सरकार करती है। और उसके लिए बजट में यह घोषणा की गई है, जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को नर्सरी स्कूल की तरह चलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था के प्रयास के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को बधाई देती हूं। आंगनबाड़ी के अमले की दक्षता बढ़ाने के लिए और उनके प्रशिक्षण के लिए सरकार जो कदम उठा रही है उसमें 360 गतिविधियों का कोर्स और 52 सप्ताह की समय सारिणी विकसित की गई है। इसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं क्योंकि निश्चित तौर पर यह लाभदायक रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सुविधायुक्त भवन उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। वर्ष 2019-20 के बजट में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए मनरेगा के समन्वय में भवन निर्माण करने के लिए 29 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019-20 में मनरेगा के समन्वय से 2000 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए विभागीय निधि का अंशदान 1 लाख 45 हजार के अलावा 5 लाख रूपये का अंशदान मनरेगा से स्वीकृत किया जाना है। इस तरह से 29 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए निवेदन करना चाहूंगी। मेरे तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के चितावर, चितावर का आवासपारा, देवरीकला, बहुरता, बोड़सरा, कोपरा, निरतुप, पोड़ीकला, उसलापुर, अमसेना और लमेर में मेरा आग्रह है कि वहां आंगनबाड़ी के भवन नहीं हैं, तो उनके निर्माण के लिए मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। अभी जैसा कि पहले कहा गया कि महिलाओं के लिए प्रयास में कमी है तो मैं कहना चाहूंगी कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

छत्तीसगढ़ की जो श्रमिक महिलाएं हैं, तो उन श्रमिकों की बात पिछले मंत्री जी की चर्चा में शामिल था। श्रमिक का अर्थ महिला और पुरूष सभी श्रमिक हैं तो पुरूष श्रमिकों के लिए जो भी योजनाएं हैं उन्हीं से महिला श्रमिक भी लाभान्वित होंगी। उसके अलावा महिलाओं के लिए चल रहे कार्यक्रम में मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि विभिन्न 12 प्रकार के कार्यक्रमों की एक लिस्ट है। पोषण अभियान, महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण, दहेज प्रतिशेध अधिनियम, महिला शक्ति केन्द्र योजना जो प्रदेश के 11 जिलों में चल रही है और उसे कालेजों के राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) से जोड़ा जायेगा और इसके लिए 17 करोड़ का प्रावधान है। मातृ वंदना योजना के लिए शासन ने इस बजट में 70 करोड़ 66 लाख रूपये का प्रावधान किया है। नोनी सुरक्षा योजना के लिए 16 करोड़ 72 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है जिससे बालिका के 18 वर्ष होने पर उसे 1 लाख रूपये मिलेंगे। नारी निकेतन की व्यवस्था है। महिला जागृति शिविर है, मानसिक बीमार महिलाओं के लिए आश्रयगृह है, महिला पुलिस स्वयंसेविका के लिए 9 करोड़ रूपये का प्रावधान है और राज्य महिला आयोग भी महिलाओं के लिए है जिसके लिए 3 करोड़ रूपये का प्रावधान है। जननी सुरक्षा योजना और आंगनबाड़ी यह भी महिलाओं के लिए ही चलाई जा रही है।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मंत्री जी और विभागीय मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया जी को हृदय से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक लंबी राशि स्वीकृत की है। स्वसहायता समूह और उनसे मिलने वाले जो पूरक पोषण आहार हैं जो 14 से 18 वर्ष की किशोर बालिकाएं जो शिक्षा छोड़ चुकी हैं उनके लिये भी है और निरंतर चलते रहते की योजना है। उनके बंद होने के प्रावधान के बारे मे चर्चा की गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो विभागीय प्रति मिली है उसमें इसका उल्लेख है। पोषण आहार के लिए आपके द्वारा बजट में 745 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके सदुपयोग के लिए रेजी.टू.इट प्रोगाम में ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी पहले भी चर्चा चल चुकी है कि रेडी.टू.इट और इस सबमें जो आंगनबाड़ी में भोजन दिया जा रहा है उसमें अंडा बांटने की शुरूआत की गई है और उसके सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सभी 27 जिलों में यह पोषण अभियान चलेगा। इसके लिये माननीय मंख्यमंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। पहले 27 जिलों में नहीं चल रहा था। सुपोषण चौपाल का प्रयास अवश्य ही सुखद परिणाम देगा। इससे हम कुपोषण के नियंत्रण में सफल होंगे। जो सुपोषण चौपाल है वह एक तरह की सामाजिक चर्चा होगी जिससे इस बारे में चर्चा हो सकेगी कि बेहतर व्यवस्था और कैसे अच्छी तरह से की जा सकती है। उसका लाभ गांव के सभी लोगों को मिल रहा है कि नहीं। महिला बाल विकास विभाग के बजट में 2 हजार 62.84 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जो वर्ष 2003 में पहले इस विभाग के बजट में 149 करोड़ का प्रावधान होता था इस तरह से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वर्तमान बजट का प्रावधान में लगभग 1400 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2019-20 में 1327 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। जिसमें उन्नयन निर्माण के लिए 29 करोड़ और आई.सी.डी.एस. सामान्य के अंतर्गत 553 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं विशेष तौर पर पोषण आहार के विषय में चर्चा करना चाहूंगी और सभी सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराते हेतु पूरक पोषण आहार की दरें बढ़ाई गई है। इससे निश्चित तौर पर हमारे ही प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। बढ़ी हुई दर पर वित्तीय प्रावधान भी बढ़ाया गया है। दरों में वृद्धि होने से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार में सहायता मिलनी शुरू हो गयी है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को पूरक पोषण आहार आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ मेन्यू के अनुसार नास्ता दिया जा रहा है। यह मेन्यू एक डायटिशियन के द्वारा बनाया जाता है। गर्म पके हुए भोजन में रोटी, चावल, मिक्स दाल, दो प्रकार की सब्जी, आचार, पापड़, सलाद, गुड़ और नास्ते में रेजी टू इट फूड का हल्वा पोहा आदि प्रदाय किया जा रहा है। इसी तरह टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को गेहूं आधारित रेजी टू इट फूड का प्रदाय किया जा रहा है जिसमें रागी, मूंगफली इत्यादि का प्रावधान है। महतारी जतन योजना में 2 लाख 35 हजार गर्भवती महिलाओं को लाभ हुआ है और वर्तमान बजट में इस हेतु 23.50 लाख का प्रावधान किया गया है । इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। एकीकृत बाल विकास योजना के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 70 करोड़ 68 लाख प्रावधान करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और विभागीय मंत्री जी की आभारी हूं। राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर, जगदलपुर के लिए 3 करोड़ के प्रावधान के लिए मैं धन्यवाद देती हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु। मैं सत्ता पक्ष की प्रथम वक्ता हूं तो मुझे बोलने के लिए समय देने का कष्ट करें। सरकार ने वर्ष 2019-20 में 12 करोड़ 91 लाख रूपये प्रावधान के लिए मैं धन्यवाद देती हूं। मैं बताना चाहती हूं कि पूर्ववर्ती जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन चल रही है, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, ये सभी योजनाओं का लाभ वर्तमान में भी जारी है और हमारी जन घोषणा के अनुरूप मैं आग्रह करूंगी कि इसके लिए बढ़ी हुई राशि जल्दी से जल्दी दी जाये और इस पेंशन के लिए जो लोगों को कियोष्क की मशीन से अंगूठे का निशान मेच नहीं होने के कारण पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है । लगभग एक साल से पेंशन पेंडिंग में है तो उस अप्राप्त राशि की व्यवस्था अति शीघ्र करायें, जिससे हमारी छत्तीसगढ़ की जनता लाभान्वित हो। ऐसे बहुत केस सभी विधानसभा क्षेत्रों में हैं जहां लोगों को पेंशन कियोस की मशीन से अंगूठा मैच होने के कारण नहीं मिल रहे हैं। मेरा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आग्रह है कि मोटर ट्राईसाईकिल की संख्या भी बढ़ाई जाये, क्योंकि दिव्यांगों के लिए अभी मोटर से चलने वाली ट्राईसाईकिल की संख्या बहुत कम है।

मानवीय अध्यक्ष महोदय, किशोरी बालिकाओं के लिए जो योजना है वह अभी भी संचालित हो रही है और उनको पोषण आहार अभी भी दिया जा रहा है मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और महिला बाल विकास मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। एक महत्वपूर्ण बजट में जो आया है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पहले इस योजना के अंतर्गत प्रावधान राशि 15 हजार रूपये होती थी जिसे बढ़ाकर के 25 हजार रूपये करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिससे निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र की कन्याओं का और उनके परिवार के लोगों को बहुत लाभ होगा। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में राशि को 19 करोड़ किया गया है। इसके लिए मैं गरीब परिवारों की ओर से यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एकीकृत बाल संरक्षण योजना में माननीय मंत्री महोदया को बच्चों के संरक्षण के लिए किये जा रहे पुनित कार्यों के लिए मैं बधाई देती हूँ। उनके सतत प्रयास से बच्चों के 24 घण्टे की सहायता के लिए चाईल्ड लाईन 1098 नंबर की सेवा जो है, वह राज्य के 16 जिलों में और बिलासपुर और रायपुर रेल्वे स्टेशनों में संचालित है और यह सेवा सभी के लिए उपलब्ध है। जिसके माध्यम से कोई भी किसी प्रकार का बच्चा घूमंतु बच्चा, गुमशुदा बच्चा, शोषित बच्चे के संबंध में अपराध दर्ज कराया जा सकता है। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको धन्यवाद्। श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आंगनबाड़ी केन्द्र में मुर्रा, लड्डू वितरण नहीं होता है। इस योजना को पूर्व सरकार ने बंद कर दिया है। इस योजना के बंद होने से बच्चे आंगनबाड़ी नहीं पहुँचते हैं। यह योजना बंद हो गई है। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहती हूँ कि यह योजना बंद होने आंगन बाड़ी केन्द्रों में अधिक से अधिक बच्चे नहीं पहुँचते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार नहीं मिलता है, क्योंकि उनको पोषण आहार मिलना बहुत जरूरी है, जिससे उनको कमजोरी से छुटकारा मिल सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती इन्दू बंजारे (पामगढ़):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिला बाल विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या 55 एवं 34 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे पामगढ़ क्षेत्र में मेरे पास बहुत सी शिकायतें आती हैं कि निराश्रित पेंशनधारी जो हितग्राही होते हैं, उनका पेंशन उनको नहीं मिल रहा है और जब इसकी शिकायत वे लोग जनपद में एस.डी.एम. और सी.ई.ओ. के पास करते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि उसका पैसा खाते में डलवा दिया गया है। लेकिन जाकर वे जब खुद खाते को देखते हैं तो उसमें पैसा नहीं डला होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे पामगढ़ क्षेत्र में जांच करायें और तुरंत अतिशीघ्र उन पेंशन धारियों को उनका भुगतान करायें। साथ ही जो सर्वे सूची के आधार पर हितग्राहियों को पेंशन दिया जाता है, जिनका नाम जोड़ा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करती हूँ कि सर्वे सूची को छोड़कर जो योग्य हैं, जो सही मायने में पेंशन के काबिल हैं उनको पेंशन दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो हमारे पामगढ़ क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र है वहां पर बच्चों को जो पोषण आहार दिया जाता है वह बहुत ही गुणवत्ता विहीन है जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत ही कुपोषित हो गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करती हूँ कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो पोषण आहार दिया जाता है, वह गुणवत्ताविहीन है, उसकी जांच करायें और सही मायने में गुणवत्तायुक्त बच्चों को पोषण आहार देने के लिए एक जांच कमेटी बैठाकर इसकी जांच करायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो महिलाओं को गोद भराई की रस्म में जो स्वल्पाहार दिया जाता है, वह भी गणुवत्ताविहीन होता है और कई खराब हुआ माल होता है, उससे महिलाओं की गोद भराई की रस्म की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहती हूँ कि इन सब की जांच कराकर, सही मायने में अच्छा स्वल्पाहार हमारी बहनों, बेटियों को मिलें। इसके साथ ही मेरे पामगढ़ क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जिसमें भवन का निर्माण नहीं हैं, किराये पर लेकर आंगनबाड़ी को संचालित किया जा रहा है। मैं हमारे पामगढ़ क्षेत्र के सभी भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र में भवन निर्माण की मांग करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से एक नाम ले लीजिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उसमें एक दिया है न।

श्री शिवरतन शर्मा :- डॉ बांधी बोलेंगे, बांधी जी को अवसर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, महिलाओं का है, चलने दीजिए, आज रिकार्ड बनाने दीजिए कि सिर्फ महिलाओं ने भाग लिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, 11 लाख पेंशनधारी पुरूष हैं।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने अनुदान मांगों की चर्चा पर भाग लिया है, मैं उन सभी माननीय सदस्यों श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी, श्रीमती रश्मि आशिष सिंह जी, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े जी, श्रीमती इंदु बंजारे जी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल 2062 करोड़ 84 लाख रुपये की अनुदान मांग रखी गई है जिसमें अनुदान मांग संख्या 55 सहित, 41, 64, 80, 82 में विभागीय योजनाओं की राशि शामिल है, को पारित करने के लिए आज इस सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं। मैं यह संपूर्ण बजट प्रदेश के सभी प्यारे बच्चों, किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं की शक्ति को समर्पित करती हूं और एक कविता के साथ मैं शुरू करती हूं।

आया समय उठो तुम नारी
युग निर्माण तुम्हे करना है
आजादी की खुदी नींव में,
तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है,
अपने को कमजोर न समझो,
जननी को संपूर्ण जगत की,
गौरव हो अपनी संस्कृति की,
आहट हो स्वर्णिम आदत की,
तुम्हें नया इतिहास देश का,
अपने कर्मों में रचना है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संपूर्ण बजट प्रदेश के सभी प्यारे बच्चों, किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं की शक्ति को समर्पित करती हूं। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल 2062 करोड़ 84 लाख रुपये प्रावधानित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में 6.92 प्रतिशत अधिक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- भाभी जी, आप समर्पित कर रही हैं, अच्छी बात है, पर आपको जिनने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बजट दिया है न, उनने आपके साथ अन्याय कर दिया। 60 साल से ऊपर वालों को 1 हजार से ऊपर पेंशन देना था, 75 वर्ष से ऊपर वालों को 1500 रुपये पेंशन देना था, कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- शर्मा जी, सुन लीजिये न। वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में 6.92 प्रतिशत अधिक है।

श्री दीपक बैज :- अभी तो सरकार को बने हुए 2 महीना हुआ है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- शिव भैया, पिछले बार के बजट से ज्यादा है, 6 प्रतिशत ज्यादा है।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 6.62 प्रतिशत अधिक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके घोषणा पत्र में जो है, उसको तो याद रखोगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने जो बेहतरीन कविता पढ़ी है न, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है, आप सिर्फ उत्तर दे दीजिए।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बच्चों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रतिबद्ध है। सांकेतिक बाल विकास योजना के माध्यम बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास को सुदृढ़ नींव डालना, पोषण एवं स्वास्थ्य की नींव में सुधार करना, कुपोषण को न्यूनतम स्तर पर लाना एवं शाला पूर्व शिक्षा को सुदृढ़ बनाना, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना हमारी प्रतिबद्धता है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री महोदय, आपकी बात अच्छी है। कई लोग ऐसे रैकेट बनाकर काम कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं और ईट कर रहे हैं। कृपया उस रेडी टू ईट को ठीक करके रखियेगा। न रेडी कर सकें, न ईट कर सकें।

श्रीमती अनिला भेड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल पुरानी सरकार की जो नीति है उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य की महिलाओं में समाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति हेतु प्रतिबद्ध हैं। महिलाओं को समर्थ एवं सशक्त बनाने हेतु बेहतर समन्वय का प्रयास है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु बच्चों के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण हेतु हम संकल्पित हैं। बच्चों एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिये समेकित बाल विकास सेवा योजना, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं एवं एकीकृत बाल विकास संरक्षण योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये बजट प्रावधान में वृद्धि की गयी है । एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस हमने यह संकल्प लिया है कि इस प्रदेश को राष्ट्र में नयी पहचान दिलायेंगे । हमारा प्रदेश अन्य राज्यों के लिये एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत हो, ऐसा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हमारा प्रयास रहेगा । बच्चे स्वस्थ, सुरक्षित एवं सुपोषित रहें इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर हम अपनी सेवाएं, योजनाओं का सुदृढ़ीकरण करेंगे । एकीकृत बाल विकास सेवाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2019-20 के बजट में 13 हजार 27.36 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है । आईसीडीएस सामान्य अंतर्गत 553 करोड़ 28 लाख रूपये आंगनबाड़ी केंद्रों के लिये निर्माण, उन्नयन, सुधार हेतु 29 करोड़ रूपये एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त पूरक पोषण आहार प्रदाय करने हेतु 745 करोड़ 8 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वव्यापीकरण के तहत प्रदेश के प्रत्येक बसाहट तक आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं का विस्तार कर हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है । राज्य हित में निरंतर प्रयास से और प्रदेश में 4 लाख 6 हजार 660 आंगनबाड़ी केंद्र एवं 5814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किये जा चुके हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी महान विचारक ने कहा है कि शिक्षा विश्वास को जन्म देती है । विश्वास से आशा पल्लवित होती है एवं आशा शांति का मार्ग प्रदत्त करती है ।

श्रीमती रंजना डीपेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण विभाग है । हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आदरणीय मंत्री जी यहां पर भाषण दे रही हैं और विभाग के सचिव गायब हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- समाज कल्याण विभाग के सचिव बैठे हैं । वे जरूरी काम से छुट्टी में गये हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- आप बिल्कुल निश्चित रहें । मंत्री जी ने जो कविता पढ़ी है इसके बाद तो किसी की जरूरत ही नहीं है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय सदस्य महोदय, आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं । आज महिला सशक्तिकरण है इसलिये आज इस विधानसभा में 13 महिलायें उपलब्ध हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यहां पर आपका कोई आईएएस अधिकारी उपस्थित नहीं है क्या ऐसे ही महिला सशक्तिकरण होगा ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप देखिये न, यहां पर आईएएस अधिकारी हैं ।

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- वे सशक्त हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अधिकारी दीर्घा के बारे में आप लोग ज्यादा सवाल-जवाब न करें ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- चश्मे का नंबर बदलवा लो न ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, अंडे के साथ चूजा न कोई खा सके इस पर ध्यान दीजियेगा नहीं तो अंडे के साथ चूजा फ्री मिलेगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- विपक्ष वालों को बहुत इंटरेस्ट इसलिये है कि जब से विभाग में अंडा बंटना शुरू हुआ है इनका इंटरेस्ट और बढ़ गया है, मंत्री जी सबके यहां अंडा भिजवा दीजियेगा ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- श्री बृजमोहन जी को अंडा रात में ही दिखायी देता है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख एवं शिक्षा एक सुदृढ़ समाज की स्थापना के लिये बच्चे भविष्य की सर्वोत्तम आशाएं हैं अत: बच्चों की शिक्षा एवं विकास में निवेश किया जाना आवश्यक है । बच्चों को उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये हमारी सरकार ने जन घोषणा पत्र के माध्यम से हमने बच्चों की शाला पूर्व शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है । गांव के सुविधाविहीन बच्चे जिन्हें नर्सरी स्कूल में जाने का अवसर नहीं मिलता हम उन सभी बच्चों को नर्सरी की शिक्षा व बच्चों के क्रियान्वयन के लिये सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी स्कूल की तरह चलाने के लिये आवश्यक व्यवस्था करेंगे । हम आंगनबाड़ी केंद्रों को इस प्रकार विकसित करना चाहते हैं जहां बच्चे आनंदपूर्वक पूर्ण तरीके से सर्वांगीण विकास के लिये उपयुक्त शाला पूर्व शिक्षा प्राप्त कर सकें । प्रारंभिक बाल अवस्था, देखरेख एवं शिक्षा अर्थात् ईसीसीई को प्राथमिकता दिया जाना और विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है क्योंकि यही हमारी आगामी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने का कारगर उपाय है । गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई से दीर्घकालीन सकारात्मक, सामाजिक तथा आर्थिक परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं अत: इस आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाना एवं प्रशिक्षण के माध्यम से विभागीय अमले की क्षमता को सतत् वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है । बच्चे हमारी प्रगति का आधार हैं । उनके सपनों को साकार करने के लिए हमने वर्ष 2019-20 के बजट में आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन एवं एसीसीई घटक मद में 14 करोड़ 93 लाख का प्रावधान रखा है ।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य को सुगम बनाने के लिए प्रतिवेदन व दैनिक कार्यवाही के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया का सरलीकरण करेंगे । आवश्यकतानुसार उन्हें हाईटेक बनाया जाकर आधुनिक संचार संसाधनों से आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाएगा । बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण की रोकथाम हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है । राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार कुपोषण की दर 37.7 प्रतिशत है । मैं अपनी सरकार के संकल्प को दोहराती हूं कि हम कुपोषण में कमी लाएंगे । एक निश्चित समय में राज्य के सभी बच्चों का वजन लेकर उनके कुपोषण स्तर को ज्ञात करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित वजन त्यौहार की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार योजनाओं में संशोधन करेंगे । यदि जरूरत पड़ी तो इन बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम भी संचालित करने का विचार किया जाएगा ।

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों को पौष्टिक आहार उपलबध कराने हेतु पूरक पोषण आहार की दरें बढ़ाईं गई हैं । इसके लिए बढ़ी हुई दरों का वित्तीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रावधान रखा गया है । दरों में वृद्धि होने से हितग्राहियों को गुणवत्तायुक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने में सहायता मिल रही है । पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में लगभग 33 लाख, 88 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें 6 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चे, गर्भवती एवं शिशुवती माताएं शामिल हैं । उसी तरह पूरक पोषण आहार का प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के बजट में रूपए 745 करोड़ 8 लाख रूपए का प्रावधान किया है ।

अमृत योजना में हमारी सदस्या महोदय बोल रही थीं कि बच्चों को सप्ताह में दो दिन अमृत दूध देना चाहिए । वह हमारी योजना में हम लोगों ने अगले वित्तीय वर्ष से सप्ताह में दो दिन अमृत योजना के द्वारा दूध देने का कार्य प्रस्तावित कर लिए हैं । बच्चों के कुपोषण में कमी लाने के लिए अमृत योजना का संचालन किया जा रहा है । आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रतिदिन आने वाले 3 से 6 वर्ष एवं समस्त बच्चों को प्रत्येक बुधवार को 100 मिलीलीटर सुगंधित दूध, मीठा दूध प्रदाय किया जा रहा है । परंतु अब हम सप्ताह में दो दिन मीठा दूध प्रदाय करेंगे । इस योजना में 9 लाख बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजनान्तर्गत राशि 21 करोड़, 6 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है ।

महतारी जतन योजना संचालित की जा रही है । गर्भवती महिलाओं के लिए योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आकर्षक थाली, गर्भवती महिलाओं को पृथक, पृथक मेन्यू के अनुसार प्रदान की जा रही है, जिसमें उन्हें चावल, दाल, रोटी, रसदार, सूखी सब्जी, अचार आदि पूर्ण आहार प्रदाय किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त महिलाओं को घर ले जाने के लिए प्रतिदिन 75 ग्राम के मान से सप्ताह में 6 दिवस हेतु रेडी-टू-ईट दिये जाने का प्रावधान है । वर्तमान में इस योजना में 2.35 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं । वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजना के अंतर्गत 23 करोड़, 55 लाख का बजट प्रावधान है ।

हमारा विभाग कुपोषण को दूर करने के लिए कटिबद्ध है तथा विभिन्न स्तर पर प्रयासरत है । इस दिशा में विभाग के द्वारा पोषण अभियान परियोजना के तहत 7 जिलों में 10 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को मोबाइल प्रदाय किया गया है । मोबाइल के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें अपने केन्द्र की जानकारी सीधे भारत सरकार के सर्वर पर भेजती हैं । पूर्व की तरह उन्हें अधिक संख्या में अभिलेखों का संधारण नहीं करना होता है । जिसमें मानव श्रम की कमी आई है व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें अधिक से अधिक समय आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के विकास हेतु अपना समय दे सकती हैं। वर्तमान में 7 जिलों की 90 प्रतिशत से अधिक कार्यकर्ता मोबाइल के माध्यम से भारत सरकार के सर्वर पर डाटा प्रेषण किया जा रहा है एवं पोषण अभियान के आई.सी.टी.आर.टी.एम. घटक अंतर्गत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किये जाने पर प्रतिमाह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राशि रूपये 500 तथा सहायिकाओं को राशि रूपये 250 प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। पोषण अभियान अंतर्गत सतत् प्रक्रिया के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ज्ञान के स्तर को प्रत्येक 15 दिवस में एक विशिष्ट विषय में उन्नत किया जाता है यह प्रशिक्षण राज्य स्तर के अधिकारियों से प्रारंभ करते हुए मैदानी अमले को विषय विशेष पर प्रशिक्षित किया जाता है। पोषण अभियान का महत्वपूर्ण घटक नवाचार एवं जनआंदोलन है। कुपोषण से सुपोषण की ओर यात्रा के लिए जनभागीदारी एवं परिणाममूलक नवाचार गतिविधियों को चिन्हांकित करते हुए राज्य की आवश्यकतानुरूप क्रियान्वयन किया जाना है एवं जनआंदोलन के अंतर्गत हर त्यौहार को पोषण त्यौहार के रूप में मनाते हुए समुदाय की सहभागिता से कुपोषण से सुपोषण की ओर यात्रा को जनआंदोलन का रूप दिया गया है। पोषण अभियान के लिए राशि 109 करोड़ 83 लाख रूपये का बजट प्रावधान है। इस राशि के सदुपयोग से कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण राज्य में लाया जाएगा। किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष योजना के अंतर्गत। अब विधायक महोदया चली गईं। किशोरी बालिकाओं की योजना बंद हो गई है बोल रही थीं। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो बेटियों के घर में उजाला करती हैं। हर समाज और देश को रोशन करने के लिए बेटियों का स्वास्थ्य सुपोषित एवं साक्षर होना आवश्यक है। हमारी सरकार बेटियों के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना संचालन के लिए 37 करोड़ 49 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से 11 से 18 वर्ष की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार एवं जीवन कौशल तथा स्वास्थ्य पोषण विषयों का प्रशिक्षण दिया जाना प्रावधानित है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण के अंतर्गत राज्य में 51 हजार 237 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिसमें 44 हजार 301 आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वयं के भवन स्वीकृत हैं। 6 हजार 936 संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों स्वयं के भवन स्वीकृत किया जाना शेष है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए चरणबद्ध रूप से वित्तीय संसाधन की उपलब्धतानुसार स्वयं के भवन निर्माण स्वीकृत किये जाने का प्रयास है और इसके लिए वर्ष 2019-2020 के बजट में 19 करोड़ की राशि का प्रावधान है। आंगनबाड़ी केन्द्रों मनरेगा के संबंध में भवन निर्माण करने के लिए 29 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। उसी तरह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एकीकृत बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के लिए पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु हजारी सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में 12.91 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है। महिला सशक्तीकरण के लिए प्रदेश के रायगढ़ जिले में संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को देश के द्वारा सराहा गया है एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। यह योजना निश्चित ही ऐसे परिवारों को राहत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिलाती है जो समाज में व्याप्त रीतियों के पालन में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी कन्याओं का विवाह करने में असमर्थ होते हैं या चिंतित होते हैं। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा लिये गये निर्णय में इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाहों के आयोजन हेतु पहले अनुदान राशि प्रति जोड़ा 15 हजार था, अब उसको बढ़ाकर 25 हजार किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 19 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए वसति गृह, हमारी कामकाजी महिलाएं जो घर से, दूर-दूर से आकर काम करती थीं उन, महिलाओं के लिए और हमारे जन घोषणा-पत्र में भी था कि कामकाजी महिलाओं के लिए 5 वसति गृहों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए बजट में राशि 6 करोड़ 25 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सखी (वन स्टाप सेन्टर), महिला हेल्प लाईन, राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। हर जिले में एक सखी (वन स्टाप सेन्टर) और महिला हेल्प लाईन संचालित की जा रही है। संकटग्रस्त महिलाएं किसी भी समय सहायता एवं आश्रय प्राप्त कर सकती हैं। इसमें राज्य के अतिरिक्त राज्य के दो जिलों में महिला पुलिस, स्वयंसेविका योजना संचालित की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2013 का भी क्रियान्वयन के लिए जिला संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसमें 02 करोड़ 97 लाख 11 हजार रूपये बजट में प्रावधान रखा गया है। इसी तरह से नारी निकेतन संकटग्रस्त, महिलाएं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यकता को आश्रय और सहारा प्रदाय करने के लिए नि:शुल्क परिपालन एवं पुनर्वास के लिए प्रदेश में नारी निकेतन का भी प्रावधान है। 3 जिले में इसका प्रावधान किया गया है। रायपुर, अंबिकापुर और दंतेवाड़ा है। इसमें 01 करोड़ 24 लाख 35 हजार रूपये बजट में प्रावधान है।

स्वाधार एवं उज्जवला योजना के लिए वर्ष 2019-20 के लिए बजट में 80 लाख 40 हजार रूपये एवं उज्जवला योजना के अन्तर्गत राशि 80 लाख 10 हजार रूपये का प्रावधान है।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि ..।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसमें महिलाओं को बोलना है भाई।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप रोक रहे हैं, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। भेंडिया साहब जितना लिखकर दिए हैं उतना भाभी जी पढ़ेंगी। आप पढ़ने से रोक नहीं सकते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री महोदया, अध्यक्ष जी गांव-गांव में शिकायत मिल रही है कि 6-6 महीने, 8-8 महीने से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। हम पूछते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है, तो बताते हैं कि स्टेट बैंक या दूसरे बैंक का कियोस्क सेन्टर करके चलाने के लिए देते हैं। उसमें अंगूठे का निशान नहीं मिल रहा है, वह कितने बार चक्कर काट लिया, अंगूठे का निशान तो बदल ही गया है,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसको मेनुअल करवा दीजिये। गांव में जाओ तो पेशन नहीं मिलता है। आप ही की, आपके सरकार की ही बदनामी होगी। आप अपने अधिकारियों को इसके लिए भी निर्देशित करें।

दूसरा, आजकल गांवों में मोटराइज्ड ट्रायसिकल की मांग बहुत है। बहुत से लोगों को नहीं मिला है। उसको भी देने के लिए प्रावधान कर दीजिये। बाकी तो ठीक है, हम लोग पढ़ ही लिए हैं।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री महोदय, यह पेंशन वाला है, वह तो ठीक है, ओल्ड एज के कारण मैच नहीं हो रहा है। बैंकर उसको पकड़कर रखे हुए हैं कि उसके बगैर नहीं देंगे।

श्री अमरजीत भगत :- महिलाओं के बारे में क्या बोल रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- यह महिलाओं के बारे में नहीं है, यह सबके बारे में है। जो पेंशनधारी हैं, उनके बारे में है। जब तक आप महिला विभाग के बारे में बोली हैं, हम लोग ध्यान से सुने हैं। हम आपको बधाई दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं। बहुत तैयारी करके बोली हैं। आपके विभाग में जो पेंशन वाला विभाग है, उसके लिए आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। उसको जरा कराईये।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैय्या, आपको कुछ दिन हम देख रहे हैं कि महिलाओं के मामले में ज्यादा इन्टरेस्ट आता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो पहली बार उनके विभाग में खड़े होकर बोल रहा हूँ। मैं तो पेंशनधारियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आपके क्षेत्र में है। अगर आपके क्षेत्र में न हो तो अलग बात है। वह जो ट्रायसिकल जो मोटर सायकल वाला चाहिए, वह जरूर करवाईये। क्योंकि गांव-गांव में मांग आती है तो हम लोग बोले हैं कि आपसे निवेदन करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, जो डायरेक्ट खाते में जाता है, किसी ग्राम पंचायत को पता नहीं है कि हमारे ग्राम पंचायत के हितग्राहियों को किस बैंक से पैसा जाता है। यह भी बहुत परेशानी आ रही है। वे वहां पर तर्क लगाते हैं कि बैंक के दो खाते हैं, तीन खाते हैं, कन्फ्यूज कर कर रहे हैं। कुल मिलाकर 8-8, 9-9 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है। कृपया अच्छे से दिखवा लीजियेगा।

श्री केशव चन्द्रा :- नि:शक्तजन, वृद्ध सबका सहारा है। नकद भुगतान की घोषणा करवाईये।

श्री संतराम नेताम :- माननीय, हमारी सरकार को दो महीना हुआ है। आपकी सरकार तो उनका सुनते नहीं थे। आप लोगों ने क्या किया है ? मंत्री को रोना पड़ा।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये नहीं किए, इसलिए तो इधर आकर बैठे हैं। पर आप तो करो।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- इस सत्र में नहीं मिलेगा, नहीं देंगे क्या ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आपको करने के लिए तो बोल रहे हैं न । यही काम आप करो, दो महीने हो गया, चार महीने में कर दो, लेकिन पेंशन तो दिलवा दो दादा ।

श्री कवासी लखमा :- इतने साल कुछ नहीं कर पाये, क्यों बोल रहे हो।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- हम नहीं कर पाए तो इधर आ गए, आप फिर से इधर आना चाहते हो क्या, तय कर लो ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कब तक पेंशन नहीं देना चाहते, यही बता दो ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पेंशन का विषय आ रहा है, वह मुख्य रूप से माननीया मंत्री जी का ध्यानाकृष्ट करना चाहूंगा कि पूरा पेंशन जो जिला के समाज कल्याण विभाग से जाता है । यदि एक जिले में 7 विकासखण्ड है तो एक लाख लोगों का पेंशन जा रहा है, वहां से जाता है और यदि उसमें थोड़ी सी त्रुटि हुई तो जनपद तक आने में बहुत देर हो जाता है इसलिए जो पेंशन का एपीओ होता है, समाज कल्याण के जिला की बजाय जितने जनपद हैं, वहां से कर दीजिए तो जनपद में मिलाने में सरपंच सचिव को बोलने में ज्यादा आसानी रहती है। समाज कल्याण से जनपद तक जानकारी आने में महीनों लग जाता है, उसके बाद फिर जनपद चेक करती है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से इसकी शिकायत बहुत कम आयेगी । उसको जनपद में भेजने का प्रावधान किया जाए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है, उस पर विचार किया जायेगा । महिला एवं बाल विकास विभाग की जो जितनी योजनाएं हैं, वह सब बहुत लंबी है और आपकी जानकारी में भी है । मैं आप लोगों को थोड़ा सा समय समाज कल्याण के विषय में लेना चाहूंगी । समाज कल्याण विभाग में 2019-20 के लिए 969 करोड़, 35 लाख, 59 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है । यहां पर पेंशन भुगतान के लिए ही शिकायत होती रहती हैं, जबकि केन्द्रांश का जो पैसा है, वह डायरेक्ट हम लोग बैंक में डीपीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे पेंशन राशि जमा करते हैं । ये पेंशन राशि जहां जनपद स्तर पर होती है, वहीं गड़बड़ होती है तो इस तरह से अपने-अपने पंचायत और जनपद के माध्यम से जो भुगतान होती है, वहीं गड़बड़ी होती है, नहीं तो यहां से हर महीने पेंशन की राशि जमा कर दी जाती है । इसके लिए हम लोग बैंक मित्रों के माध्यम से जितना अधिक हो सके, उतना दिलाने का प्रयास हमारे विभाग का रहता है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा:- अध्यक्ष महोदय, ये बैंक मित्र वाला केवल कहने के लिए है, कहीं कोई बैंक मित्र नहीं हैं, न कहीं पेंशन जाता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वही तो हम लोग कह रहे हैं कि कियोस्क करके है-बैंक मित्र । उनकी मशीन में अंगूठा मेच नहीं हो रही है तो अब उनका क्या दोष है तो उसके लिए कोई रास्ता निकालिए, अपने अधिकारियों को बोलिए, सर्टिफाई करके वेरीफाई करके उसको दें या कियोस्क में एक-एक अधिकारी की ड्यूटी लगाईए और पेमेंट करवाईए । 10-11 महीने से गरीबों को पेमेंट नहीं मिला है इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती अनिला भेंडिया :- इसको हम दिखवा लेंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- और किसी बहनों को उधर से बोलना है तो बोल लो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा:- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था कि तीन किलो मीटर में बैंक नहीं है, वहां नगद भुगतान करते हैं। उसी की घोषणा कर दीजिए कि जहां तीन किलोमीटर में बैंक नहीं है, वहां हम नगद भुगतान करेंगे करके ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हम लोग प्रयासरत् हैं कि ऐसी जगहों में बैंक मित्रों के द्वारा नगद भुगतान किया जायेगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा:- अध्यक्ष महोदय, बैंक मित्र केवल कहने के लिए है । आप पूरे प्रदेश में बता दें कि कितने लोंगों को आप बैंक मित्र के माध्यम से पेंशन दिलवाते हैं । जबकि आपके पेंशन में 80 साल से ऊपर वाले कितने हैं, विकलांग कितने हैं, बिस्तर में कितने लोग हैं, आप इसका आंकलन करवा सकते हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के लिए प्रावधानित राशि रूपये 969 करोड़, 35 लाख, 59 हजार रूपये के लिए अनुमोदन प्रदान करते हुए माननीय सदस्यों से बजट पारित करने का अनुरोध करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- मांग संख्या-34 पर एक भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है । अत: मैं पहले मांग संख्या-55 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-55 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब, मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या	-	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय के लिए-एक हजार बहत्तर करोड़, पच्यासी लाख, अस्सी हजार रूपये तथा
मांग संख्या	-	34	समाज कल्याण के लिए-सत्यासी करोड़, इकहत्तर लाख, उन्यासी हजार रूपये तक की राशि दी जाये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2019 को दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित ।

(सायं 6:41 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 3, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई ।)

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 21 फरवरी, 2019

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं